खण्ड-274, अंक-8
सोमवार, 2 श्रावण, शक संवत् 1889
(24 जुलाई, 1967 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 274 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २४ जुलाई, १९६७

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री जगदीश शरण अग्रवाल, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य ४१०

अंगनेलाल, श्री
अख्तर अली खां, श्री
अजीत प्रताप, श्री
अठई राम, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्तराम, श्री
अब्दुल खालिक, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अयोध्या प्रसाद, श्री (झांसी)
अयोध्या प्रसाद, श्री (मिर्जापुर)
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अर्जुन, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अशर्फी लाल, श्री
अश्वनी कुमार, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश", श्री
अहमदउल्ला खां, श्री
आत्मा, श्री
आनन्द सिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्र मोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
ईश्वर शरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उदय प्रताप, श्री
उदयवीर सिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उमादत्त, श्री

ऊदल, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० राइरत, श्री
ओंकार सरन, श्री
ओम् प्रकाश, श्री
ओम् प्रकाश सिंह, श्री
कन्हई लाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री (इलाहाबाद)
कन्हैयालाल, श्री (झांसी)
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला प्रसाद, श्री (जौनपुर)
कमला प्रसाद, श्री (बहराइच)
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनारायसिंह, श्री
कल्याण चन्द मोहिले, श्री (उदयनाथ छुन्नन गुरु)
कल्याण सिंह, श्री
कामता सिंह, श्री
कमलोचरण, श्री
काशीनाथ, श्री
किशनलाल, श्री
किशनलाल बेसेर, श्री
किशन सिंह, श्री
किशुन लाल, श्री
कृष्ण बहादुर, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
कंवर राज जंग बहादुर राणा, श्री

केशरी लाल, श्री
केशव देव, श्री
खूब सिंह, श्री
खेमा, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद, श्री (मथुरा)
गंगाभक्त सिंह श्री
गंगाराम, श्री
गंगास्वरूप भटनागर, श्री
गजाधर, श्री
गया प्रसाद, श्री (उपनाम मास्टर साहब)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाशंकर, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गिरिराज सिंह, श्री
गिरीशचन्द्र तिवारी, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपाल राम दास, श्री
गोविन्द नारायण तिवारी, श्री
गौरी राम, श्री
गौरीशंकर सराफ, श्री
गौरीसिंह राठौर, श्री
घनश्याम गिरि, महन्त
घनश्याम दास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रकिशोर, श्री
चन्द्र कुमार, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रशेखर, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चरण सिंह, श्री
चेतराम पचपेड़ा, श्री
चेतराम वर्मा, श्री
जंगबहादुर, श्री
जगत सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश नारायण त्रिपाठी, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री

जगपत सिंह, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार सिंह, श्री
जमीलुर्रहमान, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह, श्री
जवाहरलाल, डाक्टर
जवाहरलाल जाटव, श्री
जवाहिर लाल, श्री
जसोदा नन्द, श्री
जानकी प्रसाद, श्री
जियाउर्रहमान, श्री
जी० एस० चौधरी, श्री
जुगल किशोर, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
जै दत्तसिंह, श्री
जैनूराम, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकम सिंह, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रेपन सिंह, श्री
दल बहादुर सिंह, श्री
दल सिंह, श्री
दशरथ, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्गा प्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
दुगराज सिंह, श्री
देव राम, श्री
देवीचरण अग्निहोत्री, श्री
देवीदयाल सेन, श्री
देवीदयाल बाजपेयी, श्री
देवी सेवक, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
देशराज सिंह, श्री
धनराज यादव, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री

ध्रुव कुमार, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरदेव सिंह, श्री
नरवदेश्वर, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
निहाला सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पब्बर राम, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पं तम सिंह, श्री
प्यारेलाल, श्री (अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (मेरठ)
प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रेमदत्त, श्री
फारुक चिश्ती, श्री
फूलसिंह, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बजरंग बली, ब्रह्मचारी
बदन सिंह, श्री
बदल राम, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बद्री प्रसाद अवस्थी, श्री
बनारसी दास, श्री
बलबीर सिंह, श्री (मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बसन्तलाल, श्री (जालौन)
बसन्तलाल, श्री (लखनऊ)
बसन्त सिंह, श्री
बाबू बद्दरे, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबू सिंह, श्री
बिशन लाल, श्री
बुधिराम, श्री
बृज किशोर, श्री
बृजपाल सिंह, श्री
बजमोहन दास अग्रवाल, श्री

बेचनराम, श्री (मिर्जापुर)
बेचनराम, श्री (वाराणसी)
बेनी बाई, श्रीमती
बेनी सिंह अवस्थी, श्री
बैजनाथ, श्री (बलिया)
बैजनाथ, श्री (वाराणसी)
ब्रह्मानन्द, स्वामी
भगवतीसिंह बिशारद, श्री
भगौती, श्री
भगौती प्रसाद वर्मा, श्री
भग्गू राम, श्री (उपनाम भृगुनाथ)
भारत सिंह चौहान, श्री
भोखालाल, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भुवनेश भूषण, श्री
भृगुनाथचतुर्वेदी, श्री
भैरव दत्त ब्रूलिवा, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद तिवारी, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मकसूद हुसैन, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मदन मोहन सिंह, श्री
मधुकर दिवे, श्री
मन्नालाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्सादीन, श्री
मलिखान सिंह, श्री
महरामसिंह, श्री
महिपालसिंह, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्र प्रताप सिंह, कुंवर
महेश कुमार, श्री
माताप्रसाद, श्री
मानसिंह, श्री
मारकंडे, श्री
मुन्नीलाल चमार, श्री
मुक्तिनाथ राव, श्री
मुज्जफर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नीलाल, श्री
मुरलीधर, श्री
मुलायम सिंह, श्री
मुल्कीराज, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद महमूद अली खां, श्री

मुहम्मद रऊफ,, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
यादवेन्द्र सिंह, श्री
(उपनाम लल्लन जी)
योगेश्वर प्रसाद, श्री
रईस उद्दीन, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (कानपुर)
रघुनाथ सिंह, श्री (झांसी)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सिंह, श्री (एटा)
रघुवीर सिंह, श्री (मैनपुरी)
रफी मुहम्मद खां, श्री
रमाकान्त, श्री
रमावल्लभ मिश्र, श्री
रमाशंकर अग्रवाल, श्री
रवीन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राज किशोर, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबली, श्री
राजबहादुर, श्री (सीतापुर)
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबहादुर द्विवेदी, श्री
राज राजेश्वर, श्री
राजाराम, श्री (आगरा)
राजाराम, श्री (देवरिया)
राजाराम, श्री (बलिया)
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधेश्याम कपूर, श्री
राम अंजोर, श्री
राम अधार, श्री
रामआसरे, श्री
रामकरन, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर, श्री
रामकुमार, श्री

रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र जोशी, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्र सिंह, श्री
रामचरण दोहरे, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामदास, श्री
रामकुमार पटेल, श्री
रामदुलारे, श्री (गोंडा)
रामदुलारे, श्री (रायबरेली)
रामदेव, श्री (गोंडा)
रामदेव, श्री (प्रतापगढ़)
रामनरेश पांडेय, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ, श्री (मिर्जापुर)
रामनाथ, श्री (शाहजहांपुर)
राम नारायण, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
रामप्रकाश त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री (आगरा)
रामप्रसाद, श्री (गढ़वाल)
रामप्रसाद, श्री (रायबरेली)
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामवचन, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
राम रतन, श्री
राम लखन सिंह, श्री
राम लाल, श्री
रामश्री राजपूत, श्री
रामसजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
रामसरन सिंह, श्री
राम सिंह, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
राम सेवक, श्री
राम स्वरूप, श्री (देहरादून)
रामस्वरूप, श्री (प्रतापगढ़)
रामस्वरूप, श्री (मैनपुरी)
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर सिंह, श्री
रुस्तम सैटिन, श्री
रूपनाथ यादव, श्री

रूप नारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लाखन, श्री
लालकृष्ण कुमार पाल, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर, श्री
वरमेश्वर पांडेय, श्री
वसी नकवी, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
बिपिन बिहारी तिवारी, श्री
विशुन प्रताप सिंह, श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री (उपनाम झींगन साहू)
विश्वनाथ सिंह, श्री
विष्णु स्वरूप, श्री
वीर बहादुर, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेश्वर त्यागी, श्री
शंकर सिंह, चौधरी
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शफकत जंग, श्री
शब्बीर हसन, श्री
शमीम आलम, श्री
शरफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषण सिंह, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवनाथ सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शीतलादीन, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुगन चन्द मजदूर, श्री
श्याम लाल यादव, श्री
श्याम सिंह, श्री
श्रीनाथ, श्री
श्री नारायण तिवारी, श्री
श्रीपति मिश्र, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
श्री शंकर शर्मा, श्री (उपनाम लालो शर्मा वकील)
सईद अहमद, श्री
सत्यबीर, कुंवर
सन्तू, श्री
सरजू प्रसाद,, श्री
सरदार सिंह, श्री
सहदेव सिंह, श्री
सालिकराम, श्री
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुक्खन लाल, श्री
सुखदेव, श्री
सुखदेव प्रसाद, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सुशील कुमार विद्यार्थी, श्री
सोहन लाल, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
हरिगेनराम, श्री
हरिहरनाथ अग्रवाल, श्री (उपनाम हरी बाबू)
हरीहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीशचन्द्र, श्री
हरीशचन्द्र सिंह, श्री
हरी सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी सिंह, श्री (मेरठ)
हिम्मत बहादुर, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री
होरी लाल यादव, श्री

नोट:—उप मुख्य मंत्री, श्री राम प्रकाश तथा उद्योग मंत्री, श्री प्रभूनारायण सिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २४ जुलाई, १९६७

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

लखनऊ पेपर मिल में तालाबन्दी

****१—श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—**

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ पेपर मिल कब से और क्यों बन्द पड़ी है ?

उद्योग उप मंत्री (श्री हिम्मत सिंह)—

लखनऊ में स्थित पेपर मिल (अपर इंडिया कूपर पेपर मिल्स कं० लि०, लखनऊ) नियोजकों द्वारा श्रमिकों को कच्चे माल की कमी व वित्तीय कठिनाइयों के फलस्वरूप बैठकी पर भेजे जाने के कारण १ मई, १९६७ से बन्द पड़ी है।

****२—श्री रामायण राय—**

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ पेपर मिल के बन्द होने से कितने कर्मचारी प्रभावित हैं तथा उसे चलाने हेतु तथा बकाया वेतन दिलाने का क्या प्रयास हो रहा है ?

श्री हिम्मत सिंह—

लखनऊ पेपर मिल में बैठकी से लगभग ३०० कर्मचारी प्रभावित हैं। कारखाने को चलाने तथा कर्मचारियों का बकाया वेतन का भुगतान करने के लिए मालिकान धन का प्रबन्ध करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री रामायण राय—

मान्यवर, इस पेपर मिल की जो वित्तीय कठिनाई है और कच्चे माल की जो कमी है, जैसा कि मंत्री जी ने बताया है, तो क्या इस दिशा में सरकार से इस मिल के मालिकों ने कोई आग्रह किया है वित्तीय सहायता के लिये ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री हिम्मत सिंह—

मान्यवर, सन् ६३ में इन्होंने ४ लाख रुपया फायनेन्शियल कारपोरेशन से लिया था किन्तु उसका उन्होंने अभी कोई हिसाब नहीं दिया है कि उस धन का उन्होंने कैसे उपयोग किया। इसलिये अब इनको आगे रुपया नहीं मिल पा रहा है ।

श्री रामायण राय—

क्या इसकी वित्तीय स्थिति का ठीक-ठीक ज्ञान करने और तत्काल इस मिल को चालू कराने का सरकार द्वारा प्रयास किया जाएगा ?

श्री हिम्मत सिंह—

इसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। यों तो वित्तीय कठिनाई में सरकार मिलों को सहायता देने का प्रयास करती है; लेकिन इसकी स्थिति बहुत ही खराब है।

श्री राजाराम (जिला देवरिया)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो यह कागज का कारखाना लगा है, उसको कच्चे माल की कैसे कमी हो गयी, जब कि यहां पर इतनी चीनी मिलें हैं और उनके द्वारा बेकार किये गये बकासं का कागज मिल में काम में लाया जा सकता है ?

श्री हिम्मत सिंह—

उसमें भी बहुत तब्दीलियों की आवश्यकता है तथा और भी चीज चाहिये और कोयले आदि की भी दिक्कत है, इसलिये कठिनाई पड़ रही है।

रामकोला थाने में महुअवा गांव की डकैती

**३—श्री राजाराम—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम महुअवा, थाना रामकोला, जिला देवरिया में ११ जुलाई को भयंकर डकैती हुई, जिसकी नामजद रपट जब थानेदार ने लिखने से इन्कार कर दिया, तो इसकी सूचना जिला पुलिस कप्तान को दी गई ? यदि हां, तो अब इस रपट पर क्या कार्यवाही हुई है ?

गृह उप मंत्री (श्री रुस्तम सैटिन)—

दिनांक ११ जलाई, ६७ को पड़ी डकैती के बारे में थाना रामकोला, जिला देवरिया में दिनांक १३ जलाई, ६७ को वादी श्री इन्दर भर, निवासी ग्राम महुअवा दहाउर के टीला दहाउर ने, ग्राम सभापति के द्वारा लिखित रिपोर्ट भेजी। रिपोर्ट फौरन दर्ज की गई और विवेचना शुरू की गई। पुलिस अधीक्षक, देवरिया को इसकी कोई सूचना वादी द्वारा या किसी और माध्यम द्वारा नहीं दी गई। इस सम्बन्ध में धारा ३९५ भा० दं० वि० के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम किया गया व विवेचना जारी है।

श्री राजाराम—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब डकैती ११-७-६७ को पड़ी और थाना वहां से केवल ३ मील दूर है, तो १३-७-६७ को रपट क्यों दर्ज की गयी ? और वह भी सभापति के द्वारा वादी ने दर्ज कराने की कोशिश की ? क्या यह इस बात का संकेत नहीं है क्योंकि जिसके यहां डकैती पड़ेगी वह तुरन्त ही थाने पर आएगा, उसने तुरन्त ही थाने पर आकर नामजद रिपोर्ट करानी चाही, किन्तु थानेदार को चूंकि इस घटना पर विश्वास नहीं था तो उसने रिपोर्ट दर्ज करने से इन्कार कर दिया, इस पर वह सभापति के माध्यम से आया ? क्या यह सही है ?

श्री रुस्तम सैटिन—

थाना कितनी दूर है, वह ठीक तो मैं नहीं कह सकता। मगर जैसा कि इस पूरी डकैती के सिलसिले में मालूम हुआ है यह कुछ आपसी रंजिश पहले से थी, झगड़ा हो चुका था, पहले भी हुआ था और उस दिन लड़के के सम्बन्ध में झगड़ा हुआ था। यह जो घटना हुई उसके बाद यह कोशिश हुई कि शायद उन लोगों में आपस में इसमें कुछ समझौता हो जाय और इसीलिये कोई रिपोर्ट नहीं लिखायी गयी और बाद में जब समझौता नहीं हुआ या जो कुछ भी हुआ हो तो सभापति जी ने यह रिपोर्ट लिखाकर थाने को दी।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

जब डकैती की सूचना पुलिस अधिकारियों को थी तब वह पंचायत का इन्तजार क्यों करने लगी और रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज की ?

श्री रुस्तम सैटिन—

मैंने यह नहीं कहा कि डकैती की सूचना पुलिस को थी। मैंने केवल यह कहा कि इन लोगों ने शायद इसलिये यह रिपोर्ट नहीं लिखाई थी कि वे लोग आपस में समझौता करना चाहते थे किन्तु पुलिस को इसकी सूचना नहीं थी।

श्री चन्द्र बली (जिला देवरिया)—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि शायद वह लोग आपस में समझौता करना चाहते थे इसलिये रिपोर्ट नहीं लिखाई और माननीय सदस्य कहते हैं कि उनको सूचना निश्चित है कि थानेदार ने

रिपोर्ट दर्ज नहीं की और इसीलिये सभापति के द्वारा मामला दर्ज कराया गया ? ऐसा क्यों हुआ और अगर यह सही है तो क्या इसके बारे में जांच करायेंगे ?

श्री रुस्तम सैटिन—

मान्यवर, शिकायतें दो हैं। एक तो यह कि थानेदार ने रिपोर्ट लिखने से इन्कार किया और दूसरी यह कि पुलिस अधीक्षक के पास रिपोर्ट और शिकायत लिखी गयी। लेकिन पुलिस अधीक्षक के दफ्तर से मालूम हुआ कि ऐसी कोई चीज वहां पर मौजूद नहीं है। जहां तक जांच का सवाल है, माननीय सदस्य मुझे कोई सूचना देंगे तो जांच में अवश्य कराऊंगा, इसमें दो राय हो नहीं सकतीं।

श्री राजाराम—

मैं यह जानना चाहता हूं कि पुलिस अधीक्षक महोदय को क्या ११ जुलाई, ६७ को ही ४ बजे पडरौना एक्सचेंज से, जो रामकोला शुगर मिल में है, टेलीफोन द्वारा सूचना दी गयी थी और उसके बाद ३९५ में रिपोर्ट लिखने के बाद भी आज तक कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं की गयी ?

श्री रुस्तम सैटिन—

टेलीफोन से सूचना देने की कोई सूचना नहीं है। जहां तक गिरफ्तारी की बात है, वहां गिरफ्तारी हुई है। एक आदमी गिरफ्तार किया गया और तीन-चार लोगों ने कचेहरी में आकर आत्म-समर्पण कर दिया।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

इलाहाबाद जिले में सस्ते गल्ले के दूकानदारों को ढुलाई न मिलना

*१—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिलापूर्ति कार्यालय से सस्ता सामान ग्राम, को सस्ते दूकान तक पहुंचाने के लिये किराया दिया जाता है ? यदि हां, तो किस रेट से ?

खाद्य उप मंत्री (श्री शमीम आलम)—

मैदानी क्षेत्रों के ग्राम के सरकारी सस्ते गल्ले के दूकानदारों को सरकारी गोदाम से अपनी दूकान तक गल्ला लाने पर ढुलान का खर्चा उतना ही दिया जाता है जो ३७ पैसे प्रति क्वीन्टल से अधिक होता है यदि दूकान की दूरी गोदाम से ५ मील से अधिक हो। ढुलान की दरें जिला मजिस्ट्रेट निर्धारित करते हैं।

*२—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या यह भी सही है कि जिला इलाहाबाद के जिलापूर्ति कार्यालय से अभी तक किसी भी दूकानदार को उक्त सुविधा नहीं दी गई ? यदि हां, तो उक्त कार्यालय के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शमीम आलम—

जी नहीं।

श्री नाथूराम शिक्षक—

मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहता हूं कि जो यह उत्तर दिया गया है किस अधिकारी की जांच के माध्यम से दिया गया है ?

खाद्य मंत्री (श्री झारखंडे राय)—

माननीय, यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तर की जानकारी पहले जिलाधीश से ही प्राप्त की जाती है । वह अपने जिले के अन्दर जो विभाग सम्बन्धित होते हैं उस विभाग के अधिकारी से जानकारी प्राप्त करके हमारे पास भेजते हैं । ऐसी प्रथा है और जिलाधीश के द्वारा ही यह सारी सूचना मिली है ।

श्री नाथूराम शिक्षक—

मैं यह जानना चाहता हूं कि तहसील मंझनपुर के अन्दर जो दूकानें हैं उनमें २, ३, ४ दूकानों का नाम बताने की कृपा करेंगे जिनको ढोने का किराया दिया गया हो ?

श्री झारखंडे राय—

जो ९ दूकानदार बाकी थे उनको दिया गया है । उनके नाम ये हैं —

(१) रामपाल जायसवाल,
(२) मोती लाल,
(३) रामनारायन,
(४) हीरा सिंह,
(५) राम अधार,
(६) छेदी लाल,
(७) मेवालाल प्रभुदयाल,
(८) ब्रम्हा,
(९) साधु प्रसाद ।

श्री चन्द्रशेखर (जिला वाराणसी)—

अप्रैल, १९६७ तक सस्ते गल्ले की दूकान के दूकानदारों को एक भी पैसा नहीं दिया गया ?

श्री झारखंडे राय—

ऐसी बात नहीं है ।

श्री भग्गूराम (उपनाम श्री भृगुनाथ) (जिला वाराणसी)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह किराया उनको बिलों के द्वारा दिया जाता है या नकद दिया जाता है ?

श्री झारखंडे राय—

भुगतान के आदेश जो पहले थे उसमें कुछ परिवर्तन अब कर दिया गया है । पहल यह था कि जिनको ढुलाई का खर्चा मिलना था वे अपने बिल जमा करते थे और उसको प्राप्त करते थे । अब यह हो गया है कि जो सरकार को उन व्यापरियों से प्राप्त करना है उसमें और जो सरकार को उनको देना है उसमें एडजस्ट करके जो बचता है वहीं खजाने में जमा कर देते हैं । इससे उनको भी सहूलियत हो गई है और सरकार को भी दिक्कत बच गई है ।

श्री नाथूराम शिक्षक—

मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि मंझनपुर तहसील के किन-किन दूकानदारों को कितना-कितना रुपया दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष—

इस तहसील की सूचना अगर आपके पास हो, तो दे दें ।

श्री झारखंडे राय—

तहसील की सूचना तो मेरे पास नहीं है ।

श्री मेंदा सिंह (जिला देवरिया)—

क्या खाद मंत्री की जानकारी में इस प्रकार की सूचना है कि कुछ जिलों में माल उठाने का जो किराया दूकानदारों को देना पड़ता है वह उनको नहीं मिलता है और वर्षों तक वह सरकारी खजाने में जमा रहता है और इसके लियें उनको बहुत दिक्कत उठानी पड़ती है ?

श्री झारखंडे राय—

इस समय इस तरह की सूचना नहीं है, लेकिन प्रश्नकर्ता अनुभवी व्यक्ति हैं, मेरा खयाल है कि जरूर कहीं न कहीं ऐसा होता होगा ।

श्री नाथूराम शिक्षक—

मान्यवर, मेरे प्रश्नों का उत्तर सही नहीं मिला । मैंने तहसील मंझनपुर के बारे में पूछा था. . . .

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न में तहसील का नाम नहीं लिखा है । आपने एक सिद्धान्त पूछा था, वह उन्होंने बता दिया । जब आप तहसील के बारे में प्रश्न पूछेंगे तो उसका उत्तर आ जायगा ।

सस्ते गल्ले के दूकानदारों एवं खाद्यान्न व्यापारियों के विरुद्ध कार्यवाही

*३—श्री रामायण राय तथा श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्न वितरण की योजना से भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिये अब तक कितने व्यापारियों तथा सस्ते गल्ले के दूकानदारों का लाइसेंन्स रद्द किया गया तथा कितने व्यापारी अप्रैल, १९६७ से ३० मई, १९६७ तक पकड़े गये ?

श्री शमीम आलम—

अप्रैल, १९६७, से ३० मई, १९६७, तक प्रदेश में ८ खाद्यान्न व्यापारियों तथा ४६४ सस्ते गल्ले के दूकानदारों के लाइसेन्स रद्द किये गये तथा १५० व्यापारी पकड़े गये ।

श्री रामायण राय—

जिन सस्ते गल्ले के व्यापारियों के लाइसेंस रद्द किये गये उन पर मुख्य आरोप क्या थे ?

श्री झारखंडे राय—

उन पर आम तौर पर आरोप हैं कि जिस स्थान पर उन का गोदाम रहना चाहिये उस स्थान पर उन्होंने अपना गोदाम न बना कर कहीं अन्यत्र बना रखा है । इस बात की भी शिकायत मिली है कि जो निर्धारित मात्रा उन के पास रहनी चाहिये उस से अधिक उन के पास मिली । इसके अलावा यह भी शिकायत मिली कि उन के रजिस्टर ठीक से रखे नहीं थे और गल्ला कम था और खर्चा अधिक दिखाया गया था । साथ ही उन के कार्ड भरे हुए नहीं थे, रजिस्टरों को ठीक से रखवाली नहीं की गयी थी । इन्हीं सब कारणों से ये दूकानें कैंसिल की गयीं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या खाद्य मंत्री जी बतलायेंगे कि सरकार ने कोई ऐसी योजना तैयार की है कि जिससे होर्डिंग तथा प्राफिटियरिंग आदि रोकी जा सके ?

श्री झारखंडे राय—

इस के बारे में जहां तक दूकानों का संबंध है, एक व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है और उस के लिये आदेश भी दिये जा चुके हैं कि हर जिले में चार स्तरों पर खाद्य समितियां बनायी जायं । एक जिला स्तर पर, एक-एक लाख से उपर की आबादी वाले नगरों में नगर समिति,

हर ब्लाक में एक समिति और ५, ७ या ८ दूकानों के एक ग्रुप के ऊपर एक समिति । इन विजिलेंस कमेटियों की सहायता से यह प्रयास किया जाय कि दूकानों में ठीक ढंग से वितरण हो और कार्डों की ठीक छानबीन हो और जाली कार्ड समाप्त किये जायं और जहां तक होर्डिंग और प्राफिटियरिंग का सवाल है उस के बारे में मौके-मौके पर छापा मार कर गल्ला बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है । यह कदम है जो सरकार उठाना चाहती है ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

क्या खाद्य मंत्री जी बतलायेंगे कि उन्होंने जो घोषणा की थी कि निम्न वर्ग के ३०० या २०० रुपये मासिक से कम पाने वालों को ही सस्ते गल्ले की दूकानों से गल्ला मिलेगा, उसके संबंध में वे क्या प्रयत्न कर रहे हैं और उसके लिये सरकार की क्या योजना है ? और दूसरे जितने सस्ते गल्ले के व्यापारी हैं उनको भी क्या मंत्री जी समाप्त कर नये और ईमानदार व्यापारियों को राशन की व्यवस्था देने की कृपा करेंगे ?

श्री झारखंडे राय—

जहां तक पहले प्रश्न का संबंध है, उस पर विचार हो रहा है । अन्तिम निर्णय नहीं हो सका है कि किस आमदनी तक वालों को सस्ते गल्ले की दूकानों से गल्ला दिलाया जाय । दूसरे प्रश्न पर भी सरकार विचार कर रही है और आशा है कि उस पर भी जल्दी ही निर्णय हो जायगा ।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं भी प्रश्नकर्त्ताओं में से हूं, लेकिन तीन-चार बार खड़े होने के बाद भी मुझे अवसर नहीं मिला ।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न व्यवस्था का नहीं हो सकता । आपने ध्यान दिलाया है ।

श्री चन्द्रशेखर—

सारे प्रदेश में ४६४ सस्ते गल्ले की दूकानें कैंसिल की गयीं तो इन दूकानों में से कितनों के मामले पुलिस के यहां इंवेस्टीगेशन में हैं और कितने मामले अदालत के विचाराधीन हैं ?

श्री झारखंडे राय—

१५० व्यापारी जो पकड़े गये उनमें दो पर न्यायालय ने सौ-सौ रुपया जुर्माना किया है । ४५ मुकदमें विचाराधीन हैं और सौ मामलों में पुलिस जांच कर रही है । शेष ३ मामलों में पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट दे दी है ।

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)—

क्या खाद्य मंत्री जी बतलायेंगे कि कुछ जो घोस्ट कार्ड्स बन जाते हैं उनकी जांच कौन करेगा, कमेटियां अथवा सरकारी कर्मचारी ?

श्री झारखंडे राय—

इस विषय में जो कमेटियां बनेंगी वे कमेटियां और जो इस विषय से संबंधित अधिकारी और कर्मचारी हैं, वे दोनों मिल कर इन घोस्ट कार्डों की छान बीन करेंगे । इस विषय में एक आध जगह से उत्साह जनक रिपोर्ट भी मिली है, खास कर वाराणसी से कि वहां सभी पार्टियों ने मिलकर मुहल्ले मुहल्ले जांच की है और कई हजार बोगस कार्ड्स छांटे जा चुके हैं । ऐसा और जगह भी होना चाहिये । यह सरकार का विचार है ।

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बरेली)---

क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि सस्ते गल्ले की दूकानों के लाइसेंस देने के लिये और अच्छे आदमियों को लाइसेंस देने के लिये और भ्रष्ट लाइसेंसदारों को लाइसेंस कैंसिल करने के लिये तहसील स्टाफ और सप्लाई आफिस के दरमियान जो मतभेद है, उससे बड़ी अड़चन पड़ रही है ?

श्री झारखण्डे राय---

इस की कोई सूचना नहीं है। अगर सदस्य महोदय लिख कर दें कि क्या हलचल है और कैसा विरोधाभास है तो हमारे लिये उसे देखना अवश्य संभव हो सकेगा।

श्री अश्वनी कुमार (जिला गोरखपुर)---

जिन सस्ते गल्ले की दूकानों के लाइसेंस कैंसिल कर दिये गये थे, उनमें से कितनों को फिर दे दिये गये हैं ?

श्री झारखण्डे राय---

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री चन्द्रबली---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जितनी दूकानें खारिज की गई हैं उन जगहों पर अभी तक दूसरों को गल्ला उठाने की इजाजत नहीं दी गयी है ?

श्री झारखण्डे राय---

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री रामायण राय---

सस्ते गल्ले की दूकानों में सही ढंग से वितरण हो सके इसके लिये गेंदा सिंह जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। उसने कुछ सुझाव दिये थे। उन पर क्या मंत्री जी ने ध्यान दिया है ? यदि हां, तो उनको कार्यान्वित करने के लिये क्या-क्या किया गया ?

श्री झारखण्डे राय---

जो कमेटी बनी थी उसके सुझावों पर विभाग ने विचार किया और उनमें से बहुतों पर अमल हुआ है और बहुतों पर अमल उस समय व्यवहारिक नहीं समझा गया और अब भी उन पर विचार हो रहा है और जो चीजें व्यावहारिक मालूम होती हैं उन पर विचार किया जा रहा है।

श्री रामायण राय---

क्या माननीय खाद्य मंत्री उन गाड़ियों एवं ट्रकों का लाइसेंस रद्द करने की व्यवस्था पर विचार करेंगे जिनमें सस्ते गल्ले की दूकानों का माल बाजार में जाता है और ब्लैक में बिकता है ?

श्री झारखण्डे राय---

जो ट्रक वगैरह ऐसे कामों में लीन रहते हैं या जो पाये जायेंगे उन पर कार्यवाही करने का विचार हो रहा है, अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला मिर्जापुर)---

क्या माननीय मंत्री जी सभी गल्ले के व्यापारियों के लाइसेंस को रद्द करके फिर से इस संबंध में कोई नयी व्यवस्था शुरू करने की कृपा करेंगे ?

श्री झारखंडे राय---

इस दिशा में हमने एक कदम यह उठाया है कि पहले यह व्यवस्था थी कि जिस दूकानदार को एक सस्ते गल्ले की दुकान का लाइसेंस दे दिया जाता था उसका आटोमेटिक रिन्युअल हर साल हो जाया करता था। अब हमने यह किया है कि उसको हर साल प्रार्थना-पत्र देना होगा और उसका रिन्युअल तभी होगा जब कि उसके खिलाफ कोई शिकायत आदि नहीं होगी। आटोमेटिक रिन्युअल वाली प्रथा को हमने समाप्त कर दिया है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो छापे मारे गये उनमें कितना गल्ला पकड़ा गया और उसके वितरण की क्या व्यवस्था सरकार करने जा रही है? क्या वह गल्ला अभी तक पड़ा हुआ है?

श्री झारखंडे राय---

इसकी सूचना श्रीमन्, इस समय नहीं है। यह तो मैंने सस्ते गल्ले की दूकानों के बारे में बताया था कि ४६४ दूकानें कैंसिल की गयीं, उनसे गल्ला सीज करने का प्रश्न नहीं था, उनकी फिर से व्यवस्था करने का सवाल है।

रायबरेली जिले में शकर के कोटे में कटौती

*४---श्री गुदार सिंह (जिला रायबरेली) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद रायबरेली में देहाती क्षेत्रों को शकर वितरण का कोटा हाल ही में काट दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री झारखंडे राय---

शक्कर के कोटे में कटौती के कारण रायबरेली जिले के देहाती क्षेत्रों के शकर वितरण का कोटा हाल में पूर्णतया काटा नहीं गया है अपितु कम कर दिया गया है।

(२४ जुलाई, १९६७ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न)

प्रधान, ग्राम सभा नगरिया खुर्द के खिलाफ कार्यवाही

*१---श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

क्या विकास मंत्री को पता है कि ब्लाक जैतीपुर, जिला शाहजहांपुर की ग्राम सभा नगरिया खुर्द में एक प्राइमरी स्कूल का भवन बनवाने के लिये प्रधान ने शासन से १९६१-६२ में २५,००० रुपया प्राप्त किया था और अब तक स्कूल नहीं बना? क्या इस विषय में कोई जांच की गई? यदि हां, तो क्या हुआ?

कृषि उपमंत्री (श्री रूपनाथ यादव)---

प्रसंगत कार्य के लिये केवल २,५०० रु० की राशि दी गई थी। उक्त प्राइमरी स्कूल कुछ बना तो है, किन्तु अभी अधूरा है। इस विषय की आवश्यक जांच की गई है और संबंधित ग्राम सभा के प्रधान के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हाकिम परगना के कार्यालय में हो रही है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जो प्रधान, श्री रामसुख, ग्राम सभा नगरिया खुर्द थे वे अब प्रमुख हो गये हैं? उनके प्रमुख हो जाने की वजह से ही उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की गयी?

श्री रूपनाथ यादव--

मान्यवर, श्री रामसुख के जमाने में १,५०० रुपया अनुदान दिया गया था। उन्होंने उस रुपये का ठीक उपयोग कर दिया था इसलिये उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की है। जब से प्रमुख हुये तो दूसरा चुनाव हुआ। और दूसरे प्रधान के खिलाफ कार्यवाही हो रही है क्योंकि उन्होंने रुपये के उपयोग में अनियमितताय बरती हैं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुछ कार्यवाही छः महीने पहले की गई थी दूसरे प्रधान, श्री दुर्विजय सिंह के खिलाफ और उनको सस्पेन्ड किया गया था और उनके खिलाफ चार्जेज सही न होने के कारण उनको फिर बहाल कर दिया गया था उस सम्बन्ध में अब क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री रूपनाथ यादव--

सूचना यही है कि वे सस्पेन्डेड हैं और कार्यवाही की जा रही है।

फसलों का बीमा

*२---श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)---

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने प्रदेश की सरकार को कृषकों की फसल के बीमा कराने की कोई योजना के कार्यान्वित करने का सुझाव दिया है ? यदि हां, तो वह सुझाव क्या है ?

श्री रूपनाथ यादव--

केन्द्रीय सरकार ने अपने हाल ही के एक पत्र में फसलों की बीमा की एक आदर्श अग्रगामी योजना की रूप रेखा भेजते हुये प्रदेशीय सरकार के विचार मांगे हैं।

श्री मुक्तिनाथ राय---

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि योजना की खास-खास बातें क्या हैं और प्रदेशीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार को क्या रिपोर्ट भेजी है ?

श्री रूपनाथ यादव---

अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में भारत सरकार की ओर से एक मैमोरैन्डम आया था जो विचाराधीन है।

श्री मुक्तिनाथ राय---

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि उसमें खास खास बातें क्या हैं ?

श्री जयराम वर्मा (कृषि मंत्री)---

एक तो इसमें यह है कि किस क्षेत्र में यह स्कीम लागू की जायेगी और किस फसल पर यह प्रदेशीय सरकार तय करेगी और जहां पर यह स्कीम लागू की जायेगी उसमें यह आप्शन नहीं रहेगा कि कोई शामिल हो या न हो और उसके बीमे की दर क्या होगी और क्षतिपूर्ति कितने घटा की जायेगी, इसके निश्चित करने लिये उस ईकाई पर जो फसल बोई जायेगी उसका बीमा योग्य मूल्य क्या होगा, यह निश्चित किया जायेगा। बीमा योग्य मूल्य करने के लिये उस फसल की संभावित पैदावार क्या होगी, यह उसके आधार पर तय किया जायेगा और वह आधार यह होता है कि जो औसत पैदावार होती है उसको लेकर ही मूल्य निर्धारित किया जायेगा। ५ प्रतिशत के प्रीमियम की दर क्षमायोग्य मूल्य के बराबर होगा और क्षतिपूर्ति जो होगी वह कितना नुकसान हुआ है, उस हिसाब से होगी। पूरा नुकसान होने पर बीमा योग्य मूल्य का कम से कम २५ फीसदी

और अधिक से अधिक ५० फीसदी क्षतिपूर्ति होंगी। पैदावार ७५ फीसदी से कम होने से पर कमी का दो तिहाई क्षतिपूर्ति में दिया जायेगा। इस तरह जो प्रीमियम मिलेगा वह सहत निधि में जमा किया जायेगा और उसी निधि से रुपया निकाल कर क्षतिपूर्ति की जायेगी। इसके लिये एक बोर्ड बनेगा और वही उसकी देखभाल करेगा ताकि वह स्कीम चल सके।

श्री राममूर्ति—

क्या माननीय कृषि मंत्री जो फसलों का तखमीना लगाते समय इस बात का भी खयाल रखेंगे कि पिछले जमाने में हाई यील्डिग वैरायटी अपने यहां नहीं आयी थी, इसलिये जो पांच साल के तखमीना लगाये जायेंगे इसकी कोई सीमा बना रहे हैं जिससे ऐसा न हो कि लो यील्डिग वेरायटी का नुस्खा निकाल दिया जाय और हाई यील्डिग वैरायटी छोड़ दी जाय या हाई यील्डिग वैरायटी ही हो जाय और लो यील्डिग वैराइटी गायब हो जाय ?

श्री जयराम वर्मा—

अभी यह योजना भारत सरकार से आयी है। राज्य सरकार ने अभी उस पर विचार नहीं किया है। जब विचार करेंगे तो ये सारी बातें हमारे सामने होंगी, उनको सामने रख कर ही कोई फैसला किया जायगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जो यह बतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार से यह योजना कब प्राप्त हुई ? और क्या केन्द्रीय सरकार इस योजना को कामयाब बनाने के लिये कोई आर्थिक सहायता भी सरकार भी देगी ?

श्री जयराम वर्मा—

यह योजना २६ जून को प्राप्त हुई है। खर्चे में भी वह कुछ हिस्सा देंगे।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या इस योजना से वे स्वतः सहमत हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह राय का सवाल है।

श्री अश्वनी कुमार—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो योजना सरकार के विचाराधीन है वह प्रारंभ में कितने क्षेत्र में लागू की जायगी ?

श्री जयराम वर्मा—

पहले इसको बहुत सीमित क्षेत्र में लागू किया जायगा।

***३—श्री केशरी लाल—**

[८वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

कृषि विश्वविद्यालय फार्म, पन्तनगर में गेहूं की उपज

***४—श्री गौरी राम (जिला गोरखपुर)—**

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर, जिला नैनीताल में इस वर्ष (१९६७) उसके कृषि फार्म में कितने एकड़ में गेहूं बोया गया था और कितना क्विन्टल कुल गेहूं हुआ है ? क्या उपरोक्त गेहूं की उपज के लिये कम्बाइन्ड मशीन का प्रयोग किया गया है ? यदि हां, तो औसतन प्रति एकड़ कितने क्वींटल गेहूं तथा भसा हुआ ?

श्री रूपनाथ यादव—

वर्ष १९६६-६७ की रबी की फसल में कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर के फार्म पर २४२६.२५ एकड़ भूमि में गेहूं बोया गया था जिस से कुल २१९४०.८७ क्विंटल गेहूं पैदा हुआ। इस फसल को ज्यादातर कम्बाइन्ड मशीनों द्वारा काटा गया। गेहूं की औसतन प्रति एकड़ पैदावार ९.४३ क्विंटल हुई, भूसा खेत में ही रह गया जो उसमें खाद के काम आ गया।

श्री गौरी राम—

क्या सरकार को मालूम है कि जो कंबाइंड मशीन से गेहूं काटा गया उससे हजारों क्विंटल गेहूं उसी में पड़ा रह जाता है और जला दिया जाता है ?

श्री रूपनाथ यादव—

ऐसी बात नहीं है।

श्री राजाराम—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उसमें प्रति एकड़ कितना खर्चा होता है ?

श्री जयराम वर्मा—

प्रति एकड़ खर्चा तो मालूम नहीं है लेकिन इस वर्ष करीब २३ लाख रुपया आमदनी हुई थी।

श्री भूवनेश भूषण (जिला इटावा)—

सन् ६६ और ६७ की पैदावार में इस फार्म में कितना अन्तर हुआ ?

श्री जयराम वर्मा—

६५-६६ में प्रति एकड़ ४.९८ क्विंटल और ६६-६७ में ९.४३ क्विंटल प्रति एकड़ पैदा हुआ।

श्री राममूर्ति—

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि पंतनगर यूनि० का जो एक्सपेरिमेंट का फार्म है, वहां पर बिलकुल टेक्निकल तरीके से खेती होती है और उसमें जो ९ क्विंटल प्रति एकड़ का यील्ड है वह बहुत कम है, इसको बढ़ाने का क्या उपाय किया गया है ?

श्री जयराम वर्मा—

यह तो सारी जमीन की औसत पैदावार है। किसी-किसी खेत में ५०-५५ मन भी हुआ है। २,४०० एकड़ से ऊपर जमीन में गेहूं बोया गया था। किसी-किसी खेत में काफी अच्छी पैदावार हुई है।

श्री कामता सिंह (जिला बलिया)—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह १६,००० एकड़ का फार्म जब से खुला है तब से लगातार घाटे पर चल रहा है ? तो क्या मन्त्री जी यह १६,००० एकड़ का क्षेत्र भूमिहीनों को बांटने पर विचार करेंगे ?

श्री जयराम वर्मा—

यह १६,००० एकड़ का नहीं है बल्कि १२,००० एकड़ का है और वह मुनाफे पर चल रहा है, भूमिहीनों में बांटने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री गौरीराम—

क्या सरकार पशुओं की गिरती हुई हालत को देखते हुए जो भूसा खाद के लिये छोड़ दिया जाता है उस को आइन्दा से खाद में न देने पर विचार करेगी ?

श्री जयराम वर्मा—

यह फसल बहुत ज्यादा रकबे में बोई जाती है और सब एक साथ पक कर तैयार हो जाती हैं और वहां पर एक साथ इतने मजदूरों का मिलना भी बहुत मुश्किल है और अगर देर में काटी जाती है तब भी भारी नुक्सान का भय रहता है इसलिये हारवेस्टिंग के लिये कम्बाइन्ड मशीन का इस्तेमाल किया जाता है इसलिये उस से भूसा नहीं निकाला जाता और वह खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

श्री राममूर्ति—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो २,४०० एकड़ भूमि पर गेहूं पैदा किया गया उस पर खर्चा कितना आया ?

श्री जयराम वर्मा—

खर्च के तो आंकड़े मेरे पास नहीं हैं लेकिन मुनाफा १३ लाख का हुआ।

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

गत वर्ष से इस साल उपज ज्यादा हुई ? और जो उपज इस साल हुई वह गत वर्ष की बुवाई के आधार पर हुई तो क्या मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जो घाटा इधर बढ़ता रहा है उसको ध्यान में रखकर वहां कोई नीति परिवर्तन करने पर विचार करेंगे ?

श्री जयराम वर्मा—

यह पैदावार तो वहां हर साल बढ़ रही है।

श्री राजाराम—

मंत्री जी ने बताया कि वहां २३ लाख रुपये का मुनाफा हुआ लेकिन यह मुनाफा नेट प्राफिट है या ग्रास ?

श्री जयराम वर्मा—

यह नेट प्राफिट है।

बस्ती जिले में लेवी के गल्ले की वसूली

*५—श्री सोहन लाल धुसिया (जिला बस्ती) तथा श्री प्रभु दयाल (जिला बस्ती)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में लेवी के सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों ने गल्ला दे दिया और कितने अभी शेष हैं ? वहां गल्ले वसूली के सिलसिले में कितने व्यक्तियों को पकड़ा गया और कितने का चालान हुआ ?

श्री शमीम आलम—

४८७८ खातेदारों ने कुल लेवी का गल्ला दे दिया है। १,२९४ खातेदारों ने लेवी का गल्ला बिलकुल नहीं दिया है और १,६०३ खातेदारों ने आंशिक रूप से लेवी दे दी है।

गल्ला वसूली के सिलसिले में न तो किसी को पकड़ा गया है और न किसी का चालान हुआ है।

श्री सोहन लाल धुसिया—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस ज्यादती के साथ ४,८७८ खातेदारों से गल्ला लिया गया तो वही ज्यादती १,२९४ के खिलाफ क्यों नहीं की गई और क्या सरकार ने उनकी वसूली माफ करने की बात सोची है ? यदि हां, तो उनके खिलाफ अभी तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री झारखंड राय—

माफ किया जाना या न किया जाना यह तो नियमानुसार होगा लेकिन जिन्होंने गल्ला नहीं दिया है वे आमतौर पर वह किसान हैं जो बहुत बड़े हैं। उनके ही अन्दर इस तरह की भावना घर कर गई है और कुछ हद तक कराई भी गई है कि आप लोग टालते रहिये, अन्त में सरकार माफ कर देगी। सरकार ने उनको ३० जून तक का मौका दिया था और उसके बाद अब नोटिस दी गई है कि दस दिन के अन्दर सब जमा कर दें और जो नहीं करेंगे उनमें से हर एक के ऊपर जो आदेश सरकार के हैं उनके अनुसार कार्यवाही की जायगी।

श्री कृष्णानन्द राय—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मुझ से यह सूचना ग्रहण करते हुए कि उनके विभाग ने चाहे उन की सम्मति से या बिना उन की सम्मति के इस सूबे में बिड़ला के फार्म पर जो १,००० क्विन्टल लेवी गल्ले की लगी हुई थी उस गल्ले को उन के विभाग ने छोड़ दिया है उसके आधार पर बस्ती में जो और किसान हैं उनकी लेवी भी छोड़ने की कृपा करेंगे ?

श्री झारखंडे राय—

जिस सूचना की चर्चा है उसके बारे में मुझे यह सूचना मिली कि लखीमपुर में जो बिड़ला का ३६ एकड़ का फार्म है, उस पर इस आधार पर लेवी छोड़ दी गयी क्योंकि उनका कहना था कि उन्होंने जो रबी की फसल बोई है वह अपने मजदूरों को अनाज देने के लिए बोयी है। उसकी जांच से मुझे मालूम हुआ कि उन पर लेवी छोड़ी नहीं गयी है लेकिन अभी मुझे कल ही सूचना मिली है कि उन्हें छूट मिल गयी है। कहां से फिर उन्होंने छूट करवा ली, मैं इसकी जांच करवा लूंगा कि वास्तविकता क्या है।

जहां तक बस्ती जिले के कृषकों से छूट का सम्बन्ध है, उनको छूट देने का कोई प्रश्न नहीं उठता। जो नियम बनाये गये हैं, उनमें यह है कि जहां पर एतराज दाखिल होंगे, उन पर विचार किया जायगा और यदि उनको मान लिया गया तो उन पर छोड़ दिया जायगा लेकिन जिन पर रह जायगा, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी।

श्री अश्वनी कुमार —

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह वसूली की कार्यवाही कब तक चलेगी ?

श्री झारखंडे राय—

अब समाप्त है। समझाने बुझाने के लिए १० दिन का अन्तिम नोटिस समय दिया गया था। इसके दौरान में कुछ गल्ला लोगों ने दिया वह ले लिया गया लेकिन १० दिन के बाद कोई गल्ला वसूली की कोई कार्यवाही नहीं होगी।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मन्त्री जी बस्ती जिले की सूखे की स्थिति को देख कर और इस बात को देख कर कि रबी की फसल नहीं हुयी और खरीफ की अभी तक बुआयी नहीं हुयी, तो जिन किसानों ने अभी तक लेवी में गल्ला नहीं दिया है, उनको माफ करने की कृपा करेंगे ?

श्री झारखंडे राय—

प्रदेश के अन्य भागों में ८ एकड़ तक छूट रही है लेकिन बस्ती जिले की हालत को ध्यान में रखते हुये इसे १२ एकड़ तक छूट किया था और धान के इलाके में, जहां रबी बोई ही नहीं जाती, खासकर ट्रान्स राप्ती के इलाके में, वहां पर लेवी बिलकुल लगायी ही नहीं गयी। तो जहां तक बस्ती जिले का सम्बन्ध है, वहां पर उनको छूट दी जा चुकी है। जहां पर लेवी लगी है वहां पर कायदे से कार्यवाही हो रही है। अतः उनको छूट का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री कृष्णानन्द राय—

विड़ला के जिस फार्म का अभी माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया उसके लिए लेवी की छूट जिले के स्तर पर नहीं बल्कि लखनऊ के स्तर पर हुयी है, क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री झारखंडे राय—

श्रीमन्, मुझे जो कल सूचना मिली थी वह इसी प्रकार से थी, जैसा कि प्रश्नकर्ता महोदय ने कहा है। यदि ऐसा हुआ है तो मैं इसकी जांच करवा रहा हूं कि यह कैसे हुआ है।

श्री सोहन लाल धुसिया—

अभी माननीय मन्त्री जी ने ३० जून अन्तिम तारीख बतायी। आज २४ जुलाई हो गयी है तो क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अभी तक कोई कार्यवाही हुयी या नहीं ? और अगर नहीं हुयी तो गांवों में क्यों आफिसर्स मारपीट कर रहे हैं ?

श्री झारखंडे राय—

श्रीमन्, मारपीट की तो कोई सूचना मेरे पास नहीं है लेकिन यदि माननीय सदस्य मुझे लिख कर दे दें तो मैं इसकी जांच करवा लूंगा।

श्री सोहन लाल धुसिया—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस अफसर ने रिपोर्ट दी है, उसके खिलाफ सरकार कार्यवाही करेगी ?

श्री झारखंडे राय—

अगर गलत रूप में, जानबूझ कर किया गया होगा तो जरूर जांच होगी और कार्यवाही होगी।

श्री अब्दुल मुईज खां—

क्या माननीय मन्त्री को ज्ञात है कि बस्ती जिले में ननाव के चौधरियों के साथ गल्ला वसूली के सिलसिले में जो व्यवहार हुआ है, उसके फलस्वरूप वहां की अदालतों में मुकदमें चल रहे हैं ?

श्री झारखंडे राय—

इसकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री भारत सिंह चौहान (जिला इटावा)—

इटावा जिले में अधिकारियों ने जबरदस्ती बर्तन और जेवर बिकवाकर, जिनके पास गल्ला नहीं था, उनसे वसूल किया, इसकी जांच करेंगे ?

श्री झारखंडे राय—

मूल प्रश्न बस्ती का है। माननीय सदस्य अगर लिख कर दे देंगे तो जांच करा लेंगे।

श्री राजबहादुर चन्द (जिला बस्ती)—

बांसी तहसील के सनाह गांव में तहसील के कर्मचारियों और वहां के लोगों से संघर्ष हुआ जिसमें ७ आदमी अरेस्ट हुये। यह क्यों हुआ ?

श्री झारखंडे राय—

इस प्रश्न से इसका संबंध नहीं है। माननीय सदस्य वहां के हैं, उनकी बात सही हो सकती है। वह लिख कर दे दें तो जांच करा ली जायगी।

गांव सभा सम्पत्ति

*६—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या विकास मन्त्री यह व्यवस्था करेंगे कि ग्राम सभाओं तथा पंचायतों का चुनाव होने के पहले ग्राम सभा सम्पत्ति का विवरण सरकारी नियन्त्रण में लिया जाय ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि उपमन्त्री (श्री महीलाल)—

गांव सभा सम्पत्ति का विवरण गांव पंचायत प्रधान के नियन्त्रण में रहता है, अतः इसे सरकारी नियंत्रण में लिए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री नाथूराम शिक्षक—

भूमिहीनों को जमीन दिलवाने की कौन-सी मशीनरी है और उसका कब प्रयोग करेंगे, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं ?

श्री महीलाल—

भूमि व्यवस्था अधिनियम और पंचायत राज्य ऐक्ट की धारा २८ (अ) के अन्तर्गत एक भूमि प्रबन्धक उप समिति होती है जो इसका प्रबन्ध करती है।

श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)—

गांव सभाओं की जो भूमि भूमिहीनों को न देकर दूसरों को दे दी गई है सरकार उसे भूमिहीनों को दिलाने की कब तक व्यवस्था करेगी ?

श्री जयराम वर्मा—

यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

चुनाव से पहले जमीन का दुरुपयोग न हो, इसकी व्यवस्था करेंगे ? अक्सर यह देखा गया है कि चुनाव से पहले प्रधान लोग प्रायः गांव समाज की भूमि का दुरुपयोग करते हैं।

श्री महीलाल—

यह प्रश्न विचाराधीन है कि नामीनेशन से १ मास पूर्व आवश्यक कागजात के लिये जावें और प्रधान को केवल कार्यवाही रजिस्टर, रसीद बुक और कैश बुक नयी दी जाया करें।

श्री नाथूराम शिक्षक—

माननीय मंत्री जी जांच करावेंगे कि पंचायत अधिकारियों और पटवारियों ने मिल कर बहुत गड़बड़ी की है ?

श्री मही लाल—

कोई निश्चित शिकायत होगी तो जांच की जावेगी।

पीलीभीत जिले में गल्ला वसूली में छूट

*श्री नेमपाल सिंह (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—

क्या खाद्य मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि ग्राम नवदिया, सुल्तानपुर, बेगपुर, पचखेड़ा, कटपुरा, भूपतपुर, तहसील पूरनपुर, जिला पीलीभीत में बहुत से उन बड़े किसानों को गल्ला वसूली से क्यों मुक्त किया गया है जिनके यहां बहुत गल्ला पैदा हुआ है तथा जो ग्रेन प्रोयोरमेन्ट स्कीम के अनुसार गल्ला देने के लिये बाध्य हैं ? क्या खाद्य मंत्री इस विषय में जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री झारखंडे राय—

किसानों को गल्ला वसूली से आंशिक या पूर्ण छूट उगाही के संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार दी गयी है और किसी के साथ पक्षपात नहीं किया गया है। इसलिये जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

नियोजन एवं विकास विभाग में अस्थायी कर्मचारी

*८—श्री विश्वनाथ सिंह (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नियोजन एवं विकास विभाग में दिनांक १ अप्रैल, १९५८ तक के नियुक्त कुल कितने लिपिक एवं चपरासी ऐसे हैं जो अब तक स्थायी घोषित नहीं किये गये हैं ?

*९ क्या सरकार ने नियोजन एवं विकास विभाग में दिनांक १ अप्रैल, १९५८ तक के नियुक्त लिपिकों एवं चपरासियों को स्थायी करने हेतु कोई आदेश नियोजन विभाग के अधिकारियों को दिया है ? यदि हां, तो क्या उस आदेश के अनुपालन में दिनांक १ अप्रैल, १९५८ तक के सभी लिपिक एवं चपरासी अब स्थायी कर दिये गये हैं अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो उनके स्थायी घोषित न करने क्या कारण है ?

श्री रूपनाथ यादव—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री विश्वनाथ सिंह—

क्या विषय की महत्ता को देखते हुये मंत्री जी एक हफ्ते के अन्दर सूचना देने की कृपा करेंगे ?

श्री जयराम वर्मा—

शीघ्र मंगाकर सदन के सामने रखी जायगी।

*१०—श्री इन्द्रलाल—

[८वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

मोहम्मदी में सस्ते गल्ले की दुकान बन्द करना

*११—श्री विपिन बिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मई, १९६७ में राज्य सरकार के किसी उपमंत्री द्वारा मोहम्मदी, जिला खीरी में सस्ते गल्ले की कुछ दूकानों का निरीक्षण किया गया था तथा

अनियमिततायें पकड़ी गयीं ? यदि हां, तो क्या गलतियां पकड़ी गयीं और उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री शमीम आलम—

३० मई, १९६७ को उपमंत्री, स्वायत्त शासन विभाग न नगर मोहम्मदी, जिला लखीमपुर खीरी की सस्ते गल्ले की कुछ दूकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया और इन दूकानों में से केवल श्री श्याम बिहारी लाल की दूकान में निम्नलिखित अनियमिततायें पायी गई:—

(१) स्टाक रजिस्टर में 'ओवर राइटिंग' तथा काट छाँट की गयी थी,

(२) रजिस्टर अधूरे रखे हुये थे ,

(३) २० अप्रैल, १९६७ से २७ अप्रैल, १९६७ तक तथा २२ मई, १९६७ से ३० मई, १९६७ तक दूकान पर चीनी मौजूद नहीं थी ।

उपर्युक्त दूकान उसी दिन कैंसिल कर दी गयी थी ।

श्री विपिन बिहारी तिवारी—

क्या उपमंत्री को खाद्य मंत्रालय से आदेश था कि वहां जाकर निरीक्षण करें ?

श्री झारखंडे राय—

उपमंत्री जी को अधिकार है कि अगर उन्हें कोई शिकायत मिले तो प्रत्यक्ष जाकर जांच कर सकते हैं । इसमें कोई अनियमितता नहीं है ।

श्री विपिन बिहारी तिवारी—

क्या वहां की शिकायतें माननीय खाद्य मंत्री जी को मिली थीं और उन्होंने उपमंत्री जी को इस काम के लिये कहा था ?

श्री झारखंडे राय—

जहां तक मुझे याद है मुझे कोई प्रत्यक्ष शिकायत तो नहीं मिली थी । लेकिन मान्यवर, मंत्री लोग या उपमंत्री जब दौरे पर जाते हैं तो आमतौर पर शिकायतें मिलती हैं । तो तत्काल कार्यवाही करने के लिये या तो किसी अधिकारी को मंत्री आदेश देते हैं या कहीं-कहीं स्वयं जा सकते हैं और जाते हैं । यह तो उत्साह और प्रसन्नता की बात है ।

उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय का कृषि क्षेत्र

*१२—श्री रामदत्त (जिला नैनीताल)—

क्या कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ऐग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, फूलबाग, जिला नैनीताल के अधिकार-क्षेत्र में कुल कितनी हजार एकड़ उपजाऊ भूमि है ?

श्री जयराम वर्मा—

उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के कृषि क्षेत्र में कुल १०,३०९.४० एकड़ भूमि कृषि योग्य है ।

*१३—श्री प्रभू दयाल—

[प्रश्नकर्त्ता से स्पष्टीकरण मांगा गया ।]

वाराणसी में गंगाजल अपवित्रता निरोधक योजना

*१४—श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—

क्या स्वायत्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य के अन्तर्गत गंगा, यमुना, गोमती आदि तीर्थ नदियों में जो शहरों का मलमूत्र गिराया जाता है उसे बन्द करने की कोई व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो क्या ? ? नहीं, तो क्यों ?

नोट—तारांकित प्रश्न ११ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बरमेश्वर पांडेय)—

जी नहीं, क्योंकि न तो शासन द्वारा स्थानीय निकायों को किसी नियम के अन्तर्गत इसके लिये बाध्य किया जा सकता है कि वे शहर का गंदा पानी व मलमूत्र नदियों में न गिरावें या गिराने के पहले उसे शुद्ध कर लें और न उनकी आर्थिक स्थिति ही इतनी अच्छी है कि वे इस प्रकार की योजनायें कार्यान्वित कर सकें ।

राज्य सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील है। वाराणसी में गंगा के पानी की अपवित्रता की निरोधक एक ५४ लाख रुपये की योजना भारत सरकार, राज्य सरकार व नगर महापालिका के संयुक्त प्रयास से कार्यान्वित होने जा रही है ।

*१५–१६—कुंवर सत्यवीर तथा श्री नरदेव सिंह—

[७वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ७४–७५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

आजमगढ़ जिले में विकास खण्डों का विघटन

*१७—श्री मुक्तिनाथ राय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में कितने और कौन-कौन से विकास खण्ड तोड़े गये हैं ?

श्री जयराम वर्मा—

आजमगढ़ जिले में ७ विकास खंडों—ठेकमां, कोहलसा, पवई, पल्हानी, सठियांव, फतेहपुर मंडांव तथा महराजगंज का विघटन किया गया है ।

शाहगंज तहसील में सस्ते गल्ले की दूकानें

*१८—श्री माता प्रसाद—

क्या खाद्य मंत्री जौनपुर की शाहगंज तहसील के खेतासराय मानी कला, बड़ा गांव, सुइथा कलां, ग्राम जो कस्बे की भाँति हैं, उनके लिये अलग-अलग सस्ते गल्ले की सरकारी दूकानें खोलने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री झारखंडे राय—

अन्य ग्रामीण सूखाग्रस्त क्षेत्रों की भाँति शाहगंज तहसील के प्रत्येक ग्राम खेता सराय, मानी कलां, बड़ा गांव तथा सुइथा कलां में सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानें हैं ।

कानपुर गोदाम में जौ खराब होने की शिकायत

*१९—श्री राज राजेश्वर (जिला खीरी)—

क्या खाद्य मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि अन्न संकट के समय खाद्य नियंत्रण कार्यालय, कानपुर में १०५ बोरी जौ, २६ मई, १९६६ से २६ जून, १९६७ तक गोदाम में खराब हुआ ? यदि हां, तो दोषी पाये गये कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री झारखंडे राय—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

महापालिका कर्मचारी सहकारी संघ, प्रयाग को गृह-निर्माणार्थ ऋण

*२०—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि महापालिका कर्मचारी सहकारी संघ प्रयाग को वित्तीय वर्ष १९५७–५८ से ६०–६१ तक सरकार से कितना कर्ज हाउसिंग स्कीम में वितरण हेतु मिला ?

श्री वरमेश्वर पांडेय--

अभी पूर्ण सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है। अतिरिक्त सूचना मंगाई गई है।

कानपुर में राशनिंग

*२१-श्री देवी सहाय बाजपेयी (जिला कानपुर)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर शहर में आंशिक राशनिंग योजना लागू करने जा रही है? यदि हां, तो कब से ?

श्री झारखंडे राय--

जी नहीं।

अलीगढ़ जिले को चीनी का कोटा

*२२--श्री किशन लाल दिलेर (जिला अलीगढ़)

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला अलीगढ़ में अप्रैल, मई और जून, १९६७ में कितना कोटा चीनी का आया है और इस आई हुयी चीनी में से तहसील कोल, अलीगढ़ को चीनी कितनी बांटी गई है ?

श्री झारखंडे राय--

वांछित सूचना निम्न प्रकार है--

चीनी का कोटा जो जिला अलीगढ़ को मिला :

	बोरे
अप्रैल, १९६७	५,२६०
मई, १९६७	५,४३०
जून, १९६७	५४७०

चीनी का कोटा जो तहसील को मिला :

अप्रैल, १९६७	८२
मई, १९६७	४५
जून, १९६७	२३५

मड़ियाहूं तहसील में सस्ते गल्ले की दूकानें

*२३--श्री राजकिशोर (जिला जौनपुर)--

क्या खाद्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवम्बर, १९६६ ई० से ६ जून, १९६७ तक कितनी सस्ते गल्ले की दूकानें मड़ियाहूं तहसील, जिला जौनपुर में खोली गयीं तथा जिन्हें वितरण हेतु क्या-क्या अन्न किस-किस मात्रा में दिया गया ? क्या यह सही है कि सफेद ज्वार और बाजरा जो इन दूकानदारों को दिया गया था उसे उन्होंने उपभोक्ताओं में न वितरित करके उसे काले बाजार में बेच दिया है ?

श्री झारखंडे राय--

उत्तर संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६१८ पर)

विकास क्षेत्र, शीतलपुर के कर्मचारियों का वेतन

*२४—श्री रामअचल सिंह सेंगर (जिला बहराइच)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विकास क्षेत्र, शीतलपुर, जनपद एटा के क्लर्कों को इस वर्ष १९६७ के गत ३ माहों से वेतन नहीं दिया गया है? यदि हां, तो कब तक मिल जायगा?

श्री जयराम वर्मा—

विकास क्षेत्र, शीतलपुर (एटा) के सभी लिपिकों का वेतन वर्ष १९६७ के गत तीन महीनों (मार्च, अप्रैल तथा मई, १९६७) का दिया गया है, जून माह का भी वेतन वितरित हो गया है। केवल एक ज्येष्ठ लिपिक का वेतन माह जून, १९६७ का नहीं दिया गया है क्योंकि इनके विरुद्ध खादी हुन्डी के ड्यूज हैं?

अतारांकित प्रश्न

सहारनपुर जिले के ब्लाकों से ऋण के लिए प्रार्थना-पत्र

१—श्री मुल्की राज (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९६६-६७ में सहारनपुर जिले के प्रत्येक ब्लाक से कितने-कितनी दरख्वास्तें कर्ज के लिये किन-किन तिथियों में आयीं और उन्हें किन-किन तिथियों में स्वीकार किया गया तथा किन तिथियों में कर्ज दिया गया?

श्री जयराम वर्मा—

सहारनपुर जिले के प्रत्येक ब्लाक गन्ना संघ से १९६६-६७ में जितनी दरख्वास्तें आईं उनकी संख्या इस प्रकार है—

विकास खंड	गन्ना संघ	दरख्वास्तों की संख्या
बलिया खेरी	.. .. ..	३२
सघौली कदीम	.. .. ..	२०
मुजफ्फराबाद	.. .. ..	४४
पुआरंका	.. .. ..	४५
रुड़की	.. .. ..	३२
बहादुरगढ़	.. .. ..	२९
लक्सर	.. .. ..	१८
भगवानपुर	.. .. ..	४५
गंगोह	.. .. ..	१९
नकुड	.. .. ..	५७
सरसावां	.. .. ..	३३
नागल	.. .. ..	६७
नानउल्ला	.. .. ..	१९
देववंद	.. .. ..	८०
रामपुर	.. .. ..	४२
गन्ना विकास, सहारनपुर	.. ..	३१
गन्ना यूनियन (लक्सर)	.. .. ..	१८
गन्ना यूनियन (इकबालपुर)	.. ..	२४
गन्ना विकास (नाकुड शाखा)	.. .. ..	६६
जिला गन्ना अधिकारी (सहारनपुर)	.. ..	६५

जिला सहारनपुर में यू० पी० स्टेट कोआपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक की चार शाखाओं सहारनपुर, नाकुड़, देववंद तथा रुड़की द्वारा १९६६–६७ में दरख्वास्तें जिन-जिन तिथियों में आई तथा जिन तिथियों में स्वीकार हुयी और जिन तिथियों में कर्ज दिया गया उसकी सूचना प्राप्त हो गई है परन्तु सूचना बहुत विस्तृत है। माननीय सदस्य इस तालिका को यदि चाहें तो मेरे पास देखने का कष्ट करें।

२—श्री मुल्कीराज—

क्या यह सच है कि पहले की दी हुयी दरख्वास्तों में बाद में कर्ज दिया गया और जो दरख्वास्तें बाद में दी गयीं उन्हें पहले दे दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री जयराम वर्मा—

जी हां, ऐसा किसी-किसी केस में प्रतीत होता है जिसके कारण यह बताये गये हैं कि उक्त ऋण का भुगतान औपचारिक शर्तों के पूरा हो जाने के बाद और आपत्तियों के निराकरण के बाद ही संतोष हो जाने पर करता है। दूसरे यह कि कुछ प्रार्थियों ने अपने प्रार्थना-पत्र वापस ले लिये तथा बी० डी० ओ०, एल० एस०ओ०, तहसीलदार केन यूनियन का बेबाकी प्रमाण-पत्र तथा खसरा खतौनी बैंक को प्राप्त नहीं हुआ था। कुछ को बैंक के मुख्यालय से स्वीकृति मिली तथा धन वितरित हुआ तथा कुछ केसों में प्रार्थी ने रजिस्ट्री नहीं कराई थी। कुछ केसों में प्रार्थी कई बार बुलाने पर भी ऋण लेने नहीं आये।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का १९६७–६८ का वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र

सिंचाई मंत्री (श्री टम्बरेश्वर प्रसाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का १९६७–६८ का वार्षिक विवरण-पत्र, इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, १९४८ की धारा ६१ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूं।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

मैं सिर्फ इतनी सूचना दे रहा हूं कि एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न आया है। उसके बारे में मैंने उन माननीय सदस्य को बुलाया है कुछ जानकारी करने के लिये। उसके बाद कल मैं संभवत: उसको सदन के समक्ष रखूंगा।

अब इसके बाद माननीय शिक्षा मंत्री कुछ सूचना देना चाहते हैं।

इन्टरमीडियेट परीक्षा में हिन्दी को अनिवार्य विषय बनाने के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री की घोषणा

उप मुख्य मंत्री (श्री राम प्रकाश)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से माननीय सदन को एक सूचना देना चाहता हूं कि १५ जुलाई को इंटरमिडियेट के विषयों के बारे में जो सरकार ने निर्णय लिया था उसमें एक संशोधन करने का निश्चय किया गया है और वह यह कि हिन्दी को अनिवार्य विषय रखा जायगा। हाई स्कूल की कक्षाओं में जो सरकार ने निर्णय लिया है कि हिन्दी एक अनिवार्य विषय रहेगा....

---

*छापा नहीं गया।

श्री अध्यक्ष--

इस समय केवल सूचना तक ही सीमित रहें ।

श्री राम प्रकाश--

हिन्दी अनिवार्य विषय रहेगा और दूसरी कोई भाषा अनिवार्य नहीं होगी । इस कारण से इंटरमीडियेट में दूसरी कोई भाषा उसको किस प्रकार से जो लोग पढ़ना चाहते है उसका प्रबन्ध किया जाय । इस बारे में सरकार तीन दिन के अन्दर अपना निर्णय घोषित करेगी ।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है । आप नियम २७५ (क) देखें । अगर हिन्दी सही समझा हूं तो मतलब यह है कि अगर अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना आपके पास आ जाय तो प्रश्न समाप्त होने के पश्चात् तुरन्त और कार्यवाही शुरू होने से पूर्व उसकी अनुज्ञा आप मांगेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

ऐसा है, वैसे तो अध्यक्ष को निहित अधिकार है कि कोई कार्य में परिवर्तन कर दे, लेकिन मैंने उस अधिकार में वह परिवर्तन नहीं किया । आप जरा कृपा करके नियम ३१५ को पढ़ लें, जिसमें सापेक्ष अग्रेता का वर्णन है । इसमें लिखा हुआ है कि अध्यक्ष सदन के समक्ष विभिन्न वर्गों के कार्यों को, सापेक्ष, अग्रेता निम्नवत होगी.....

तो इसमें २५ नम्बर पर मंत्रि-परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव करने की अनुज्ञा का प्रस्ताव है । तो क्रम से इसके बाद आयेगा, जो अब मैं ले रहा हूं ।

१४ जुलाई, १९६७ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

खाद्य मंत्री (श्री झारखंडे राय)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एक शोधन वक्तव्य पेश कर रहा हूं । १४ जुलाई, १९६७ को पूछे गये श्री चन्द्रबली सिंह के अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या १ पर अनुपूरक प्रश्नोत्तर के संबंध में शुद्ध उत्तर इस प्रकार है:

अशुद्ध उत्तर

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा द्वारा किये गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में खाद्य मंत्री ने निम्न-लिखित उत्तर दिया—

"नवम्बर, दिसम्बर, सन् १९६६ में और जून, १९६७ में उक्त कम्पनी को २०० बोरा प्रति मास शक्कर दी गयी" तथा श्री वीरेन्द्र वर्मा द्वारा किये गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में उत्तर दिया कि—

"पहले हमें २८ लाख टन चीनी मिलती थी । अब यह १५ लाख टन हो गयी है ।"

शुद्ध उत्तर

"नवम्बर, दिसम्बर, सन् १९६६ और जनवरी सन् १९६७ में उक्त कम्पनी को २०० बोरा प्रति मास शक्कर दी गयी और जून, १९६७ में ५० बोरे शक्कर दी गयी न कि २० बोरे" । पहले हमें २८ हजार टन चीनी मिलती थी और अब यह १५ हजार टन हो गयी है ।

मन्त्रि-परिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब मेरे पास एक अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना आई है माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त नेता बिरोधी दल के हस्ताक्षरों से और वह इस प्रकार है—"मैं विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम २७५ के अन्तर्गत निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं—

"यह सदन मंत्रि-मंडल में अपना अविश्वास प्रकट करता है।"

माननीय नेता विरोधी दल इसकी अनुज्ञा मांग लें।

श्री चन्द्रभानु गुप्त (जिला अल्मोड़ा)—

अध्यक्ष महोदय, मैंने जो मंत्रि-मंडल के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव दिया है उसे पेश करने के लिये अनुज्ञा प्रदान करने की कृपा की जाय।

श्री अध्यक्ष—

जो माननीय सदस्य इसकी अनुज्ञा देने के पक्ष में हों वे कृपया अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जायं।

(बहुत सदस्यों के खड़े होने पर)

चूंकि निम्नतम संख्या ८५ है और उससे बहुत अधिक माननीय सदस्य खड़े हुये हैं, इसलिये अविश्वास के प्रस्ताव की अनुज्ञा प्राप्त हो गयी।

अब इस पर विचार के लिये माननीय नेता विरोधी दल और माननीय नेता सदन से बातचीत करके नियमानुसार १० दिन के अन्दर कोई तिथि निश्चित कर दूंगा।

मुख्य मंत्री (श्री चरणसिंह)—

अध्यक्ष महोदय, आपने अभी यह फरमाया है कि आप मुझ से और माननीय चन्द्रभानु गुप्त से मिलकर इसके लिये तिथि निश्चित कर देंगे। मैं यह अर्ज करना चाहता था कि बजट के दौरान यों तो रोज जो वोट होता है वह विश्वास और अविश्वास ही होता है और इस अविश्वास के प्रस्ताव को लाने की अगर्चे मेरे माननीय मित्रों को टेक्निकल अधिकार है, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं थी। अब यह आ ही गया है तो मैं यह चाहता हूं कि मामला जल्दी से जल्दी तय हो जाय। इसलिय यदि आप परसों की तारीख रख सकें मेरे माननीय मित्रों से मश्विरा करके, तो मुझे खुशी होगी।

श्री अध्यक्ष—

मुझे दो बातें मालूम करनी होंगी। एक तो तारीख, दूसरे कितने दिन इसके लिये रखे जायं। पिछले ८ या १० सालों से जब-जब अविश्वास के प्रस्ताव आये, कितना समय उसको मिला और कब मिला यह सब मेरे पास मौजूद है। माननीय नेता विरोधी दल से बातचीत करके मैं उसे निश्चित कर दूंगा। आपने जो इच्छा व्यक्त की है वह भी मेरे पास आ गयी है।

१९६७–६८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २६—नियोजन और समन्वय

कृषि मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २६—नियोजन और समन्वय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान

द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १३,४३,३५,३०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आपस में बातचीत बहुत हो रही है ।

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २६—नियोजन और समन्वय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १३,४३,३५,३०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३१--राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई निर्माण-कार्य--अनुदान संख्या ३२--सिंचाई अधिष्ठान, अनुदान संख्या ४७--बहु-प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय तथा अनुदान संख्या ४८--सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय

सिंचाई मंत्री (श्री टम्बरेश्वर प्रसाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३१--राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई निर्माण-कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १४,६०,२७,३०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं माननीय सदस्यों से फिर प्रार्थना करूंगा कि कृपया आपस में बातचीत न करें और अगर बातचीत करना आवश्यक हो तो फिर लाबी का प्रयोग करें ।

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३२—सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ५,९९,२६,६०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४७--बहु-प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ११,६८,८३,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय । तथा

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४८--सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ८,०५,०१,३०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, आज सोमवार है। इस सप्ताह का क्या कार्यक्रम है कृपया हम लोगों को बता दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

ऐसा है कि आपको जो अभी तक वितरित हो चुकी है सूचना इसके बाद कल तक तो बजट है। कल के बाद विधायिका कार्य है। म इसक बाद आपको सूचना दिलवा दूंगा।

लोक लेखा, प्राक्कलन तथा कतिपय स्थायी समितियों के निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम में परिवर्तन

श्री अध्यक्ष—

अब पहले इसके कि माननीय मंत्री जी खड़े हों मैं एक सूचना जो आवश्यक है, सदन को दे दूं। इसमें १७ जुलाई, १९६७ को लोक लेखा समिति के २१, प्राक्कलन समिति के २५ तथा मंत्रियों को परामर्श देने वाली २५ स्थायी समितियों में प्रत्येक में १६–१६ सदस्यों के लिये निर्वाचनार्थ नामों की वापसी का समय २१ जुलाई, १९६७ के सायंकाल ५ बजे तक के लिये नियत था, किन्तु सचेतक, संयुक्त विधायक दल तथा सचेतक, कांग्रेस दल की प्रार्थना पर उक्त नामों की वापसी का समय अब दिनांक २४ जुलाई, १९६७ के सायंकाल ५ बजे तक बढ़ा दिया गया है।

यह मैंने माननीय सदस्यों की सूचना के लिये पढ़ दिया।

१९६७-६८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ३१—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई निर्माण-कार्य—अनुदान संख्या ३२—सिंचाई अधिष्ठान—अनुदान संख्या ४७—बहु-प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय तथा अनुदान संख्या ४८—सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय—(क्रमागत)

*श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रदेश और यह देश जिस अन्न संकट से गुजर रहा है उसके प्रति हम सब जागरूक हैं। पिछले वर्ष की सूखा की स्थिति को देखते हुये और कृषि के महत्व को देखते हुये आज यह निर्विवाद है कि सिंचाई के साधन इस प्रदेश में शीघ्रातिशीघ्र जितने अधिक बढ़ाये जा सकें वह बढ़ाये जायं।

अध्यक्ष महोदय, यदि हम इस बात को सामने रखें कि कितना भी धन उपलब्ध है, लेकिन आज जो स्थिति है वह यह है कि सिंचाई के साधन हमारे यहां बहुत कम हैं। इसी दृष्टि से सरकार ने अधिक से अधिक धन की व्यवस्था सिंचाई के लिये की है। सिंचाई के साधनों में शासकीय साधन और निजी साधन दोनों की उन्नति एक साथ होना आवश्यक है। शासकीय साधनों में नहरों की योजनायें हैं, नलकूप की योजनायें हैं और हमारी बिजली की योजनायें हैं। आप जानते होंगे कि जहां तक बिजली का प्रश्न है हमने इसको अलग से बिजली परिषद् को सौंप दिया है और हमारे इनर्जाइजेशन का कार्यक्रम को आज वह परिषद् भलीभाँति अपने स्थान पर कर रहा है। यह देखना पड़ेगा कि आज जो इस प्रदेश के सिंचाई के साधन हैं उनमें आखिर क्या कमी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यदि इस प्रदेश को सिंचाई की दृष्टि से भागों में बांटा जाये तो हमने तीन भागों में बांट रखा है और चूंकि नहरों का जल ही इन क्षेत्रों में है इसलिये हम प्रयत्नशील हैं कि जितने हमारे सिंचाई के साधन इस समय है और जो कुछ विकसित हैं उनमें ही जल की क्षमता को और मजबूत करें। जो नये उन्नतिशील बीज आये हैं और जो हमने इंटेन्शिव कल्टीवेशन शुरू किया है उसके लिये बढ़ते हुये जल की मांग है उसको पूरा करने के लिये अब हमने अपनी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया है। गंगा के दोआब, घाघरा और सरयू का दोआब और घाघरा तथा गंडक का दोआब, इन तीन क्षेत्रों में हम प्रदेश को बांट सकते हैं। हमारा प्रयास है और हमने एक बृहत योजना बनाई है जिस से हम सिंचित क्षेत्र को पर्याप्त रूप से तीन सिंचाई तक जल दे सकें। यह योजना हमारे विचार में है।

आप देखेंगे कि हमारी समस्या दो स्थानों पर प्रारम्भ होती है। नदियों का जल गर्मियों में कम हो जाता है और साथ ही साथ बरसात में अधिक जल की कमी नहीं रहती। रबी की सिंचाई के समय कमी रहती है। उसको पूरा करने के लिये रामगंगा परियोजना ली गई है और एक नयी योजना सरयू की है। मैं समझता हूं कि शारदा कैनाल के क्षेत्र में जल की कमी है और नीचे के जिलों में भी जल की काफी कमी है वह इस योजना को लेने के बाद पूरी कर सकेंगे और वहां के काश्तकारों को आवश्यकता के अनुरूप जल दे सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, हमारी जो दिक्कत मुख्य है वह यह है कि एक तो जमुना कैनाल में कमी पड़ती है और मैं इस बात को दृष्टि से ओझल नहीं कर सकता कि जितना जल इस वर्ष हमें मिलना चाहिये था, जो हम प्राप्त कर सकते थे वह कदाचित पिछले वर्ष में प्राप्त करने का जमुना कैनाल का सिस्टम है, उसमें ज्यादा ध्यान नहीं दे सके। हम इसके लिये प्रयत्नशील हैं। हरियाना के मंत्री जी के साथ हमारी मीटिंग हुयी थी। उन्होंने कहा है कि वे हमारे फाटक जिनको नहीं लगवा सके, लगवा देंगे और हमारी जल की धारा जिस रूप में बढ़ जाती थी वह नहीं बढ़ सकेगी। आने वाले सीजन से पहले इसे लगवाने का आश्वासन दिया है। मैं समझता हूं कि उससे कुछ न कुछ हमारी समस्या का समाधान होगा। तो भी यह संतोषजनक नहीं होगा इसलिये हम एक नये विभाग की व्यवस्था करने की सोच रहे हैं। रामगंगा योजना पर आप जानते हैं, बहुत बड़ा संकट आ गया था, परन्तु तमाम दिक्कतों के बावजूद जो हमारा लक्ष्य था रामगंगा परियोजना के संबंध में वह पूर्ण करके हम आगे बढ़ चुके हैं और जो विभाग हमें हड़ताल के बाद मिला था, उसमें संतोषजनक कार्य हो रहा है।

तीसरा प्रश्न गंडक कैनाल योजना का है। हम दो प्रान्त उस योजना को चला रहे हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश। हमें बिहार प्रान्त से आश्वासन मिल गया है कि जो उनके भाग की नहर है वह शीघ्रातिशीघ्र वह बना देंगे। मैं समझता हूं, जो आने वाला जून है उस समय तक इस योजना से जल प्राप्त कर सकेंगे। जहां तक हमारी नहरों का प्रश्न है, तमाम दिक्कतों और अपने सीमित साधनों को देखते हुये, अपने विभाग की क्षमता को देखते हुये हमारा विभाग इस योजना को समय के अन्दर पूरा कर लेगा। (व्यवधान) हां, मालूम है, और जो दिक्कतें आप बतायेंगे, दोनों का समाधान करेंगे। दूसरा पक्ष नलकूपों का है। इन नलकूपों की संख्या इस प्रदेश में सात हजार से ऊपर है। लेकिन कदाचित पिछले वर्षों में जो कार्य थे नलकूपों के, उसमें न जाने क्यों, मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता, ३८३ से अधिक नलकूप जो बन जाने चाहिये थे ३१ मार्च के अन्दर वह बनाये नहीं जा सके। उसके लिये एक विशेष धनराशि रखी गयी है ताकि हमारे इस वर्ष में वह पूरे हो जायं और हम उनसे कार्य ले सकें। हमने ३० लाख रु० इसमें रखा है। इससे स्वाभाविक है कि जो नये नलकूप इस वर्ष हमें बनाने थे उन पर प्रभाव पड़ा है क्योंकि हमारा विभाग उनको पूरा करने के प्रयास में अग्रसर है। ३८३ नलकूपों में

[श्री टम्बरेश्वर प्रसाद]

इस समय रुपया लग चुका है, जिस पर सूद भी पड़ा है जिससे रुपया लिया है, हमें उनको तत्काल पूरा करना चाहिये। इसलिये हमारे ११० नये नलकूप जो बनाने हैं वह देर से प्रारम्भ हो सकेंगे तब भी हम इस वर्ष में इनको पूर्ण कर लेंगे। जो हमारे पुराने नलकूप हैं। शिकायतें आती हैं कि नलकूप चल नहीं रहे हैं, पाइप खराब गया है या जिस जगह बोरिंग की है उस लायक नहीं रही है, ऐसे पुराने २१३ नलकूपों का पुनर्वेधन कर रहे हैं। और जो इस प्रकार के और नलकूप रह जायेंगे इस कार्य को पूरा करके उसमें से अभी अधिक से अधिक का पुनर्वेधन पूरा करेंगे। इसके लिये बिंग मशीनरी और अन्य साधन बाहर से मंगा रहे हैं हमारे पास जो इस समय पुरानी मशीनें प्राप्त हुई हैं कदाचित उनमें बहुत ज्यादा रिपेयर की आवश्यकता है और यह भी कारण है जिस से काम में लगता है कि कमजोरी आ गयी है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि १०३ लाख की विदेशी मुद्रा हमको प्राप्त हो गयी है और १५ कंप्रेशर नये प्राप्त कर लेंगे जिससे इन साधनों को बहुत अधिक बढ़ा सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित योजनायें हमारे विभाग ने हाल ही में ली हैं जो हमारी सिंचन क्षमता को पूरा करन में सहायक होंगी जैसे मेजा जलाशय, नरोरा बैराज का निर्माण, तुमरिया जलाशय का विस्तार, मूसा खंड आदि। आशा है कि इन योजनाओं को हम जल्द से जल्द पूरा कर सकेंगे। इसके अलावा जो योजनायें पूरी होने से रह गयी हैं उनको भी हम थोड़े समय में ही पूरा कर लेंगे और शीघ्र से शीघ्र जल प्राप्त कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त श्रीमन्, कुछ योजनायें ऐसी हैं जिन पर अभी काम चालू है। जैसे चन्द्रावल बांध, गुलरिया बांध, जामनी बांध, इसके अतिरिक्त हरिपुरा जलाशय योजना को हम शीघ्र से शीघ्र खतम करने जा रहे हैं। ये सब जो योजनायें हैं वे दो वर्ग में होती आयी हैं। या तो जो हमारे यहां बाढ़ आने में बढ़ोतरी होती जा रही है उसमें कुछ कमी आना और इसके साथ ही साथ आने वाली रबी की फसल में पिछले वर्ष की रबी की कमी को पूरा करना। अगर हमने अपनी आवश्यकतायें पूरी कर लीं तो भी हमारी योजनायें उसमें सहायक होंगी। यह सौभाग्य की बात है कि अभी तक हमारे प्रान्त में कोई बड़ी बाढ़ नहीं आयी। हमें कुछ ऐसे स्थलों पर जाने का सौभाग्य मिला। कुछ रोज पूर्व मैंने उन स्थलों को देखा और यह सही है कि दो-तीन स्थलों पर नदी बांध के पास से बह रही है। छितौनी बांध के पास ही गंडक नदी बह रही है और कदाचित इसके लिये आवश्यकता पड़ी कि हम स्पर को मजबूत करें। विभाग ने ३० जून तक वहां रिटायर बांध को पूरा कर लिया जिस से जल आगे बांध को न तोड़े और उसकी धारा को बांध रोक सके।

बिहार में मधुबनी के पास गंडक बांध में कुछ बीच हो गया जिसकी वजह से हमारे प्रान्त के ५००–६०० एकड़ की फसल पानी में डूब गयी। अब उसका पानी उतर रहा है, लेकिन कदाचित यह संभव भी नहीं होगा कि बिहार बांध के पूरे क्षेत्र के लिये हम रिपेयर लगा सकें क्योंकि वह बड़ा लम्बा स्थान है और उसमें तमाम दिक्कतें भी हैं। हमारे यहां तो बहुत ही कम एक तरह से नगण्य क्षेत्र था और समस्त क्षेत्र बिहार प्रान्त का ही था। मेरा कहना है कि जो स्थिति है उसको देख कर हम जल के लिये पूरी सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे रेवेन्यू विभाग ने सूचना दी है कि उसमें पर्याप्त मात्रा में नावों का प्रबन्ध किया है और उनके निष्काशन का भी प्रबन्ध कर लिया है।

हमने अपने विभाग के उच्च अधिकारियों को यह आदेश दे रखा है कि वे रात-दिन बांध देखने की व्यवस्था रखें और कोई बीच न होने दें और यदि कोई खतरा उत्पन्न हो तो वे तत्काल विशेष रूप से पर्याप्त मात्रा में बांध की रक्षा का प्रबन्ध कर लें। हमारे अधिकारी आज पूर्ण रूप से इस बात के लिये सतर्क हैं और वे बांध पर पहरा दे भी रहे हैं रात-दिन ताकि कोई खतरा उत्पन्न न हो।

इस संबंध में आपको यह भी सूचना दे दूं कि जो बांध हमने लिया है उसमें कुछ कमी रह गयी है वरना ४ लाख एकड़ भूमि को सिंचित करने की हमारी क्षमता होती लेकिन इसके बावजूद

हम उसको सींच नहीं रहे हैं और उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। उसके बहुत से कारण हैं। एक तो यह कि जो काश्तकार हैं उनके साथ हमारा जो सम्पर्क होना चाहिये, वह नहीं है। अब हम इस बात के लिये प्रयत्नशील हैं कि ४ लाख एकड़ न हो तो २ लाख एकड़ भूमि को इस वर्ष के अन्दर तो जल दे ही सकें। जैसा कि हमने पहले घोषणा की है कि दो लाख एकड़ से अधिक भूमि को हम खरीफ के मौके पर जल देंगे और आगे जाने वाली सीजन में करीब दो ढाई लाख एकड़ से अधिक भूमि का सिंचन कर सकेंगे जो हमारी रबी की फसल के लिये सहायक होगा।

काश्तकारों की दिक्कत को देखते हुये, यद्यपि उनको भी कुछ महंगी है और हमें भी पड़ने वाली है, लिफ्ट इरीगेशन यानी गहराई से पानी ऊपर लाने की योजनायें इस सरकार ने बनाई हैं। दो दृष्टियों से उस पर हम विचार करते आ रहे हैं। एक तो बहुत-सी ऐसी नहरें बन गई हैं जिनमें हफ्तों जल आने की नौबत नहीं आती। मेरा निवेदन आपसे यह है माननीय अध्यक्ष महोदय, कि उस कमी को हम पूरा कर सकें जो यह छोड़ आये हैं, हमने जो इधर योजनायें ली हैं, इन योजना में एक योजना इतनी गति से पूरी हो गई कि जिसकी आशा नहीं थी। मिर्जापुर जिले का दौरा करने मैं गया था योजना की गई कि उसमें हम जल डालने में समर्थ हो सकें—जमनिया बांध जो है। काश्तकारों की सिंचाई संबंधी असुविधाओं को दूर करने के लिये अन्य साधन जिसकी हम ले सकें, उनको हमने लिया है और मैं समझता हूं कि उन्होंने सूख के दिनों में हमारी काफी सहायता की है वरना हमारा अन्न उत्पादन और भी घट जाता। हमें देखना है कि सरकार कहां तक उन योजनाओं में उन्हें सहायता कर सकती है क्योंकि ये महंगी हैं। मैं सरकार की तरफ से विश्वास दिलाता हूं कि इनमें सहायता के लिये जो कुछ भी सरकार सक्षम होगी, वह करने का प्रयास करेगी। इन योजनाओं के विस्तार में जो हम उससे लगा रहे हैं गंगा नदी पर और गोमती नदी पर हमारी योजनायें हैं। इस प्रकार से दो-तीन योजनायें हमारे विचाराधीन हैं, जिनके पूरे होने पर कई सौ क्यूसिक फिट जल हम लेकर डाल सकेंगे, और जो डेल्टा है नीचे उनको जल दे सकेंगे। इसके अलावा जो लोग नहर पार्टी का नारा लगाते हैं, उनकी अनुपयोगिता को देखते हुये, वह भी इससे संतुष्ट होंगे और उनके लिये ऐसा काम नहीं रह जायेगा। जब सरयू जल योजना बन जायेगी तो काफी जल प्रदेश को मिल सकेगा। इसलिये हम इनको वरीयता दे रहे हैं। हमें केन्द्रीय सिंचाई मंत्री राव साहब ने आश्वासन दिया है और विश्वास दिलाया है कि वह हमारी सहायता करेंगे और मैं समझता हूं उन्होंने खुद व्यक्तिगत रूप से उसे देखकर उसको एक अच्छी योजना प्रदेश में पाया है और उससे सन्तुष्ट हो कर उन्होंने सहायता देने का निश्चय किया है। उनकी इस सहायता के लिये हम उनके आभारी हैं। ये जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, उनसे कृषकों को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। उदाहरण के लिये एक एक अच्छे खरीफ के कुलावे के लिये उनको दिक्कत पड़ी है। किन्तु अब जब हमारे पास ऐसे प्रार्थना-पत्र आते हैं उन पर हम प्रयत्नशील हैं, हम टेम्प्रोरेरी कुलावा देंगे। गूलों की ठीक व्यवस्था हो, इसके लिये हमने विभागीय अधिकारियों को आदेश दे दिये हैं कि तत्काल ऐसे आवश्यक काम किये जाएं। हमने इसके अतिरिक्त कुछ विशेष सुविधायें भी किसानों को अपने विभाग से दी हैं। हमारे विभागीय नियमों के कारण काश्तकारों में अज्ञान है। वे नियमों को भलीभांति समझते नहीं हैं इसलिये स्थानीय समस्याओं के हल के लिये सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। कैनाल इंस्पेक्शन हाउस पर किसानों के लिये दिन निश्चित कर दिये गये हैं और वहां पर ब्लैक बोर्ड सूचना पट रखे गये हैं जिनके द्वारा उनको सही-सही जानकारी नियमों के बाबत दी जायेगी। कम्प्लेंट बाक्स भी वहां पर रखे गये हैं। किसानों को जानकारी दी जायेगी कि गूलों की सफाई में वह क्या ध्यान रखें, क्या सहायता लें विभाग से, जब कोई लोग जल को रोक लें या बन्द कर दें तो वह क्या करें? इसके अलावा तमाम उसे निकटस्थ सूचनाएं कहां से मिले, इसके लिये वह स्थल हैं जहां से माइनर्स निकलती हैं, वहां पर भी यह प्रबन्ध किया गया है।

[टम्बरेश्वर प्रसाद]

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम यह भी प्रयत्नशील हैं कि इन कामों को करने के लिये विशेष रूप से एक सप्ताह मनाया जाये । काश्तकारों से अधिकारियो को सम्पर्क बनाने के लिये और गूलों की सफाई और निर्माण के लिये । जिसमें हमारे अधिकारी गूलों-गूलों पर जायें और गूलों के लेवेल में, खुदवाने में सहायता दें, किसानों के श्रम को इकट्ठा करें । इस से हमारा लाभ होगा कि हम जल की क्षमता का पुरा-पूरा उपयोग कर सकेंगे ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ जगह एकड़ इधर हमारी सिंचाई में वृद्धि हुई है जिसमें विभागीय अधिकारी प्रयत्नशील है लेकिन अभी बहुत अधिक बढ़ने की संभावना है । हमारे विभागीय अधिकारियों के एक रुमाली सिस्टम नहर विभाग में चलाया है । मैंने उसे बहुत उपयुक्त समझा है और हम प्रयत्नशील हैं कि बजाय शारदा सिस्टम के हर सिस्टम पर यह लागू हो । उससे व्यवस्थित रूप से सूचना उपलब्ध होगी कि पिछले वर्ष हमने कितना सींचा और इस वर्ष कितना कर पाये हैं । इससे हमें अपनी कमी का अहसास होगा और हम इस वर्ष प्रयत्नशील हैं कि एक गूल पर जो मैक्सिमम सिंचाई अब तक कभी भी हुई हो उसको टारगेट बनाकर चलें । और जो हमारी क्षमता है उसे प्राप्त करने में हम प्रयत्नशील हैं और अगर कोई बाधा है तो उसे मिटाने के लिये एक सप्ताह मनाने वाले हैं और इससे यही नहीं कि सिंचाई की बाधायें हम दूर कर पायेंगे बल्कि किसानों से हमारा सम्पर्क होगा और हम लोग जान सकेंगे कि उनको क्या-क्या असुविधायें हैं । मैं समझता हूं कि इस से हम बहुत हद तक उन असुविधाओं को दूर करने में सफल होंगे ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, महर काटने की घटनायें इधर बहुत अधिक बढ़ी हैं । हो सकता है कि जल पहुंचने में कुछ कमी रही हो लेकिन उसको हम जहां तक हतोत्साहित कर सकते हैं, करेंगे । मैं इस मामले में माननीय सदस्यों से और अपने कृषकों से भी कहना चाहता हूं कि यह उनके हित में किसी भी प्रकार नहीं है और हमें इसे हतोत्साहित करना चाहिये । आज यह देखा गया है कि बहुत से स्थानों में ओसराबन्दी नहीं है और उसके न होने के कारण विशेष रूप से चकबन्दी क्षेत्र में असुविधा अनुभव की जा रही है किन्तु चकबन्दी अधिकारियों ने गूल में कोई कन्टीन्यूटी नहीं छोड़ी है और एक गूल यहां और एक गूल वहां और इसलिये बहुत दिक्कत महसूस की जा रही है वैसे क्षमता प्राप्त करने में और विशेष रूप से उस एरिया में जहां चकबन्दी हो गयी है और विशेष रूप से जहां नलकूप हैं और इसलिये हम उन स्थानों पर पूरे तौर पर ओसराबन्दी करनेवाले हैं ताकि कोई दिक्कत न हो और हम जल उपलब्धता की रक्षा करके किसानों की असुविधाओं को दूर कर सकें ।

काश्तकारों के प्रार्थना-पत्र जो इस वक्त पेंडिंग हैं सैकड़ों की तादाद में उनको विशेष रूप से अगले आने वाले मास में यह आदेश हैं कि तत्काल समाप्त कर दिया जाय और इस संबंध में हम एक व्यवस्था बना रहे हैं कि इस प्रकार की जो असुविधायें हैं उनको दूर किया जा सके ।

श्री राम स्वरूप (जिला मैनपुरी)—

आपके अधिकारी उनको बिजली नहीं दे रहे हैं ।

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

मैं बिजली की बात इस समय नहीं कर रहा हूं और बिजली का यह अनुदान भी नहीं है । मैं तो सिंचाई की बात कर रहा था कि हमारे जो प्रयत्न हैं उनसे न केवल सिंचाई ही तत्काल बढ़ जायेगी वरन् आज जो कृषकों को दिक्कतें हैं उनको सुविधाजनक रीति से जल उपलब्ध होने में वह यदि मिटेगी नहीं तो बहुत हद तक कम जरूर हो जावेंगी । हमने कई खंडों के माननीय सदस्यों को विचार-विमर्श के लिये बुलाया था और उन्होंने हमको बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव दिये हैं । विशेष रूप से बुन्देलखंड के मित्रों ने और पहाड़ के मित्रों ने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं ।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि कुछ माननीय सदस्यों को बुलाया था। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि पूर्वी जिलों के लिये जो सदस्य बुलाये थे, तो उनसे क्या बात हुई है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की सूचना के लिये बता दूं कि सभी खंडों के माननीय सदस्यों से मिलने में मैं अभी समर्थ नहीं हो सका हूं। मैं क्रमशः बुला रहा हूं। कुछ को बुलाया था तो वे घर चले गये थे। मेरा निवेदन है कि जो माननीय सदस्य शेष रह गये हैं उनसे भी बात करने वाला हूं और बुलाकर क्षेत्रीय समस्या के विषय में बातचीत करूंगा। सदन के समय में जितना सम्भव हो सका उतना करने का प्रयत्न किया गया है और उसका अधिक से अधिक उपयोग किया गया है। आगे भी उस क्रम को जारी रखा जायगा और उन समस्याओं पर स्थानीय रूप से खंडों में जाकर अपने विभाग के अधिकारियों से विचार-विमर्श करके निर्णय किया जायेगा। इस से यह होगा कि स्थानीय रूप से जो माननीय सदस्यों को असुविधा होती है उनको क्षेत्रीय स्तर पर जान सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, नलकूपों से सिंचाई की जो क्षमता है उसको हमने २,४०० घंटे से ३,४०० घंटे अधिक कर लिया है। हमारे विभाग में जो ऐसे कुछ कार्य हुये हैं उनके विषय में सदन का समय अधिक नहीं लेना चाहता हूं लेकिन इतना जरूर मैं सदन को आश्वस्त कर सकता हूं कि किसी भी एक केस में, जो हमारी जानकारी में आगया है माननीय सदस्यों के द्वारा या किसी अन्य प्रकार से जिसमें कि भ्रष्टाचार की कोई शिकायत निहित थी, उसमें मैंने यह प्रयत्न किया है कि अधिक से अधिक एक सप्ताह के अन्तर्गत ही उसकी जानकारी करूं और तत्काल उसमें जो भी उचित कार्यवाही हो सकती है, वह करने का प्रयत्न करूं। कभी समय मिलेगा तो पूरी व्यवस्था बताऊंगा।

श्री जगदम्बा प्रसाद—

मंत्री जी के पास फैजाबाद के सुप० इंजीनियर के विरुद्ध शिकायत लिख कर हमने दिया है कि कभी फैजाबाद में नहीं रहते हैं। उनको लिख कर यह दिया था टांडा कैनाल में पानी नहीं मिलता है जिस से फसल सूख जाती है। वे न तो देखने के लिये गये और न उस संबंध में कोई कार्यवाही की।

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

माननीय सदस्य को अवसर मिलेगा। तब वह अपनी बातें रखें। हमारे विभाग में जो कार्य इस समय तक हुआ है वह संक्षेप में मैंने आपके सामने रखा है।

श्री राम मूर्ति (जिला बरेली)—

सरजू योजना के विषय में माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया तो वह योजना क्या है ? उसकी डिटेल जरा बतला दें। प्रथम खंड में उसका कितना क्षमता बटाने का विचार है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

सरजू योजना के द्वारा हम लगभग १७ लाख एकड़ की सिंचाई कर सकेंगे उसके प्रथम खण्ड में। अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी योजना है और हम इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि यदि एक साथ यह पूरी करना संभव न हो तो उसे दो खंडों में पूरा कर लें। आने वाले तीन वर्षों में हम इसे पूरी कर लें। इसमें १,००० क्यूजेक्स की क्षमता हम तत्काल बढ़ा सकेंगे और जब दस या १२ हजार क्यूजेक्स जल हमको मिलने लगेगा मुख्य बैराज बनने के बाद, तो हम पूरी क्षमता से इसका उपयोग कर सकेंगे।

[श्री टम्बरेश्वर प्रसाद]

मेरा निवेदन है कि हमने काश्तकारों को निजी नलकूपों के लिए बिजली देने का अधिक से अधिक प्रयास पहले भी किया है और इस वर्ष भी कर रहे हैं। इस संबंध में कुछ भ्रान्तियां हैं इसलिए इसका जिक्र मैं कर रहा हूं। संभव है कि आने वाले समय में बिजली की पूरी छूट हम न दे सकें इसलिए कि नलकूपों के लिए ली गयी बिजली का उपयोग चक्की आदि के लिए हो जाता है। एक छोटा सा नलकूप लेकर, लगा कर मुख्य रूप से उस बिजली से चक्की चलायी जाती है। इससे हमारा अधिक अन्न उत्पादन का जो उद्देश्य है वह पूरा नहीं हो पाता। इसलिए हमने प्रयास किया है कि जहां क्लस्टर्ड नलकूप हों, ५,७ नलकूप एक साथ बिजली के हों वहां पहले लाइन ले जायं। वैसे हमारी जो छूट है वह साफ है कि हम ५ हार्स पावर के नलकूप के लिए दो फर्लांग तक बिजली की लाइन ले जाते हैं और साढ़े सात हार्स पावर के लिए ३ फर्लांग की लाइन खींच देते हैं। हम इस सुविधा का जो दुरुपयोग हो रहा है उसे ही रोकना चाहते हैं। इसीलिए हमने यह संशोधन किया है ताकि अधिक अन्न उत्पादन का कार्यक्रम ठीक से चल सके। यह निश्चय इसलिए नहीं है कि हम काश्तकारों के लिए असुविधाओं का निर्माण करना चाहते थे।

एक भ्रम और दूर करना चाहता हूं। काश्तकारों को देने के लिए बिजली की कोई कमी नहीं है। बिजली यहां भी सैंक्शन की जाती है और जिले में भी होती है। तो हम इस बात पर बल दे रहे हैं कि बिजली का सैंक्शन देने में एक व्यवस्था आ जाय और जो देरी होती है वह कम से कम हो। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि जिला समितियों तक हम पहुंचें और देखें कि वहां काश्तकारों के प्रार्थना-पत्रों पर समय से विचार हो जाता है अथवा नहीं और उसके लिए हम एक क्रम बना देना चाहते हैं ताकि इस संबंध में किसी तरह का भ्रष्टाचार न फैलने पाये।

मैं इसके लिए प्रयत्नशील हूं। मैं समझता हूं कि बहुत हद तक आपके सहयोग से मेरा यह प्रयत्न सफल होगा और सार्थक होगा। पहली अप्रैल से इस समय तक जो हमें समय मिला है उसमें हम ५,४०० से अधिक नलकूपों को बिजली दे चुके हैं जबकि पिछले वर्ष ११,००० नलकूपों को कनेक्शन दिये गये। इसमें थोड़ी कमी हमारे अनुदान के कारण है वरना हम इससे ज्यादा कर सकते थे और मैं समझता हूं कि हमारा विभाग और अधिक क्षमता का प्रदर्शन इस दिशा में करेगा। हमारा भाव यह नहीं है कि हम किसी व्यक्ति को अधिक सुविधा पहुंचा दें। हो सकता है कि किसी व्यक्ति को असुविधा हो, लेकिन हम अधिक सिंचन के द्वारा प्रदेश की भलाई करना चाहते हैं और उस कार्य को टार्गेट से भी आगे ले जायेंगे इस दृढ़ विश्वास के साथ हम प्रदेश के काश्तकार को पुनराश्वासन देते हैं और इस बात के लिए कोई बिजली बाधक नहीं रहेगी। पुराने बिजली के जो कनेक्शन पेंडिंग हैं जो नलकूपों के लिए नहीं मिल सके हैं, अपनी क्षमता को देखते हुए हमने ७,००० की धनराशि निर्धारित की है कि उनको बिला किसी व्यय के ३ फर्लांग तक उपलब्ध करा देंगे। अगर इससे अधिक आ जाता है तो ३ से ४ फर्लांग तक डिपाजिट स्कीम के अन्तर्गत कनेक्शन देंगे या जो पुरानी सुविधायें थीं उनको देने का प्रयास करेंगे और उनके लिए कुछ विशेष अलग से अपनी कंस्ट्रक्शन की एजेंसी लगा देंगे जिससे उनका भी एक क्रम बन जाय और उनको बिजली दे सकें और इस देर की वजह से जो होने वाली है उसमें कोई बाधा हो हम उसको भी दूर करने लिए प्रयत्नशील हैं।

हमने वर्कचार्ज कर्मचारियों को धन दिया है और आशा है कि वह आश्वस्त हो जायेंगे। विद्युत् विभाग के कर्मचारियों को एक अप्रैल से ५ रुपया मासिक वृद्धि दी जा चुकी है। जो कर्मचारी ३ साल तक लगातार उस विभाग में काम करते आये हैं मेंटिनेंस में, उनको हम टेंपोरेरी रेगुलर कर्मचारी बना चुके हैं। मैं समझता हूं, हमारी तमाम कमियों के बावजूद हमारी इंजिनियरिंग सर्विस के कर्मचारी जो कि भारत में अपने परिश्रम और कार्यकुशलता के लिए प्रख्यात हैं उन्होंने प्रयास किया है और हो सकता है कि हम उतना सफल न रहे हों अनेक स्थानों पर जहां हमारे माननीय सदस्यों ने हमसे अपेक्षा की हो, लेकिन आने वाले भविष्य में हम इतना प्रयत्न करेंगे कि हमारे प्रदेश का भविष्य बहुत उज्ज्वल होगा और अन्न की कोई कमी नहीं रहेगी इस आशा और विश्वास के साथ मैं आपका सहयोग और सद्भावना चाहता हूं।

श्री भोखालाल (जिला उन्नाव)—

अध्यक्ष महोदय, मैं बीच में दो एक बार खड़ा हुआ लेकिन मंत्री जी ने सुनने का मौका नहीं दिया। कालागढ़ के संबंध में मजदूरों पर....

श्री अध्यक्ष—

आप कुछ कह रहे हैं लेकिन कहने का कोई अवसर और नियम तो रहेगा ही ?

श्री भोखालाल—

नियम यह है कि मैं आपकी आज्ञा से बोलने का साहस कर रहा हूं कटौती पेश करने के पहले। मजदूरों पर जो बर्बर अत्याचार हुआ है कालागढ़ में उसकी कहानी सदन को मालूम है। मैं वहां गया था और मैंने अपनी रिपोर्ट भेजी है कुछ सिफारिशों के साथ....

श्री अध्यक्ष—

मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जब आपको बोलने का अवसर मिले तब आप जो कुछ कहना चाहते हों कहें, आप तो बड़े संयमित व्यक्तियों में से हैं। इस समय आप कौनसे नियम से बोलना चाहते हैं ?

श्री भोखालाल—

नियम यह है कि मैं आपकी आज्ञा से बोलना चाहता हूं। कालागढ़ में मजदूरों का जो विक्टीमाइजेशन हो रहा है, ४०-५० मजदूरों पर मुकदमे चल रहे हैं, उनको काम पर वापस नहीं लिया गया है, मैंने इस संबंध में घोषणा करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को पत्र भी लिखा था, किन्तु उस संबंध में आज कोई घोषणा न होने के कारण, तथा मजदूरों पर जो जुल्म हो रहा है उसके विरोध में कम्युनिस्ट पार्टी १० मिनट के लिए सदन का त्याग करती है।

(श्री भोखालाल ने कम्युनिस्ट दल के सदस्यों सहित सदन का परित्याग किया।)

श्री रघुनाथसिंह (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३१ के अधीन संपूर्ण अनुदान की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष—

इस पर समय बड़ा टाइट है, आप कृपया १५-२० मिनट में अपना भाषण समाप्त करें, शेष सदस्य कृपया १०-१० मिनट ही लें।

श्री रघुनाथसिंह—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३२ के अधीन संपूर्ण अनुदान की राशि घटाकर एक रुपया† कर दी जाय।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४७ के अधीन संपूर्ण अनुदान की राशि घटाकर एक रुपया† कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष—

अब तक प्रथा यह रही है कि कटौती के प्रस्तावक महोदय एक ही अनुदान पर अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करते रहे हैं, वैसे आपको अधिकार है आप चाहें तो चारों को पेश कर सकते हैं।

श्री रघुनाथ सिंह—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४८ के अधीन संपूर्ण अनुदान की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

---

†कटौती के अन्य प्रस्तावों के लिए देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ ६१९-६२१ पर।

[श्री रघुनाथ सिंह—

मान्यवर, आज जिस अनुदान पर चर्चा हो रही है वह हमारे देश और प्रदेश के लिए सर्वाधिक महत्व का है। मेरा दुर्भाग्य यह है कि इस समय माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में नहीं हैं। एक समय में इस प्रदेश में वे सिंचाई मंत्री रहे हैं। उस समय उन्होंने यहां कहा था कि सिंचाई का प्रश्न प्रदेश और देश के लिए जीवन-मरण का प्रश्न है। वे किसान परिवार से आते हैं और किसानों की समस्याओं का उन्हें अच्छा ज्ञान है। सिंचाई विभाग के मंत्री रहने के कारण वे सिंचाई विभाग की हर बारीकी को अच्छी तरह से जानते हैं। मैं उन्हीं के पुराने कहे हुए वाक्य को उन्हें याद दिलाना चाहता हूं और उन्हीं के शब्दों को दोहराता हूं कि यह प्रश्न प्रदेश के जीवन-मरण का है। अब देखना यह है कि इस जन सरकार ने किसानों के उस जीवन-मरण के प्रश्न को किस प्रकार से हल करने के लिए सोचा है। किसानों को वे जीवन की ओर ले जाना चाहते हैं या मरण की ओर? इस पर हमें जरूर विचार कर लेना है। श्रीमन्, यह विचार थोड़ा सा ही आगे बढ़ने पर यह दृष्टिकोण सामने आ जाता है। इस सरकार ने जो पहला काम किसानों के लिए किया उसे मैं एक मरणान्तर योजना कहूंगा। वे गल्ला वसूली की योजना ले आये जिसकी विशद चर्चा इस सदन में हुई और बाहर भी हुई। क्या क्या ज्यादतियां किसानों के प्रति नहीं की गईं वे किस प्रकार मजबूर किये गये अपने बच्चों का पेट काटकर सरकार को गल्ला देने के लिए। इस विषय में, ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि यह विषय आज का नहीं है। वैसे मैंने उस दृष्टिकोण को स्पष्ट कर दिया है। एक चीज में सरकार के इस दृष्टिकोण पर नजर रखते हुए और कहना चाहता हूं कि वह किसानों पर मालगुजारी खत्म करने की बात है उसके लिए सरकार को मैं बधाई देता हूं। लेकिन उसको भी अगर आप गौर से सोचें, मैंने तो उस पर बहुत सोचा, पर निराशा ही हुयी। किसानों ने बहुत दिनों से आशा लगाई थी, चौधरी साहब का बड़ा नाम था, हमारे उधर के बैठनेवाले नेताओं का बड़ा नाम था, किसान सोचता था कि अगर ये आयेंगे तो हम ही राजा हो जायेंगे। तो श्रीमन्, हुआ क्या? इस सरकार ने

(इस समय १२ बजकर ५९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खूब सिंह पीठासीन हुए।)

किसानों के लिए एक अण्डा दिया और कहा: भाई, इस अण्डे को पालो, इसमें से बच्चा निकलेगा। हमारे भाई राजनारायण सिंह जैसे भारी भरकम पहलवान ने पूरी ताकत लगाई तो अण्डा फूटा और उस अण्डे के फूटने से एक अण्डा ही निकल आया। मुख्य मंत्री जी और राजस्व मंत्री ने कहा कि पांच साल में हम इसको करेंगे। पर संतोष नहीं हुआ तो लोगों ने फिर जोर लगाया और फिर क्या हुआ। उसमें से एक अन्धा और कोढ़ी बच्चा निकाला। जैसाकि कहा गया कि सवा छः एकड़ लगान को आधा माफ कर दिया जायगा, खैर उसके लिए तो मैंने बधाई दी ही है। जैसा मैंने कहा, वास्तव में देश और प्रदेश के लिए यह जीवन और मरण का प्रश्न है। अगर हम अपने प्रदेश और देश को जिन्दा रखना चाहते हैं तो हमें सर्वाधिक महत्व अपनी सिंचाई के कार्यक्रम को देना होगा, चाहे हमारे और कार्यक्रम पूरे हों, या न हों। इस कार्यक्रम को पूरा करने से हमारे अन्य कार्यक्रम जो सरकार चलायेगी उनको भी बल मिलेगा और हमारा देश और प्रदेश निश्चित तरक्की करेगा। मान्यवर, मैंने सिंचाई मंत्री जी के भाषण को बड़े गौर से सुना। एक बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे यहां ऐसा अवसर हो जाता है कि विभाग जिन मंत्रियों को दिये जाते हैं वे उस दिशा में पूरे जानकार नहीं होते। मान्यवर, जहां तक मैं जानता हूं कि हमारे सिंचाई मंत्री जी को किसानों और किसानी के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। यदि मैं गलत नहीं हूं तो उन्होंने जो अपना भाषण दिया, मैं एक किसान की दृष्टि से कहता हूं कि वह मेरे लिए बड़ा उत्साहहीन है। मैं यह सुनने को बैठा था कि शायद मंत्री जी किसानों के लिए ऐसी उत्साहवर्धक बात कहेंगे जो मैं सदन से बाहर जाकर लोगों से कह सकूंगा कि पिछली सरकार से जो नहीं हुआ वह यह सरकार करके दिखाना चाहती है परन्तु मुझे ऐसा लगा कि वही पुरानी लकीर के फकीर बनने की बात सामने है। सिवाय इसके कि उन्होंने कुछ थोड़ी सी बातें जोड़ घटा कर कह दीं, भाषण देना था, इसलिए दे दिया लेकिन किसानों के लिए कोई उत्साहवर्धक

बात नहीं कही । किसानों की एक मांग थी सिंचाई माफ करने की और दुर्भाग्य से माननीय उग्रसेन जी यहां नहीं हैं, उन्होंने इसी सदन में कहा था कि हमारा तो नारा ही यही है कि "मुफ्त सिंचाई और मुफ्त पढ़ाई" लेकिन आज न जाने उनका वह नारा कहां चला गया । माननीय उग्रसेन जी ने उसके लिए रुपये का भी प्रबन्ध बताया था कि उसके लिए मिल्स को नेशनेलाइज कर दिया जाना चाहिए । इस रास्ते के होते हुए भी उन्होंने आज तक इस बारे में कुछ नहीं किया है । यह दिखाता है---"खुदरा फजीहत दीगरां नसीहत" चरितार्थ है । आप जो कुछ कहते थे उसमें आपकी आस्था ही नहीं है ।

प्रदेश में जो सिंचाई की स्थिति है और किसानों को जो कठिनाइयां हैं सिंचाई और बिजली की, उनके बारे में माननीय मंत्री जी अवश्य इन ३ महीनों में परिचित हो गये होंगे और माननीय सदस्य जो देहात से आते हैं, वे तो इस बारे में अच्छी प्रकार से जानते ही हैं । हमारी पिछली सरकार ने इस दिशा में बड़ी भारी उपलब्धियां कीं, इसको मौजूदा सरकार भी मानती है, और जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनसे यह स्थिति और भी स्पष्ट हो जाती है । लेकिन अब भी बहुत कुछ किये जाने की आवश्यकता है । जो खाद्यान्न की स्थिति हमारे प्रदेश में चल रही है उसका एक मात्र हल सिंचाई की अधिक सुविधाओं को बढ़ाना ही हो सकता है । इस बात से सभी सहमत हैं । प्रश्न यह है कि उनको बढ़ाया कैसे जाय । सभी लोग मानते हैं कि पानी किसानों का जीवन है लेकिन आप खाद्यान्न तो बढ़ाना चाहते हैं लेकिन किसानों को पानी से महरूम रखना चाहते हैं फिर खाद्यान्न किस प्रकार से बढ़ सकता है । मैं आशा करता था कि यह जन सरकार पिछली सरकार की कमियों पर विचार करके उनको दूर करेगी और वह सदन के सामने कोई सुझाव रखेगी जिससे किसानों का उत्साहवर्धन होगा । लेकिन माननीय मंत्री जी ने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया । हमारे सिंचाई और बिजली विभाग के ऐडमिनिस्ट्रेशन में बड़े-बड़े आफीसर्स अनावश्यक रूप से भरे पड़े हैं । छोटी-छोटी मद के लिए अलग-अलग इंजीनियर्स, एसिस्टेंट इन्जीनियर्स और एस०डी०ओज० की इतनी संख्या है कि अन्धाधुन्ध पैसा खर्च किया जा रहा है । यदि उस पर अच्छी तरह से अन्वेषण किया जाय तो पता चलेगा कि बहुत सा रुपया व्यर्थ में खर्च हो रहा है ।

डाक बंगलों के संबंध में देख लीजिए । एक ही एक स्थान पर लोअर गैंजेज का डाक बंगला, अपर गैंजेज का डाक बंगला, ट्यूबवैल विभाग वालों का डाक बंगला और बिजली विभाग वालों डाक बंगला । मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि सिंचाई विभाग का सारा धन इन डाक बंगलों के निर्माण में ही व्यय होता है । इस प्रकार से हमारे देश और प्रदेश में बड़ा अनावश्यक रुपया खर्च हो रहा है । हमें देखना चाहिए कि हमारे इस खर्चीले एडमिनिस्ट्रेशन की सार्थकता क्या है ।

मैंने अपने एक पिछले भाषण में जिक्र किया था कि सन् १९५९ में मुझे इस विभाग को बहुत नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ था हालांकि तब मैं इस पद पर नहीं था लेकिन फिर भी मुझे जो कुछ ज्ञात हो सका है, उससे ऐसा लगा कि इसका कोई इलाज नहीं था । अभी हमारे माननीय मंत्री महोदय ने भी इस ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कोई संकेत नहीं किया है । एक सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर साहब के दौरे को मुझे देखने का मौका मिला । उनके पास एक बड़ी भारी लम्बी गाड़ी थी, जिसका दाम लगभग २५ हजार रुपये था । उस गाड़ी से वे दौरा किया करते थे । उन्होंने उस गाड़ी से एक छोटी सी माइनर का दौरा दिखाया और वह भी बरसात के दिनों में । अभी भी वह माइनर मौजूद है । अगर माननीय मंत्री जी को मौका मिले तो मैं दिखाऊंगा । उस माइनर पर वह गाड़ी जा ही नहीं सकती थी, किसी भी सीजन में । तो इस प्रकार के ऐडमिनिस्ट्रेशन से हमारे किसानों के गले घोटे जा रहे हैं । अभी यहां पर कहा गया कि अब किसानों से कुछ सीधा संपर्क हो सकेगा । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सारे देश

[[श्री रघुनाथ सिंह]

और प्रदेश में प्रजातंत्र हो गया, केवल २ या ३ विभाग ऐसे बचे हुए हैं, जहां पर प्रजातंत्र का कोई असर नहीं है। वे विभाग हैं नहर, सार्वजनिक निर्माण विभाग और वन विभाग। इन विभागों में जाकर अगर कोई माननीय सदस्य उनकी इर्रेग्युलेरिटी को प्वाइंट आउट करते हैं तो इन विभागों के जो अधिकारी हैं, उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। वे समझते हैं कि ये विभाग की बातों को क्या समझें और वे उन्हें बेवकूफ समझते हैं। यदि इस प्रकार की बातें हमारे विभागों में चलेंगी, तो किस प्रकार से किसानों को इन विभागों से त्राण मिल सकेगा ?

अब मैं सरकार के मेगना काटी, १९ सूत्री प्रोग्राम, के बारे में कुछ थोड़ा सा अर्ज करना आवश्यक समझता हूं।

श्रीमन्, मैं चाहता हूं.....]

श्री अधिष्ठाता—

आपके सिर्फ ५ मिनट बाकी हैं.....

श्री रघुनाथ सिंह—

यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा अधिक समय दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—]

आप चाहते हैं २ मिनट और बढ़ा दिये जायं; ठीक है।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, इसमें कोई समय तो निश्चित नहीं होता है।....

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि वह १५–२० मिनट में समाप्त कर दें ....

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें।

श्री रघुनाथ सिंह—

मैं, श्रीमन्, यह जिक्र कर रहा था कि अपने १९ सूत्री कार्यक्रम में भी इस सरकार ने इसका जिक्र किया है कि सिंचाई की दरें कम की जायेंगी। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और जहां तक नहर की सिंचाई दर और नलकूप की सिंचाई दर का प्रश्न है, हमारी सोशलिस्ट पार्टी की मांग थी कि यह दोनों दरें बराबर होनी चाहिए लेकिन इस सरकार ने इस दिशा में अभी तक कोई विचार नहीं किया। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि फसल में केवल एक पानी मिला और फिर नहर टूट गई। दोबारा पानी नहीं आया, फसल खराब हो गई लेकिन सिंचाई पूरी ले ली जाती है, यह दुर्भाग्य का विषय है। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि ऐसी चीजों पर वह गौर करें। इसी तरह से नलकूपों की बात भी आप देखें। वे भी कई-कई दिनों तक बन्द रहते हैं, हालांकि मंत्री जी ने उनका जिक्र किया है लेकिन अगर केवल यही समझ लिया जाय कि इसमें केवल आपरेटर का ही दोष है तो इससे मैं सहमत नहीं हूं, इसमें विभाग के ऊंचे अफसरों का हाथ रहता है और उनकी लापरवाही और जानबूझकर ही हुयी अव्यवस्था के कारण यह असुविधा किसानों को होती है। इस पर पूरा गौर होना चाहिए। जो हालत हमारे प्रदेश की है, उसमें आवश्यकता इस बात की है कि हम थोड़ा सा इनटेंसिव खेती या सघन कृषि की तरफ ध्यान दें। इतने से काम नहीं चलेगा कि एक योजना को हम लें और उसी को हर जगह फैलाने की कोशिश करें और उसको ऐसी जगह भी चलाने की कोशिश करें कि जहां उसका उपयोग अच्छा नहीं हो सकता।

पिछले दिनों के आप आंकड़े देखें कि जहां पर नलकूप लगाये गये, वहां कुछ जगहों पर तो जो टार्गेट थे वे पूरे हुए जैसे हमारे पश्चिमी जिलों में मुजफ्फरनगर वगैरा में, वहां पर करीब-करीब एक नलकूप पर ५५१ एकड़ तक सिंचाई हुई जब कि अन्य डिवीजनों में वह घट कर बहुत नीचे रह गई। १०० एकड़ से भी नीचे आ गई, कहीं-कहीं ५८ एकड़ ही रह गई। जब कि प्रदेश में खाद्य समस्या को हल करने का सवाल है तो इस प्रकार का एक सर्वे अवश्य कराया जाय कि कहां-कहां इन कुंओं का पूरा सदुपयोग हो सकता है ताकि हमारी खाद्य समस्या का अधिक से अधिक समाधान हो सके। मैं यह नहीं चाहता कि प्रदेश का कोई भी भाग अविकसित छोड़ दिया जाय लेकिन उनका पूरा उपयोग न हो सके, यह कदम बरबादी का ही होगा।

थोड़ा-सा संकेत मैं इस नहर विभाग के काले कानूनों की तरफ भी करूंगा। यह जो हमारा इरिगेशन मैनुअल है यह अंग्रेजों के जमाने में बना हुआ है और उसमें तब से कोई सुधार की आवश्यकता नहीं समझी गई। अंग्रेजों का तो एक स्पष्ट दृष्टिकोण शोषण का था और अब हमें उस दृष्टिकोण को बदलना चाहिये। उन्होंने जितने रूल्स उसमें बनाये थे वह इसी दृष्टिकोण से बनाये गये थे कि कैसे किसान से ज्यादा से ज्यादा पैसा वसूल किया जाय।

इस सम्बन्ध में मैं "मैनुअल आफ आर्डर्स इर्रीगेशन डिपार्टमेन्ट" का एक उद्धरण आप के समक्ष पेश करना चाहता हूं। इसके रूल १३ (६) पेज १९ पर दिया है।

इसका स्पष्ट अर्थ है कि अगर किसी बरहे से या गूल से हम अपने कुएं का पानी भी ले जायं और उसमें से नहर का पानी भी जाता हो तो हम किसान आबपाशी देने के मुस्तहक हो गये। प्रजातन्त्र में यह कानून शोभा नहीं देता। इसका मैंने बड़ा व्यापक और विनाशकारी असर देखा है। मैंने प्रत्यक्ष देखा कि बरसात के दिनों में बहुत से क्षेत्रों में एक दम पानी भर जाता है, कहीं न गूल रहती है, न बरहा रहता है। तो जब पतरौल को पैसा नहीं मिलता है तो वह कहता है कि शामिल बरहा हो गया। इसको आप खत्म करें।

अब मैं आप का ध्यान ए० आई० आर० मैनुअल, वाल्यूम १०, में कैनाल ऐक्ट की धारा ३३ और ३४ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं; इसमें लिखा हुआ है—धारा ३४ मैं आप की आज्ञा से पढ़ रहा हूं :—

"If water supplied through a water course be suffered to run to waste, if after enquiry by the Divisional Canal Officer the person through whose act or neglect such water was suffered to run, cannot be discovered, all the persons chargeable in respect of the water supplied through such water course, shall be jointly liable for the charges made in respect of the water so wasted."

इसके अतिरिक्त जुर्माने की घातक व्यवस्था धारा ३५ में है।

मैं पिछले फसल का नमूना पेश करता हूं। हमारे क्षेत्र में, अकबरपुर तहसील, जिला कानपुर, में कुछ ग्राम हैं, जैसे नुनारीबहादुर, अटिया, बरियननेवादा, आदि, जिनमें इस कानून का उपयोग किया गया। एक किसान था; उस का तीन बीघे का धान लगा लगाया खेत नहर के किनारे झुलस रहा था, उसने नहर के अधिकारियों से मिलकर कोशिश की कुलाबे की। उनसे कुलाबा मिला नहीं। ऊपर के अधिकारियों के पास गया तो कुलाबा मंजूर हुआ। फिर वह नहर के दफ्तर में आया कि उसे कुलाबा दे दिया जाय। वहां कहा गया कि १०० रुपये का पत्ता

[श्री रघुनाथ सिंह]

दिये बगैर काम नहीं होगा। मजबूर हो कर मेरा ऐसा अनुमान है उसने नहर की पटरी काट दी और ऐसी जगह से काटी जहां न नहर की गूल थी और न किसी को फायदा हो सकता था। इतना पानी उससे भर गया ग व में कि दो आदमियों के मकानों की दीवारें गिर गयीं। मवेशियों और इंसानों के बीमार होने का अन्देशा बढ़ गया तब गांव के लोगों ने नाला काट कर उसमें वह पानी गिराया और नहर विभाग ने ३०० आदमियों पर जुर्माना लगा दिया। कोई नोटिस उसके लिये नहीं दी गई। बहुत से लोगों की दरख्वास्तें माननीय मन्त्री जी के पास आ चुकी हैं। अकबरपुर तहसील में नरिहा, भदेसा, मंगटा, कोरारी आदि गांवों में सैकड़ों लोग इससे पीड़ित हैं और अधिकारी जबरदस्ती आबपाशी वसूल कर रहे हैं जब कि नहर के ही अधिकारी नहर कटवाने में शामिल रहे। जिस समय उन्होंने देखा कि किसान की खेती सूख रही है तो उन्होंने उसका फायदा उठाना चाहा। उन्होंने कहा हमको कुछ दो और अपनी खेती बचा लो। पैसा पहले वसूल किया गया और फिर उन्होंने नहर कटवाई और काटने के बाद अब किसान उसे भुगत रहा है। अधिकारी मौज कर रहे हैं। लिहाजा ये सारे काले कानून बदलने चाहियें। मैं सोशलिस्ट तो हूं लेकिन एस० एस० पी० का मेम्बर नहीं हूं वर्ना ये पन्ने फाड़ कर फेंक देता। पढ़ने-लिखने की चीज को बजाय फाड़ने के पढ़ने और पढ़ाने से ज्यादा फायदा होता है। अगर मंत्री जी आज्ञा दें तो किताबों को उनकी खिदमत में पेश कर दूं और उनमें मैं स्पष्ट जानकारी कराऊं ताकि सुधार हो सके और प्रदेश के किसान का भला हो।

मैं पावर के सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहता हूं। नहर की तरह पावर की स्थिति भी बड़ी नाजुक है। एक तो यह देखना है कि जितनी पावर हम पैदा करते हैं उसमें से कितनी किसानों को और कितनी उद्योग धन्धों को अर्थात् पूंजीपतियों को देते हैं। एक पुस्तिका मिली है सरकार से, उसमें पावर के सम्बन्ध में कुछ आंकड़े दिये हुये हैं। किसानों को ६०–६१ में जहां १९ परसेंट बिजली मिलती थी, वहां अब घट कर वह १० परसेंट रह गयी है।

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद––

मेरा निवेदन यह है कि आपने कोई ऐसा केस पाया जिसमें कृषि कार्य के लिये किसी काश्तकार को बिजली देने से इन्कार किया गया हो ?

श्री रघुनाथ सिंह––

एक नहीं, हजारों दिखाऊंगा।

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद––

मैंने तो घोषणा कर दी कि जितनी लाओ उतने स्वीकृत करूंगा ; मगर कोई लाया ही नहीं।

श्री रघुनाथ सिंह––

स्वीकृत करने की बात नहीं है। वास्तव में बिजली मिलने की बात है। साल-साल डेढ़-डेढ़ साल से लाइन बिछी पड़ी है, उनका रुपया जमा है, लेकिन बिजली नहीं मिली। अब एक नया कानून आया है कि एक हजार रुपया फी फर्लांग किसान जमा कर देंगे उनको बिजली मिलेगी। मैं आप के इस रूल को एकदम समाजवादी नहीं मानता। जो किसान बिजली से अपने उद्योग-धंधे चलाना चाहते होंगे, जिनके पास पैसा होगा केवल वे ही इसका फायदा उठा सकेंगे, बाकी साधारण किसान इससे कोई लाभ नहीं उठा सकेंगे।

श्री अधिष्ठाता––

आपका समय खत्म हो गया।

श्री रघुनाथ सिंह--

मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अपने उत्तर भाषण में वह इस एक हजार की समस्या पर जरूर रोशनी डालें। इससे किसान बहुत पीड़ित है।

*श्री सुखदेव प्रसाद (जिला गोंडा)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आप का बहुत आभारी हूं कि आपने सिंचाई अनुदान पर मुझे अपने विचार रखने के लिये अवसर प्रदान किया।

सर्वप्रथम मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने बीस साल के कांग्रेस शासन के बाद जो यह नयी सरकार बनायी है और जो यह अनुदान माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, मैं समझता हूं कि इस अनुदान का सही तरीके से उपयोग होगा जो आज बीस वर्षों से कांग्रेस सरकार खाली कागज के पन्नों पर स्कीमें बनाती रही और जिसका नतीजा आज यह हुआ कि हमारे प्रदेश और देश में.....

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)--

मेरा एक व्यवस्था का सवाल है कि सिंचाई जैसे अहम सवाल पर बहस हो रही है और मंत्रिमंडल का कोई जिम्मेदार सदस्य यहां पर हाजिर नहीं है जो जिम्मेदारी के साथ उत्तर दे सकें। पिछलगुआ काहर की तरह से तो जरूर हैं लेकिन जिम्मेदारी वाले एक भी सदस्य नहीं हैं।

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद--

माननीय उपमंत्री जी बैठे हुये हैं। मैं अभी पांच मिनट में आता हूं।

श्री सुखदेव प्रसाद--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं, जो माननीय मंत्री जी ने सिंचाई का अनुदान इस सदन में प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में और जो विरोधी पक्ष की ओर से कटौती का प्रस्ताव आया है उसके विरोध में अपने विचार यहां पर व्यक्त करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं आप से निवेदन कर रहा था कि बीस वर्षों में जो कांग्रेस सरकार के शासन में कोरे कागज पर स्कीमें बनती रहीं, नालियां और गूलें बनती रहीं और उसके साथ रेगुलेटर वगैरह लगते रहे, कच्चे कुयें खोदे जाते रहे, अब सब कोरी कल्पना नहीं होगी। अब नई सरकार के जमाने में कार्य रूप में परिणित होंगी और देश और प्रदेश के किसानों का भला होगा, मैं ऐसी आशा करता हूं। मैं आप के द्वारा माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि भारत वर्ष में उत्तर प्रदेश का सूबा सब से बड़ा है और उसमें खेती ही एक मात्र उद्यम है और हमारी खेती केवल ईश्वर की दया के ऊपर ही निर्भर है। इसलिये कि हमारे यहां सिंचाई के साधन नहीं हैं। जब वर्षा हो जाती है तब तो ठीक है वरना सिंचाई की व्यवस्था न होने के नाते अमेरिका तथा आस्ट्रेलिया आदि दुनिया के तमाम देशों से भिखारी की तरह अन्न मंगाने के लिये हाथ फैलाकर खड़ा होना पड़ रहा है।

सिंचाई की व्यवस्था कृषकों के लिये बहुत महत्वपूर्ण है। आज किसानों की एक ही आवाज है कि सिंचाई की व्यवस्था की जाय। चाहे लगान की छूट न हो तथा अन्य चीजों की व्यवस्था न हो लेकिन सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिये। हम अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपने देश को और प्रदेश को अन्न देंगे और देश को जिन्दा रखेंगे। जो हम विदेशों से भीख मांगते हैं तो वे किस तुच्छ दृष्टि से हमको देखते हैं। ऐसा कहते हैं कि २० वर्ष हिन्दुस्तान को आजाद हुये हो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुखदेव प्रसाद—]

गये लेकिन यह अपने पेट के लिये अन्न तक पैदा नहीं कर सका। इस बात को हम खत्म कर सकेंगे। आज जो हमारे सामने अनुदान प्रस्तुत हुआ है और जो मंत्री जी ने सदन में आश्वासन दिया है, उससे मुझे ऐसा लगता है कि प्रदेश के किसानों का भला होगा। अभी मंत्री जी ९ मई को गोंडा गये थे, गोंडा हिन्दुस्तान और प्रदेश का छोर है, नैपाल राज्य से मिला हुआ है, वहां सैकड़ों नाले बहते हैं, राप्ती, बूड़ी राप्ती वगैरा कई नाले हैं जिनसे सारा इलाका तबाह और बरबाद रहता है। आज जो पानी बरसा है उससे सारी फसल नष्ट हो गई है और इधर सरयू से तथा बाढ़ से सारी फसल नष्ट हो जाया करती है। यह वह जगह है जहां से चीन और पाकिस्तान के लोग हमारे देश में आ सकते हैं। अन्न न होने के नाते लोग भूखों मर रहे हैं। आज हमारा गोंडा जिला और जितने तराई के जिले बहराइच, गोरखपुर, देवरिया, वगैरा हैं, उन सबकी यही हालत है। इसलिये कि पिछले दो साल से बराबर सूखे का प्रकोप रहा। यहां पर धान और गन्ने कीं दो फसलें होती हैं। पानी न बरसने के कारण और सिंचाई के साधन न होने से यहां के लोग तथा मांझा इलाके के लोग दाने दाने के लिये तरस रहे हैं। वहां की जनता तबाह है, खाने को अन्न नहीं है, तबाही और बरबादी है। मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि २० साल कांग्रेस शासन के गुजर गये जो वाकई किसान और गरीबों की सरकार कहलाती थी वह तो अपने वायदे को पूरा नहीं कर सकें। मैं समझता हूं, हमारे माननीय मन्त्री जी जो एस० वी० डी० की सरकार में सिंचाई विभाग को संभाले हैं और जो किसानों की बात पांच वर्षों में उठाते रहे, वह उस वायदे को पूरा करेंगे।

वह अभी जब हमारे जिले में दौरे पर गये थे उनके सामने वहां की जनता ने अपने प्रार्थना-पत्र पेश किये थे बिजली के कनेक्शन के सम्बन्ध में, राजकीय ट्यूबवेल लगाने के सम्बन्ध में, कुएं खोदने के सम्बन्ध में। माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया था लेकिन मंत्री जी की आवाज कहीं है और कर्मचारियों की आवाज कहीं है। कर्मचारी मालूम होता है उसी तरह से हैं जैसे कांग्रेस के जमाने में ३० वर्षों में मनमनी करते रहे। फाइलों का पता नहीं रहता। कोई कागज ढूंढ़ना चाहो उसका पता नहीं चलता। माननीय मंत्री जी ने मिर्जापुर के बांध राजघाट नलकूप और कुवानो के पास एक नलकूप है जहां नहरें बनी हुई हैं और केवल पम्पिंग सेट लगाना है, उसको लगा देने के लिये आश्वासन दिया था, उसके लिए आज तक कार्यवाही नहीं हुई। सरकारी कर्मचारियों का डंडा उसी तरह से है जैसे २० साल पहले था। शिवपुरा के पास एक डुड़वा नाला है जहां पर हजारों बीघे जमीन उस नाले से सिंचित होती थी और उसके लिए बंधा बनाते थे, उसमें एक रेगुलेटर लगाने की बात नहीं हो पायी। यहां तक कि मुझे और वहां की जनता को सूचना नहीं हो पायी। मैं माननीय मंत्री का ध्यान उस तरफ ले जाना चाहता हूं, नैपाल की सरहद के पास एक पेटा ऐसा है जहां पर कांग्रेस सरकार के जमाने में कह दिया गया था कि वहां ट्यूबवेल बोर नहीं हो सकते लेकिन माननीय मंत्री जी से वहां की जनता ने आग्रह किया और कहा कि वे इस बात पर तैयार हैं कि वहां पर कोई मशीन के द्वारा एक्सपेरीमेंट्स न ट्यूबवेल लगाया जाय उसका खर्चा वह स्वयं वहन करने को तैयार हैं, अगर सरकार वहन नहीं कर सकती। तो मंत्री जी ने इसका आश्वासन भी दिया। लेकिन आज तक कोई वहां कार्यवाही नहीं हुई है। श्रीमन्, वहां पर माननीय मंत्री जी ने यह भी आश्वासन दिया था कि एक पेटा ऐसा है जिसमें सिंचाई हो सकती है बशर्ते कि वहां पर कोई राजकीय नलकूप लगाये जायं और उसकी गणना भी उनको करवायी गयी। परन्तु आज तक कोई भी कार्यवाही उस विभाग में या वहां की जनता को जिन्होंने इस बात की मांग की कि कोई भी सूचना नहीं पहुंची है। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि यह जिला जो इतना पिछड़ा है, वहां सिंचाई का कोई साधन नहीं है, वहां राजकीय नलकूप लगाये जायं। जितने नाले हैं उनमें बना कर रेगुलेटर लगाये जायं। इसके साथ साथ मैं यह भी चाहता हूं कि यह जो बंध बने हैं जिसमें विभाग के लोग पानी काट कर निकाल देते हैं खाली जमीन को ब्लैक में बेचने के लिए, उसका पानी रुकवाया जाय। रामपुर, गिरगिटही, रनियापुर, गनेसपुर, भगवानपुर, आदि बंधे

को अक्सर कर्मचारी लोग कटवा देते हैं। ये कर्मचारी लोग बदमाशी कर के कटवाते हैं जिससे पानी बह जाता है और जितनी सिंचाई होनी चाहिये नहीं हो पाती है। एक बात मैं और निवेदन कर देना चाहता हूं और वह यह है कि इनके द्वारा कुछ कानून इस प्रकार के बने हुए हैं सिंचाई विभाग द्वारा, कि यदि किसी किसान ने पानी लिया और उसके बगल वाले किसान ने नहीं लिया लेकिन अगर कर कट कट कर पानी उसके खेत में चला गया तो उससे भी सिंचाई वसूल कर ली जाती है चाहे उससे बगल वाले का खेत खराब ही यों न हो जाय। मैं चाहता हूं कि इस कानून में संशोधन होना चाहिये।

इसके अलावा एक तरीका है। इसी लखनऊ के संतराम हरिजन, अमेठी का कुलाबा अपने खेत में बना हुआ है लेकिन वहां पर एक मील दूर से कुलाबे में पानी देने की बात है। इसके लिये उस किसान ने बहुत कोशिश की लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि अगर सरकार और माननी -मन्त्री जी किसानों का भला करना चाहते हैं तो उनको चाहिये कि इस तरह की खामियों की तरफ वे ध्यान दें।

हमारे गोंडा जिले के बलराम तहसील में सैकड़ों ट्यूबवेल्स ऐसे लगे हुए हैं जो जमींदारों के समय के हैं और जिनके लिये बड़ा बुरा शब्द कहा जाता है, वे सब आज बेकार पड़े हुए हैं। हमने आग्रह किया था कि वे ट्यूबवेल्स को चालू करावें। अगर ऐसा हो गया तो मैं कहूंगा कि एक तहसील इस प्रकार से अन्न पैदा करके सारे जिले को खिला सकती है। इन शब्दों के साथ, मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री विश्वनाथ सिंह (जिला आजमगढ़)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आप का बहुत ही आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है।

श्रीमन्, इस बजट में जो और अनुदान पेश हुए हैं उसी प्रकार का आज भी यह अनुदान पेश हुआ है और इसे देख कर मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। मैं ऐसा मानता हूं कि इस सरकार ने केवल पुराने ढोल को ही बजाया है। कोई भी नयी बात सरकार की तरफ से नहीं आयी है जिससे यह कहा जास के कि सरकार कोई नयी दिशा देने जा रही है। सरकार ने एकाध बातों को ले कर के जो डींग हांकी है, मुझे ऐसा लगता है कि वे हमारी ही कमाई पर घमंड कर रहे हैं। अभी माननीय मंत्री जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने यह बतलाया कि पिछली सरकार ने एक वर्ष में ११ हजार नलकूपों को बिजली दी और हमने केवल ३ महीने के अन्दर ही ५,४०० नलकूपों को बिजली दी है। श्रीमन,, मुझे यह कहते हुए ऐसा लगता है कि जैसे कोई बाप कमा कर के खेत में गल्ला तैयार करके, जब वह पके तो मर जाय और फिर उसका बेटा उसे काट कर घर में रख दे और डींग मारे कि मैंने तो ५,४०० मन गल्ला तो पैदा करके रख दिया है। उसी तरह की यह चीज है। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं और मेरा घमंड है कि इस सरकार ने जो ५,४०० नलकूपों में बिजली लगाने का दावा किया है, वह हमारे ही कारनामे हैं। हमने सब कुछ किया था, हमारी पिछली सरकार ने ही पूरी खिचड़ी पकायी थी, उसको उतार कर आज वे बड़े जोरों की डींग हांक रहे हैं।

इसी प्रकार से और भी चीजें, जैसे मरम्मत की बात कही गयी है। उसी प्रकार से परियोजनायें हैं जिन पर खर्च की बात कही गयी, उनमें कोई नयी बात नहीं है। हमारी पिछली सरकार की गत वर्ष की ही वे उपलब्धियां हैं। यह मानना पड़ेगा कि इस सरकार की तरफ से कोई नयी बात नहीं हुई है जिससे हम कह सकें कि उन्होंने कोई नयी दिशा दी। कल मैं माननीय उग्रसेन जी के १९६६-६७ में दिये गये सिंचाई सम्बन्धी भाषण को पढ़ रहा था, मैं उनकी लाइन कोट कर रहा हूं, जो उन्होंने २५ मार्च, १९६६ को यहां पर कही थी। वह उस समय एक कमेटी की मांग कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि "कालर वाले लोग न बिठाए

[श्री विश्वनाथ सिंह]

जाएं" पता नहीं वह किनको बैठाकर कमेटी बनाना चाहते हैं। मैं नहीं समझता कि उग्रसेन जी जो इस समय सरकार के पाये हैं और सरकार के एक माननीय सदस्य हैं और उनका कौल इस वर्ष कहां चला जाता है कि वह अपनी राय से सरकार को अवगत नहीं करते। उन्होंने यह भी कहा कि "आज सरकार के पास न कोई पानी की नीति और न कोई सिंचाई की नीति है। आसमान, हवा और पानी जो हमें प्रकृति देती है और जिनको पाने के लिये कोई खर्च नहीं है, उनके लिये यह कोई नीति नहीं बना सकी है।" इस तरह से कहने वाले उग्रसेन जी, जब सरकार बनाये हैं, तो हम देखते हैं कि जो काम इस सरकार ने किया, यह उसी लकीर पर चल रही है जिसे हमने बनाया था। कोई नई दिशा, कोई नयी योजना इनके पास नहीं है। श्रीमन्,, बाढ़ की योजना में भी मंत्री जी ने कहा, हालांकि बाढ़ आई ही नहीं है। हम यह भी मानते हैं कि इनकी खुशकिस्मती से बाढ़ आई नहीं है, नहीं तो उनको पता चल जाता, लेकिन भगवान की कृपा से बाढ़ नहीं आई है और उनके प्रबन्ध का पता जनता को नहीं चल सका है। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी हमारे यहां की ७० फीसदी जमीन बिना सिंचाई के है। आपने सवा ६ एकड़ तक की मालगुजारी आधी माफ कर दी है; भले ही ये मालगुजारी और बढ़ा लेते, लेकिन सिंचाई की और अच्छी व्यवस्था कर देते तो मालगुजारी के दो-चार रुपये की बात वह भूल जाता और सिंचाई साधनों से पूरा करके वह मालगुजारी तो दे ही सकता था और अधिक अन्नोत्पादन भी करके अपना और देश का भला कर सकता था।

अब मैं कुछ अपने जिले की दिक्कतों का जिक्र करना चाहता हूं। मेरे जिले आजमगढ़ में एक्जीक्यूटिव इंजीनियर (हायडिल) की नीति ऐसी थी कि उन्होंने गांवों में किसानों को प्रोत्साहन देने के लिये वायदा किया था कि हम बिजली देंगे। उसको लेकर बहुत से किसान जो अच्छे खासे किसान हैं, उन लोगों ने ट्यूबवेल खुदवाये, मशीनें लीं, किन्तु जब नई सरकार आ गई तो उसने पुनः नये आदेश कर दिये, जिसके कारण जो ट्यूबवेल खुद गये थे बिजली न पा कर खराग किये जा रहे हैं इस तरह से किसानों के हजारों रुपये पर पानी फिर गया है। इस प्रकार से किसानों को इस सरकार द्वारा हैरान किया जाता है।

मैं मानता हूं जो इस सदन में माननीय कमलापति त्रिपाठी ने कहा है कि अगर चौधरी चरण सिंह की चलती तो जो ट्यूबवेल ऊसर प्रधान हिस्से में लगाये गये हैं, वे वहां पर न लगाकर वे मुजफ्फरनगर और मेरठ जैसे धनी क्षेत्रों में लगाये जाते, जहां से उनको नुक्सान न होता, केवल फायदा ही फायदा होता किन्तु हमारी पिछली सरकार ने इस पर बहुत ध्यान दिया था। उसने इस तरह का पक्षपात नहीं किया था। लेकिन फिर भी इस सरकार ने उसमें अवरोध पैदा कर दिया है जो किसानों का दुर्भाग्य समझना चाहिये। श्रीमन्, मुझे समय का ध्यान है, मैं आपके माध्यम से सरकार से निम्न निवेदन करना चाहता हूं:— आज हमारे किसानों के सामने कई कठिनाइयां हैं। हम चाहते हैं गांवों में जो नये-नये ट्यूबवेल बनाये जा रहे हैं, वह गांव सभाओं के माध्यम से बनाये जायें। वही उसका प्रबन्ध करें और जब तक उस ट्यूबवेल का रुपया अदा न हो जाय, तब तक गांव से सिंचाई वसूल की जाय और जब रुपया अदा हो जाय तब वह ट्यूबवेल गांव सभा को दे दिया जाय और उसका मैनेजमेंट उसके हाथ में कर दिया जाय। आज जो मध्यम दर्जे का किसान है और जो छोटे-छोटे ट्यूबवेल्स लगवा रहे हैं उनको तो सुविधा है लेकिन जो छोटे-छोटे किसान हैं और जो ट्यूबवेल्स नहीं लगा सकते हैं उन को भी इससे सुविधा हो सकती है। हमारा लिया हुआ रुपया भी वापस हो जायगा और आगे चल कर छोटे छोटे किसानों का हित हो जायगा।

इसी तरह से वहां पर जो अनुदान दिये जायें उन पर आज सवा ८ पर सेंट सूद लिया जाता है। यह सही है कि २५ परसेंट तक छूट दी जाती है। गरीब उससे परेशान हो जाता है। अगर सरकार चाहती है कि किसानों का हित करें तो उन को बिना किसी इंटरेस्ट के अनुदान

का रुपया मिलना चाहिये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी माननीय मंत्री जी ने जो कहा है कि हम सूचना पट लगवायेंगे तो यह काम भी उसी तरह से होगा जैसा कि हम रोज सवाल करते हैं तो फौरन जवाब आ जाता है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। इसी तरह से जवाब मिल जायगा लेकिन कोई सही दिशा नहीं मिलेगी।

(इस समय १ बज कर ५७ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र, पीठासीन हुये।)

मेरा निवेदन यह भी है कि जो चोरियां सिंचाई विभाग में होती हैं वह नहीं हों। इसके लिये सरकार सरप्राइज चेकिंग करे। आज विभागीय कर्मचारी लोग जो चोरी करते हैं उनको रोका जाय। अब तक यह होता रहा है कि सुपरवाइजर लोग पुलाई का गलत बिल बना कर देते हैं जबकि मशीन किसान की बैलगाड़ी से ले जाते हैं। कहीं कबाड़खाने से मशीन लाकर लगा देते हैं और वह जल्दी खराब हो जाती है। इसलिये अगर सरप्राइज चेकिंग हो तभी यह खामियां ठीक हो सकती हैं।

आपरेटर्स के वेतन और आवास व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिये ताकि आपरेटर्स लोग जो चोरियां करते हैं वह न करने पावें। इन शब्दों के साथ, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री मुरलीधर (जिला वाराणसी)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने यह सुअवसर जो मुझे दिया है उसके लिये मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूं। आज के इस अनुदान के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह अपने प्रदेश के लिये प्राण के समान है। जैसा कि विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य रघुनाथ सिंह जी ने कहा, माननीय चरणसिंह जी ने इसी सदन में एक बार कहा था कि यह सिंचाई का विषय जीवन और मरण का विषय है। इस महत्वपूर्ण अनुदान पर मैं चाहूंगा कि इस पक्ष और उस पक्ष के माननीय सदस्यगण एक संकल्प लें कि इसका एक एक पाई व्यर्थ न जाय। मैं यह स्वीकार करता हूं कि स्वतंत्रता के पश्चात् कांग्रेस सरकार ने सिंचाई के सम्बन्ध में बहुत से कार्य किये हैं और यह हमारे लिये गौरव की बात है और उसके कारण जितने भी कार्य हुये हैं उससे देश और प्रदेश का भला हुआ है, विकास हुआ है लेकिन फिर भी यह मैं अपने अनुभव से निवेदन करना चाहूंगा कि जितना कुछ उतने रुपये से हो सकता था वह नहीं हो पाया। बहुत लापरवाहियां और अपव्यय हुआ जिसके कारण बहुत बार लाठियां चलीं, और तलवार निकलीं। इन्तजाम भी खराब है। बहुत सा अपव्यय हो रहा है। मैं अपने सिंचाई मन्त्री और उप-मन्त्री सिंचाई का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो पैसा हमको मिला है उसमें हमको उचार्य भाव से काम करना चाहिये। महोदय, हम किसानों का विश्वास है कि जल में देवता वास करते हैं और भगवान् की कृपा से हमको यह बहुत बड़ा वरदान है। हमने जल को वरुण माना है और उसका वरुण मानकर उसकी उपासना करते हैं। हमारे देश में जल की पूजा सभी युगों में हुई है। जलाशय, खुदे, तालाब खुदे और कुएं खोदे गये। उनकी पवित्र भावना थी कि जिस प्रकार से ग्राम देवता और कुल देवता की पूजा करते हैं उसी प्रकार से जल देवता की पूजा होती है। इसी प्रकार से जो हमारे सिंचाई के साधन हैं चाहे बड़े या छोटे, नलकूप या नहर है उनके प्रति यदि हमारी भावना पवित्र नहीं रहेगी, उनकी एक एक बूंद के प्रति हम अपनी श्रद्धा की भावना नहीं रखेंगे तो जितनी और जो कुछ भी हमारी योजनायें चल रही हैं उनसे हमारा सही विकास नहीं हो सकेगा।

मैंने इस सदन में प्रथम बार जब मैंने अपने विचार प्रकट किये थे सिंचाई विभाग के ऊपर तो बताया था कि इस विभाग में भ्रष्ट अधिकारी किस प्रकार से लापरवाही बरतते हैं। उसका उदाहरण भी दिया था। हमारे क्षेत्र के एक हरिजन भाई को जमीन पर एक इंच भी सिंचाई नहीं हुई थी लेकिन उस पर ४५ रुपया सिंचाई कर लगा दिया गया था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुरलीधर]

मैंने तहसीलदार से पूछा और इंजीनियर से पूछा और दूसरे कर्मचारियों से भी जानने का प्रयत्न किया कि यह कैसे हुआ। किसी ने कुछ कहा और किसी ने कुछ कहा। हमने इस सदन में आकर प्रश्न किया तब जाकर उस हरिजन भाई को मुक्ति मिली। आज भी मेरा ऐसा अनुभव है कि गांव में जो लोग सिंचाई कम करते हैं या नहीं करते, उनके ऊपर भी सिंचाई का टक्स लगा दिया जाता है। जिन लोगों ने अपने जल से या अपने प्रभाव से १०, १५ बीघा की सिंचाई की तो उनसे भी १०, १५ रुपया ले लेते हैं। मैं सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं किइस प्रकार की धांधली से किसानों का उत्साह शिथिल होता है और भ्रष्टाचार को पनपने का अवसर मिलता है। उत्पादन के ऊपर भी इसका बुरा असर पड़ता है। एक तरफ तो हम चिल्लाते हैं कि हमारे देश के अन्दर अन्न की कमी है और दुनिया के जो छोटे-छोटे देश हैं, उनके सामने हम जाकर भीख मांगते ह।

दूसरी तरफ हमारे पास जो सिंचाई के साधन हैं उनका हम दुरुपयोग करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने समस्या अन्न की नहीं है। हमारे सामने समस्या प्रधानतया जल की है। यदि यह जल की समस्या हल हो जाय तो सब ठीक हो जाय। गीता में कहा गया है कि "जात भवाति पर्जन्य": यज्ञ से जल वृष्टि होती है। इसलिये हमें चाहिये कि हम यज्ञ करें। यज्ञ क्या है? जब हम अपने देश में पवित्र भावना से एक एक जल बिन्दु का सदुपयोग करना सं खेंगे तब वह यज्ञ होगा। जिस प्रकार से जल देवता के स्वामी इंद्र हैं जो जल देते ह उसी प्रकार से हमारे सिंचाई मंत्री जिनका नाम भी संयोग से टम्बरेश्वर जी है तो ताम्र के देवता का स्वामी भी इंद्र है तो हमारे लिये वह भी इंद्र हैं क्योंकि जब के प्रदात के रूप में वह हमारे सामने उपस्थित हैं। इसलिये जिस प्रकार से माननीय टम्बरेश्वर प्रसाद जी ने उत्साह के साथ यह घोषणा की है कि यदि एक भी कोई भ्रष्टाचार की शिकायत उनको मिलेगी तो वह तुरन्त जांच करायेंगे और उसका निराकरण करेंगे तो उसी तरह से इसकी भी पूर्ति करें नहीं तो हमारे माननीय सदस्य जो उधर बैठे हुए हैं, उनको मौका मिलेगा कि जिस तरह से उन्होंने गड़बड़ और ढील की, वही हमने भी किया। अगर हमने वैसा ही किया और वही किया तो फिर क्या किया?

हम अपने कांग्रेसी मित्रों से निवेदन करना चाहते हैं कि जो कुछ हुआ है उसको वह भूल जाते हैं। जिस प्रकार से गड़बड़ हुई वह मैं आपको बतलाऊं कि मेरे अपने क्षेत्र की बात है कि वहां पर एक ट्यूबवेल लगा और उस ट्यूबवेल से जितनी उसकी सिंचित क्षमता थी उसका प्रयोग हुआ लेकिन मेरे एक कांग्रेसी मित्र ने अपने घर के पिछवाड़े लगवाने का प्रयास किया। जहां पर उसकी आवश्यकता थी वहां पर उसको लगाने की बात नहीं रखी गई। मैं उनके पास गया कि यह क्या हो रहा है। गांव वालों से मिलकर उसमें षड़यंत्र किया गया था। वह ट्यूबवेल ऐसे नीचे स्थान पर लगने की बात थी कि जहां पर उसकी बिलकुल आवश्यकता नहीं थी। वह जमीन बहुत नीची थी। उसके बाद कांग्रेस के प्रभावशाली लोग अपने गांव में ले जाने लगे। जहां पर आवश्यकता थी वहां की उपेक्षा की जा रही थी। सिंचाई विभाग से मिलकर वे लोग अपनी बात मनवाना चाहते थे। तो मैंने डी०एम० और कमिश्नर को लिखा और उन्होंने इसमें हस्तक्षेप किया। तब जाकर वह ट्यूबवैल एक ऊंचे स्थान पर लगा। यह परम्परा समाप्त होनी चाहिये कि जिस का प्रभाव हो वह अपने स्वार्थवश कोई काम करा लें। चाहे उधर के बैठने वाले हों और चाहे इधर के हों आपसी सहयोग से इस प्रकार की बातें तय होनी चाहिये और उसी बात को देखकर सिंचाई मंत्री को कोई निर्णय करना चाहिये। यदि कोई जनसंघ का भी सदस्य है उसकी बात को नहीं देखना चाहिये बल्कि अपने उत्तरदायित्व को देखकर इस प्रकार से जल के साधनों का उपयोग कराने का प्रयत्न करना चाहिये जिससे जल का सदुपयोग हो सके।

यह जो बड़ी-बड़ी योजनायें हैं या जो बड़े-बड़े जलाशय हैं या नहरें हैं इनकी उपयोगिता है लेकिन इनकी उपयोगिता उतनी नहीं है जितनी कि छोटी सिंचाई के साधनों की उपयोगिता है। इनके लिये हमको बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है। हमारे पास पैसे के उतने साधन

नहीं हैं कि बड़ी-बड़ी मशीनों को मंगाकर तुरन्त उनको लगा सकें। करोड़ों रुपया इसमें लगता है और वर्षों तक काम नहीं होता है। हमारी आर्थिक स्थिति भी इस प्रकार की नहीं है कि जिसमें हम इस बात को गवारा करें कि बड़ी-बड़ी योजनाओं के लिये इतना अधिक रुपया व्यय करके अपने देश को भूखा मारें। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जहां उनके अधिकारीगण ट्यूबवेल पर ध्यान देते हैं वहां पर अन्य साधन, जो सिंचाई के हैं उन पर भी ध्यान दिया जाये जिनके विषय में हम अपनी आजादी के पहले प्रचार किया करते थे। यदि रहट और छोटे कुओं से सिंचाई के साधन की व्यवस्था कर दी जाय तो इससे सिंचाई अधिक हो सकती है। रहट या कुओं से जितनी सिंचाई की उपयोगिता होती है—मैं यह अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं क्योंकि मैं भी किसान हूं—उतनी उपयोगिता ट्यूबवैल से नहीं होती है क्योंकि ट्यूबवैल यदि एक बार खराब हुआ तो कई दिन, कई सप्ताह और महीनों तक वह बेकार पड़ा रहता है। हमारे क्षेत्र में बीसों ट्यूबवैल ऐसे हैं जो साल भर या ६ महीने से बेकार पड़े हुये हैं। उनकी मरम्मत के लिये मशीनी यंत्र भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। वहां की जनता कराह रही है। दर्जनों दरख्वास्त भी दी गईं इधर उधर, अफसरों के दफ्तरों में चक्कर काटा करते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। इसलिये छोटे सिंचाई के साधनों को यदि हम नेगलेक्ट करेंगे तो हमारे यहां उत्पादन नहीं बढ़ सकता है। बड़े साधनों से उतना लाभ और उत्पादन नहीं हो सकता है जितना छोटे साधनों से उत्पादन हो सकता है। इसलिये मैं अपने दोनों तरफ के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि विधान सभा से अवकाश मिलने पर अपने क्षेत्रों में इसका प्रचार करें। इससे कोई लाभ नहीं होगा कि हम आपकी और आप हमारी आलोचना करें। एक दूसरे पर दोषारोपण करने से कोई लाभ नहीं होगा।

कांग्रेस सरकार के जमाने में भी बहुत काम सिंचाई के हुये हैं लेकिन अब उतने से काम नहीं चलेगा। माननीय सदस्य दल बदलेंगे और कुछ स्थान भी परिवर्तन करेंगे लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। यदि हम सब मिलकर सिंचाई के साधन उपलब्ध करेंगे तो इससे धरती माता प्रसन्न होगी और वह हमको आशीर्वाद देगी तो कल्याण होगा और तभी हम सच्ची आजादी प्राप्त करेंगे। हम अपने क्षेत्रों में जायं और वहां कर्मचारियों को सहयोग दें और उनसे निवेदन करें कि हम सही माने में सहयोग करेंगे तो उसका फल निकलेगा। अपने घरों के पिछवाड़े ट्यूबवैल लगाने की बात करेंगे तो इसमें रुपया बेकार होगा और जो उससे उत्पादन हो सकता है वह भी नहीं हो सकेगा। मेरा निवेदन है कि जो यह बड़ी बड़ी योजनायें हैं उनमें जहां कहीं रुपया लगा हुआ है वहां पर काम पिछड़ा हुआ है। मंत्री महोदय उनकी तरफ तत्काल ध्यान दें। लापरवाही करने से अब काम नहीं चलेगा। हमारे कर्मचारियों के अन्दर शासक की भावना पैदा हो गई है। उनके अन्दर सेवक की भावना नहीं है। महात्मा गांधी चिल्लाते रहे। अगर हम और आप मिलकर उनके अन्दर सेवा की भावना भरेंगे तो हम यह यज्ञ करेंगे। "यज्ञात भवन्ति पर्जन्या" इस प्रकार से हम यज्ञ की भावना रखकर प्रदेश के निर्माण में सहयोग देंगे, तभी यह काम चलेगा। जल का एक एक बिन्दु भी पवित्र है। हमारा प्रमाण है। जल प्राणियों का जीवन है। जल की उपयोगिता जिस प्रकार से होनी चाहिये उस प्रकार से सरकार की ओर से, प्रतिनिधियों की ओर से और कर्मचारियों की ओर से हमारे देश में नहीं हुई है। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं और इस कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री राम अंजोर (जिला प्रतापगढ़)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे प्रसन्नता है कि इस बजट सत्र में आपकी कृपा से मुझे पहली बार बोलने का अवसर मिला

[श्री राम अंजोर]

है। मुझे बड़ी आशायें थीं कि आज सिंचाई के संबंध में कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन सरकार की ओर से लाये जायेंगे लेकिन मंत्री महोदय का भाषण सुनकर मुझे बड़ी निराशा हुई। जितनी तेजी से सिंचाई के कामों में हम पहले से चले आ रहे थे, आज वह तेजी भी मुझे कम दिखलाई दे रही है। पिछले २० वर्षों में कांग्रेस ने सिंचाई के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किये हैं, किन्तु कभी कभी नीतियों में कुछ कमी रही, कभी अधिकारियों के कारण कुछ कमी हुई और कभी हम लोगों की ढिलाई से, जिसके कारण जितना लाभ जनता को इस विभाग द्वारा पहुंचना चाहिये, वह नहीं पहुंच सका।

मान्यवर, मैं इस सदन का ध्यान अपने जिले प्रतापगढ़ की ओर दिलाना चाहता हूं। हमारा जिला अभी तक न पूर्वी क्षेत्र में गिना जाता था और न पश्चिमी क्षेत्र में। आज जो इस विभाग से संबंधित विवरण पुस्तिका मुझे मिली उसको पढ़ने से मालूम हुआ कि हमारा प्रतापगढ़ जिला पूर्वी क्षेत्र में गिना गया था। यह देख कर मुझे बड़ी खुशी हुई। किन्तु हमारा जिला उन जिलों में से है जहां पर सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं। वहां के लिये न तो बड़ी सिंचाई योजना की ओर ध्यान दिया गया, न माध्यमिक सिंचाई योजना की ओर ही ध्यान दिया गया। छोटी सिंचाई योजना के अन्तर्गत भी वहां पर नहीं के बराबर काम हुआ है। कभी माध्यमिक सिंचाई योजना के बारे में भी उस जिले के लिये दृढ़ता से सोचा ही नहीं गया। ४-६ महीने पहले सुना था कि वहां के लिये साढ़े ४ करोड़ की एक योजना है जिसके फलस्वरूप वहां काफी पानी मिलेगा लेकिन एक महीना हुआ, हमें बताया गया, कि वह योजना समाप्त कर दी गयी है। हमारे प्रतापगढ़ में जो नहरें हैं उनसे भी पानी नहीं मिल पा रहा है। जहां से मैं चुन कर आता हूं वह हमारे जिले में नहर के अंतिम छोर पर है। वहां पानी की बहुत बड़ी समस्या है। किसानों को पानी नहीं मिल पाता है। नहरों से लाभ होने के बजाय किसानों को और नुकसान ही हो रहा है। वहां अगर कुआं बनाया जाता है तो उसमें ४ हजार रुपये लगते हैं। नहरों में पानी नहीं है। हमारे जनपद में एक भी नलकूप नहीं है। एक दो सरकारी नलकूप हैं, पर वे बेकार पड़े हैं। वहां के लिये कहा जाता है कि नलकूप बन ही नहीं सकता।

मुझे विभागीय अधिकारियों ने बताया है कि प्रतापगढ़ जिले के साथ तो सौतेली मां जैसा व्यवहार किया गया है। वहां कभी जुटकर प्रयास ही नहीं किया कि देखा जाय और परीक्षण किया जाय कि ट्यूबवैल बन सकते हैं या नहीं। वहां प्राइवेट ट्यूबवैल लोग बना रहे हैं लेकिन हमारे क्षेत्र में लालगंज में बिजली का उप केंद्र बनने को है। खम्भे गड़ गये हैं, स्थान भी चुन गया है। किन्तु पिछले तीन वर्षों से खम्भे गड़े हुए हैं। बहुत से किसान जो ट्यूबवैल लगाना चाहते हैं, वे इस आशा में हैं कि बिजली आ जाय। कुछ व्यक्ति जो ट्यूबवैल लगा रहे हैं, वे ट्यूबवैल छोटे किसानों द्वारा बनाये गये कुंओं के पानी को भी सुखा रहे हैं। इसलिये वे कुएं भी बेकार हो रहे हैं। इसने वहां एक समस्या का रूप धारण कर लिया है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस संबंध में प्रतापगढ़ जिले की ओर ध्यान दें। मैं तो यह चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसे नोट कर लें और संभव हो तो आज ही इस पर प्रकाश डालें कि प्रतापगढ़ जिले के लिये क्या किया जा रहा है। मेरा निवेदन यह भी है कि फिर से प्रयास हो कि क्या वहां ट्यूबवैल बनने की संभावना है क्योंकि वहां बृहत सिंचाई योजना बनने को नहीं है। अगर कुछ आशा हो सकती है पैदावार बढ़ाने के लिये तो सिंचाई के माध्यम कुंओं और ट्यूबवेलों से ही वहां पैदावार हो सकती है। सिंचाई के मामले में प्रतापगढ़ में कोई भी काम नहीं हुआ है। मेरा निवेदन है कि साढ़े चार करोड़ रुपये की जो योजना है जिसमें गंगा गोमती से पानी लाने का प्रयास होगा, वह वहां शीघ्र लागू की जाय जिससे सुलतानपुर, इलाहाबाद और प्रतापगढ़ तीनों जिले उससे लाभान्वित हो सकें। अन्त में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि छोटे किसानों के लिये, जिनके विषय में हम बहुत सोचते हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। छोटे किसान कुएं बनाने की स्थिति में भी नहीं है। हमारे क्षेत्र

उठेहा में करीब चार हजार रुपया लगे तो कुंआ बने, जिसे वह बना नहीं सकता, नहर वहां पहुंच नहीं सकती, ट्यूबवैल की ओर ध्यान ही नहीं जा रहा है सरकार का, तो उन छोटे किसानों का भला कैसे होगा ? इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री बलबीर सिंह (जिला मेरठ)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सम्मुख इस माननीय सदन में जो मंत्री महोदय ने सिंचाई अनुदान की मांगें रक्खी हैं, उसके समर्थन में और दूसरी तरफ से जो कटौती का प्रस्ताव लाया गया है उसके विरोध में अपने विचार प्रकट करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई का संबंध पैदावार से है और आज हमारे देश और प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या खाद्य समस्या इतनी गम्भीर बन गई है और खाद्य की कीमतें, पहिनने के कपड़े की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और उसके जहांतक दूसरे हल हैं, मैं उनको मानने को तैयार नहीं हूं कि मंहगाई को रोकने या कम करने का साधन सिर्फ पैदावार का बढ़ाना ही है। मैं यह मानता हूं कि पैदावार का बढ़ाना उसमें से एक कारण है और हमारा उत्पादन बढ़ना चाहिये, यह बात जरूरी है, लेकिन पैदावार बढ़ाना सिर्फ सिंचाई के जरिये से ही है, ऐसा संभव नहीं है। सिंचाई भी एक कारण है, लेकिन खेती जमीन से बढ़ेगी। जमीन का तरीका क्या हो, सबसे पहले हमें इस पर विचार करना है। अब तक इस संबंध में इस प्रदेश में और भारतवर्ष में पूरे तौर से विचार नहीं किया जा सका है। कांग्रेस ने यह नारा लगाया कि "लैंड शुड बिलांग टु दि टिलर", जमीन उसकी होनी चाहिये जो उसको जोतता हो। यह बात उस वक्त भी ठीक थी और इस वक्त भी ठीक है, लेकिन मुझे दुख है कि इस चीज पर आज तक पूरे तौर से अमल नहीं किया गया। पहले उन्होंने अपने जमाने में यू०पी० टेंनेंसी ऐक्ट पास किया। फिर बड़े जोर शोर के साथ कहा गया कि हमने जमींदारी खत्म की और जमींदार खत्म किये। वह जमींदार खत्म चाहे चौधरी साहब ने या गुप्ता साहब ने किया हो लेकिन मेरा कहना यह है कि उससे जमींदारी खत्म नहीं हुई और "लैंड शुड बिलांग टु दि टिलर" का नारा पूरा नहीं हुआ। लोग अब भूमिधर हो गये हैं, उनको अधिकार है कि वह लोगों को जमीन बेंच सकते हैं। इसलिये एक सिद्धांत को नहीं अपनाया गया। आज उधर बैठे हुए माननीय सदस्यों के मन में जो चोर हैं मैं वही कहना चाहता हूं। उनमें से काफी जमींदार अब भी हैं और वह भले ही लेजिस्लेटर्स हों या वकील हों या कुछ भी हों, लेकिन टिलर नहीं हैं, जमीन अब भी ऐसे ही लोगों के नाम है। मैं समझता हूं कि जब तक यह सिद्धांत बदल नहीं जायगा तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। आज खेत में काम करने वाले वह गरीब मजदूर और किसान हैं लेकिन उनके पास जमीन नहीं है और उसका लाभ हम लोग उठा रहे हैं। इसलिये मैं फिजूल की बातों में समय बरबाद न करके आपका ध्यान ग्रामदान की तरफ ले जाना चाहता हूं। मैं यह आदर्श आपके सामने रखना चाहता हूं जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बताया और जिसको १५-२० साल से विनोबा भावे लेकर पैदल यात्रा करते हैं। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है आज उनके उस "भूदान यज्ञ" नामक पुस्तक की एक कापी भी हमारी इस लाइब्रेरी में नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब तक ग्राम सुधार के साधन हमारा देश और प्रदेश कबूल नहीं करेगा तब तक हमारी खेती में उन्नत नहीं हो सकती है और हमारे गांव फलफूल नहीं सकते हैं और हमारा प्रदेश आगे नहीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलवीर सिंह]

बढ़ सकता है। मोटी सी बात है कि जो भूमि है वह भगवान की है, कोई भी आदमी किसी भी जमीन का मालिक न हो। वही उससे फायदा उठाये जो उसको जोते तभी जाकर पैदावार बढ़ सकती है।

सिंचाई के संबंध में यही सिद्धांत लागू होता है। सिंचाई का संबंध प्लानिंग से है। कैसे आप सिंचाई करेंगे? पिछले २० सालों से आप करते आये हैं। मेरे लायक दोस्त उधर के बैठने वाले फिर अहसास करेंगे कि मैंने "२० साल" का शब्द इस्तेमाल किया है। लेकिन मजबूर होकर करना पड़ता है। आप देखें कि यह कैसी योजना है। जगह-जगह ट्यूबवैल बन हुये ह। नाली एक तरफ से आती है, फिर तुड़वा दी जाती है। अपने सिखेड़ा गांव में मैंने देखा है कि कई बार नालियां बनवाई जाती हैं, फिर तोड़ दी जाती हैं। पास में पक्की नाली मौजूद हैं लेकिन उनसे पानी नहीं लिया जाता। क्या यह प्लानिंग है? ग्राम सभा के तरीके में आप इस प्लानिंग को फैलाना चाहते हैं। जब तक सिंचाई की प्लानिंग दिल्ली में और लखनऊ में कमीशन द्वारा बैठकर की जायगी तबतक देश की कोई तरक्की होने वाली नहीं है और न पैदावार में तरक्की होगी। सिंचाई ठीक ठीक तभी हो सकती है जब कि ग्राम पंचायतों के अधिकार में हो, लेकिन ये कांग्रेस की ग्राम पंचायतें नहीं। यह तो खत्म कर देनी चाहिये। यह मेरा आग्रह है। इस किस्म की ग्राम पंचायतें जिन्होंने इलेक्शन के जरिये से फूट डाली हो औरभ्रष्टाचार को अपनाया हो, वह बेकार है। लेकिन जो ग्राम पंचायत ग्रामदान के आधार पर बनेगी सर्वसम्मति से उसको सारे प्लानिंग का अधिकार दे दिया जाय तभी यह काम हो सकता है और सिंचाई ठीक मानों में हमें मिल सकती है।

सिंचाई का जो तरीका है और उस पर जो पैसा खर्च किया जाता है, मंत्री जी ने कहा कि बहुत बड़ा बजट है, इसम लोन और सब्सीडी दी जायगी काश्तकारों को। इन तरीकों में बड़ी खराबी है। मैंने ब्लाक के अधिकारियों से मालूमात कीं तो पता चला कि चाहे लोन हो या सबसीडी हो, सब्सीडी की हालत यह है कि २०–२५ फीसदी तो बी० एल० डब्लू० से लकर ऊपर तक सभी बीच में हजम कर जाते हैं। क्योंकि अगर एक भी अपनी कलम गलत लगा दे और वह जान-बूझ कर लगाते ह तो रुपया नहीं मिल पाता है। जहां तक लोन का मामला है तो फिफ्टी-फिफ्टी का कहा जाता है कि हिस्सा होता है तब लोन और सब्सीडी दी जाती है। इसलिये ये डिपार्टमेंट बेकार हो चुके हैं और ये जो डिपार्टमेंट ब्लाक कहलाते हैं ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन गये हैं, इनको खत्म किया जाय और यह जो लोन और सब्सीडी देने का तरीका है उस का कोई और तरीका निकाल लिया जाय। सरकार इस प्रश्न पर अवश्य विचार करे और मैं सुझाव देता हूं कि वह तरीका कोई मुश्किल नहीं है। मुझे मालूम है कि दूसरे राज्यों में भी रुपया दिया जाता है। तब मुमकिन है कि किसान के काम में आ सके। वरना चाहे सरकार कितना ही पैसा खर्च करे, इसी मशीनरी के जरिये खर्च करना व्यर्थ होगा। मेरा सुझाव है कि जिला लैविल पर एक कमेटी ऐसी हो जो बिजली के कनैक्शन देने का इन्तजाम करे। मैंने मई-जून में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सुपरिंटेंडिंग इंजीनियरों के बरामदों में ३,३ घंटे तक इंतजार किया है लेकिन फिर भी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। इसलिये वे इस काम को नहीं कर सकते हैं।

श्री जयनारायण सिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस अनुदान पर मुझे बोलने का अवसर दिया।

फतेहपुर जिला कानपुर व इलाहाबाद दो चक्कियों के बीच पिस रहा है न पूर्वी जिलों में है न पश्चिमी जिलों में आता है, न उत्तराखंड में आता है और न बुन्देलखंड में। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या यह सरकार हो, यह जिला बहुत निग्लैक्टेड रहा है। सिवाय एक नहर के जो अंग्रेजों की बनाई हुई है इस जिले में, और कोई साधन सिंचाई

का नहीं है। ३,४ साल हुए रामगंगा नाम से एक नहर खोदी गई लेकिन कहा जाता है कि उसमें पानी सन् ७२ तक आवेगा। वहां चकबन्दी रोक दी गई है और सैंकड़ों बीघा जमीन खेती की नहर में ले ली गई है और वह इस समय बेकार पड़ी है। इस जनपद में एक भी सरकारी ट्यूबवैल आज तक नहीं लगा है। हम लोगों ने बारबार इस मंडल के कमिश्नर से प्रार्थना की लेकिन उन्होंने कहा कि एक्सपर्ट ओपीनियन है कि फतेहपुर जिले में ट्यूबवैल कामयाब नहीं हो सकता। फतेहपुर व बिन्दकी शहर में ट्यूबवैल लगे हुए हैं जिससे शहर के रहने वालों को पानी मिलता है। इस जिले में काफी छोटे प्राइवेट ट्यूबवैल भी लगे हुए हैं जो कामयाबी के साथ चल रहे हैं। इसलिये सरकार फिर से जांच करावे कि वहां ट्यूबवैल लग सकते हैं ?

मंत्री जी ने पानी उठाने की बात कही फतेहपुर जनपद में। जमुना से पानी उठाने की योजना है, जिसके लिये कहा जाता है कि कुछ पानी तो जमुना से लिया जायगा और कुछ जमुना के किनारे ट्यूबवैल खोदकर पानी लिया जायगा। लेकिन शायद ही यह योजना कामयाब हो चूंकि मैदानी इलाके में जब ट्यूबवैल कामयाब नहीं हो सकते हैं तो जमुना के किनारे, जहां ८० हाथ पर पानी मिलता है, कैसे कामयाब होंगे ? इससे तो ज्यादा अच्छा होगा कि फतेहपुर में ट्यूबवैल लगाये जावें।

उपाध्यक्ष महोदय, ४,५ साल हुए फतेहपुर जनपद में वहां के किसानों ने घघौरा माइनर नाम की नहर, बिना सरकारी मदद के श्रमदान द्वारा अधिकारियों की देख-रेख में बनाई थी। उस पर पुल के लिये करीब १६,००० रुपया प्लानिंग विभाग से अनुदान मिला। नहर विभाग चाहता था कि यह रुपया उनको मिल जाय। लेकिन उस समय नियोजन विभाग अपनी कारगुजारी दिखाना चाहता था और इसलिये उसने वह रुपया नहर विभाग को नहीं दिया और गांव सभा द्वारा पुलियों का निर्माण कराया लेकिन आज तक उस नहर को मान्यता नहीं मिली। माइनर में हर फसल में खाँदियां कर ली जाती हैं। उससे फायदा कम होता है लेकिन हानि ज्यादा होती है। नहर विभाग इस बात पर डटा है कि वह इस छोटी सी नहर को पानी नहीं देगा। नहर विभाग कहता है कि इस नहर को पानी देने से पानी की कमी हो जायगी, लेकिन यह बात सही नहीं है। अगर पानी की कमी होती तो नहर विभाग उसी समय कहता जब यह नहर उस विभाग के अधिकारियों की देख-रेख में बन रही थी। अब तो नहर विभाग के अधिकारियों ने इसमें पानी न देने की बात को इज्जत का प्रश्न बना लिया है। माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान देने की कृपा करेंगे।

फतेहपुर में ट्यूबवैल के बारे में सरकारी आंकड़े जरूर हैं लेकिन एक साल में जो करीब ५०० ट्यूबवैल काश्तकारों ने लगाये हैं वे अच्छा काम कर रहे हैं, तो सरकार को भी फतेहपुर जनपन में ट्यूबवैल लगाने चाहिये। फतेहपुर जनपद का तीन-चौथाई हिस्सा अभी भी "असिंचित" है। इसकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये। लैवी के सिलसिले में जब हम लोगों ने मांग की कि वहां पानी के साधन बढ़ाये जावें, लोग गल्ला नहीं दे सकते ह, और कुछ लोग भूखों मर रहे हैं, तो हमारे खाद्य मंत्री जी वहां गये। हम लोग भी उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन उन्होंने वहां हम लोगों से मिलना अच्छा नहीं समझा और चुपके चुपके अफसरों द्वारा जानकारी हासिल करके चले आये। फतेहपुर जनपद बांदा और इलाहाबाद से मिला हुआ है। अगर वहां हालत खराब है तो फतेहपुर की भी हालत खराब है।

मंत्री जी ने बतलाया कि अब बिजली आसानी से मिल सकेगी। लेकिन फतेहपुर जनपद में अभी भी हजारों दरख्वास्तें कनैक्शन के लिए पड़ी हुई हैं। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस ओर भी ध्यान दें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री धनराज यादव (जिला बस्ती)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सिंचाई विभाग के अनुदान पर कुछ बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। आपने समय दिया, उसके लिये बहुत आभारी हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम सब लोग जानते हैं कि प्रदेश की बहुत सी समस्यायें हैं जिनम अन्न समस्या गम्भीर है। यह समस्या आज से नहीं, बल्कि बहुत पहले से है परन्तु आज वह भयंकर रूप में सबके सामने खड़ी हो गई है अतः उस ओर लोगों का अधिक ध्यान जा रहा है। यह विचार करना होगा कि कांग्रेस सरकार ने २० साल में उधर कितना ध्यान दिया है। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि कुछ ध्यान ही नहीं दिया है। ध्यान जरूर दिया गया है। किन्तु हमारे देश और प्रदेश की जितनी आवश्यकतायें थीं, उसके अनुपात में जो साधन जुटाये गये, और जितनी लगन से उसको पूरा करने के लिये प्रयत्न करना चाहिये था, और खाद्यान्न की समस्या को हल करने की जिस प्रकार की योजना बनायी जानी चाहिये थी, वह नहीं बनायी गयी। इसी का परिणाम हुआ कि हमें यह इतना बड़ा संकट देखना पड़ा। अगर पहले से हमने इस पर विचार किया होता, ठीक प्रकार से हमने अपने साधनों का उपयोग किया होता, खाद्यान्न के मामले में दूसरे देशों पर निर्भर न होते, तो आज हमारे सामने यह समस्या इस भीषण रूप में न खड़ी होती। जितनी बुद्धि हमने इस नीति में लगायी, कि यदि कांग्रेस का राज्य है तो किस गुट का राज्य हो और अगर संयुक्त विधायक दल का राज्य है तो उसको किस प्रकार से खत्म किया जाय, इसमें जितनी बुद्धि लगायी जाती है, अगर उतनी बुद्धि इस खाद्यान्न समस्या को हल करने में लगायी गई होती तो मैं विश्वास-पूर्वक कह सकता हूं कि यह समस्या आज से बहुत पहले ही हल हो गयी होती और देश और प्रदेश की यह हालत न होती जो आज है और न उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों की ही यह हालत होती। किसान और देश की जनता यह नहीं देखती कि शासन किसका है। जनता तो देखना चाहती है कि देश की खाद्य समस्या को कौन हल कर सकता है, कौन देश से भुखमरी और गरीबी को मिटा सकता है, देश को खुशहाल कौन कर सकता है।

देश को खुशहाल करने के मोटे तौर पर दो ही रास्ते हैं पहला रास्ता है खेती और दूसरा रास्ता है उद्योग। प्रदेश के ८० फीसदी लोग अपना खेती से जीवन व्यतीत करते हैं। मैं स्वयं किसान हूं और एक ऐसे क्षेत्र से निर्वाचित होकर आया हूं जहां कोई बड़ी बाजार नहीं है, नैपाल की सरहद पर नौगढ़ क्षेत्र से मैं निर्वाचित होकर आया हूं, जहां का चावल मशहूर है। इसलिये मैं साफ तौर पर कह सकता हूं कि किसान पानी के बिना बिलकुल अबला के समान है। जिस प्रकार से अबला स्त्री बिना पति के पुत्र पैदा नहीं कर सकती उसी प्रकार से किसान बिना पानी के अन्न पैदा नहीं कर सकता। अगर उसको पानी मिल जाय तो और सब उपाय वह कर सकता है। थोड़ी सी खेती होगी तो उसमें थोड़ा अन्न पैदा कर लेगा, बैल नहीं होंगे तो दूसरे से मांग लायेगा बीज नहीं होगा तो वह भी कहीं से ले आयेगा, वह भूखा रह कर भी खेती कर सकता है, लेकिन पानी के बिना कुछ नहीं कर सकता। अब पानी मिलने के दो ही मार्ग हैं, या तो ईश्वर दे अथवा राज्य दे। इस समय राम राज्य है नहीं, ईश्वर कभी भी आवश्यकतानुसार पानी नहीं देता, कभी ज्यादा देता है कभी कम देता है। इसलिये किसान को पानी देने की जिम्मेदारी सरकार पर है। पानी की प्राप्ति होने पर अन्न का उत्पादन अपने आप बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ने से मजदूर की मजदूरी अपने आप बढ़ेगी, कलकारखानों का उत्पादन अपने आप बढ़ेगा क्योंकि उसकी बिक्री बढ़ेगी उसमें किसी को आन्दोलन या मांग करनेकी जरुतर न होगी। यदि हमारे ८० प्रतिश किसानों का स्तर उठ जाय तो वह काम स्वतः पूरे हो सकते हैं। विकाश योजना चलाई गई, तीन पंच वर्षीय योजनायें समाप्त हो गई लेकिन किसी बी० डी० ओ०, ए० डी० ओ० या विकास मंत्री से पूछा जाय कि उन का मुख्य उद्देशय क्या रहा है तो कहेंगे कि उत्पादन बढ़ाना लेकिन बिना पानी के उत्पादन किसी तरह भी नहीं बढ सकता। अगर पानी न बरसे तो हरा खेत भी सूख जायगा इस लिये सबसे पहले जरूरत है कि सरकार पानी दे और उसके बाद बी०डी०ओ० ए०डी०ओ०

को भेजे या न भेजे। यदि पानी का उचित प्रबन्ध हो जाय तो उत्पादन दूना बढ़ सकता है और प्रदेश की खाद्य समस्या हल हो सकती है। अगर किसान को वक्त से सस्ता पानी और सस्ती खाद मिले तो कोई कारण नहीं है कि यहां का उत्पादन न बढे। यह धरती अन्न की खान है साधन सहित परिश्रम करके जितना अन्न चाहिये निकाल लें। अंग्रेजों ने सिंचाई पद्धति को यहां पर जिस तरह से व्यावसायिक दृष्टिकोण था चलाया उसी पद्धति को कांग्रेस सरकार ने भी कायम रखा वह तो अब उधर चले गये लेकिन अब इधर देखने की बात है। वैसे सिंचाई मंत्री आज जागरूक हैं। और हमें उन पर विश्वास है मेरा उनसे निवेदन है कि सिंचाई पद्धति में आमूल परिवर्तन करके उसका व्यावसायिक रूप बदल कर उत्पादक स्वरूप खड़ा करें। पानी दिया जाय और धरती से अधिक से अधिक अन्न उगाने का प्रयत्न किया जाय। अगर सोने के भाव से तौलकर पानी दिया जायगा तो किसान पानी न ले सकेगा। और अन्न न उगा सके गा। पहले पानी दो बाद में अन्नरूपी सोने की आशा करो यह सिद्धांत मान्य होना चाहिये। माननीय कृषि मंत्री जी ने घोषणा की है कि हम २ साल के भीतर प्रदेश को अन्न के प्रश्न पर आत्मनिर्भर बना देंगे लेकिन अगर पानी की समस्या हल नहीं हुई तो उन का वह वादा पूरा न हो सकेगा। पहले पानी का पूरा प्रबन्ध हो बाद में निश्चित है कि धरती माता अन्न के भंडार भरेगी।

गल्ला खरीदारी योजना चलाई गई वह ठीक है अगर मिर्जापुर का किसान भूखा है तो उस के लिये हम गल्ला देंगे और प्रदेश में जहां भी कमी होगी वहां हम मिल बांट कर तकलीफ के दिन काट लेंगे लेकिन गल्ला वसूली के बाद हर किसान के लिये पानी की सुविधा की तरफ विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है। किसान से अन्न कम दाम पर मांगा गया उसने दिया, देना चाहिये था लेकिन पानी और खाद के प्रबन्ध के समय भी किसान की सुविधा और उसकी आर्थिक बेबसी की तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये। अन्न चाहे किसान के पास हो वा सेठ, साहूकार के पास हो वह सरकार को लेना चाहिये जरूरत के अनुसार जिससे अपने भाईयों का संकट दूर हो सके। इस के साथ ही साथ व्यापारियों से पंजीपतियों से पर्याप्त धन संग्रह कर पानी और खाद के लिये साधन भी जुटाना चाहिये ताकि सस्ते दाम पर खाद और पानी किसान को मिल सके। हमारे क्षेत्र में अंग्रजों का इलाका था मैं जानता हूं कि वहां पानी की निःशुल्क व्यवस्था रही और वहां अच्छी पैदावार होती रही। हमारा गांव नहर क्षेत्र में है जिसका १४ रुपया प्रति एकड़ सिंचाई महसूल लगता है, यह रेट इतना अधिक है कि किसान पानी उसी वक्त लेता है जब वह मजबूर हो जाता है। जब उसकी खेती सूखने लगती है तब वह पानी लेने की बात सोचता है। अन्त में मैं यही कहूंगा कि हर माननीय सदस्य का यही प्रयास होना चाहिये कि किसान को वक्त से सस्ती खाद और सस्ता पानी मिले यदि यह प्रयास हुआ तो सफलता निश्चित ही मिलेगी।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)--

उपाध्यक्ष महोदय, पिछली २० साल की सरकार के बारे में माननीय सुखदेव जी ने बहुत सी बातें कहीं लेकिन मैं उस सरकार का बहुत ही अनुग्रहीत हूं जिस ने बुन्देलखंड में इतना काम किया है कि आज ३ लाख टन अधिक अन्न बुन्देलखंड दूसरे जिलों को भेजता है और यह पिछले २० साल के प्रयासों का ही परिणाम है। श्रीमन्, बन्देलखंड का वह क्षेत्र है जो अकेला ही सारे उत्तर प्रदेश की कमी को पूरा कर सकता है, यदि वहां पर सिंचाई के साधन उपलब्ध कर दिए

[श्री सुधामाप्रसाद गोस्वामी—]

जायं। पिछले सालों में बहुत कुछ किया गया है लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। बुन्देलखंड वह स्थान है जहां पर संकट के समय भगवान राम को जब बनवास हुआ था तो चित्रकूट में उनको शांति मिली थी। आज हमारे प्रदेश में संकट है, खाद्यान्न का इसलिए मैं इस सरकार का ध्यान बुन्देलखंड की ओर ले जाना चाहता हूं। बुन्देलखंड में लगभग ७४ लाख एकड़ भूमि है, जिस पर खेती होती है, वह करीब करीब ४३ लाख एकाड़ भूमि है। उसमें केवल ६ लाख एकड़ भूमि ऐसी है जिस पर सरकारी सिंचाई के साधन हैं और लगभग २-३ लाख एकड़ भूमि ऐसी है जिसमें वहां कुओं आदि के द्वारा सिंचाई होती है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान जिला परिषद् के अध्यक्ष द्वारा बनाकर भेजी गयी योजना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो उन्होंने पिछले सालों में सरकार को भेजी है।

बुन्देलखंड में, श्रीमन्, ५८७ तालाब पुराने जमाने के टूटे फूटे पड़े हुये हैं। उनकी मरम्मत में कुछ लाख रूपया ही खर्च होगा। जिला परिषद् ने उन बहुत से तालाबों में काम शुरू किया है। यदि इन तालाबों का जीर्णोद्धार कर दिया जाय तो उनसे काफी सिंचाई हो सकती है। हमारे इलाके में ललितपुर महरौनी एक ऐसा क्षेत्र है जो पहाड़ी इलाका है। वहां पर एक बांध बन रहा है। मैं माननीय राममूर्ति जी का बड़ा आभारी हूं कि जब संकट कालीन स्थिति थी तब भी उन्होंने बुन्देलखंड का ध्यान रखकर उस योजना को समाप्त नहीं होने दिया। वहां पर ३०—३५ हजार एकड़ के रकबे की सिंचाई होगी जिसके लिए इस काम पर शीघ्रता करनी चाहिये। मैं तो कहूंगा कि अगर पैसा देकर कुओं पर रहट लगवा दिये जायं, और बिजली के पम्पिंग सेट्स लगवा दिये जायं तो काफी भूमि की सिंचाई हो सकती है। जो योजना बुन्देलखंड को विकास समिति ने बुन्देलखंड के चारों जिलों, झांसी, हमीरपुर, जालौन और बांदा के लिये बनायी है यदि उसको साधन दे दिये जायं तो लगभग ३२ लाख एकड़ भूमि वहां पर कुओं के द्वारा सींची जा सकती है। वहां पर नदियां नीची हैं, नहरें नीची हैं लेकिन अगर वहां पर बिजली के साधन उपलब्ध हो जायं तो बिजली के पम्पिंग सेट्स, उन नदियों में, नहरों में और नालियों में लग सकते हैं और उनके द्वारा २ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती है। इन तमाम योजनाओं को पूरा करने के लिये निश्चित रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। वह योजना लगभग १८ करोड़ की है लेकिन मैं माननीय मंत्री जी को विश्वास दिलाता हूं कि यदि वे हमारी इन योजनाओं को पूरा कर दें और स्वायल कन्जर्वेशन की स्कीम द्वारा वहां की भूमि के कटाव को रोकने का प्रबन्ध कर दें, तो २ लाख एकड़ जमीन में और पैदावार बढ़ सकती है। आज के समय में आपके आंकड़ों के हिसाब से ४३ लाख एकड़ जमीन में आज कृषि होती है जबकि वहां ६१ लाख एकड़ भूमि कृषि योग्य है लेकिन सिंचाई के साधन केवल ११ लाख एकड़ जमीन में हैं। अगर ये सब साधन उपलब्ध करा दिये जायं तो १५ लाख टन की उपज अकेले बुन्देलखंड के ४ जिलों में हो सकती है। ३ लाख टन आज भी बुन्देलखंड सरप्लस पैदा करता है और अगर वहां पर कुछ धन विशेष तौर पर खर्च कर दिया जाय तो यह बुन्देलखंड १८ लाख टन गल्ला इस प्रदेश को दे सकता है।

बुन्देलखंड बहुत ऊंचे नीचे क्षेत्र में बसा है, पहाड़ी इलाका है। कुछ हमारे सिंचाई विभाग की सीमायें हैं और खर्चा अधिक होने से कहते हैं कि यहां यह योजना महंगी पड़ती है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह कोई बनिये की दुकान है जो लाभ का दृष्टिकोण रखा जाता है? मैं चाहूंगा कि प्रदेश का कोई भी भाग जिसकी जो भी आवश्यकता है वह पूरी करनी चाहिये। आज विकास के युग में प्रत्येक क्षेत्र इस बात की आकांक्षा करता है कि उस को प्रगति के साधन मिलेंगे जिससे वह अपनी तरक्की कर सके। लेकिन अगर हमारा नम्बर सबसे पीछे आया क्योंकि ऊंची नीची जमीन है इसलिये वहां खर्चा नहीं किया जायगा, यह दृष्टिकोण मेरी समझ में उचित नहीं है। मैं चाहूंगा कि वहां सीमा को बढ़ा कर जो छोटे छोटे बांधों की योजनायें उनको हैं पूरा किया जाय,

उनके लिये अधिक से अधिक धन देने की कृपा की जाय। वहां पर एक बमहोरी टैंक की योजना पड़ी हुई है, और इसलिये पड़ी हुई है कि उस पर एकड खर्चा ज्यादा आ रहा है। मुझे आश्वासन दिया गया था कि चौथी योजना में उसको शामिल किया जायगा। लेकिन मुझे नहीं पता लघु सिंचाई योजना में उस को शामिल किया गया है या नहीं।

जहां मैंने पम्पों और लिफ्ट इर्रीगेशन की बात कहीं वहां बिजली की आवश्यकता है। माता टीला बांध से बन्देलखंड के लिये काफी बिजली पैदा हो रही है लेकिन उसकों कानपुर ग्रिड में शामिल कर दिया गया है। वहां की एक योजना सुकग्रां-ढुकग्रां है जिसको रोक दिया गया ह और आज कहा गया ह कि इसके लिये हैवी इलेक्ट्रिकल्स, भोपाल और हरद्वार से सामान का टेन्डर मांगा गया है और धन उपलब्ध होने पर चौथी योजना में यह पूरी हो जायगी। मैं चाहूंगा कि इसके लिये धन उपलब्ध किया जाय। इस बिजली की किताब में लिखा हुआ है कि बेतवा नदी पर बांध बन कर यह योजना तैयार की जायगी। मैं कहना चाहता हूं कि वहां तो अंग्रेजों के जमाने से बांध बना हुआ है। अब कैसे दूसरे बांध की आवश्वकता हो गई, मेरी समझ में नहीं आता। दूसरी एक योजना सरकार ने योजना आयोग को भेजी है। म चाहूंगा कि उस पर सरकार को जोर देना चाहिये। २ लाख किलोंवाट को वह योजना है। राजघाट घुरवारा, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में है, उस को शीघ्र से शीघ्र परा किया जाना चाहिये। हमारे क्षेत्र में एक गढ़मऊ टैंक है, साढ़े ५ फर्लांग की उसकी नहर है जो चूती है उसको पक्का कराने की मांग वहां के लोग कर रहे है, जिस पर करीब ७५ हजार रुपया खर्च होगा। आज कल उससे लाखों रुपये की फसल का नुकसान चूने की वजह से होता है केवल एक फसल ही किसान बो पाते हैं। इसलिये मैं चाहूँगा कि उस नहर को पक्का कराने की व्यवस्था की जाय। वहां के किसानों ने सिंचाई मंत्री जीके पास एक दरख्वास्त भेजी है।

पिछले २० साल की बात हमारे सुखदेव जी ने कही। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के २० साल के काम का ढिढोरा पीट कर १९६७ के चुनाव में, उसकी तरक्की और योजनाओं की तारीफ कर के इस सदन में वे आये हैं। इस सदन में आकर वह दूसरी भाषा में बोलते हैं मैं नहीं जानता उनके मतदादा उनके बारे में क्या विचार रखते होंगे, फिर भी यह उनके लिये शोभा नहीं देता और उनके मतदाताओं को उनके इस कृत्य से खेद ही होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूं कि सरकार हमारी इन बातों पर ध्यान रखेगी।

(श्री भारत सिंह चौहान का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री चेतराम पचपेडा (जिला बरेली)--

व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं करीब २० दिन से मुलवातिर खड़ा हो रहा था और इस दौरान में यह देख रहा हूं कि ३, ४ मर्तबा एक-एक आदमी को टाइम दे दिया गया है मैं व्यवस्था चाहता हूं कि इस डिबेट में भाग लेने का क्या तरीका है और किस तरह से माननीय सदस्यों को आमन्त्रित किया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। इस सदन में कोई ऐसा तरीका नहीं है और न ही कोई नियम है। स्वविवेक से जिसका आवाहन किया जाता है वही बोलता है। माननीय सदस्य इस बात का ध्यान रखें कि जब वे खड़े होंगे तो उनका भी खयाल रखा जायगा और समय दिया जायगा।

*श्री भारत सिंह चौहान (जिला इटावा)—

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश के सबसे पिछड़े हुये इलाके की तरफ से मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। वर्षों से यह इलाका उपेक्षित रहा है। अंग्रेजी सल्तनत में इस इलाके को बहुत सुविधायें मिलती थी फौजी इलाका के कारण वहां के बच्चों को स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दी जाती थी तथा बोर्डिंग हाउस में रहने के लिये उनके लिये मुफ्त व्यवस्था थी। इसके साथ ही जमुना और चम्बल के बीच का यह इलाका चम्बल घाटी के नाम से मशहूर था और इटावा जिले में यह पार पट्टी इलाके नाम से मशहूर है। बन्देलखंड ऐक्ट के मातहत उस इलाके के लोगों का यह सहूलियत थी कि जो कर्जदार होते थे उनकी जमीनों को महाजन लोग नीलाम नहीं करा सकते थे लेकिन कांग्रेसी राज्य ने उस सहूलियत को छीन लिया। यह इलाका दुर्दान्त डाकुओं का इलाका बन गया है और जो थोड़ी बहुत जमीन यहां पर है उसे जमुना और चम्बल ने काट कर बीहड़ बना दिया है। इस ६ हजार वर्ग मील के इलाके में कोई सिंचाई के साधन नहीं हैं। अधिकांश लोग फौजों में हैं जो भारत की रक्षा के लिये हर समय तत्पर रहते हैं और यही उनकी जीविका का एक मात्र साधन है। पिछले २० साल के कांग्रेसी राज्य ने इस इलाके को उपेक्षित रखा और संविद सरकार से भी कुछ आशायें थीं लेकिन माननीय मंत्री जी के भाषण में भी उस इलाके की सिंचाई की व्यवस्था के लिये कोई विशेष जिक्र नहीं किया। तीन लाख आबादी वाले इस इलाके में इटावा जिले का पार पट्टी क्षेत्र भी सम्मिलित है। सिंचाई के साधन तथा औद्योगिक उन्नति न होने से यह पिछड़ा हुआ इलाका है और इस कारण इस इलाके के लोगों ने डाकूगीरी का पेशा अख्तियार किया और आपको स्मरण होगा और इस सदन के सम्मानित सदस्य भी जानते होंगे कि चम्बल घाटी का क्षेत्र दुर्दान्त डाकुओं का क्षेत्र बन गया था। आचार्य विनोबा जी डाकुओं से आत्मसमर्पण कराने के लिये वहां गये थे और दुर्दान्त मानसिंह डाकू के गिरोह ने आत्मसमर्पण किया भी। तब से डाकुओं का उत्पात कम हुआ और जनता का वहां दृष्टिकोण बदला और उसने सोचा कि उद्योग धन्धों को ओर अग्रसर होना चाहिये।

इस इलाके में एक सौ फीट से लेकर डेढ़ सौ फीट तक पीने का पानी उपलब्ध हो पाता है और वह भी पूरी तादाद में मिलना दुर्लभ है। ऐसी स्थिति में यहां पर सिर्फ बिजली के ट्यूबवेल ही सिंचाई के साधन हो सकते हैं। इस दिशा में संविद की सरकार को प्रयत्न करना चाहिये और मैं मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि वह इस ६ हजार वर्ग मील के लम्बे चौड़े इलाके में बिजली की व्यवस्था करें जिससे वहां के हजारों लोग जो बेकारी के कगार पर खड़े हैं उद्योग-धंधों में लग सकें और इससे हमेशा हमेशा के लिये वहां के डाकुओं की समस्या हल हो जायगी जिसके लिये विभिन्न सरकारों ने करोड़ों रुपये खर्च किये और अब भी लाखों रुपये खर्च हो रहे हैं। इससे न केवल वहां की बेरोजगारी की समस्या हल होगी बल्कि उस इलाके से सटे हुये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों के लोग भी अपने को महफूज समझने लगेंगे।

इसके साथ ही मैं इटावा जिले के उस अंचल के बारे में भी अर्ज करना चाहता हूं जो सिंचाई के मामले में सब से ज्यादा उपेक्षित इलाका है। औरैया-कानपुर-दिल्ली मुगल रोड के बीच का पूरा इलाका असिंचित है। इस इलाके में पिछली कांग्रेस सरकार की तरफ से १३ ट्यूबवेल लगाने की एक योजना बनायी गयी थ। लेकिन उस समय के तत्कालीन उपाध्यक्ष बाबू होतीलाल अग्रवाल उन ट्यूबवेल्स को अपने इलाके में ले गये और वहां एक भी ट्यूबवेल नहीं लगाया गया। मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री से कहूंगा कि वे इस इलाके की ओर विशेष ध्यान दें।

इसके साथ ही आज सिंचाई का रेट किसानों से जिस प्रकार लिया जा रहा है वह आप अच्छी तरह जानते होंगे कि कांग्रेसी सरकार ने सिंचाई का रेट अंग्रेजी जमाने से चौगुना बढ़ा दिया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

१२ रुपये एकड़ गेहूं के खेत पर लिये जाते हैं और ३० रुपये एकड़ गन्ने के खेत पर लिये जाते हैं। और इस १२ और ३० रुपये के एवज में जितना पानी किसान को मिलना चाहिये वह न मिलने के बावजूद भी उतना ही रुपया किसानों से वसूल किया जा रहा है। अगर यह सरकार भी कांग्रेसी सरकार की तरह अपना सिंचाई टैक्स वसूल करती रही और पानी की उचित व्यवस्था न कर पायी तो कांग्रेस सरकार की तरह जनता की अलोकप्रियता का सामना इन्हें भी करना पड़ेगा।

इसके अलावा में आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि आज सिर्फ इटावा जिले का ही सवाल नहीं समूचे उत्तर प्रदेश में नहर विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों ने किसानों से साजिश करके नहर के बम्बे कटवाये, उसका पानी बरबाद कराया और फिर दस-दस गुना तावान सारे सूबे से वसूल किया। हमारे एक क्षेत्र में ही ७ लाख रुपया इस इलाके के किसानों से तावान के रूप में लगाया जो बड़ी सख्ती से वसूल किया जा रहा है उन किसानों से जिनकी सारी खेती सूख गयी, जिनके पास खाने को गल्ला नहीं। हमने इस ओर माननीय सिंचाई मंत्री का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के तमाम जिलाधीशों को तार द्वारा आदेश दे दिया है कि तावान की वसूली स्थगित कर दी जाय। लेकिन आज भी इटावा में तावान की वसूली बड़े जोरों से हो रही है और किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है। जब इस संविद की सरकार के कई मंत्री इटावा का दौरा करने गये, माननीय झारखंडे राय जो इस सदन में मौजूद हैं, औरैया से लेकर हर जगह बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के भ्रष्टाचार की गम्भीर शिकायतें उनसे की गयीं लेकिन परिणाम क्या हुआ ? आज तक वे भ्रष्ट कर्मचारी उसी इटावा जिले में बने हुये हैं और किसान आज भी उनके अत्याचारों से परेशान है। इसलिये अगर संयुक्त विधायक दल की सरकार चाहती है कि वह कांग्रेस सरकार की तरह बदनाम न हो तो इस सरकार को, इन भ्रष्ट अधिकारियों को जब जनता के लोग और वहां के विधायक लोग शिकायत करें, तो तुरन्त हटा देना चाहिये। पता नहीं चलता कि यह सरकार सामूहिक जिम्मेदारी निभाती है या नहीं। अगर किसी मंत्री को घेरकर जनता के लोग तथा विधायक फरियाद करें और उस पर अमल न हो तो इसका मतलब क्या समझा जायगा ? यही कि हम और हम जैसे लोग तथा गरीब किसान मजदूर यही समझेंगे और महसूस करेंगे कि कांग्रेसी सरकार में और इस सरकार में काई फर्क नहीं है। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वे इटावा जिले के नहर तथा बिजली विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करें और इटावा जिले के इलाके को जो सदियों से सताया गया है और जहां के लोग फौज में मोर्चे पर तैनात हैं, उनके इलाके को खुशहाल बनाने के लिये बिजली और ट्यूबवैल लगायें और सिंचाई के साधन पैदा करें ताकि वहां के लोगों को राहत मिल सके। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे वक्त दिया।

श्री राजा राम (जिला देवरिया)--

मान्यवर, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। यह जो बिजली और पानी का अनुदान सदन के सामने प्रस्तुत है, इसका बड़ा महत्व है, इसके लिये हमारे एक माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा कि जो पानी देता है वह इन्द्र भगवान की तरह है तो टम्बेश्वर प्रसाद जी इन्द्र भगवान की तरह ही हैं। सदन में इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है लेकिन आप इन्द्र लोक में हैं और सदन में आने का कष्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन उप मंत्री जी बैठे हुये हैं वैसे उनको भी होना चाहिये था। यह प्रदेश के लिये बड़ा भारी मसला है। हम अन्न की बात करते हैं कि अन्न बढ़ायेंगे लेकिन कैसे बढ़ायेंगे, उसके लिये बिजली चाहिये। हम उद्योग बढ़ाने की बात करते हैं और छोटे छोटे उद्योग बढ़ायेंगे लेकिन कैसे बढ़ायेंगे ? उसके लिये बिजली चाहिये। इसलिये हर जगह बिजली और पानी की आवश्यकता है। सदन ने जितने अनुदान अभी तक

[श्री राजाराम]

पारित किये हैं उनमें यह सब से महत्वपूर्ण है । मैं कहना चाहता हूं कि इस अनुदान से बड़ा भारी खतरा प्रदेश के सम्मुख पैदा हो गया है । इस अनुदान में पिछले बजट में कांग्रेस सरकार से करोड़ों रुपये अधिक की मांग की गई है । आप केवल ११० ट्यूबवैल लगायेंगे और कहा है कि केवल लाख सवा लाख एकड़ में सिंचाई होगी । क्या इसी से हमारी खाद्य समस्या पूरी हो जायेगी । फिर आगे कहा गया है कि ९ लाख एकड़ में सिंचाई होगी और १६०० कुयें लगवा देंगे । लेकिन यह चीज भविष्य में है । करोड़ों रुपये का अधिक अनुदान मांगा गया है लेकिन सिंचाई केवल सवा लाख एकड़ में होगी ।

इसी तरह से बिजली का सवाल है । २० साल में कांग्रेस ने क्या किया ? जहां ७६ लाख एकड़ में सिंचाई होती थी वहां डेढ़ करोड़ के करीब पहुंच गई । उद्योग मंत्री कहते हैं कि केन्द्र हमें कारखाने नहीं देता है लेकिन कारखाने कैसे उगेंगे ? आजकल कारखानों में बिजली का उपयोग होता है । वहां बिजली का सब से अधिक कंजम्पशन होता है । बिजली का कंजम्पशन अधिक से अधिक है । तमाम कारखाने लगे । जहां से राकेश जी आते हैं वहां अल्म्युनियम का एक कारखाना लगा । अल्म्युनियम का कच्चा माल रा मैटिरियल ही बिजली है । बिजली से ही अल्म्युनियम बनता है । वहां पर मजदूरों की छटनी के लिये नोटिस दे दिया गया है । आप जो भी भाव मालिक से तय करना चाहें करें लेकिन उसका असर मजदूरों पर नहीं पड़ना चाहिये । नैनी में कारखाने लग रहे थे । वहां पर ३० परसेन्ट बिजली कट करने से मालिकों ने कहा है कि ३० परसेन्ट जदूरों को निकाल देंगे । अल्म्युनियम के कारखाने और जगह भी लगे हैं । हो सकता है कि कल सरकार को अल्म्युनियम का कारखाना लगाना पड़े तो वहां पर बिजली अगर सस्ती नहीं होगी तो मार्केट में आप कंपीट नहीं कर सकते । और विदेशों में भी जहां भी अल्म्युनियम का कारखाना है सस्ती दर पर बिजली मिली है । प्राइवेट कंजम्पशन के लिये जो बिजली दी जाती है उसकी प्रति यूनिट ५.५ आने दर है । यह भी महंगी बिजली है । महाराष्ट्र में सस्ती बिजली मिलती है । बिजली महंगी इसलिये है कि आपने एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाया है ।

आप कहते हैं कि ३१४ मेगावाट बिजली पैदा करेंगे । अभी ओबरा डैम पड़ा है । वहां पर पांच सौ इंजीनियर्स, और असिस्टेन्टस हैं, डिप्टी चीफ इंजीनियर हैं, हजारों की संख्या में मजदूर काम करते हैं । पता नहीं कैसे काम होता है । यह हमारे कर्मचारी सोचते हैं कि जितना काम बढ़ेगा हमारी तैनाती बढ़ेगी । कैसे आप बिजली पैदा करेंगे ? अभी ५० मेगावाट बिजली इनर्जाइज हुई है । आज आप कहते हैं कि १५० मेगावाट बिजली लेंगे यह कैसे सम्भव है ? पनकी कानपुर के पास है । वहां जो पहले काम चला था आज तक पूरा नहीं हुआ । इंट्रूमेंटेशन साइड और पावर के काम की प्रगति नहीं हुई । अगर इंट्रूमेंट का काम तेजी से नहीं होगा तो बिजली नहीं ले सकते । इस तरह से जो प्रदेश को बिजली देने का वादा करते हैं, ट्यूबवैल लगाने की बिजली देंगे, बिगड़े हुए ट्यूबवेलों का सुधार करेंगे, जब बिजली ही नहीं पैदा कर रहे हैं तब बिजली कैसे देंगे और कैसे कारखाने लगाएंगे जो बोर्ड बना है, इसमें चेयरमैन साहब हैं, सचिव साहब हैं यह क्या किया करते हैं । हर एक प्रोजेक्ट पर खर्चा क्यों बढ़ जाता है । पहले रिहन्द डैम का एस्टीमेट बना वह इस्टीमेट बढ़ गया । पनकी का इस्टीमेट क्या हो गया, हरदुआगंज का पहले क्या खर्चा था और अब क्या हो गया । ओवरहेड खर्चा जब बढ़ाएंगे तो बिजली का रेट बढ़ेगा । बोर्ड की इस इफीशेंसी से प्रदेश और प्रदेश का उद्योग सफर करे तो हम कहेंगे कि यह देखने की बात है । प्राइवेट सेक्टर में प्रति मेघावाट खर्च कम पड़ता है फिर सरकारी बिजली का उत्पादन क्यों नहीं सस्ते दर पर होता ? प्राइवेट सेक्टर में रेणुसागर पावर स्टेशन बन रहा है । उसके निर्माण तथा शुरू करने के लिये बिजली नहीं दी जाती है क्यों ? सरकार जानती है कि रेणुसागर को बिजली देने से वह पावर स्टेशन तैयार हो जायेगा तो बिजली सस्ते दर पर उपलब्ध होने लगेगी । सरकारी अधिकारी और बोर्ड को शर्मिन्दा होना पड़ेगा । अतः अधिकारी बिजली देने में रुकावट पैदा कर रहे हैं । फिर आप बिजली कैसे अधिक पैदा करेंगे । यह देखने की बात है ।

अभी अभी सरकार की तरफ से बतलाया गया कि लाखों एकड़ जमीन में सिंचाई की व्यवस्था करने जा रहे हैं । किसके बल पर ? बड़ी गंडक के बल पर । जब यह पूछा गया कि बड़ी गंडक को आप पानी कब देंगे तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि अभी कोई निश्चित समय इसके लिये नहीं बतलाया जा सकता । मैं कहता हूं कि आप बड़ी गंडक को पानी दे ही नहीं सकेंगे, वहां तो नदी ऐसे ही जमीन को काटती जा रही है। आपने जमीन का मुआवजा दिया उसके खुदवाने में भारी खर्चा हुआ, उसके बाद बड़ी गंडक में पानी कब आयेगा । यह कोई निश्चित नहीं है या फिर कैसे इससे सिंचाई बढ़ सकेगी । इसलिये सिंचाई का बड़ा भारी सवाल है ।

मुआवजे के सम्बन्ध में आपको बतलाऊं कि कसेया के कुशीनगर में हाइडल सब स्टेशन बनाने के लिये कुछ जमीन एक्वायर हुई है । वहां बड़े लोगों का प्लाट है, बड़े लोगों की जमीन है । उन लोगों की जमीन तो ली नहीं गयी लेकिन जो छोटे छोटे लोग वहां बसे हुये हैं उनके घरों को उजाड़ने की बात की जा रही है । सदन इस बात को सुन कर हंसेगा कि वहां केवल ८० रुपये एकड़ के हिसाब से उनको मुआवजा दिया जायगा जिनकी जमीन एक्वायर की जा रही है । तो मान्यवर, आपके माध्यम से मैं इस सदन को बतालाना चाहता हूं कि इस तरह की स्थिति में कैसे सिंचाई और बिजली की व्यवस्था होगी ।

एक सदस्य---

जमीन कब एक्वायर की गयी ?

श्री राजाराम---

इसी महीने में ।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद---

माननीय सदस्य जरा यह भी बतला दें कि जमीन एक्वायर करने के पेपर कब तैयार किये गये ?

श्री राजाराम---

श्रीमन, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी की सुचना के लिये बतला दूं कि कसेया में जमीन एक्वायर करने की जो कार्यवही हुई है और लोगों को उजाड़ा गया है वह केवल १० दिन पहले की बात है । इस सम्बन्ध में मैंने नियम ५१ क अन्तर्गत सूचना भी दी थी लेकिन उसे नामंजूर कर दिया गया ।

कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी मैं कुछ बतला दूं । जहां तक वर्क चार्ज्ड कर्मचारियों की बात है, मैं माननीय पी० डबल्यू० डी० मिनिस्टर का बड़ा आभारी हूं जो उन्होंने एलान किया कि तमाम ऐसे कर्मचारियों को परमानेन्ट किया जायगा । वैसे ही जब माननीय मंत्री जी जवाब दें तो मैं उनसे सुनना चाहता हूं कि ऐसे टैम्पोरेरी कर्मचारी जो हजारों की संख्या में हैं, वर्क चार्ज्ड मेन हैं उनको परमानेन्ट कर दिया जायगा । परमानेन्सी का बड़ा भारी सवाल है ।

इसी प्रकार से कर्मचारियों को बोनस देने का भी बड़ा भारी सवाल है । आपके यहां जो कर्मचारी काम कर हैं उनको इंडस्ट्रियल अण्डरटेकिंग के हिसाब से बोनस ऐक्ट के अनुसार बोनस देना चाहिये । क्योंकि आपको लाभ होता है और यह बात कोर्ट द्वारा तय भी हो चुका है कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग बिजली कम्पनी को भी माना गया है इसलिये उनको भी ऐक्ट के अनुसार बोनस मिलेगा म बोनस ऐक्ट बिजली मजदूरों के ऊपर भी लागू होना चाहये । माननीय मंत्री जी जब जवाब दें तो मैं यह जानना चाहूंगा कि वे बिजली मजदूरों को बोनस देने के लिये क्या करने जा रहे हैं ।

[श्री राजाराम]

इसी तरह से महंगाई भत्ता भी कास्ट आफ लिविंग के साथ जोड़ कर बिजली मजदूरों को दिया जाना चाहिये क्योंकि झांसी बिजली कम्पनी के एक मुकदमें में हाईकोर्ट का यह फैसला हो चुका है कि बिजली मजदूरों को डी० ए० फिक्स्ड के बजाय कःस्ट आफ लिविंग के साथ जोड़ कर दिया जाय। जहां तक सिचाई का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि इस मामले में उसके मुकाबले में कोई काम होने वाला नहीं है । इस प्रदेश के ऊपर बड़ा खतरा आने वाला है । इन सारी बातों को दृष्टि में रखते हुये मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

(श्री राज नारायण का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अश्विनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश" (जिला मिर्जापुर)---

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । इस सदन में ऐसी परम्परा रही है कि अक्सर श्री राजाराम पांडेय जी के बाद मैं बोलता रहा हूं । तो आप कोई ऐसी व्यवस्था कर दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय राकेश जी, आप अपना स्थान ग्रहण करें । आप तो बहुत जागरूक सदस्य हैं । ऐसी परम्परा कोई नहीं है कि एक किसी विशेष सदस्य के बोलने पर उसके बाद आप बोलें ।

*श्री राजनारायण सिंह (जिला मिर्जापुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण अनुदान पर बोलने का मौका दिया । श्रीमन, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान देश है । इस कृषि प्रधान प्रदेश की आर्थिक दशा बहुत कमजोर है । और इस अर्थ व्यवस्था में, जहां तक कृषि प्रधान देश है, वहां के हर आदमी की आय बहुत कम है । इसलिये हमें पूंजी साधन जुटाना पड़ता है । इसलिये जहां पर खेती-बाड़ी है जब तक उनकी स्थिति नहीं सुधरेगी, हम आर्थिक साधनों को अपने लिये इकट्ठा नहीं कर सकते । इसके लिये जो योजनायें बनाई गईं, उनमें इस ओर कम ध्यान दिया गया । यही कारण है कि हम अन्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो सके । जहां मैं कांग्रेस को बधाई दूंगा कि उन्होंने २० वर्ष में बहुत कुछ किया, लेकिन साथ ही साथ हम में जो कमी है, जो लापरवाही है और उन कम साधनों को अच्छी तरह से सदुपयोग नहीं कर सके उन सारी चीजों को हमें दूर करना है । जिस लक्ष्य पर हम पहुंचना चाहते हैं, नहीं पहुंचे । मैं जिस जिले मिर्जापुर से चुन कर आता हूं, वहां पर चुनाव तहसील की जमीन बहुत ही अच्छी है, उसपर थोड़ा-सा अगर ध्यान दिया जाता तो हम पूरे जिले की कमी को दूर कर सकते थे । जब एक योजना बनती है, तो उसके लिये अच्छा से अच्छा साधन दिया जाता है, किन्तु अगर ऊपर का स्तर कामचोर है, लापरवाह है, भ्रष्टाचारी है तो नीचे के स्तर पर यह इतनी बुरी चीज पैदा कर सकता है जो देश और प्रदेश के लिये बड़ा नुकसान पहुंचाता है ।

मैं आपको वहीं के परगना भुइली, जमालपुर ब्लाक की बात बताना चाहता हूं, जहां पर गढ़ई नदी पर ३ रेगुलेटर्स लगे हुये हैं---गाड़ीघाट पर, उसरौसी और पचखौर ताल पर। वहां की जमीन बहुत ही उपजाऊ है। वहां एक-एक बीघे में २०-२० व २५-२५ मन धान पैदा होता है और दोहरी फसल पैदा करता है । उसके बाद अंग्रेजों के वक्त में गढ़ई नदी पर बांध बना। किन्तु बांध बनने के बाद बनारस की तरफ के आदमी उन रेगूलेटर्स को बन्द कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे मिर्जापुर के करीब ३० गांव जो बहुत ही उपजाऊ हैं, जलमग्न हो जाते हैं । मैं इस वाटरलागिंग की भीषण समस्या की ओर माननीय सदन और मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मैं इस समस्या के हल के लिये गवर्नमेंन्ट और अधिकरियों का बराबर ध्यान आकर्षित करता रहा कि हाऊ टु साल्व दी प्रब्लम आफ वाटरलागिंग । बड़ी लिखा-पढ़ी करने के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बाद हमारा ड्राफ्ट डेवलपमेंन्ट कमिश्नर के यहां गया, उन्होंने जिला परिषद् से सुझाव मांगा। ड्राफ्ट सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर के यहां गया तो उन्होंने वाराणसी में बैठकर इसके लिये रास्ता निकालने का प्रयास किया और यह हल निकाला कि गढ़ई नदी से बहा निकालकर नाला बनाकर उसे घुरहा नाले में मिला दिया जाय। जिससे उसका पानी गंगा में पहुंच जाये, क्योंकि घुरहा नाला गंगा में गिरता है। किन्तु वह रास्ता रास्ता ही रह गया मालूम पड़ता है, उस दिशा में अधिकारियों की ओर अभी कोई कदम नहीं उठाया गया है। यदि सही तौर पर काम किया गया होता तो काम बहुत हुआ होता, लेकिन लोगों ने यह एहसास ही नहीं किया कि अन्न के संकट के समय में जब हमें विदेशों से अनाज मंगाना पड़ता है तो अपने यहां की उपजाऊ भूमि का पूरी तरह से उपयोग कर लिया जाय, उसकी किसी तरह से क्षति न होने पाये।

जब चकबन्दी परगने में हो रही थी तो मैंने रेवेन्यू मिनिस्टर और ईरीगेशन मिनिस्टर को लिखा कि जहां नाला हो या माइनर हो उसको चक के बाहर कर दिया जाए, क्योंकि चकबन्दी के बाद नाले या माइनर के लिये जब भूमि ली जाएगी तो उससे बहुत बड़ा झगड़ा खड़ा हो जाएगा। लेकिन बावजूद हमारे इस ओर ध्यान आकर्षित करने के यह थोड़ा सा काम जो था उसमें रेवेन्यू के अधिकारी और सिंचाई के अधिकारी हल नहीं निकाल सके। चकबन्दी के वक्त उस भूमि को निकाल सकते थे, क्योंकि गांवों के सामूहिक लोगों में से जमीन निकाली जा सकती थी। लेकिन आज यह बड़ी जबरदस्त समस्या हो गयी है। नाले—माइनर के लिये जब जमीन लेना होता तो उन्हें कई वर्ष तक लैण्ड एक्वीजीशन में जाना पड़ेगा और इससे बहुत समय नष्ट होगा। श्रीमन्, इस कहने से मेरा मतलब यह है कि छोटी बात भी अगर उसका असर बड़ा हो तो उसको छोटा न समझा जाय और राष्ट्रीय पैमाने पर उसको हल किया जाय।

इसी तरह से ३० गांव जलमग्न हो जाते हैं। अगर वह समस्या उनकी ठीक हो जाय तो ये हजारों मन अन्न पैदा कर सकते हैं। जब मुगलसराय जरगो माइनर निकाला गया तो ३० गांव डूब गये और लोगों ने सत्याग्रह किया, चार-पांच सौ औरत-मर्द जेल गये। मैं किसी तरह से उनको निकाल कर लाया। लेकिन माइनर निकला तो पानी दिया गया चन्दौली तहसील बनारस को। तो मेरा कहना तो यह है कि जिन लोगों ने सैक्रिफाइस किया है उनकी सिंचाई का तो खयाल करना ही चाहिये। मैंने लिखा-पढ़ी की कि गंगा जी का पानी रामसरोवर के पास उठाकर ह्यूम पाइप द्वारा या किसी अन्य तरीके से अगर जरगो माइनर में गिरा दिया जाय तो तीन परगने के लोग यानी किरयात सीखड़, परगना हवेली और परगना भुड्डी के लोग इतना अन्न पैदा कर सकते हैं कि जिससे पूरे जिले की अन्न समस्या हल हो सकती है। यह मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि गांव सीखड़, नारायणपुर और जमालपुर गांव के लोग अगर जरगो माइनर से पानी मिल जाय और इसी तरह से सिरामनपुर में ७, ८ ट्यूबवेल्स बनवा दिये जांय तो सारे जिले की समस्या लाखों मन गल्ला पैदावार हल कर सकते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री राम लखन सिंह (जिला बस्ती)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि पूर्वी जिले में सबसे पिछड़ा जिला यदि कोई है तो वह बस्ती है जहां सिंचाई के साधन नहीं के बराबर हैं। मंत्री महोदय को मालूम है क्योंकि अभी-अभी उन्होंने वहां दौरा किया था और जाकर देखा था। उन्हीं के दल के कार्यकर्ताओं ने उनको घेरा था और उनसे निवेदन किया था कि सिंचाई की सुविधा वहां दी जाय तो जिस तरह से लोग खाद्यान्न के बिना परेशान होते हैं वह समाप्त हो। हमारे जिले में ज्यादातर गरीब लोग बसते हैं, सारे प्रदेश में

[श्री राम लखन सिंह]

सबसे अधिक आबादी है, वहां के लोग मजदूरी करके अपना पेट पालते ह क्योंकि न उनके पास सिंचाई के साधन हैं, न उद्योग-धंधे हैं, न खेतीबारी है। छोटी-छोटी नदियां हैं और उनमें बरसात के दिनों में विशेष रूप से पानी आ जाता है और उनके कारण बहुत बड़ा भाग हमारे जिले का पानी में डूबकर बरबाद हो जाता है और फिर पानी सूख गया तो सिंचाई का साधन नहीं रहता है जिससे फसल भी सूख जाती है। दूसरी फसल नहीं होती है। सान्यवर, कई दरखवास्तें पड़ी दी गयीं और बराबर मैंने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया कि कम से कम वहां पर बभनान में छोटे-छोटे किसानों ने कोआपरेटिव के जो ट्यूबवैल लगाये हैं उनको बिजली मिल जाय। २०, २५ टयूबवैल लगे हुये हैं और उनको लगे हुये भी कई साल हो गये मगर अभी तक बिजली उनको नहीं मिल पाई है। इससे वहां पर सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सकते हैं। मैंने अभी माननीय मंत्री महोदय से निवेदन किया था कि नदी के कटाव से बहादुरपुर ब्लाक में एक ताल बैलाछ बन गया है अगर उसको बांध लगवा दिया जाय और बन्धा की शकल उसकी हो जाय तो वहां के ३०, ३२ गांवों में सिंचाई का साधन हो सकता है। वे गांव बरसात में जल मग्न हो जाते हैं। फसल भी बरबाद हो जाती है और कुछ भी नहीं होता है तो उसकी भी बचत हो जायगी। इससे खाद्यान्न के विषय में भी बड़ी सहायता मिलेगी। मेरे बहादुरपुर क्षेत्र में चन्दो के पास नहर बनी हुई है। उसमें पानी अधिक नहीं मिल पाता है। वहां इतना थोड़ा पानी रहता है जो नहीं के बराबर है। अगर उसकी शक्ति को बढ़ाकर कुछ पानी अधिक दे दिया जाय तो उससे बहुत कुछ काम हो सकता है। गरीब लोगों की गरीबी दूर हो सकती है। गल्ले की पैदावार भी ज्यादा हो सकती है। इसलिये इस तरफ मंत्री जी अपना ध्यान देने की कृपा करें।

इसी तरह से मंत्री महोदय से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बस्ती जिले की हरैंया तहसील में गन्ना बहुत पैदा होता है। गन्ने को सिंचाई की बहुत जरूरत होती है। सिंचाई न होने से वह सूख जाता है। तालाब से भी पानी नहीं मिल पाता है। अगर उस क्षेत्र में सिंचाई के साधन पैदा कर दिये जांय तो जितना गन्ना पैदा होता है उससे ज्यादा कहीं गल्ला पैदा होगा। वहां के लोग बराबर चिल्लाते हैं कि गल्ला चाहिये मगर सिंचाई के साधन वहां हो जांय तो यह गल्ले की समस्या वहां के लिये हल हो सकती है। अगर सिंचाई की व्यवस्था हो जाय तो गल्ले की वहां कमी नहीं पड़ेगी। जब वहां पर वर्षा खत्म हो जाती है तो छोटे-छोटे किसान नदी का पानी लेकर बोरो फसल की सिंचाई करते हैं लेकिन पानी न हो तो आप समझ सकते हैं कि क्या मुसीबत आयेगी। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि बस्ती जिले की हरैंया क्षेत्र और बहादुरपुर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा के लिये ध्यान देने की कृपा करें। सिचाई की सुविधा हो जाय तो गरीबों की गरीबी दूर होगी। बस्ती जिले के उन लोगों की यह शिकायत है जिनकी दरख्वास्त बहुत दिनों से पड़ी हुई है। वहां के कर्मचारी कहते हैं कि जब ४, ६ दरख्वास्त हो जायंगी तो तब काम शुरू किया जायगा लेकिन अब वह कहते हैं कि १००, १०० रुपया नजराना दो तो तब बिजली मिलेगी। यही शिकायत वहां के कार्यकर्त्ताओं ने माननीय मंत्री जी से की थी। मालूम होता है मंत्री जी बस्ती की तरफ ध्यान नहीं देते हैं।

इसी प्रकार से नलकूप के बारे में सर्वे कराने के लिये जिन लोगों ने दरख्वास्त दी और रुपया भी ४००, ५०० जमा किया मगर वह सर्वे अभी नहीं हो रहा है। लोग दौड़ रहे हैं मगर मालूम होता है कि जनसंघ का कैंडीडेट वहां हारने से मंत्री जी वहां के लोगों की दरख्वास्त पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक इंजीनियर साहब को दरख्वास्त दी तो उन्होंने अपने मातहत अफसरों से कहा कि क्या बात है क्यों सर्वे नहीं हो रहा है और उन गरीबों का काम नहीं हो रहा है। लेकिन लोगों की दरख्वास्तें आज भी पड़ी हुई हैं। आज भी वहां के कर्मचारी यह कहते हैं कि फोट्यूबवैल १०० रुपया दोगे तभी बिजली लग सकती है नहीं तो नहीं लगेगी चाहे दरख्वास्त दो या नहीं दो। मैंने श्रीमन्, इंजीनियर महोदय के सामने कहा कि आप खुद रवैया देखिये। वह चुप रह गये। बल्कि उन्होंने कहा कि वही लोग सर्वे करेंगे। मैंने कहा था कि दूसरे लोगों को भेज दीजिये, लेकिन वह तैयार नहीं हुये। तो बस्ती जिले की गरीब जनता की पुकार वह सुनें जो किसी

प्रकार अपनी जीविका पालन कर रहे हैं । सरकारी कर्मचारी उन का खून चूसने के लिये तैयार हैं इस ओर आप यान दें । मंत्री महोदय के पास मैंने दरख्वास्त दी ट्यूबवेल लगवाने के लिये । पता नहीं वे किस तकलीफ में थे, उन्होंने जवाब दिया कि एक या दो तो लगवा सकता हूं, ज्यादा मैं कहां से दूं । इस बात पर मुझे गालिब साहब का एक शेर याद आ गया । जिस समय उन का आखिरी वक्त नजदीक था, उस वक्त उन्होंने कहा था "दमे वापिसे बरसरे राह है, अजीजो अब अल्लाह ही अल्लाह है ।" मंत्री महोदय अब कार्यभार से मुक्त होना चाहते हैं इसलिये इस प्रकार की बात करते हैं । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस कटौती प्रस्ताव को स्वीकार करें और पूर्वी जिलों की ओर अधिक ध्यान दें । बस्ती जिले में धान और गेहूं अधिक होता है, लेकिन वहां का किसान मजबूर है । उस के पास सिंचाई का कोई साधन नहीं है । जब तक आप उन को सिंचाई के साधन नहीं देते तब तक उन से लेवी भी वसूल नहीं किया जाना चाहिये । वहां किसानों ने कर्मचारियों की जबरदस्ती से तंग आकर अपने खेत तक बेच कर लेवी अदा किया है । वे उनको बुलाकर पिटवाते और परेशान करते हैं । यही कह कर मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज तक जितनी भी ग्रान्ट्स इस सदन में प्रस्तुत की गयीं, मैं एक कृषक होने के नाते इस ग्रान्ट को सब से महत्वपूर्ण समझता हूं और विशेषकर इस प्रदेश और इस देश के लिये, जिस की अर्थ व्यवस्था कृषि पर आधारित है यह बड़ा महत्व रखती है । पिछले तीन, चार सालों ने यह साबित कर दिया है कि अगर हम ने अपनी सिंचन क्षमता नहीं बढ़ायी तो हम कभी भी अपने प्रदेश को खाद्यान्न में आत्म-निर्भर नहीं कर सकेंगे । मैंने यह भी देखा कि इन पिछले बीस वर्षों में आजादी के पश्चात् ९१ प्रतिशत सिंचाई की क्षमता में वृद्धि हुई है । सिंचाई की क्षमता में वृद्धि का होना अलग बात है और उस क्षमता का सदुपयोग किय । जाय यह अलग बात है । मैंने ३१ मार्च, १९६६ तक के जो आंकड़े देखे हैं उनके अनुसार कुल ५,१०,१२४ ट्यूबवैल्स और पम्पिंग सेट्स को इस देश में बिजली दी गयी जिसमें से अकेले २,५६,००० ट्यूबवेल्स मद्रास स्टेट के हैं और आप के उत्तर प्रदेश की सरकार के प्रयास और कोशिश से ३१ मार्च, १९६६ तक जितने ट्यूबवैल्स को बिजली दी गयी उन की तादाद १६,९५८ है । इन में से भी आधे सरकारी नलकूप हैं । ऐसी स्थिति में आप को देखना पड़ेगा कि देश में जहां अकेले मद्रास स्टेट ने ५०.२ फीसदी देश की कुल क्षमता में प्रगति की है वहां उत्तर प्रदेश में ३.३ प्रतिशत सिंचाई के साधनों में वृद्धि हुई है और महाराष्ट्र, आन्ध्र, मैसूर, केरल, पंजाब आदि में ८ से लेकर ११ प्रतिशत तक सिंचाई साधनों में प्रगति हुई है । जबकि और प्रदेशों के क्षेत्रफल आपके प्रदेश के क्षेत्रफल से कम ह । ऐसी स्थिति में जबकि यहां ७५ फीसदी लोग खेती में लगे हुए हैं हम आत्म-निर्भर नहीं हो सके तो हमें विचार करना पड़ेगा कि हम सिंचाई के साधनों में वृद्धि करें । नहर जमन, आज से नहीं बल्कि जब शेर शाह सूरी ने यहां शासन किया तो उसने उसको बनाया था । उसका विकास हुआ, मैं इसे स्वीकार करता हूँ शायद देश भर में नहर जमन पूबी से बेहतर आमदनी की कोई भी देश की नहर नहीं । लेकिन इसकी जितनी उपेक्षा हुई वह आज छपी नहीं है ।

सरकार की आमदनी की तरफ तवज्जह रही, लेकिन उसका सही विकास होकर सही उपयोग उसका किया जा सके इसकी तरफ दिमाग नहीं गया । १८७७-७८ में उसका ताजे वाले हेडवर्क्स बना था और जब पंजाब में जनतंत्र की सरकार कायम हुई तो पंजाब ने सन् ३७ में उसका नया निर्माण किया और आपके प्रदेश की स कार ने ९० साल के बाद भी कुछ नहीं किया, गत वर्ष जनवरी, ६६ में भारत सरकार के सिंचाई मंत्री डा० के० एल० राव ने उसके हैडवर्क्स को देखा था और श्यामली जि ा मुजफ्फरनगर में एक मीटिंग हुई जिसमें उत्तर प्रदेश के सिंचाई

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

मंत्री, डा० के० एल० राव तथा यहां के चीफ इंजीनियर भी थे। श्री राव ने पहले भी घोषणा की थी और शामली में तब भी की कि पंजाब, उत्तर प्रदेश और सेंटर तीनों मिलकर राजी हो गये हैं ईस्टर्न लोअर जमुना नहर के हेडवर्क्स के रिकंस्ट्रक्शन के लिये लेकिन फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। जब-जब यहां मैंने सवाल उठाया तो सिंचाई मंत्री ने तसलीम किया कि दो-दो महीने में रजबहा चलता है। तो इस प्रकार किस तरह से खेती की पैदावार में वृद्धि हो सकती है। अंग्रेज की सरकार खत्म हुए २० साल हो गये। अंग्रेज के जमाने में जितनी भी नहरें थीं वह प्रोटेक्टिव थीं, वह प्रोडक्टिव नहीं थीं। उनके समय में केवल ४० फीसदी रकबे के लिये सिंचाई की व्यवस्था की गयी थी। आज जबकि आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है तो आवश्यकता है कि शत प्रतिशत रकबे की सिंचाई की व्यवस्था सरकार करे।

आज जो भी प्रदेश की सरकार ने सिंचाई की व्यवस्थाएं की हैं और विशेषकर नहरों में हमारे सभी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जहां से नहर निकली और जहां समाप्त होती है तो ४५ फीसदी उसका पानी नहर में रजबहे में और गूलों में ही खराब हो जाता है। अकेले २२ फीसदी पानी हमारी गूलों में बरबाद होता है। आप क्षमता को बढ़ाते चले जायं, लेकिन गूलों में जो पानी की बरबादी होती है उसको न बचा सकें, इस पर विचार करने की जरूरत है। जहां-जहां चकबन्दी हुई उससे कई स्थानों पर गूलों को तोड़ दिया जाता है। श्री राममूर्ति जी जब वह हमारे सिंचाई मंत्री थे तो मुजफ्फरनगर जिले में किसानों ने शिकायतें की कि जिन जिन कृषकों की दूसरे कृषकों ने गूलें तोड़ दी थीं उनके पुनर्निर्माण की कोई व्यवस्था नहीं की गयी। माननीय राममूर्ति जी के प्रयास से एक कानून में तामीम की गयी।

वह कानून तरमीम भी हो चका है, लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने उस कानून के बन जाने के बाद भी मुजफ्फरनगर, मेरठ जिले वगैरह में एक भी गूल का निर्माण नहीं किया है। अगर हुआ है तो मुझे बताया जाय। कानून बन जाने के बाद भी अगर टूटी हुई गूलों का निर्माण नहीं हुआ है तो माननीय सिंचाई मंत्री को इस पर विचार करना होगा कि हम कौन सी इसके लिये व्यवस्था करें जिससे कि टूटी हुई गूलों का निर्माण शीघ्र हो क्योंकि इससे राष्ट्र के अहित के साथ-साथ सरकार की आमदनी का भी नुकसान होता है, और कृषकों की आर्थिक अवस्था भी इससे बहुत खराब होता है।

श्रीमन्, जब श्री जी० के० अग्रवाल चीफ इन्जीनियर थे उन्होंने ओसराबन्दी को चक वाइज करने के आदेश दिये थे? उनके चले जाने के बाद जो भी चीफ इन्जीनियर आये उन्होंने ओसराबन्दी को थोक के हिसाब से करना शुरू कराया जब कि काश्तकारों ने सर्व सम्मत्ति से यह प्रार्थना की कि ओसराबन्दी को चकवाइज किया जाय। मगर आपके चीफ इन्जीनियर वगैरह ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। मैं तो कहता हूं कि अगर काश्तकारों की शत प्रतिशत यह मांग हो तो आप इसे स्वीकार करें (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, मुझे ५ मिनट और दिये जायं।

श्रीमन्, इसके अलावा काश्तकार अपने प्राइवेट कुयें या ट्यूबवेल से पानी लगाता है आपकी नहर से पानी नहीं लेता, फिर भी खाता शामिलात की वजह से उससे आबपाशी ली जाती है। अभी मेरे प्रश्न के उत्तर में सिंचाई मंत्री जी ने बताया था कि दो महीने नहरें नहीं चलीं, लेकिन सिंचाई का क्षेत्रफल आपका बढ़ गया। पिछले साल के आंकड़े ही आप देखिये, जबकि पानी बहुत कम था, लेकिन आपकी सिंचाई बहुत बढ़ गयी। यह कैसे हो सकता है? आपने अपने भाषण में कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि तीन आबपाशी काश्तकार को हो जाया करें, किन्तु अगर एक आबपाशी भी काश्तकार की हो जाती है तो उससे पूरा पैसा वसूल किया जाता है। आप यह देखें कि कम पानी के होते हुये भी आपकी आबपाशी का रकबा कैसे बढ़ गया। यह विचार करने की बात है।

मान्यवर, देखने में यह आया है कि उस भूमि को, जिसकी कीमत चकबन्दी में सिंचित भूमि के हिसाब के लगायी जाती है कमान्ड एरिया में शामिल नहीं किया जाता जब कि उसको

१०-१०, २०-२० साल से आबपाशी होती रहती है। ऐसी जमीनों को भी आप कमान्ड एरिया में शामिल नहीं करते। दूसरी ओर जिनकी सिंचाई ५ फसल या ५ साल तक नहीं होती उनको आप कमान्ड एरिया से निकाल देते हैं। जब सिंचाई नहीं होती, तब तो आप उसको कमान्ड एरिया से निकाल सकते हैं, मगर जब काफी समय तक सिंचाई होती रहती है तब आप उसे कमान्ड एरिया में शामिल क्यों नहीं करते? उस जमीन को कमान्ड एरिया में रखने में आपको क्या एतराज है जिसकी लगातार सिंचाई होती रहती है?

श्रीमन्, मंत्री जी ने कहा कि हम लिफ्ट द्वारा टेल केलिये उचित सिंचाई की व्यवस्था करेंगे। यह खुशी की बात है। नहर जमुन के आखिर में न जाने कितने राजबाहे हैं जिनमें दो-दो तीन तीन महीने पानी नहीं जाता। भारत सरकार की ओर से श्री मोतीलाल जी रिटायर्ड चीफ इंजीनियर ने नहर जमुन का मुआयना किया था। उन्होंने सुझाव दिया था कि तीन सौ ट्यूबवेल्स का निर्माण करके कांधला से आगे उस क्षेत्र में सिंचाई की समुचित सुविधायें प्रदान की जायं। न आपने उसकी व्यवस्था की है, और न हेड वर्क्स के लिये ही इस योजना में कोई धन की व्यवस्था की है और न ही वहां किसी प्रकार की सुविधायें हैं। उसमें रुकावटें क्या हैं बताई जायें। अगर काश्तकार मजबूर होकर ट्यूबवेल लगाना चाहें क्योंकि नहरों में पानी नहीं तो फिर रुकावटें हैं नो आब्जेक्शन सार्टिफिकेट की। आप एक फर्लांग पर नहर से और डिस्ट्रीब्यूटरी से आधा फर्लांग पर काश्तकार को बिजली नहीं दे सकते। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जहां मंत्री जी सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ा न सकें वहां पर इस नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट को अविलम्ब हटा लें और काश्तकार को विकास करने का मौका दें जिससे वह प्रदेश और देश का कल्याण कर सके। श्रीमन्, १२ अगस्त, १९६६ में तमाम प्रदेश के चेयरमैन,

(इस समय ३ बजकर ५७ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की एक कान्फ्रेन्स भारत सरकार के सिंचाई मंत्री डा० के० एल० राव ने दिल्ली में की थी जिसमें उन्होंने सुझाव दिया था कि ९० रुपये हार्स पावर जो किसानों से उनके ट्यूबवेल पर सरकार लेती है उनको कम करके ३५ रुपये हार्स पावर लें। उसकी तरफ भी ध्यान नहीं जा सका। जहां तक आपके बिजली पर शहर की बात है, मुझे नहीं मालूम, जब गुप्ता जी मुख्य मंत्री बने थे तब ८ नये पैसे काश्तकारों से बिजली की शरह ली जाती थी और इन्डस्ट्री के लिये १४ नये पैसे थी। तो अब किन कारणों से उन्होंने इन्डस्ट्रीज और कृषि के लिये एक ही रेट्स कर दिये हैं। इसको मैं समझने में असमर्थ हूं। भारत सरकार ने भी उत्तर प्रदेश सरकार से सिफारिश की थी कि जो १४ नये पैसे प्रति यूनिट कृषि की दर है उसको भी आप कम करें। इस पर भी आप विचार करेंगे। एक मैं प्रार्थना और भी करना चाहता हूं जिस प्रकार आपकी प्रदेश में स्टेट बोर्ड आफ कृषि कायम हैं उसी प्रकार सिंचाई के लिये स्टेट बोर्ड आफ इर्रीगेशन ऐण्ड पावर भी स्थापित करें और उनके सदस्य एक्सपर्टस् को बनायें जो पावर और इर्रीगेशन पर राय दे सकें, सिंचाई के कार्यों में दिलचस्पी लेने वाले गैर सरकारी सदस्यों के अतिरिक्त उसमें आप रिटायर्ड इन्जीनियर्स भी ले सकते हैं।

इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर मैं भ्रष्टाचार की चर्चा करूं तो किसीभी महकमे से ज्यादा हाइडिल डिपार्टमेंन्ट में आज भ्रष्टाचार है। हाइडिल डिपार्टमेन्ट में हर मौके पर लाइनमैन से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार है। मीटर रीडर्स ने तो हद कर रक्खी है कि वे मीटर्स को बन्द कर देते हैं। मीटर्स चलते नहीं और काश्तकार पर उसका कोई खर्चा नहीं होता। मीटर बन्द हैं उससे ट्यूबवेल चलता रहता है। मैं प्रार्थना करूंगा कि इन मीटर्स की तरफ उनका ध्यान जाना चाहिये। एक महत्वपर्ण बात मैं और कहना चाहता हूं वह यह कि आपके विभाग के जरिये से चालान किया जाता है, चालान करने वाला भी आपके विभाग का व्यक्ति

[श्री वीरेन्द वर्मा]

होता है। गवाह भी विभाग का होता है। और ट्रायल करने वाला भी आपके विभाग का ही होता है।

प्रदेश सरकार ने निश्चय किया कि जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव को अलग-अलग करेंगे। हमारा नम्र निवेदन है आपसे कि काश्तकार के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से झूठे और फर्जी चालान को और रिश्वत को और जो काश्तकार से फसलाना लिया जाता है उससे बचाने की दृष्टि से सभी चालान आपके विभाग के मुन्सिफों या दूसरी अदालतों में भेजे जाते और कृषकों को परेशानी से बचाकर उनके हितों की रक्षा कर सकेंगे।

प्राइवेट ट्यूबवेल्स के बारे में आपने मेरा नम्र निवेदन है कि प्राइवेट ट्यूबवेल्स को जितनी भी शीघ्र आप बिजली दे सकें और उसके अतिरिक्त जितना भी मैटीरियल आप ज्यादा से ज्यादा उनको दे सकें, उतना ही अच्छा है। इससे किसान अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा और अपने देश और प्रदेश का भला कर सकेगा।

यू० पी० में आप स्टेट ट्यूबवेल्स लगाते हैं, उसमें पूर्वी यू० पी० के ट्यूबवेल्स बहुत ही कम समय चल पाते हैं। क्योंकि कृषक निर्धनता के कारण बहुत ही कम पानी उनका लेते हैं। अत: मेरा सुझाव है कि पूर्वी यू० पी० में सरकार ऐसी व्यवस्था करें जिससे प्रारम्भ के तीन वर्षों में नलकूप का पानी उनको सस्ते दर पर मिले जिससे उसका लाभ अधिक से अधिक वे लोग उठा सकें। इसके अलावा वहां मंत्री जी अगर प्रति ५ एकड़ पर एक मेसनरी वेल लगवा दें, स्टेट के खर्चे से और १०–२० साल में आहिस्ता-आहिस्ता काश्तकार से आप उसको वसूल भी कर लें और उसके बाद वह कुआं उन्हीं का हो जायेगा। इससे पूर्वी यू० पी० के कृषकों का बहुत भला होगा और खेती का भी विकास होगा। अगर आपने ऐसा कर दिया तो यकीनी तौर पर इन पिछले ३ सालों में जो खाद्य की हालत रही उससे आगे के लिये प्रदेश को बचाया जा सकता है और प्रदेश की पैदावार को बढ़ाकर प्रदेश और देश का कल्याण किया जा सकता है।

श्री रामस्वरूप (जिला मैनपुरी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सिंचाई मंत्री जी जो युवक हैं उनसे १० वर्ष पहले परिचय हुआ था। इन दस वर्षों में मैंने पाया कि वे विवेकशील हैं और व्यवहार कुशल हैं लेकिन जिस विभाग के वे मंत्री हैं और जिसका किसानों से निकट का संबंध है, वे उन किसानों से बहुत दूर हैं। उनकी नीति पूंजीवादी व्यवस्था के बहुत निकट है और उसी व्यवस्था के अन्तर्गत वे इस प्रदेश के किसान को चलाना चाहते हैं। उसका प्रमाण यह है कि मई और जून के महीनों में माननीय उपमंत्री जी ने मैनपुरी और एटा में यह प्रचार किया कि जो एक हजार रुपया प्रति फलंग जमा करेगा उसको बिजली का कनेक्शन दिया जायगा। मैं २० दिन पहले मंत्रीजी से मिला था उन्होंने कहाकि ऐसे आदेश जारी नहीं किये गये हैं। हमारी मंशा तो यह है कि अलावा सिंचाई के जो दूसरे कामों के लिये बिजली प्राप्त करना चाहते हैं उन पर यह नियम लागू किया जायगा। लेकिन मैं सदन में पूरे जोर के साथ कह सकता हूं कि उस दिन से आज तक मैनपुरी में किसी काश्तकार को बिजली नहीं दी गयी। जिसने रुपया जमा कर दिया केवल उन्हीं को बिजली दी गयी। जहां मैं गया लोगों ने यही शिकायत की। और मैंने नि सहाय होकर कह दिया कि हमारे हाथ की कोई बात नहीं है। कनेक्शन मंजूर हो गया, लाइन पड़ गयी लेकिन रुपया बिना जमा किये कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। जो जमा कर देता है उसको बिजली मिल जाती है। यह जाहिर करता है कि मंत्रीजी का दृष्टिकोण क्या है। पूंजीवादी व्यवस्था का सबसे पहला तकाजा यह होता है कि किसान के पास रुपया न रहने पाये। वे भी इसी परिस्थिति को लाना चाहते हैं। लेकिन माननीय झारखंडेराय जो सौभाग्य से इस केबिनेट में मौजूद हैं उन्होंने इसमें अड़चन डाली और उनकी इस योजना को पूरा न होने दिया। इसमें उनकी मंशा यह थी कि किसानों के पास जितना रुपया है वह निकल आये। मैं यह नहीं कहता कि पिछले जमाने में ऐसी व्यवस्था को लागू करने की चेष्टा नहीं की गयी। मैं जानता

हूं कि पहले भी यह होता था कि किसान के पास धन संग्रह न हो सके। आज चने बेचने वाला लखपति हो सकता है लेकिन किसान के पास अगर चन्द दिनों से कुछ पैसा हो गया है तो सिंचाई के साधन देने के साथ उससे पैसा क्यों मांगा जाता है, यह तो एक पूंजीवादी व्यवस्था है जिस में मुनाफे की ही बात सब से पहले देखी जाती है। मेरा विचार है कि सिंचाई के संबंध में ऐसा दृष्टिकोण अपनाने से कृषक समाज का हित नहीं हो सकता।

मैं आपके द्वारा माननीय सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जैसी स्थिति आजादी के बाद चली उससे स्पष्ट है कि हमारे इंजीनियर्स अकर्मण्य हो गये हैं और मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि आज उनकी तादाद इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जिनकी जरूरत नहीं थी। उनके आज केवल दो काम ही रह गये हैं, एक तो दफ्तर में और क्लब में बैठे रहना और बैठे-बैठे योजनायें बनाना, असोसियेशन और सेमीनार्स और मीटिंग करना और उन्होंने खेतों में जाकर नालियों, गूलों और सिंचाई की व्यावहारिक व्यवस्था को बिलकुल नहीं देखा है। माननीय सिंचाई मंत्री जी आपके संयुक्त विधायक दल के भूतपूर्व नेता विकल जी जिनके बल पर आप उठे हैं उनका १ अप्रैल सन् ६७ का जो भाषण है उसका एक अंश मैं आपको सुना दूं। उन्होंने कहा था कि आज सर्वे डिवीजन में २०० इंजीनियर मौज उड़ा रहे हैं। मैं कहता हूं कि आप उनको लखनऊ से निकालकर किसान की गूलों की मरम्मत, नालियों की मरम्मत पर लगा दीजिये तो मैं वादा करता हूं कि एक साल के अन्दर पैदावार दुगुनी हो जायगी। इंजीनियर्स का स्थान क्लबों में नहीं है उन का स्थान किसान के खेतों पर है। मैं चाहता हूं कि अपने भूतपूर्व नेता की आज से ३ मास पूर्व की बात को वह थोड़ा अपनी दृष्टि में रखें। यह ठीक है कि आपने नये सरकिल क्रियेट किये हैं और फिर भी कमी हो सकती है लेकिन अभी तक कोई कदम ऐसा नहीं उठाया गया है जिससे कि सरप्लस स्टाफ को कम किया जायगा। मैं मंत्री जी से पूछूंगा कि विकल जी के भाषण के सम्बन्ध में उन्होंने क्या किया। आज इंजीनियर्स का किसानों से कोई सम्पर्क नहीं रह गया है, वे किसानों से बहुत दूर हैं, वह तो रुड़की आदि विश्वविद्यालयों से आते ही छोटे साहब और बड़े साहब कहलाते हैं, मुझे छोटे या बड़े साहब कहलाने में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मैंने विदेशों से अपने यहां आये हुए इंजीनियर्स को और उनके कामों को देखा है। आज १८ साल पहले जब यहां नलकूप एक जर्मन फर्म लगवा रही थी तो मैंने देखा कि भारी भारी सामान को अनलोड कराने में जून की गर्मी तक में वह उपस्थित रहते थे और अपना पूरा समय वह मशीन को लगवाने में देते थे लेकिन हमारे इंजीनियर्स आज नहर की पटरी से उतर कर आगे नहीं बढ़ते और गूलों का उन्हें पता ही नहीं कि कहां हैं या नहीं हैं। उसका कारण यह है कि वह केवल दफ्तर में बैठकर आंकड़े और योजना बनाने के ही रह गये हैं। इससे काम नहीं चलेगा वह किसान से दूर रहते हैं और उसके पास जाते घबराते हैं।

मैं दो, एक सुझाव आपके द्वारा मंत्री जी के सम्मुख रखना चाहता हूं। पिछले जमाने में कन्सालिडेशन अधिकारियों ने जो अस्तव्यस्त तरीके से गूलें, दगड़ और रास्ते बनाये हैं उससे सारे मार्ग और सिंचाई की नालियां सब बेकार और अस्तव्यस्त हो गई हैं और उसका बहुत बुरा असर पड़ा है, जहां-जहां वह लोग गये बिना देखे उन्होंने नये रास्ते डाल दिये, पुराने जो दगड़े थे वह रास्ते के अलावा ड्रेनेज का भी काम करते थे, उन के दिमाग में यह दृष्टिकोण था ही नहीं और उन्होंने बैठकर जहां चाहें रास्ते काट दिये और नलकूप विभाग के लोग गये और उन्होंने १६ फुट की सड़कें डाल दीं और कोई वास्ता इस बात से नहीं रखा कि कौन से रास्ते से जनसेवा का काम अधिक हो सकता है। वह समझते थे कि गूलें किसान हटा लेंगे लेकिन वह यह काम नहीं कर सके, बाकी विभाग तो अकर्मण्य है ही उसके बारे में तो मैं पहले ही कह चुका हूं। स्थिति यह है कि ओसरेबन्दी की वहां भी दिक्कत है और जहां नहीं है वहां काश्तकार झगड़ा करते हैं और जहां पानी की जरूरत

[श्री रामस्वरूप]

होती वहां पानी नहीं पहुंचता । पिछले दो वर्षों में पानी की कमी रही । मैं पुरान सरकार को इसं बात के लिये बधाई देता हूं कि अगर उन्होंने पंम्पिग सेट्स का प्रबन्ध न किया होता तो बड़ी परेशानी होती । हमारे जिले के एक-एक गांव में १८–२० पंम्पिग सेट्स पानी के प्रबन्ध के लिये लगाये गये । यही वजह थी कि सूखे के बावजूद भी इतना अनाज वहां पर किसान पैदा कर सके जो उनके खाने के लिये थोड़े दिन के लिये काफी था । श्रीमन्, २० जनवरी से लेकर १९ फरवरी तक एक दिन भी नहरों में पानी नहीं आया था । कहा गया कि पानी ऊपर से हैड वर्क्स से नहीं आ रहा लेकिन यह समझ में नहीं आया कि फिर कहां से आ गया । एक-एक महीने पानी न मिलने से गेहूं की फसल जिन्दा नहीं रह सकती ।

मैं अभी यह कह रहा था कि जो सड़कें ट्यूबवैल्स के लिये बनायी गयी हैं, उनको हमारे काश्तकार प्रयोग करते हैं और करेंगे । मालूम नहीं कि वे उनका चालान करते हैं या नहीं। आज हमें कहीं पर भी समन्वय देखने को नहीं मिलता है । आज बोर्ड्स और कार-पोरेशन बनाने के लिये एक बीमारी-सी चल गयी है । मैंने पार्किन्सन की एक किताब पढ़ी थी । वह हमेशा मेरी नजर के सामने रहती है । उस किताब में ऐसी स्थिति रखी थी कि बोर्ड्स और कारपोरेशन बनते जायेंगे। एक दूसरे का समन्वय नहीं हो रहा है । आज सार्वजनिक निर्माण विभाग जहां समझता है अपनी सड़क बना लेता है । ट्यूबवैल्स वाले जहां समझते हैं, वहां वे बना लेते हैं । कोई इस बात को नहीं सोचता है । पिछले १०–१५ सालों से यह विचार रहा है कि जहां जहां नहरें हैं, या जहां जहां पर उपयोगी सड़कें हैं, उनको पक्का किया जायगा लेकिन उस ओर मौजूदा सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है । आज अगर कहीं पर ट्यूबवैल की सड़क बनायी जाती है अगर उसको किसानों के प्रयोग के लिये भी खोल दिया जाय तो न केवल उन्ह सुविधा होगी अपितु किसानों को अपनी फसल लाने में भी सहायक होगी । उन सड़कों को जिनके लिये किसान की उपजाऊ भूमि ले ली जाती है, केवल एक ट्यूबवैल के अधिकारियों के लिये न छोड़कर वहां की जनता को अपनी उपज के ले जाने के लिये यातायात की सहूलियत मिल सके तो उससे बड़ा फायदा हो सकता है लेकिन मैं देखता हूं कि इस बजट में उसके सम्बन्ध में कोई प्राविधान नहीं किया गया है ।

अब मुझे फ्लड कन्ट्रोल बोर्ड के बारे में निवेदन करना है । १९५७ से छोटी छोटी नदियों में बाढ़ आने लगी हैं जब कि बड़ी नदियों में तो आती ही थी । सिंचाई विभाग से अलग करके फ्लड कन्ट्रोल बोर्ड को भी एक विभाग बना दिया गया है । मुझे आश्चर्य होता है कि जिन नदियों में ७–७, ८–८ और ९–९ महीने पानी नहीं आता है, उनमें सितम्बर और अक्तूबर के महीने में पानी कहां से आ जाता है । उसके आने से आस पास की भूमि जलमग्न हो जाती है । खरीफ की फसल बरबाद हो जाती है और रबी की फसल की बुआई में देर हो जाती है । हमारे पास में बुलन्दशहर से एक नदी आती है । उसके लिये कभी योजना बनी कि गहरी की जायगी, कभी उस पर पुल बनाने की योजना बनायी गयी । मैं समझता हूं कि आपके इंन्जीनियर इतने योग्य नहीं हैं जितने की होनी चाहिये । क्योंकि वे समस्याओं के निकट नहीं है, किसानों के जन जीवन से उनका कोई सम्बन्ध नहीं रहा है । मैं चाहूंगा कि इस बोर्ड के जो अधिकारी हैं वे बाढ़ को रोकने का जो काम हो उसको करें ।

व्याप्त भ्रष्टाचार, जिसका जिक्र माननीय मंत्री जी ने किया है उसके बारे में मेरा निवेदन है कि न्यूक्लिस भ्रष्टाचार का आपका ट्यूब वैल आपरेटर और पतरौल है । इंजीनियर अकरमण्य है, कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि घर से नहीं निकलता । उसको क्लब में पपलू खेलने के लिये समय चाहिये । कुछ कह सकते हैं कि हम किसी की प्राइवेट लाइफ पर क्यों कहें । मुझे अधिकार है, क्योंकि जो २० रु० रोज पपलू में हार सकता है वह हमारी सेवा, प्रदेश की सेवा नहीं कर सकता, रात को देर तक जग कर वह राज्य की सेवा नहीं कर सकता । नतीजा यह होता है कि अपने घर बैठे दस्तखत करता है और उसको ट्यूब वैल आपरेटर और पतरौल का डर

रहता है कि कहीं मेरे खिलाफ शिकायत न हो जाय। मैं चाहूंगा कि अगर मंत्री जी ने कोई कदम इस बारे में उठाया है तो उसका संकेत करें।

मान्यवर, सप्ताह मनाने से कुछ नहीं होता। अभियान ने कभी लाभ नहीं दिया। यह तो राज्य कर्मचारियों का तरीका होता है काम काज करने का। खरीफ और रबी अभियान से पैदावार नहीं होती, बल्कि पूरे साल भर काम करने से होती है। सप्ताह में केवल फोटों खिंच जायंगी, अखबारों में निकल जायगा और हम लोगों को भी विधायक होने के नाते चाय मिल जायगी। हमारा और माननीय मंत्री जी का सैद्धान्तिक मतभेद हो सकता है, लेकिन कार्यकर्ता के रूप में आपने और हमने देश में काम किया है और उसी दृष्टि से काम करायें। अध्यक्ष महोदय का मैं कृतज्ञ हूं।

*श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)--

अध्यक्ष महोदय, मैं अनुदान का समर्थन और कटौती के प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिये और अपने विचार कहने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज उधर के बैठने वाले ऐसी-ऐसी अच्छी बात कह रहे हैं जो साढ़े ३ महीने में इनको इस प्रदेश के किसानों की, छोटे कर्मचारियों की, प्रदेश की बिजली, पानी की सारी बातों की इनको याद आयी। २० साल में प्रदेश टूट गया था, किसान लुट गया था, पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, बिजली की व्यवस्था नहीं थी। अभी अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि मैं पुरानी सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उस सरकार ने बहुत कुछ किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने देश के किसानों को यहां तक बरबाद किया, जहां एक तरफ पानी की योजना और पानी पर जितना पैसा और बजट खर्च करते थे, उधर एक तरफ किसान पानी के लिये तरसता था, बीज के लिये, खाद के लिये तरसता था और मेरे क्षेत्र में ४, ६ महीने से ट्यूबवैल बेकार पड़े रहते थे। अभी दो, तीन महीने पहले मैंने वहां के सुपरिंटेंडिंग और ऐग्जिक्यूटिव इंजीनियर से कहा कि २, ३ महीने से ट्यूबवैल बन्द हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि वहां का ट्रांसफार्मर जल गया है उसको मंगायेंगे। बहरहाल जहां खेती के उत्पादन की बात है वहां जहां किसानों को पानी ठीक से नहीं मिलेगा, खाद ठीक से नहीं मिलेगी उसमें सबसे बड़ा कारण हमारे छोटे कर्मचारी भी हैं। छोटे कर्मचारियों को वेतन इतना थोड़ा मिलता है जिस की वजह से वह अपना बीच में ऐसा चक्कर लगाते हैं, किसान को परेशान करते हैं, तरह तरह की परेशानी खड़ी करते हैं जिस से उत्पादन को नुकसान होता है। हमारे साथी ने एक बात कही थी कि काश्तकारों को कर्ज की, अनुदान की ऐसी सुविधा देनी चाहिये जो काश्तकारों को हजारों जगह कर्जा लेने जाना पड़ता है पटवारी से लेकर बी० डी० ओ० और तहसीलदार तक उसमें उनको बड़ी परेशानी तो होती है ही लेकिन वह कर्जा भी आधा ही रह जाता है। अच्छा हो काश्तकारों की सरकार हैसियत निकलवा कर उनके कार्ड बनवा दे और उनके जरिये ही काश्तकार जमीन बेच सके, खरीद सके, कर्जा ले सके और बैंकों को फ्री कर दिया जाय तो काश्तकारों को बहुत आसानी हो जायगी और जो सबसिडी उसे आधी मिलती है वह पूरी मिलेगी। मैंने अपने क्षेत्र के बी० डी० ओ० और अन्य कर्मचारियों की माननीय मंत्री जी से शिकायत की है क्योंकि जिन काश्तकारों को सबसिडी मिलनी चाहिय उनको न मिल कर उनको मिलती है जो ५ अथवा १० परसेंट पैदा दे देते हैं। काश्तकार को इससे परेशानी होती है, चक्कर लगाने पड़ते हैं और बगैर मिले ही वापस आना पड़ता है। माननीय मंत्री जी अगर कुछ तबदीली चाहते हैं, उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं तो अनुदान अथवा सबसिडी देने का ऐसा तरीका निकालें जिससे वह काश्तकार को सीधे मिल सके, कहीं उसे परेशानी न हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मंजूर अहमद]

जहां तक पानी का सवाल है काश्तकार रहट लगा रहा है, कुवें बनवा रहा है और इंजन लगवा रहा है लेकिन जहां नहर का पानी आता है तो कुवान हो जाती है और उस पर आबपाशी लगा दी जाती है। इसमें पतरौल और कर्मचारी उसे परेशान करते हैं। इस व्यवस्था को खत्म करना चाहिये। वीरेन्द्र वर्मा जी ने जैसा कहा हाइडल विभाग में बड़ा ही करप्शन है। मेरठ में तो नीचे लाइनमैन से ले कर ऊपर तक काश्तकार को परेशान किया जाता है। अभी अभी दो महीने हुए हापुड़ में एक काश्तकार को बिजली मंजूर हुई। ऊपर के अफसर ने आदेश दे दिये। बिजली का खम्भा लग गया परन्तु मोटर लगने के लिये दो सौ रुपये दे दो। उधर फसल सूख रही थी। इसलिये कोई न कोई ऐसा इन्तजाम होना चाहिये जिससे २० साल के सड़े हुए निजाम को जनता भूल जाय और इस सरकार को बधाई दे जिससे देश प्रगति कर सके, किसान की दशा सुधर सके। किसान की हालत इतनी खराब है कि दिन रात कमाता है लेकिन न रोटी मिल पाती है, न कपड़ा मिल पाता है और न तालीम मिल पाती है। अगर आप प्रदेश व देश को तरक्की याफ्ता बनाना चाहते हैं तो सरकार का यह कर्तव्य है कि सबसे पहले काश्तकार को खाद और पानी पहुचायें और उसे ज्यादा से ज्यादा सुविधा दी जाय।

आबपाशी विभाग में जो कर्मचारी हैं सन् ६६ में भी ऐलान हुआ था कि उनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिये लेकिन पिछली सरकार ने उसे नहीं बढ़ाया इस महंगाई के जमाने में जिसको ६०, ७० रुपये माहवार तनख्वाह मिले वह दोनों वक्त पेट भी नहीं भर सकता। आप बड़े अफसरों का वेतन घटाइये, उनके भत्ते पर रोक लगाइये और छोटे कर्मचारियों का वेतन बढ़ाइये, उनके बच्चों को तालीम तथा दवाई की सुविधा दीजिये क्योंकि किसान का सम्बन्ध छोटे कर्मचारियों से है। अगर छोटे कर्मचारियों और किसान के बीच जो बड़ी खाई है वह पट जाय तो इस देश का किसान प्रगति करेगा। छोटा कर्मचारी इतना परेशान है, बड़े अफसर इतना काम उसके ऊपर लाद देते हैं जिसका कुछ कहना नहीं। एक पतरौल का तबादला एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन नहीं होना चाहिये। मगर मैं देखता हूं कि आज भी बिजनौर के पतलौल का तबादला बरेली को हो गया और मेरठ के पतरौल का तबादला बहराइच को हो गया। यह बिलकुल गलत है। जिस पतरौल को ६०, ७० रुपये मिलते हैं उसका तबादला किसी दूसरे जिले या डिवीजन में नहीं होना चाहिये। आज गांव सिकुड़ते चले जा रहे हैं और शहर दुल्हन होते जा रहे हैं। आज हमें बीसों बर्ष दूसरे मुल्कों से गल्ला मंगाते हो गये। अगर हमारे मेरठ जिले में पानी, बिजली और खाद अच्छी तरह से मिलने लगे तो हम इतना गल्ला पैदा कर सकते हैं कि सारे हिन्दुस्तान को उससे खिलाया जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष---

मैं समझता हूं कि अब साढ़े चार के करीब समय हो गया। माननीय श्री सत्यवीर, आप बोल लें, लेकिन सिर्फ दो मिनट, बाकी कल बोलियेगा।

कुंवर सत्यवीर (जिला बिजनौर)---

अध्यक्ष महोदय, कृषि का महत्व हमारे देश और प्रदेश के लिये कितना है इसमें दो रायें नहीं है। एक समय यह था, १९ वीं सदी के प्रारम्भ में जब हमारे देश के अन्दर इतना खाद्यान्न पैदा होता था, विशेषकर गेहूं कि दुनियां के बाजारों में हमारा गेहूं सबसे अधिक जाता था। यही नहीं, हम अमरीका से कम्पिटीशन कर रहे थे। लेकिन आज यह हालत हो गयी है कि हम दुनियां के देशों मे गल्ले के लिये प्याला उठा कर मांगते फिर रहे हैं। कृषि की महानता को देखते हुए आज विशेषकर सिंचाई और विद्युत जिसके ऊपर कृषि निर्भर करती है इतने महत्वपूर्ण विषय हो गये हैं कि इस पर मैं समझता हूं अपने कुछ ठोस विचार व्यक्त करूं।

श्री अध्यक्ष---

अब बाकी विचार कल व्यक्त करियेगा ।

श्री रघुवीर सिंह (जिला कानपुर)---

एक व्यवस्था का प्रश्न है । आज जो नाम दिये गये थे वे व्यपगत हो गये या कल उन्हें प्राथमिकता दी जायगी ।

श्री अध्यक्ष---

देखिये, मेरे सामने जो नाम आते हैं मैं उनसे कभी अपने को बाध्य नहीं मानता हूं । इसलिये उनके व्यपगत होने या न होने का प्रश्न नहीं उठता । मेरे सामने एक दूसरी भी लिस्ट बनी हुई है कि कौन माननीय सदस्य कितनी बार बोले हैं । मैं उससे भी प्रकाश लेता हूं । तो कोई व्यपगत नहीं होता । और खासतौर से जो कांग्रेस पार्टी से नाम आते हैं उसमें कठिनाई यह होती है कि कई लिस्टें आती है और एस० वी० डी० की तरफ से एक ही लिस्ट आती है । इसलिये मैं उसका ज्यादा मान्यता दे पाता हूं । कांग्रेस पार्टी से कई लिस्टें आती हैं या इंडिविजुअल माननीय सदस्य अपनी अपनी पर्चा भेजते हैं । तो मैं बताना चाहता हूं कि उससे कोई प्रभाव मेरे ऊपर नहीं होता । मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि इंडिविजुअल लिस्ट मेरे पास न भेजा करें ।

श्री रघुवीरसिंह (जिला कानपुर)---

विरोधियों को कुछ समय ज्यादा मिला करे और कम से कम इस बात का ध्यान रखा करें कि जो किसान हो उसको सिंचाई पर बुलवायें ।

श्री अध्यक्ष---

मैं समझता हूं कि किसानों के प्रतिनिधि करीब-करीब सभी हैं । सभी को मानना पड़ेगा कि वह सही तौर पर प्रतिनिधित्व करते हैं ।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)---

अध्यक्ष महोदय जो माननीय सदस्य अन्य अनुदानों पर नहीं बोले हैं अगर उनका नाम आया है तो उनको अवसर मिलना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---

हां, यह सही है । आपका सुझाव मुझे बहुत ग्राह्य है । मैं इसको जरूर ध्यान में रखूंगा।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---

अब मेरे पास तारीख २१, २२ और आज की जो सूचनायें आई हैं उनको मुझे लेना पड़ रहा है क्योंकि दुर्भाग्य से २१ तारीख को उस समय जब सूचना ली जाती है सदन का स्थगन हो गया है और २२ को भी सदन स्थगित हो गया इसलिये तो आज तीनों दिनों की सूचनायें मेरे सामने हैं । मेरे पास २१, २२ और आज के जो कामरोको प्रस्ताव आये थे उनमें से मैंने किसी को भी स्वीकार नहीं किया है लेकिन संबंधित माननीय मंत्रियों के पास आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दिया है ।

अपर इण्डिया एक्सप्रेस में लूट की घटना के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास जो ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें आयीं थीं उनमें से मैंने दो को स्वीकार किया है। एक २१ तारीख को माननीय भुवनेश भूषण जी की सूचना जो इस तरह से है।

"२१–७–६७ को मे रे द्वारा नियम ५१ का प्रश्न रखा गया था लेकिन सदन में न होने से न आ सका। १८–१९ जुलाई को अपर इंडिया एक्सप्रेस जो दिल्ली की ओर जा रही थी, फफूंद स्टेशन पहुंचने से पहले ही ११ बदमाशों ने जो सभी हथियारों से लदे हुए थे लोगों को लूट लिया। इससे वहां की जनता में भय व्याप्त है। रेलवे पुलिस तमाशा देखती रही। जन-जीवन को मैं सुरिक्षत नहीं समझता। इसलिये अत्यन्त लोक महत्व के प्रश्न पर मंत्री जी का ध्यान दिलाता हूं।"

इसी विषय पर मेरे पास और भी सूचनाएं आई हैं तो मैंने पिछले दिन इसलिये स्वीकार नहीं किया था कि उस दिन एक और प्रश्न स्वीकार कर चुका था वक्तव्य के लिये ही। आज मैंने इसे स्वीकार कर लिया है वक्तव्य के लिये। इस पर संबंधित माननीय मंत्री जी आज अपना वक्तव्य दें, यदि सुविधा न हो तो कल दे दें।

सिंचाई मंत्री (श्री टम्बेश्वर प्रसाद)—

अध्यक्ष जी, आज वक्तव्य देना सुविधाजनक न होगा। अगले दिन दे दिया जायेगा।

लखनऊ स्थित गांधी मेमोरियल अस्पताल आदि के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

दूसरा प्रस्ताव जो मैंने स्वीकार किया है वक्तव्य के लिये। पहले मैं नियम ५१ में स्वीकार कर रहा था लेकिन परिवर्तित स्थिति में वक्तव्य के लिये ही स्वीकार किया है। वह माननीय बहुगुणा जी और तिवारी जी का है। वह इस प्रकार है कि "उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित गांधी मेमोरियल तथा एसोशियेटेड हास्पिटल्स तथा क्वीन मेरी अस्पताल और मेडिकल कालेज के क्लास ३ और ४ में कर्मचारी जिनकी संख्या ६०० है, वे हड़ताल कर रहे हैं।

इस हड़ताल के फलस्वरूप लगभग ११०० से ऊपर भर्ती बीमारों को जैसी कठिनायों का सामना करना पड़ रहा है उसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :—

(१) सारे कैम्प्स और वार्ड्स गंदगी से भर रहे हैं।

(२) बीमारों को भोजन आदि की व्यवस्था किचन बंद होने से ठप्प हो गई है।

(३) बीमारों का स्पंज, पट्टी बदलना, बिस्तर बदलना, उनके टट्टी पेशाब का बंदोबस्त करना आदि सभी काम ठप्प पड़े हैं। बीमार परेशान हैं और उनका जीवन खतरे में हैं। अस्पताल के कर्मचारी बीमारों को डिस्चार्ज कर रहे हैं।

इसी हड़ताल के फलस्वरूप अस्पताल के आउटडोर वार्ड तक का भी काम बन्द है जिससे शहरी मरीजों के लिये संकट पैदा हो गया है। इन अस्पतालों के हड़ताली कर्मचारी १७ सदस्यीय बोर्ड आफ मैनेजमेंट के मातहत हैं, जिसमें प्रदेश सरकार के द्वारा नामजद दस प्रतिनिधि हैं, उदाहरण के लिए जिलाधीश, बलरामपुर अस्पताल के सुपरिटेंडेन्ट, निदेशक, स्वास्थ्य विभाग आदि शेष सदस्य विश्वविद्यालय, लखनऊ क प्रतिनिधि हैं।

इस बोर्ड ने सरकार के पास इन कर्मचारियों के वेतनक्रमों के सुधार हेतु अपनी सिफारिशें भेज दी हैं। सरकार ने इस पर अपना कोई निर्णय नहीं लिया है।

मई, १९६७ में इन कर्मचारियों ने दो रोज की हड़ताल की थी उस अवसर पर सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उनकी मांगों पर वह शीघ्र अन्तिम निर्णय ले लेगी। यह आश्वासन भी अब तक खाली ही गया।

स्पष्ट है कि इन अस्पतालों के पूरे खर्च की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है। अस्तु उपस्थित स्थिति के लिए सरकार पूर्णतया स्वयं दोषी है।"

माननीय श्रीराम तिवारी की सूचना भी इस प्रकार की आयी थी। यह मैंने स्वीकार किया है। जो अखबार में देखा, उससे स्थिति परिवर्तित हो चुकी है। इसलिए केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है।

*स्वास्थ्य मंत्री (श्री प्रताप सिंह)—

मान्यवर, २१ तारीख को ध्यान आकर्षणार्थ प्रस्ताव की प्रतिलिपि मेरे पास आयी थी। सूचना देने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें लिखी हैं उनको मैं एकदम असत्य नहीं कह सकता लेकिन वस्तुस्थिति के विपरीत हे। विपरीत इस माने में है कि माननीय दृष्टिकोण से सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि मेडिकल कालेज में जो मरीज हैं, उनको सुचारु रूप से व्यवस्था होनी चाहिए लेकिन कानूनी दृष्टिकोण से मेडिकल कालेज विश्वविद्यालय के अन्तर्गत है और जब तक सारा मेडिकल कालेज हम अपने हाथ में नहीं लेते, हम प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जैसा कि लायक दोस्त ने लिखा है हड़ताल की वजह से मरीजों की व्यवस्था नहीं हो सकी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि मेडिकल कालेज के कर्मचारियों ने कुछ लोगों के भड़काने पर हड़ताल की। उसके बाद व्यवस्था सुचारु रूप से चलाने के लिए जो इमर्जेंसी के मरीज थे उनको बलरामपुर अस्पताल में भरती किया। हमारे बलरामपुर और मेडिकल कालेज के डाक्टरों ने छुट्टी पर न जा कर, दो तीन घंटे निकाल कर सारी व्यवस्था की। २१ तारीख को तीन बज कर २५ मिनट पर मैंने कर्मचारियों के नेता से टेलीफोन पर बातचीत की। मैंने यही कहा कि आपकी शिकायत विश्वविद्यालय से,सरकार से है। उसका असर मरीजों पर पड़ता है। वहां से दो लड़के मेरे पास आये। शिक्षा मंत्री ने जो जी० ओ० निकाल दिया था उसके अनुसार जो यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को इंटरिम रिलीफ देने को कहा गया था, हाई पावर कमेटी जब तक अपना निर्णय नहीं लेती तब तक सरकार निर्णय नहीं ले सकती। २२ तारीख को करीब १० बजे, मान्यवर, यह खुशी की बात है, खबर मिली कि मेडिकल कालेज के कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। हड़ताल कहीं हो, वह वैधानिक दृष्टि से जो भी करें लेकिन मेडिकल कालेज अस्पताल या किसी अस्पताल के कर्मचारियों को हड़ताल के लिये नहीं उकसाना चाहिए। क्योंकि इसका सीधा असर मरीजों पर पड़ता है। उसके लिए अब उनको आवश्यक सेवा भी घोषित कर दिया गया है। इस समय पूर्ण सुव्यस्था है। किसी भी मरीज को कोई दिक्कत नहीं पड़ी। यह मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं।

खाद्यान्नों तथा अन्य जीवनोपयोगी वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

मैंने एक नियम ५२ के अन्दर सूचना दी थी। कीमतों के सम्बन्ध में आपने ध्यान आकर्षित करने के लिये भेज दिया है। आपने व्यवस्था की है कि यदि वक्तव्य देना चाहें तो दे सकते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भीखालाल]

कीमतें बढ़ रही है, उनको घटाने के लिये क्या व्यवस्था की है, इस पर मंत्री जी वक्तव्य देना चाहें तो उनसे पूछ लें और वक्तव्य दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष—

अगर माननीय खाद्य मंत्री वक्तव्य देना चाहें तो कोई मुझे ऐतराज नहीं होगा। बड़ी खुशी से दें। मैंने स्वयं इस लिए बाध्य नहीं किया, नियम ५१ में स्वीकार नहीं किया क्योंकि बजट के ऊपर अभी वाद विवाद चल रहा था उसमें बहुत से अवसर आये जिन पर चर्चा हो सकती थी और हुई थी। अगर खाद्य मंत्री वक्तव्य देना चाहेंगे तो मैं स्वागत करूंगा।

खाद्य मंत्री (श्री झारखंडे राय)—

माननीय, अब तो कल अगर आप आज्ञा दें तो मैं वक्तव्य दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैं आज्ञा नहीं, अनुमति दे रहा हूं। अगर आप वक्तव्य देना चाहते हैं तो मेरी अनुमति है।

श्री झारखंडे राय—

मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

यह अच्छा है, आपका बड़ा कृतज्ञ होना चाहिये सदन को। तो आप कल वक्तव्य दे देंगे।

श्री झारखंडे राय—

जी हां।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

श्रीमन्, मेरी एक दरख्वास्त है। बाजार की बढ़ती हुई जो कीमतें हैं, इनकी बड़ी जटिल समस्या है। एसी स्थिति में कोई सरकार नहीं चल सकती है। यदि इसी तरह से चीजों की कीमतें बढ़ती हुई चली जायं तो एक दिन आयेगा जब कि उत्तर प्रदेश की सरकार क्या हिन्दुस्तान की सरकार भी गायब हो सकती है। इसलिये मेरी दरख्वास्त है कि इस पर फुल एक दिन डिबेट के लिये सदन को मौका मिलना चाहिये। इस तरह से सरकार को समस्या को हल करने के लिये पूरा सुझाव भी मिल सकेगा।

श्री अध्यक्ष—

माननीय रावत जी, आपका सुझाव बहुत ठीक है और महत्व का भी है। लेकिन बात यह है कि अभी कई दिनों से बजट पर वाद विवाद चल रहा है और उनके सम्बन्ध में बातचीत होती है और होती रही है। तो अगर कुछ समय निकल सके तो मैं अवसर दूं और अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं दूंगा।

अपर इण्डिया एक्सप्रेस में लूट की घटना के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना—(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

एक बात मैं माननीय गृह मंत्री जी से पूछना भूल गया था कि वक्तव्य किस तारीख को होगा ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद (सिंचाई मंत्री)—

परसों, नरसों। मेरा कहना यह है कि जब अविश्वास का प्रस्ताव आवेगा तो उस पर सब लोगों को बोलने का मौका मिलेगा ही।

श्री अध्यक्ष—

ऐसा है कि उससे कोई बाधा नही होती है। अविश्वास का प्रस्ताव परसों लिया जाय तो उसके अन्त में स्टेटमेंट हो सकता है ५ बजे या साढ़े ४।। बजे।

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

बात यह है कि आपके द्वारा भेजी गयी सूचना माननीय गृह मंत्री को प्राप्त नही हो सकी। तो परसों तक वे वक्तव्य दे सकेंगे।

कतिपय विषय

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश" (जिला मिर्जापुर)—

श्रीमन्, अभी आपने व्यवस्था दी कि मैं आज्ञा प्रदान नहीं करता हूं बल्कि अनुमति देता हूं कि इस विषय के संबंध में अगर माननीय मंत्री जी चाहें तो वक्तव्य दें। श्रीमन्, इस समय मैं प्रक्रिया नियमावली के नियम का हवाला तो नहीं देना चाहता लेकिन अगर आप चाहें तो आप नियम को निलम्बित भी कर सकते हैं। क्योंकि जब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सदन के सामने आते हैं तो सदन की आवाज माननाय मंत्री महोदया के पास भी जाना चाहिये। इसलिये मैं चाहता हूं कि वैसे तो ठीक है, काम चल ही रहा है लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि ऐसे प्रश्न जो भी आते हैं, अगर आप अनुमति के स्थान पर आज्ञा प्रदान करें तो संबंधित माननीय मंत्री द्वारा वक्तव्य आ जाया करे तथा सही कार्यवाही में विशेष प्रगति आ जावे। मैं चाहता हूं कि आप नियम ११०....

श्री अध्यक्ष—

माननीय अश्विनी कुमार जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि मेरे कार्यालय में आ जावें और कृपा करके मुझे उस नियम को समझा दें। अगर उस नियम में यह गुंजाइश होगी तो मैं उसका पालन करना शुरू कर दूंगा।

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश"—

श्रीमन्, एक निवेदन और है। जगह जगह बड़ी परेशानियां पैदा हो जाती हैं, तालाबन्दी हो जाती है, बड़े-बड़े भीषण कांड हो जाते हैं लेकिन बावजूद इसके सदन में उसकी कोई चर्चा नहीं हो पाती। जब सदन में तमाम चीजें आ जाती हैं तो माननीय मंत्री तक हमारी आवाज तो पहुंचनी ही चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपकी बात को ठीक समझता हूं और उसका आदर भी करता हूं लेकिन नियम क्या कहता है, अगर आप जरा सहायता करें तो ठीक होगा।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, आपसे मैं एक सूचना चाहता हूं। क्योंकि श्री टम्बरेश्वर प्रसाद के कहने से मुझे कुछ शक हो गया क्योंकि पहले जो कार्यक्रम था वह ३१ जुलाई तक का था। २५ तारीख को बजट समाप्त हो जाने के बाद कुछ विधेयक आने को थे लेकिन टम्बरेश्वर प्रसाद जी के कहने से मुझे कुछ ऐसा लगा कि सरकार की नियत कुछ गड़बड़ है और मुझे शक पैदा हो गया कि आगे हाउस चलने वाला नहीं है। तो इसका स्पष्टीकरण हो जाय कि इनकी नियत सही है, या खराब है, तो अच्छा हो जाय।

श्री अध्यक्ष—

बात यह है कि नियत सब को सही माननी चाहिये। यह सही होगा जरूर लेकिन जो सूचना माननीय टम्बरेश्वर प्रसाद ने दी उससे एक भ्रम पैदा हो सकता था लेकिन मैंने जैसा कि पूर्वाह्न में कहा था कि कल तक का कार्यक्रम हमारे सामने हैं। कल के बाद के कार्यक्रम को जानने का यह सदन पूर्ण अधिकार रखता है। इसलिये मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि वह अगले हफ्ते का कार्यक्रम कल सदन में बता दें।

श्री सहदेव सिंह (जिला इटावा)—

श्रीमन्, मैंने नियम ५२ के अन्तर्गत आपको एक सूचना दी थी कि हमारे जिले गोंडा में जो विशेषकर धान का एरिया है। वहां पर धान का और सनई के बीज किसानों को नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा वहां बहिया भी राप्ती नदी में आ गयी है। वहां की आवश्यकता का दसवां हिस्सा भी बीज का वहां नहीं पहुंचा है। अध्यक्ष महोदय, तो आप इसका कम से कम माननीय मंत्री जी के पास ही भेज दें जिससे उसकी व्यवस्था हो जाये।

श्री अध्यक्ष—

मैं खूब अच्छी तरह से समझता हूं कि सारे माननीय सदस्यों की यह स्वाभाविक इच्छा रहती है कि जिस जनपद से वे आये हैं उसका प्रतिनिधित्व करें और वहां के विषय में सदन में प्रश्न उठायें। लेकिन हमारे लिये सबको समय देना सम्भव नहीं होता है, मैंने मंत्री जी को उसको आवश्यक कार्यवाह के लिये अवश्य भेज दिया है। मैं यह अवश्य चाहता हूं कि माननीय सदस्यों की जो इच्छा है, उसका जितना अधिक से अधिक प्रसार कर सकूं करूं, वह मैं करता हूं। तो उसी के अधिकार को प्रयुक्त करते हुए मैंने उसे भेज दिया है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में एक सुझाव आपके द्वारा सदन में रखना चाहता हूं और आप भी उसे मानेंगे। यह सदन की परम्परा रही है कि नियम ५१ व ५२ के अन्तर्गत जो नहीं आते और किसी दूसरे नियमों में भी जिस पर ध्यान नहीं आकर्षित कर सकते, तो उस समय हम माननीय अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित करते थे और आज भी करते हैं, कि उन्हें अल्प सूचित तारांकित प्रश्न में ले लिया जाये, तो वह तीन दिनों में आ जाता था। तो मैं चाहूंगा कि वही व्यवस्था आप करें, जिससे वह दो-तीन दिन के अन्दर सदन में आ जायें।

श्री अध्यक्ष—

आपकी बात ठीक है। जो माननीय सदस्य सूचना देते हैं उनकी सूचना के लिये और विशेषकर नये सदस्यों की सूचना के लिये मैं बताना चाहता हूं कि जब मैं आदेश देता हूं कि वे उसे देखने का कष्ट करें तो उन्हें कुछ न कुछ फायदा होगा। बहुत से प्रश्नों पर लिख देता हूं कि उन्हें अल्प सूचित प्रश्न में या किसी दूसरे तरह ले लिया जाये, क्योंकि यह प्रश्नों का विषय है इसलिये यदि कोई अल्पसूचित के रूप में देंगे तो मैं उसे अवश्य स्वीकार करने का प्रयास करूंगा।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपर)—

श्रीमन्, आपने खाद्य मंत्री जी को बढ़ती हुई कीमतों पर वक्तव्य देने की अनुमति दे दी है। तो मेरे जिले और पूर्वी जिलों में इस समय ज्वार-बाजरा आदि मोटा अनाज बिल्कुल अवलेबल नहीं है। परसों मैं अपने यहां गया था, मैंने सारी स्थिति को देखा है। तो इसके बारे में भी श्रीमन्, यदि मंत्री जी कोई सूचना दे दें तो तो बड़ा अच्छा हो।

खाद्य मंत्री (श्री झारखंडेराय)—

कौन सी मंडी में आप गये थे।

श्री कृष्णानन्दराय—

ईशूपर, भदौल, दिलदार नगर व यूशुफपुर आदि मांडियां हैं।

देवरिया जिले में गण्डक नदी का बांध टूट जाने से क्षति के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

अब आईटम नं० १० ।

(सिंचाई मंत्री) श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

यह सत्य है कि ११/१२ जुलाई, १९६७ की रात में मधुबनी गांव के पास एक बांध टूट गया । यह बांध बिहार प्रदेश में स्थित है और उन्हीं के द्वारा इसका रख रखाव किया जाता । सन् १९६६ की बाढ़ में भी इस बांध में दरार आ गई थी और उसको बिहार सरकार ने बन्द नहीं किया था । अधिकतर बिहार प्रदेश का ही क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है । परन्तु सोवेतवा के नाके से बहकर गंडक का पानी बांसी नदी में भी आ गया है जिससे कि बांसी नदी के दोनों ओर का निचला प्रदेश पानी में डूबगया है ।

२—प्राप्त सूचनाओं के अनुसार ४६ गांव जिनका क्षेत्रफल १२,०४० एकड है, पानी में डूब गये हैं। इस क्षेत्रफल के ८,२३१ एकड़ में खेती होती है । १९,५०० मनुष्य इस बाढ़ से प्रभावित हैं ।

३—बाढ़ गंडक नदी में उतर रही है और साथ ही साथ बांसी नदी का पानी भी कम हो रहा है ।

४—जिलाधीश, देवरिया, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में यथासंभव सहायता पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री अश्वनी कुमार (जिला गोरखपुर)—

वक्तव्य में कहा गया है कि सन् १९६६ में ही इस बांध में दरार पड़ गयी थी । तो मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने साल भर में बिहार सरकार को दरार के बन्द करने के सिलसिले में लिखा था या नहीं ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

माननीय अध्यक्ष महोदय, बातचीत के अन्यान्य अवसरों पर इस ओर उनका ध्यान आकर्षित किया गया ।

श्री राम नरेश पांडेय (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष जी ने अभी प्रश्न का उत्तर देते हुये कहा कि इसके कारण सबसे ज्यादा भाग बिहार का प्रभावित है । मैं यह जानना चाहता हूं कि मझनपुर और खड्डा और छितौनी के बीच मलहिया नाले के सामने बाढ़ की विभीषिका को रोकने के लिये सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

माननीय अध्यक्ष महोदय, कदाचित् माननीय सदस्य रेलवे लाइन और मलहिया बांध के उस स्थान का जिक्र कर रहे हैं जहां पिछले वर्ष नदी की धारा अधिक प्रभावी रूप से चल रही थी और उसी को रोकने के लिये हमने वहां सर्वे कराया और जाल बांध कर व्यवस्थित रूप से मोटी तह रोक की लगाई जा रही है । इस हिसाब से जिस हिसाब से जहां पानी आता था और स्पर को भी ऊंचा किया गया । रेलवे लाइन अब सुरक्षित है जिसका माननीय सदस्य जिक्र कर रहे हैं ।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

जिस बांध का जिक्र किया जा रहा है उसके टूटने से तमकुही रोड से लेकर तरयासुजान तक के इलाके में आज से पहले कभी इतना पानी नहीं आया था जितना कि इस साल वहां की सारी फसल बरबाद हो गयी है और जैसा आपने बताया वहां के जिला मैजिस्ट्रेट ने बाढ़ पीड़ितों की सहायता का प्रयास किया है। मैं जानना चाहता हूं कि बावजूद इसके कि पिछले वर्षों म इस बाढ़ की विभीषिका का अधिक भयंकर थी। क्या मेरी सूचना को सही मानकर कि जो आपकी तरफ से सहायता कार्य हो रहा है वह अपर्याप्त है सरकार उस परिस्थिति की जानकारी प्राप्त करके लोगों की सेवा करने की व्यवस्था करेंगी ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने स्वयं उस पूरे बाढ़ग्रस्त इलाके का यदि भूमि से नहीं तो वायुयान से घूमकर काफी नीचे से यानी सौ डेढ़ सौ फीट से देखा है और मैं समझता हूं कि उस बाढ़ की विभीषिका जितनी हमारे प्रदेश की है उसके लिये व्यवस्था पर्याप्त है। तो भी माननीय सदस्य किसी स्थान विशेष की सूचना जिसका मुझे ज्ञान नहीं है देंगे तो मैं व्यक्तिगत रूप से प्रयास करूंगा कि वहां की सूचना उपलब्ध हो ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या माननीय मंत्री जी रामायणराय जी को आमंत्रित करेंगे ताकि वह वहां जाकर स्थिति देख लें क्योंकि अभी तक वह वहां गये नहीं हैं ?

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं पुकारा गया)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

इस बात को देखते हुए कि जो बाढ़ आ गयी है उससे, जैसा रामायणराय जी कह रहे हैं वहां के लोगों की फसल नष्ट हो गयी है जो केवल दस दिन में कट जाने वाली थी और वहां लोग खाने बिना तरस रहे हैं तो क्या मंत्री जी उनके लिये मुफ्त भोजनालय खोलने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

मुफ्त भोजनालय जैसी स्थिति वहां नहीं है। मैं समझता हूं कि जो हम कर रहे हैं वह काफी है। लोगों को ऊपर निकालने से ही काम चल जायगा। ऐसा लगता है कि वे लोग इसके लिये तैयार थे।

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि अब तक कौन कौन से सहायता के कार्य किये गये हैं ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

लोगों को पैराशूट्स रिलीफ दी गयी है, आकस्मिक सहायता दी गयी, जो जल में फंसे हुये थे उनको बाहर निकाला गया और आवश्यक हुआ तो उन के खाद्यान्न की व्यवस्था भी की गयी।

श्री रामनरेश पांडेय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि दो करोड़ की लागत से जो यह ठोकर बने हैं जिनके कारण आशा है कि हर साल बाढ़ आ जायगी उसके लिये सरकार ने कौन से कदम उठाये हैं कि जिससे वहां के लोग इस बाढ़ से मुक्त रह सकें ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद---

हमने अपने तमाम क्षेत्र में जो बांध बना था उसे मजबूत कराया है, जहां-जहां संभावना थी कि गंडक हमारे क्षेत्र में काट सकती है उसे मजबूत कराया है।

श्री अश्वनीकुमार---

आपने वक्तव्य में कहा है कि जिलाधीश देवरिया बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में यथासंभव सहायता पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो आपने अब तक क्या-क्या किया है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद---

मैंने अभी इस का उत्तर दिया है कि ग्रेचुट्स रिलीफ दे रहे हैं, लोगों को निकालने की व्यवस्था कर रहे हैं, आदि ।

श्री अश्वनीकुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला मिर्जापुर)---

प्रदेश में यह बाढ़ें प्रति वर्ष आती हैं और इन में लोग बह जाते हैं, फसल नष्ट हो जाती है, और हर साल कुछ न कुछ नुकसान हो जाता है। तो क्या मंत्री जी अकाल संहिता की तरह पर ही कोई बाढ़ संहिता बना कर निश्चित व्यवस्था करेंगे कि इतनी क्षति होने पर यह सहायता की जायगी ?

श्री टम्बरश्वर प्रसाद---

बाढ़ एक ऐसी चीज है कि जो निश्चित नहीं रहती। कब, कैसे, कहां आ जायगी कुछ नहीं कहा जा सकता। हम आशा करते हैं कि उस से कम से कम नुकसान होने देंगे, लेकिन बाढ़ आने पर सरकार पूरी सहायता दे सकती है, ऐसा नहीं हो सकता। आवश्यक जीवन-यापन, जीवन रक्षा और अनुदानों तथा पुनर्वास के लिये जो व्यवस्था होती है उसमें सरकार भरसक प्रयत्न करती है कि वह सहायक हो।

श्री राजाराम (जिला देवरिया)---

क्या यह सही है कि बिहार की सरकार ने मदद मांगी थी उस बांध को बनाने के लिये और आपकी तरफ से मदद दी गयी या नहीं या क्या कार्यवाही की गयी ? दूसरे वहां दो गंडक नदी हैं, एक छोटी गंडक, एक बड़ी गंडक। तो बाढ़ बड़ी में ही नहीं छोटी गंडक में भी आयी है और उससे जो क्षेत्र डूबे हुए हैं उनकी चर्चा आपने नहीं की, केवल तरयासुजान का इलाका ही नहीं, मैं तो जाकर देख आया हूं, पडरौना जो चन्द्रदेव जी का इलाका है वहां की भी चर्चा नहीं की गयी और अन्य गांव जो डूबे हुए हैं उनके लिये भी कोई व्यवस्था नहीं की गयी, वहां के लोगों को बचाने के लिए, तो क्या व्यवस्था की गयी ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद---

यह नियम ५१ तो केवल मधुबनी के संबंध में था, लेकिन फिर भी सरकार ने आदेश दे दिया है कि अगर कहीं भी बढ़ोत्तरी हुई तो उतनी दूर तक सहायता कार्य बढ़ा दिया जायगा।

सरकार द्वारा इन्टरमीडिएट परीक्षा से हिन्दी की अनिवार्यता समाप्त किये जाने के विषय में नियम ५२ के अन्तर्गत श्री वीरेश्वर त्यागी की सूचना पर चर्चा

श्री अध्यक्ष---

अब एक प्रश्न और विचाराधीन है, मैं उसको लेता हूं। वीरेश्वर त्यागी जी ने एक सूचना दी थी कि १५ जुलाई, १९६७ को एक विशेष राजकीय आदेश प्रसारित करके सरकार द्वारा इंटरमीडियेट परीक्षा से हिन्दी की अनिवार्यता समाप्त कर दी गयी। इस विषय में इतना कहना चाहता हूं कि यह सूचना स्वीकार करने के बाद जो आज माननीय शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है उससे कदाचित स्थिति में परिवर्तन आ सकता है। तो जितना संक्षेप में इस पर वाद-विवाद हो और कोई आवश्यक नहीं है कि दो घंटे लग जायं अगर कम में काम चल जाय तो अच्छा है।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)---

एक आग्रह है कि नियम ५५ के अन्तर्गत भाषणों की सीमा आप निर्धारित कर दें क्योंकि मंत्री जी और माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे।

श्री अध्यक्ष---

मैं समझता हूं कि यह कम समय में समाप्त हो जाना चाहिये। तो ६-७ मिनट त्यागी जी ले लें, ३-४ मिनट अन्य सदस्य ले लें और ५-६ मिनट मंत्री जी ले लें।

श्री अश्वनी कुमार (जिला गोरखपुर)---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जिन परिस्थितियों में यह चर्चा का प्रस्ताव किया गया था अब तो वह आधार नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

मैंने संकेत तो कर दिया पर आ गया, इससे उसका कितना महत्व था वह तो प्रत्यक्ष हो गया। अब माननीय सदस्य उसके किसी पहलू पर चर्चा करना चाहें और मुझे अवगत करें तो अच्छा है।

श्री वीरेश्वर त्यागी (जिला मेरठ)---

जिस आदेश को लेकर मैंने चर्चा का निवेदन किया था, चूंकि माननीय मंत्री ने उसको वापस लेने का आज पहले ही सदन में ऐलान कर दिया, इसलिये मेरे विचार से आगे उसमें चर्चा चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

अब ऐसा है कि यह सदन की प्रापर्टी हो चुका। इसलिये सदन की इच्छानुसार ही इस पर विवाद हो सकता है अगर माननीय सदस्य चर्चा नहीं करना चाहते तो यह समाप्त हो जायेगा। (श्री रामायण राय के उठने पर) देखिये ऐसा है कि माननीय वीरेश्वर त्यागी जी ने यह नोटिस दिया और उन्हीं को डिवेट का आरम्भ करना था। अब आप अगर उसके किसी पहलू पर चर्चा करना चाहते हैं तो आप उसके लिये फिर मांग कर सकते हैं।

श्री रामायण राय---

श्रीमन्, हिन्दी की अनिवार्यता के संबंध में घोषणा कर दी गयी, किन्तु यह भी दूसरी घोषणा है कि इंटर में ४ विषय रहेंगे। अब जो साइंस के विद्यार्थी होंगे उनको भी हिन्दी

लेना होगी ? यूनिवर्सिटी एजूकेशन का भी सवाल है । बहुत से विद्यार्थियों ने अंग्रेजी में प्रवेश ले लिया है। बहुत सी संस्थाओं ने हिन्दी के अध्यापकों को नियुक्त नहीं किया है । और बहुत सी कठिनाइयां हैं । माननीय मंत्री जी की घोषणा का मैं स्वागत करता हूं, अगर उसके जो दूसरे पहलू हैं उन पर विचार अवश्य होना चाहिये । नहीं तो शिक्षा जगत में एक बहुत बड़ी भ्रांति फैलेगी । मैं माननीय वीरेश्वर त्यागी से भी प्रार्थना करूंगा कि वे सदन को चर्चा करने का अवसर दें।

श्री चेतराम पचपेड़ा (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन अभी मैं बरेली अपनी बच्ची का एडमीशन कराने गया था वहां पर प्रिंसिपल ने कहा कि वह हिन्दी तथा अंग्रेजी में से एक ही विषय ले सकती है । १५ तारीख के आदेश में मैं समझता था कि हिन्दी कम्पलसरी होगी, चूंकि वह हमारी मातृभाषा है, वह होना चाहिये, मगर जो अंग्रेजी दूसरी भाषा उसके साथ पढ़ना चाहते हैं उसका उनको अवसर मिलना चाहिये । इसलिये इस विषय पर चर्चा होना अनिवार्य है । अगर लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे तो उससे वे अनिभिज्ञ रह जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ के अनुसार जो माननीय सदस्य सूचना देंगे वे प्रारम्भ में एक वक्तव्य दे सकेंगे । अगर कोई प्रस्ताव आता तो मैं इस चर्चा को रोक देता । लेकिन इस परिवर्तित स्थिति में मेरे लिये यह वैकल्प है कि मैं कितना समय चर्चा के लिये दूं । मैं समझता हूं कि इस पर थोड़ा सा समय ले लिया जाय ताकि जो भ्रम है वह दूर हो सके । प्रक्रिया के अनुसार पहले सूचना देने वाले माननीय सदस्य का वक्तव्य होता है उसके बाद माननीय मंत्री को संक्षिप्त वक्तव्य देना होता है । तो अब मैं चाहूंगा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ४–५ मिनट में सदन को कुछ बता दें, और उसके बाद जो गलतफहमी रह जाय उसके लिये प्रश्न कर लिये जायं ।

*उप मुख्य मंत्री (श्री रामप्रकाश)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रातःकाल मैंने जो सूचना दी थी उसमें यह कहा था कि अभी कुछ निर्णय होना बाकी है । श्रीमन्, यह विषय सरकार के जब विचाराधीन था तो मुख्य प्रश्न यह था कि जो विद्यार्थी, जो छात्र अंग्रेजी पढ़ना नहीं चाहते हैं उन्हें नियमों के द्वारा विवश न किया जाय कि वे अंग्रेजी पढ़ें और इसलिये कोई ऐसा रास्ता होना चाहिये कि हाई स्कूल और इंटरमीडियेट के जो छात्र अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहते हैं वे अंग्रेजी छोड़कर अपनी परीक्षा पास कर सकें और श्रीमन्, इसीलिये हाई स्कूल में हिन्दी और गणित इन दो विषयों को अनिवार्य विषय बनाते हुए बाकी तीन विषय ऐच्छिक कर दिये गये जिनमें एक अंग्रेजी विषय भी हो सकता है और भाषायें भी हो सकती हैं और जो छात्र अंग्रेजी लेना चाहता हैं वह ले ले और जो छोड़ना चाहता है वह छोड़ सकता है। इसलिये इस नवीन पद्धति का हाई स्कूल में प्राविधान हो गया कि केवल हिन्दी एक भाषा में परीक्षा देने के बाद और कोई दूसरी भाषा न लेने पर भी हमारे प्रदेश में छात्र हाई स्कूल की परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं। अब प्रश्न यह आ गया कि ऐसे छात्र जो हाई स्कूल में केवल हिन्दी भाषा यानी एक भाषा के आधार पर आगे आयेंगे उनके लिये इंटरमीडियेट में क्या व्यवस्था की जाय।

श्रीमन्, वर्तमान समय में इंटरमीडियेट में पांच विषय हैं । एक हिन्दी अनिवार्य और दूसरा कोई भाषा और तीन ऐच्छिक विषय हैं। लेकिन क्योंकि हाई स्कूल से केवल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रामप्रकाश]

हिन्दी एक भाषा लेने वाला छात्र इंटरमीडियेट में आयेगा इसलिये हम उनको विव ा नहीं कर सकते कि वे इंटरमीडियेट में दूसरी भाषा पढ़ने के लिये मजबूर हो और इसलिये यह प्रश्न उपस्थित हुआ। तो क्या व्यवस्था की जाय। उसमें जो व्यवस्था थी वह बड़ी महत्वपूर्ण थी। वह यह थी कि चार विषय करते हुए हिन्दी को अनिवार्य कर दिया जाय और तीन ऐच्छिक विषय रख दिये जायं और जो छात्र हिन्दी पढ़ना चाहते हैं उनको एक अतिरिक्त विषय अंग्रेजी और दूसरी कोई भाषा ऐच्छिक कर दी जाय जिसमें पास होना अनिवार्य न हो जिसके नम्बर इंटरमीडियेट की परीक्षा के साथ सम्बद्ध न किये जायं और जिसका अलग से सर्टिफिकेट दे दिया जाय। परन्तु श्रीमन्, यह विषय अभी सरकार के विचाराधीन है और इस विषय में जो परेशानियां हैं, उन पर शायद माननीय सदस्य कुछ बोलेंगे उसको ध्यान में रखते हुए। परन्तु यह विचार हुआ कि हाई स्कूल तक जो हिन्दी का ज्ञान है वह अपने प्रदेश में क्योंकि हमारी मातृभाषा है, क्षेत्रीय भाषा है इसलिये उसका ज्ञान पर्याप्त होना चाहिये और इंटरमीडियेट में एक भाषा ऐच्छिक कर दी जाय छात्रों के लिये परन्तु जो जन-भावनायें और जो परिस्थितियां है हमारा विचार था यह प्रबन्ध करने के बाद सरकार के द्वारा कुछ और घोषणायें होंगी जिसके आधार पर छात्र भी विश्वस्त हो सकें कि आगे की पढ़ाई हिन्दी में हो सकेगी। पहिले यह था कि लोक सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षायें होती हैं वे १९७० से केवल हिन्दी माध्यम में ली जायेंगी या दूसरे विद्यार्थी थे जिनको इंटरमीडियेट तक हिन्दी का ज्ञान होगा ऐसे ही छात्रों को सर्विसेज में प्राथाकता दी जायेगी। सरकार के सामने और भी विषय हैं जो हिन्दी को आगे बढाने के लिये विचाराधीन हैं। इसलिये इन घोषणाओं के पश्चात् प्रदेश के छात्रों को अंग्रजी को छोड़ने और हिन्दी को लेने में कोई बुराई नहीं है और धीरे धीरे अंग्रेजी लेते जायेंगे। पिछले साल से जो अनभव आ रहा है छात्रों के अन्दर उस के अनुसार उन्होंने यह विश्वास नहीं किया कि हिन्दी बहुत शीघ्रता से आ सकेगी इसलिये वे तुरन्त विचार करने में डरते हैं कि क्या विद्यार्थी हिन्दी को छोड़ दें। इसलिये कि यह निर्णय किया गया कि हिन्दी को अनिवार्य बनाया जाय और इस स्थिति में आज हम हैं। अब मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे सुझावदें और कौन सा रास्ता अपनाया जाय कि हाई स्कूल में जो व्यवस्था की है उसमें संशोधन करने के लिये बाध्य न हो और जो हिन्दी लेकर हाई स्कूल उत्तीर्ण करेगा उसको इन्टरमीडियेट करने में दिक्कत न हो और साथ ही साथ हिन्दी अनिवार्य कर दें इसके लिय मैंने कहा था कि तीन दिन में निर्णय करेंगे। मैंने सारी बातें रख दी हैं और मैं आशा करता हूं कि आपके सुझाव हमारे निर्णय लेने में सहायक सिद्ध होंगे।

श्री अध्यक्ष—

माननीय शिक्षा मंत्री के भाषण से प्रत्यक्ष हो गया कि कितनी आवश्यक इस पर चर्चा हो सकती थी। अब मैं चाहूंगा कि जो माननीय सदस्य इसमें भाग लें वे कृपया तीन या चार मिनट में अपनी बात कहलें। अन्त में शिक्षा मंत्री को अवसर होगा कि वे उन सुझावों पर अपना मन्तव्य दें।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जिस भाषा फारमूला की यहां घोषणा की है, यह राष्ट्र-द्रोह है। मेरी प्रार्थना है कि इस पर पूरे २ घंटे का विवाद कराने का अवसर दिया जाय। इसका फल यह होगा कि मद्रास, मैसूर, केरल, इत्यादि में हिन्दी मारी जायगी।

श्री अध्यक्ष—

आपकी इच्छा के अनुसार में समय के लिये देख लूंगा।

*श्री रामायण राय—

मान्यवर, माननीय मंत्रीजी शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रयोग कर रहे हैं मैं समझता हूं कि ये बड़े भयावक प्रयोग हैं। प्राइमरी स्तर पर या दसवें दर्जे तक या उसके ऊपर की कक्षाओं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में कौन कौन और कितनी भाषायें पढ़ाई जावें, इसका निश्चय करते समय किस स्तर का क्या उद्देश्य है, इसे हमें अपने सामने रखना चाहिये। जहां तक मेरी जानकारी है हर माध्यमिक शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है उच्च शिक्षा के लिये तैयारी करना। यदि कोई विद्यार्थी छोटी नौकरी में जाना चाहता है, उसके लिये हाई स्कूल तक की पढ़ाई काफी है। हर माध्यमिक शिक्षा के शिक्षा शास्त्रियों ने सबसे बड़ा उद्देश्य माना है कि हम कोई तकनीकी या विश्वविद्यालय की शिक्षा के लिये तैयारी करें। साथ ही आज हम एक ऐसे देश के नागरिक है जिसका संबंध केवल एक ही राज्य से नहीं है। विभिन्न राज्यों से है। कुछ क्षेत्रों में हमारा संबंध उनसे अन्यान्य बातों में है, जैसे आई० ए० एस० की सर्विस है। उसमें कोई जाना चाहता है। इन सारी बातों को सोचकर ही मंत्रीजी को कोई घोषणा करनी चाहिये। सुबह जिस समय मंत्रीजी ने कहा कि उन्होंने हिन्दी को इंटर में अनिवार्य कर दिया, तो मुझे आंशिक प्रसन्नता अवश्य हुई लकिन ऐसा लगा कि प्रारम्भ से जो उलझन वह शिक्षा क्षेत्र में पैदा करना चाहते हैं वह और भी अधिक बढ़ जायगी। संसार का कोई ऐसा जदेश नहीं है, चाहे वह मल्टी–लैंगुएज वाला हो यानी बहुभाषा वाला हो, या एक भाषावाला हो, जिसमें इस प्रकार की शिक्षा पद्धति चलाई जा रही हो। संसार के सभी देशों के संबंध में मैं निवेदन करना चाहता था, समय नहीं है, परन्तु मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी को बताना चाहता हूं कि जहां तक प्राइमरी एजूकेशन का सवाल है, वह या तो उत्तर प्रदेश की भाषा में होना चाहिये, या अगर कोई माइनारीटी कम्युनीटी किसी और भाषा में पढ़ना चाहती है, तो उसमें होना चाहिये। जैसे ही दर्जा ५ में विद्यार्थी पहुंचता है किन्हीं देशों में प्रचलन यह है कि राष्ट्र भाषा में पढ़ाई उसकी अपनी भाषा के साथ साथ अनिवार्य कर दी जाती है। जहां तक माध्यमिक शिक्षा का संबंध है, संसार के सभी देशों में, दो एक देशों को छोड़कर, त्रिभाषा फारमूला है। रूस में, अरब में ऐसा है। जापान में दो भाषायें हैं।

हमारे देश के शिक्षा शास्त्रियों ने जो निश्चय किया है उस निश्चय की ओर भी मैं संकेत कर देना चाहता हूं। इस बारे में मैं माननीय मंत्रीजी की सेवा में निश्चित सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं। कोठारी कमीशन की रिपोर्ट पर १९३ पेज पर उन्होंने कहा है कि जिस राज्य में जहां की राज्य भाषा और प्रान्तीय भाषा एक है, जैसे उत्तर प्रदेश वहां के लिये उन्होंने सिफारिश की कि पढ़ाई हिन्दी में शुरू की जाय लेकिन दूसरे राज्यों के लिये सिफारिश की कि पढ़ाई उस राज्य की भाषा में होगी। उसके आगे उन्होंने दूसरे और तीसरे स्तर के बारे में जिक्र किया कि जो लिंक लैंग्वेज हैं उस भाषा में पढ़ाई होनी चाहिये और आगे चल कर कहते हैं कि अंग्रेजी में पढ़ाई हो। जो लोगज ऊंची कक्षा में जाना चाहते हैं उनको यह अवसर मिलना चाहिये कि वे अंग्रेजी में पढ़ाई जारी रख सकें। ऐसा सुझाव उन्होंने दिया है। जहां तक हमारे प्रदेश का संबंध है हमारे प्रदेश में पिछले शिक्षा मंत्रीजी ने ३ भाषाओं की पढ़ाई का प्रबंध किया था। हमारे बच्चे हिन्दी पढ़ें, अंग्रेजी पढ़ें और उसके साथ ही साथ अपने पड़ौस के किसी प्रदेश की भाषा को भी पढ़ें।

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें।

श्री रामायण राय—

मैं इस ओर माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। लेकिन संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना नाम इतिहास में अमर करने के लिये कुछ अनोखे काम करना चाहते हैं। भोजपुरी में एक बहावत है उसकी ओर मैं मंत्रीजी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। वह यह है– 'नाम होइ कि तार पोखार कोई कि आग' कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो तालाब और पोखर खुदवा कर अपना नाम करना चाहते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे के घर में आग लगा कर अमर हो जाना चाहते हैं। इसलिये मैं माननीय मंत्रीजी से यह कह रहा हूं कि आप भारत के भविष्य में आग लगाने की चेष्टा इसके द्वारा कर रहे हैं, इस नये फारमूला के द्वारा कर रहे हैं। आप इसके द्वारा शिक्षा जगत में अव्यवस्था फैलाने जा रहे हैं। इस

[श्री रामायण राय]

भाषा के प्रश्न पर आप को अकेले कोई बात निश्चित करने का हक नहीं है। समूचे देश के शिक्षा-शास्त्रियों ने जो निश्चित किया है, संपूर्ण देश के विद्वानों का जो अभिमत है, उन सब दृष्टि-कोणों को सामने रख कर ही आपको कोई निर्णय लेना है, उनकी जो आधुनिक सिफारिश है उसी के अनुसार जो आप निर्णय लेंगे उसी से इस देश और प्रदेश का कल्याण हो सकेगा।

*श्री अश्वनीकुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला मिर्जापुर)--

अध्यक्ष महोदय, आज तो यह निश्चित रूप से बहुत गंभीर प्रस्ताव है। जब यह प्रस्ताव आया तो मुझे खुशी हुई लेकिन जब वापस हो गया तो खेद हुआ। मैं यह कहना चाहूंगा कि पिछले २० वर्षों में जो हिन्दी की परम्परा रही है, जो संवैधानिक धारायें जो अब तक पालित रहीं उनके अलावा अब जो नये कार्यक्रम बने उनसे मुझे बड़ी खुशी हुई। जब हिन्दी के संबंध में और उसके साथ ही साथ उर्दू के संबंध में जब कुछ विशेष कदम उठाने की बात आयी तो मुझे कुछ आशा हुई लेकिन अध्यक्ष महोदय, कुछ नये नये फारमूलों के नाम से, कुछ नये-नये प्रयोगों के नाम जो नये-नये तरीकों से चीजें शासन के द्वारा रखी जाने लगी, शुरू की गयीं तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं माननीय सक्षम शिक्षा मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि भाषा का प्रश्न कोई मामूली प्रश्न नहीं हुआ करता वह एक गंभीर प्रश्न है और जिस समय आप इस पर कोई निर्णय लें अच्छी प्रकार से सोच विचारकर लें। ऐसा नहीं कि एमर्जेन्सी के आधार पर १५ जुलाई को घोषणा करें कि आज से हिन्दी वैकल्पिक विषय रहेगी और अगर दबाव पड़े तो वह अनिवार्य हो जाय। यह आप ने संशोधन की घोषणा की तो हिन्दी अनिवार्य हुई। आप ने हिन्दी को वैकल्पिक विषय बनाकर यह छीछालेदर शुरू कर दी। कम समय होने के कारण मैं यह नहीं बताना चाहता कि किस तरह से मातृभाषा के द्वारा देश का और प्रदेश का हर प्रकार का विकास और उन्नति होती है लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि किसी प्रकार की ढुलमुल नीति से इस विषय में काम नहीं चलेगा।

महात्मा गांधी ने इस विषय में एक बार कहा था कि अगर मैं डिक्टेटर होता तो मैं एक कलम से अंग्रेजी को हटाकर उसके स्थान पर हिन्दी को यहां की भाषा कर देता लेकिन आजादी के बाद आज २० साल तक उस कांग्रेस सरकार ने इस संबध में हमेशा टालमटोल की नीति को अपनाया और आज हम आशा करते हैं कि आज के हमारे सक्षम शिक्षा मंत्री उस ढुलमुल नीति का अनुसरण नहीं करेंगे। इंगलैन्ड में चार्ल्स ने और कमालपाशा ने टर्की में भाषा के नाम पर इस तरह की खिलवाड़ नहीं की, उन्होंने भाषा के प्रश्न पर कदम उठाया। हमें आशा थी कि इस संबंध में कोई आमूल चूल परिवर्तन होगा और दौलताबाद से दिल्ली और दिल्ली से दौलताबाद की नीति नहीं अपनाई जावगी, हम चाहते हैं कि एक सक्षम मंत्री होने के नाते आप इस विषय में एक आमूलचल परिवर्तन कर के एक निश्चित नीति की घोषणा भाषा के संबंध में करें।

आज तक हम देखते हैं कि हर जगह अंग्रेजी हावी है, कुठारी कमीशन की रिपोर्ट आई लेकिन प्रदेश में ही नहीं सारे देश में अंग्रेजी उसी तरह से हावी है जैसे आजादी से पहले थी। माननीय शिक्षा मंत्री जी देखें कि जो आप का कार्यक्रम दर्जा ६ से ८ तक भाषा फार्मूला के अन्दर है, सन् ५६ से सन् ६१ से और जुलाई ६३ से लागू है और त्रिभाषा फार्मूला आया कुठारी कमीशन की रिपोर्ट आई उसके आधार पर कुछ हम आगे बढ़े। लेकिन प्रश्न यह है कि युनिवर्सिटी में आप जनरल इंगलिश को कम्पलसरी किये हैं, शुरु से अगर नहीं पढ़ेंगे और आगे कम्पलसरी रहेगी तो क्या होगा और अब घोषणा होगी कि जनरल इंगलिश कम्पलसरी नहीं होगी। तो भाषा फार्मूला की बात करना और साथ में इमोशनल इनटिग्रिटी की बात करना और इस तरह की जो देश की टुकड़े टुकड़े करने की नीति कांग्रेस के जमाने से चली उस ने हमें

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहां लाकर खड़ा किया है उस के बारे में वक्त नहीं है ज्यादा नहीं कहना चाहता लेकिन अगर हिन्दी को आप को राष्ट्र भाषा और मातृ भाषा के स्थान पर स्थापित करना है तो उस की घोषणा कीजिये और साथ में अगर आप क्षेत्रीय भाषा को भी लेकर चलना चाहते हैं तो उर्दू को भी दूसरी भाषा घोषित कीजिये और हिन्दी और उर्दू के झगड़े को हमेशा के लिये समाप्त कीजिये। अभी तक हुआ यह है कि केवल अंग्रेजी को ही आश्रय दिया गया है और यह नीति रही है की बराबर कोशिश रही है कि ९८ प्रतिशत लोगों पर २ प्रतिशत अंग्रेजी जानने वालों का प्रभुत्व कायम रहे। लेकिन उन के इस भुलावे में रहकर बहुत गड़बड़ी हो सकती है और देश की हानि हो सकती है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो हिन्दी को वैकल्पिक विषय बनाने की घोषणा की थी उस से तो देश के प्रदेश के साथ बड़ी खिलवाड़ होती और देश की आत्मा के साथ खिलवाड़ होगी। मैं अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बरमा, सीलोन के विषय में उदाहरण दूंगा, रूस और अमरीका के नहीं दूंगा लेकिन बरमा लंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमारे देश के पास के मुल्क हैं सब जगह मातृ भाषा को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है और साथ में अल्पमत की भाषाओं को भी प्रोत्साहन दिया जाता है। अपनी भाषा को माध्यम बनाकर शिक्षा देना आरम्भ करने से ही अंग्रेजी जा सकती है और इसी तरह से हम अपनी मातृ भाषा और क्षेत्रीय भाषाओं की उन्नति कर सकते हैं। बरमा में ५ साल का कार्यक्रम बनाया गया और मैं बरमा और सीलोन व अन्य पड़ोसी देशों की रिपोर्ट के आधार पर कह सकता हूं कि वहां पर वहां के लोगों की भावनाओं को साथ लेकर चला गया और इस भाषा के सवाल को हल किया गया है। सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से, भावनात्मक एकता के खयाल से, अपनी अनुभूतियों और विचारों के समन्वय के आधार से हम चाहते हैं कि आप विश्वविद्यालयों से अंग्रेजी को बिलकुल हटा दें और उर्दू को मातृभाषा के बाद दूसरी भाषा के रूप में इस प्रदेश के लिये स्वीकार कर लें।

श्री ए० सी० प्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बहुत कम समय दिया लेकिन जब यह माननीय मंत्री जी का आदेश आया तो मुझे अन्दाज हुआ कि इस प्रदेश के जो बच्चे होंगे उनको हिन्दुस्तान में इम्पलायमेंट मिलना बड़ा मुश्किल होगा।

जब १५ जुलाई का आदेश निकला तो मैंने जहां पर हमारे स्कूल्स हैं बरेली व शाहजहांपुर आदि में वहां पर लिखा कि मुझे टेलीफोन द्वारा बतायें कि कितने कितने बच्चों ने हाई स्कूल में और इन्टरमीडिएट में हिन्दी में और अंग्रेजी में दाखिला करवाया है। वहां से मुझे जो सूचना प्राप्त हुयी है उससे स्पष्ट होता है कि वहां पर जो कोन्सैन्सस था वह ९९ प्रतिशत अंग्रेजी लैने वाले विद्यार्थियों का इन्टरमीडिएट में था साइन्स में और आर्टस् में केवल ५० प्रतिशत था। जब माननीय मंत्री जी का यहां पर भाषण हुआ तो मुझे लगा कि उनको डर लग रहा है रैफरैन्डम का। इस संबंध में मैं आपके सामने जो हमारी युनिवर्सिटीज की हालत है उसके बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। हमारी लखनऊ यूनिवर्सिटी में बी० ए० (पार्ट एक और दो) में अंग्रेजी (जनरल) एसैन्शियल है। इसके साथ उन्हें लेना पड़ता है जनरल हिन्दी या इंडियन कल्चर। बी० एस सी० में जनरल अंग्रेजी आवश्यक है। कानपुर युनिवर्सिटी में बी० ए० में जनर इंग्लिश या जनरल हिन्दी और बी० एस--सी० के लिये केवल जनरल इंग्लिश, गोरखपुर युनिवर्सिटी में बी० ए० के लिये जनरल अंग्रेजी, जनरल हिन्दी या इंडियन कल्चर, और बी० एस० सी० के लिये जनरल हिन्दी या इंडियन कल्चर। इलाहाबाद युनिवर्सिटी में बी० ए० के लिये इंगलिश और बी० एस--सी० के लिये भी अंग्रेजी। आगरा युनिवर्सिटी में बी० ए० में जनरल इंग्लिश और जनरल हिन्दी परन्तु बी० एस-सी० में जनरल अंग्रेजी या जनरल हिन्दी। अब मैंने सुना है कि आगरा युनिवर्सिटी कानपुर की युनिवर्सिटी के समान जनरल इंग्लिश या जनरल हिन्दी करने जा रही है।

अब मैं जी० ओ० जो सरकार द्वारा प्रसारित हुआ है उसके संबंध में कहना चाहता हूं कि जहां तक हाई स्कूल तक तो कोई बात नहीं है लेकिन उसके बाद स्पेशलाइजेशन हो जाता है। मैं

[श्री ए० सी० प्राइस]

इस सदन को पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मुझे हिन्दी से कोई विद्वेश नहीं है। हमारे यहां पर तीन आप्शनल सबजेक्ट्स हैं। हाई स्कूल में आपने हिन्दी, मैथेमैटिक्स या लड़कियों के लिये होम साइन्स और ३ और विषय कर दिए हैं। पहले ३ कम्पलसरी सबजेक्ट्स थे और २ आप्शनल। अब २ कम्पलसरी और ३ आप्शनल कर दिए हैं। इससे मुझे क ई लड़ाई नहीं है। अगर लड़का हायर एजूके न लेना चाहता है तो वह ले ले। कोई उसे फोर्स नहीं कर सकता है कि वह चाहे हिन्दी ले या अंग्रेजी ले। लेकिन सरकार की रैस्पोंसिबिलिटी है कि जो हमारे लड़के आयेंगे, वे क्या करेंगे ? पोलिटिकल व्यूज से इसे आप न तय कीजिये यह सोचकर कि हम तो १० साल बाद नहीं रहेंगे और हमें बच्चों का खयाल नहीं है। यह सरकार की पूरी जिम्मेदारी है। हमारी प्रार्थना है कि हाई स्कूल में जिस तरह से ५ सबजेक्ट्स हैं उसी तरह से इंटरमीडियेट में भी ५ सबजेक्ट्स हो जायं एक कम्पलसरी जो हिन्दी हो, हमें कोई एतराज नहीं है और ४ आप्शनल सबजेक्ट्स हों, जिस में इंगलिश या ऐनी मौडर्न यूरोपियन लैंगुएज वह लड़का ले सके। चार आप्शनल सबजेक्ट्स जरूरी हैं। जैसा मंत्री जी ने कहा जिसको लेना हो वह ले तो मैं कहना चाहता हूं कि जो स इंस लेगा वह अंग्रेजी नहीं ले पायेगा और फिर अगर लेगा भी तो उस के मार्क्स ऐग्रीगेट में नहीं जोड़े जायंगे। इससे काम नहीं चलेगा। मैं चाहता हूं कि हाई स्कूल की तरह ५ सबजेक्ट्स इंटरमीडियेट में भी कर दिये जायं और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो बच्चे आप के हमारे स्कूल में आयेंगे उनको हम भगा देंगे।

*श्री रामप्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)--

मान्यवर, मैंने सुना कि विज्ञान का अध्ययन वास्तव में बिना अंग्रेजी के नहीं हो सकता। इस संबंध में और जहां हिन्दी की बात आती है, मै एक बात आप के सामने रखना चाहता हूं। किसी भी प्रजातांत्रिक देश में और खास तौर से किसी भी स्वतंत्र देश में तीन चीजें बहुत जरूरी हुआ करती हैं और वे तीनों चीजें क्रेवल एक ही होनी चाहिये। एक जबान, एक निशान और एक विधान। जब तक स्वतंत्र राष्ट्र में तीनों चीजें एक नहीं होंगी, और इन तीनों के साथ राष्ट्रीय भावना बनी रहती है, वह देश कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। जहां हम एक निशान की बात करते हैं, एक राष्ट्रीय ध्वज के साथ बंधे हुए हों, संविधान से बंधे हों वहां पर हमें एक जबान, यानी एक राष्ट्र भाषा के ऊपर एक मत होकर उस की महत्ता को अख्तियार करना पड़ेगा संविधान के ज्ञाता जानते हैं कि भारत के संविधान में १४ भाषाओं को मान्यता दी गयी है, और अभी पीछे सिंधी को भी मान्यता दी गयी है। जिस प्रकार समुद्र मंथन के समय १४ रत्न निकले थे जिस में से एक अमृत घट के रूप में हमारे सामने आया था उसी प्रकार से जो १४ भाषायें हैं उन में हन्दी एक अमृत घट के रूप में इस राष्ट्र के समक्ष रखी गयी है और जिस का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश भारत का हृदय और महत्वपूर्ण स्थान होने के नाते, यदि उत्तर प्रदेश की सरकार हिन्दी को अनिवार्य करने में हिचकिचायेगी तो कौन सा प्रदेश है जो हिन्दी को अपने मस्तक पर लगाने का गौरव प्राप्त कर सकता है ? इसलिये जो त्रिभाषी फारमूला है, मैं कहना चाहता हूं कि आखिर राष्ट्रीय ध्वज के साथ हमारा संबंध क्या है एक छोटे से डेढ़ गज कपड़े के साथ हमारी भावनायें ही बंधी होती हैं। उसकी रक्षा के लिए इतने बड़े बड़े बलिदान हुए हैं। जिस प्रकार संविधान की एक धारा तथा एक एक शब्द पर सारा राष्ट्र तिलमिला उठता है और जिस प्रकार विधान की रक्षा हम करना चाहते हैं उसी प्रकार जबान की रक्षा करने के लिये एक दृढ़ संकल्प होना चाहिये।

राकेश जी ने कहा शिक्षा विभाग में रोज रोज उलट फेर से गड़बड़ी हो जायगी। यह ठीक है अन्य विभागों में उलट फेर हो जाय तो कुछ नहीं होगा लेकिन अगर शिक्षा विभाग में गड़बड़ियां होंगी तो मस्तिष्क पर असर पड़ेगा। राष्ट्र के अन्दर मनुष्य बन रहा है, विद्यालय वास्तव में मनुष्य बनाने वाली फैक्टरियां हैं अगर उनमें गड़बड़ी शुरू हो गयी तो राष्ट्र की बुद्धि

*बक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

फिरेगी। सारे प्रदेश का धार्मिक जगत यह आशा लगाये बैठा है कि अबकी बार धर्मवीर के हाथ में यह शिक्षा विभाग पहुंचा है और वह अपने शंखनाद को सुनायेगा जिसे सुन कर मनुष्य का निर्माण होगा और हिन्दी की ओर बढ़ता के साथ यह प्रदेश अग्रसर होगा।

श्री जियाउर्रहमान (जिला उन्नाव)--

अध्यक्ष महोदय, केरीकुलम के मसले पर फैसला लेने के पहले शिक्षा के सिलसिले में हमें कुछ चीजें सामने रखनी होंगी। यह प्रदेश हिन्दी भाषी प्रदेश है। बचपन से ही आम बोलचाल की जबान के माहोल और फिजा में ही बच्चा बढ़ता है, बोलता है। हिन्दी सुनते हुए वह इस प्रदेश में पैदा होता है और जब उसके मुंह से पहला लफ्ज निकलता है तो वह हिन्दी का निकलता है। फिर जब वह स्कूलों में जाता है तो छोटे दर्जों में, माने हुए उसूल के मुताबिक, जैसा कि संविधान में भी है कि हर बच्चे को उसकी मादरी जबान में शिक्षा दी जानी चाहिये, उसे हिन्दी में शिक्षा मिलती है। इस प्रकार जूनियर हाई स्कूल के स्टेज तक उसे बच्चे की मादरी जबान ही में शिक्षा दी जाती है और फिर उसके फर्दर डेवलपमेंट के लिये हाई स्कूल का जो स्टेज है जिस पर उसका काफी विकास हो जाता है, मादरी जबान ही में शिक्षा पाता है जिस जबान को कि वह मां की गोद से सुनता और सीखता आ रहा है।

इसके साथ ही हमको एक दूसरा कांटेक्स्ट भी देखना होगा। हमारा देश बहुत बड़ा देश है और इस देश में मुख्तलिफ जबानें मुख्तलिफ सूबों में हैं। यह भी बात इस सदन से छिपी हुई नहीं है कि एक बार सारे मुल्क की जबान हिन्दी को बनाने के लिये कोशिश की गयी थी तो साउथ इंडिया में किस तरह की विद्रोह की भावनायें उठ खड़ी हुई थीं। उसे मैं अच्छा नहीं समझता, लेकिन वे शुरू हुईं। कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां की आम बोलचाल की जबान हिन्दी नहीं है। लिहाजा माननीय मंत्री जी इसको मद्देनजर रखते हुए इस बात पर गौर करें। आम तौर पर जो बच्चे इंटरमीडियेट कालेजेज में पढ़ते हैं उनके ऊपर १५ जुलाई का जो नोटिफिकेशन आप का हुआ था उसका क्या रिऐक्शन हुआ, इसे भी आप को देखना होगा और जब आज आपका एक दूसरा एलान हो गया तो उनके ऊपर क्या असर होगा। हमारा जो शिक्षा का तरीका है उसमें भी डिफेक्ट्स हैं। मैं यह महसूस करता हूं कि बच्चों के ऊपर एक बोझ बना हुआ है जिसकी वजह से वे किसी एक खास लाइन में जितना विकास करना चाहिये उतना नहीं कर पाते। १५ जुलाई को जो आपका नोटिफिकेशन हुआ था और आज एजेन्डे में जब मैंने देखा कि उस पर ५ बजे के बाद वादविवाद होगा तो मैंने यह सोचा था कि मैं शिक्षा मंत्री जी को मुबारकबाद दूंगा इसलिये कि एक अच्छा कदम आप ने उठाया था कि इंटरमीडियेट के बच्चों पर जहां ५-५ सब्जेक्ट्स का बोझ था उसको आपने थोड़ा सा हल्का कर दिया जिससे कि वे दूसरी तरफ जिधर जाना चाहें अपना दिमाग लगा सकें। लेकिन मेरी बदकिस्मती है और शिक्षा मंत्री जी की मैं खुशकिस्मती कहूं या बदकिस्मती कि आज एक अच्छा मौका मिला था जो हमारे हाथ से निकल गया। आप सोचिये कि इंटरमीडियेट में अगर ४ सब्जेक्ट्स रहें तो उसमें आपने हिन्दी कम्पलसरी रख दी और अगर साइन्स का लड़का है तो फिजिक्स, कैमेस्ट्री और मैथ्स लेगा या फिजिक्स, कैमेस्ट्री और बायोलोजी लेगा। आज इस बात को मान कर चलना चाहिये कि अभी बावजूद हमारी इन्तहाई कोशिशों के हिन्दी काफी डेवलप हो आज भी हमारी हिन्दी उस लेविल पर नहीं आ पायी है (लाल बत्ती जलने पर) मैं इसके अलावा दो मिनट और चाहता हूं। मैं यह अर्ज कर रहा था कि साइन्स के बच्चे अंग्रेजी या कोई दूसरी जबान नहीं पढ़ सकते। इंटरमीडियेट पास करने के बाद अगर वह टेक्निकल एजूकेशन में जायं या यूनिवर्सिटी में जायं तो उनको शदीद किस्म की परेशानी होगी। आई० आई० टी० का मीडियम आफ इन्स्ट्रक्शन अंग्रेजी है। यों ही हमारा अंग्रेजी का स्टैंडर्ड दिन-ब-दिन कम हुआ है और अगर हम उस को और ज्यादा कम करेंगे तो उससे बच्चों का नुकसान होगा। इस प्रदेश के बच्चे हाई स्कूल तक हिन्दी पढ़ने के बाद नान-हिन्दी स्पीकिंग प्राविन्सेज के बी० ए० पास बच्चों से अच्छी हिन्दी जान सकते हैं,

[श्री जियाउर्रहमान]

इसमें कोई शुबहा नहीं है। तो अगर आप हाई स्कूल के बाद हिन्दी को कम्पलसरी न करने के बजायं एक आप्शनल सब्जेक्ट कर दें और हमारे बच्चे दूसरे प्रदेशों की कोई जबान या कोई यूरोपियन जबान, जिसमें उनकी रुचि हो, उसको पढ़ें तो हमारे पूरे देश में एक समानता का वातावरण पैदा होगा। इस एतबार से भी और इस एतबार से भी कि बच्चों पर तालीम का बोझ कम हो हाई स्कूल तक जिसने हिन्दी पढ़ ली उस हिन्दी पढ़ लेने के बाद कौन सी किताब है जिसको वह नहीं पढ़ सकता। नौविल पढ़ता है और भी बहुत सी किताबें पढ़ता है। एक लफ्ज मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि खुदा के लिये प्रेशर से काम न करें। एक मजबूत कदम उठाइये। आप तो खुद बी० एस० सी० हैं इसलिये आप को उन दिक्तों और तकलीफों का अहसास है। मैं आप के माध्यम से अर्ज करना चाहता हूं कि मंत्री जी को एक कदम उठाना चाहिये। जो कदम उनका उठा था वह प्रेशर की वजह से हट रहा है वो हटने नहीं देना चाहिए।

*श्री बजरंगबली ब्रह्मचारी (जिला हमीरपुर)—

अनेकशः धन्यवाद वन्दनीय पुरुषांक, मैं आप की आज्ञा से निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी देश की संस्कृति, सभ्यता और मानवता के साथ ही साथ राष्ट्रीयता के सम्वर्द्धन के लिये, उसके अभ्युदय और उत्थान के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि उस देश का रहन-सहन, आचार विचार, नियम और संयम के साथ ही साथ भावना साधना पूर्णरूप से सम्वर्द्धित रहनी चाहिये । जहां तक हिन्दी भाषा की बात है। हिन्दी भाषा के साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय भाषा, व्यावहारिक भाषा के नाम पर कितनी क्रान्तियां और भ्रान्तियां हुईं। हम परतंत्र थे । तंत्रकार होता है शासन। शासन सदैव से रहा है। एक देश के शासन में हम परतंत्र रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये सदियों से अनेक क्रान्तियां हुईं, अनेक भ्रांतियां हुईं। अनेक हमारे यहां की माताओं क गोदें सूनी हुईं, अनेक ललनाओं की मांग का सिंदूर पुंछा तथा अनेक बहनें भाइयों से विहीन हो गईं। यह सब किस लिये हुआ? केवल स्वार्थ के लिये ही तो। हमारे यहां कहा गया है कि,

"सर्वं परवशं दुखं सर्वमात्मवशं सुखम्।"

श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस देश की मूलभूत भाषा, राष्ट्रीय भाषा, व्यावहारिक भाषा तथा एकमात्र भाषा हिन्दी की अवहेलना करके हम कदापि जीवित नहीं रह सकते हैं। जहां तक आंग्ल भाषा की बात है। केवल जाया माया और छाया की बात है। इससे इस देश का उत्थान कभी भी सम्भव नहीं हो सकता। मैं आप के द्वारा कहना चाहूंगा कि काम, दाम, आराम के पीछे अशक्त करने वाली कोई भी भाषा इस समाज को विकासोन्मुख नहीं कर सकती है। मैं आप के द्वारा कहना चाहूंगा कि जिस भाषा के साथ हमारी संस्कृति के भूलभूत तथ्य छिपे नहीं हैं वह कभी भी हम को एकता के सूत्र में नहीं बांध सकती हैं। अनेक सदियों की क्रान्ति और भ्रांति के फलस्वरूप जो स्वतंत्रता हम को प्राप्त हुई है उसका हम संरक्षण और सम्वर्द्धन नहीं कर सकते हैं। अन्ततोगत्वा कोई विशेष लम्बा भाषण नहीं करना केवल एक मूल त व कह देना चाहता हूं।

हमारे यहां महाभारत में एक बहुत ही सुन्दर आख्या है। उस समय कौरव पाण्डवों का युद्ध चल रहा था । सभी वन्दनीय हैं, सभी पूज्य हैं। उन्होंने सोचा कि अवसर से लाभान्वित होना चाहिये। धर्मराज ने कहा क्या चाहते हो। उन्होंने कहा कि बड़ा सुन्दर अवसर है, हमें सहयोग दीजिये, सहायता दीजिये, विजयश्री हम पूर्ण कर लेंगे। युधिष्ठर को धर्मज्ञ कहा जाता था। उन्होंने एक ही उत्तर दिया। सुनिये, समझिये और विचार कीजिये। हम वह भारतीय मनीषी हैं जो कि भौतिक सुखों की वृद्धि के पीछे, इन लाभों के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पीछे अपनी संस्कृति की हत्या नहीं किया करते हैं। जरा सुनो तो। उन्होंने एक ही शब्द कहा। ऐ विदेशियो ! वयं पंच वयं पंच वयं शतंचते। हम पांच हैं, हम पांच हैं, हम पांच हैं और हमारे विपक्षी १०० हैं। लेकिन अन्ये सह विवादेषु वयं शतंच मे। जब दूसरे से विवाद उपस्थित होता है तो हम ५ और १०० दोनों मिल कर १०५ हो जाते हैं। मैं यही कामना और अभ्यर्थना करूंगा कि इस हिन्दी राष्ट्र भाषा, इस देवभाषा, इस व्यावहारिक भाषा को राष्ट्र के प्रति आदर देने के लिये, उसके पृष्टपोषण के लिए, हम एक स्वर से बोलें, उसको कार्यान्वित एवं क्रियान्वित करने के लिये भरसक चेष्टा करें।

*श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय शिक्षा मंत्री जी का भाषण सुना। मान्यवर, मैं समझता हूं कि स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं हुई और जो वह करना चाहते हैं उसको करके इसका असर उससे उल्टा होने वाला है। इसमें कोई दो राएं नहीं हैं कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा का स्थान दिया जाय। संविधान में भी वह है। जहां तक मैं समझा अब तक ऐसा था कि हाई स्कूल में तीन कम्पल्सरी सब्जेक्ट्स थे। एक हिन्दी, एक शेड्युड लैंगुएज या फारेन लैंगुएज, तीसरी मैथमेटिक्स और दो आप्शनल सब्जेक्ट्स थे। अब हिन्दी और मैथमेटिक्स कम्पलसरी कर दिया और तीन आप्शनल कर दिये। इसके मानी यह हैं कि शेडयूल्ड लैंगुएज और फारेन लैंगुएज को निकाल दिया। इंटरमीडिएट में एक कम्पलसरी सब्जेक्ट था हिन्दी और फारेन लैंगुएज और तीन आप्शनल थे। आपने हिन्दी को कम्पल्सरी और तीन आप्शनल सब्जेक्ट्स कर दिये। सही है ?

श्री रामप्रकाश—

हाई स्कूल में हिन्दी और गणित अनिवार्य है और तीन ऐच्छिक विषयों में एक भाषा भी हो सकती है।

श्री नवलकिशोर—

मान्यवर, शिक्षा मंत्री ने बताया कि जो आप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनमें भाषा भी हो सकती है। मुझको आपत्ति यह है कि एक तो इस घोषणा का असर जो नान हिन्दी स्टेट्स हैं उन पर अच्छा नहीं पड़ेगा। हिन्दी के प्रति जो मन में आस्था पैदा करने का प्रयत्न था वह इसके विपरीत जायगा। जो हमारी राष्ट्रीय भावनात्मक एकता के लिए हानिकारक सिद्ध होगी। दूसरी बात यह है कि जो ऐजूकेशन कमीशन की रिपोर्ट है जिसमें थ्री लैंगुएज फार्मूला के लिए रेकमेंड किया है उसकी तीन चार लाइनें मैं पढ़ना चाहता हूं।

"At a lower secondry stage, a study of three languages should be obligatory, and a student should under an obligation to study either the official language of the Union or the associate official languages which he had not elected at the higher primary stage. By and large the pupils in Hindi areas will study Hindi, English and a modern Indian language, while the vast majority of pupils in non-Hindi areas will learn regional language, Hindi, and English."

यह रेकमेंडेशन तीन भाषाओं की है। इसको मैं भी उचित समझता हूं। जैसे कि शाउर्रहमान साहब ने कहा कोई उर्दू पढ़ना चाहता है या मराठी पढ़ना चाहता है या इंग्लिश पढ़ना चाहता है। माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि इंटरमीडियेट में चाहे तो आप्शनल लैंगुएज ले सकता है। उसके मार्क्स इंटरमीडिएट में नहीं जोड़े जायंगे। तो मान्यवर, मेरा कहना यह है कि एक स्टुडेण्ट चाहता है कि वह इंगलिश में एम० ए० तक जावे, तो जब आप उसका इम्तहान लें भी तो यह कामनसेंस की बात है कि उसकी प्रोफिसिएंसी पर इसका असर पड़ेगा। अगर अंग्रेजी वाले के अलावा उर्दू लेंगे, मराठी वाले मराठी लेंगे तो यह मानी हुई बात है कि हायर स्टडीज में उस स्टुडेंट के लिये हैंडिकैप हो जायगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नवलकिशोर]

दूसरी बात यह है कि माननीय राम प्रकाश जी तो साइंस के बड़े अच्छे स्टूडेंट रहे हैं। वे खूब जानते हैं कि अभी हिन्दी के अन्दर तमाम किताबें विज्ञान व टेक्नोलाजी की नहीं हो पायी हैं। अभी हिन्दी को कम्पलसरी कर देने के माने यह होगा कि साइंस के विद्यार्थियों के ऊपर अननेसेसरिली एक हैंडिकैप हो जायगा। तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि जो मौजूदा स्थिति है उसमें बजाय इम्प्रूवमेंट करने के उसको और कन्फ्यूज न करने जा रहे हैं बल्कि वर्स्ट टाइप का कनफ्यूजन पैदा करने जा रहे हैं। मेरी दरख्वास्त यह है कि जब तक क्लीअर पिक्चर सामने न हो तब तक जैसी स्थिति है उसको वैसा ही चलने दें कुछ समय के लिये। इस पर आप कुछ और सोच विचार कर लें। हालांकि मैं इंगलिश का कोई बड़ा भारी एडवोकेट नहीं हूं लेकिन इस बात को मैं जरूर कहूंगा कि जो विद्यार्थी इंगलिश पढ़ना चाहते हैं हो सकता है कि उनमें कोई फारेन सर्विस में जाना चाहे, तो उसके लिये कम्पलसरी न करें कि वह हिन्दी पढ़े ही। अगर कोई विद्यार्थी हायर स्टडीज के लिये इंगलिश पढ़ना चाहता है तो उसको उसके लिये फैसिलिटीज देनी चाहिये।

यह बात सही है कि सेंटिमेंट की बात हो सकती है, सारे देश और प्रदेश के सेंटिमेंट की बात है लेकिन आपने हिन्दी को कम्पलसरी करके कोई नयी बात तो की नहीं। हिन्दी तो पहले से ही कम्पलसरी है इंटरमीडिएट में और हाई स्कूल में भी। आपने कोई नई बात नहीं की है एक भाषा को हटा कर। एजूकेशन कमीशन वालों ने और जितनी आप के पास रिपोर्ट्स हैं उन सब में इस बात पर जोर है कि कि प्राइमरी स्कूल में मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में शिक्षा हो, हायर सेकेंडरी स्कूल में रिजनल लैंग्वेज या मदर टंग में शिक्षा हो और थ्री लैंग्वेज फारमूला लागू हो। लेकिन आप इन सब के विपरीत जा रहे हैं। जो मौजूदा सही स्थिति है उस को भी आप बिगाड़ रहे हैं। इसलिये शिक्षा मंत्री जी से मेरी दरख्वास्त है कि वे जल्दी में कोई काम न करें। इस पर जिद्द करने का भी कोई सवाल नहीं है। यह जो एजूकेशन का सवाल है लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स के जीवन और उनकी भावनाओं का सवाल है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस पर आप पुनः विचार करें और जैसा कि माननीय जिया-उर्रहमान साहब ने कहा—यह माइनारिटी का भी सवाल है। उर्दू को भी रीजनल लैंग्वेज माना गया है और यहां उस को भी सेकैंड लैंग्वेज मानने की बात चल रही है। इस समय उस बहस में मैं नहीं जा रहा हूं। लेकिन उर्दू में भी हायर स्टडीज के लिये सुविधा मिलनी चाहिये। इसलिये आप पुनः इस पर विचार करें। केवल यही मेरी आपसे निवेदन है।

*श्री महेशकुमार (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, हिन्दी के ऊपर माननीय नवलकिशोर जी के भाषण को मैंने बड़े ध्यानपूर्वक सुना। माननीय कमला पति त्रिपाठी जी ने कहा था कि शिक्षा के सम्बन्ध में हम हिन्दी को अनिवार्य कर रहे हैं और ऐसा करना देश व प्रदेश की उन्नति के लिये बहुत आवश्यक है। और आज शिक्षा मंत्री जी ने जब सदन की भावनाओं का खयाल करते हुए यह घोषणा कर दी है कि हिन्दी कम्पलसरी रहेगी तो अब यह कहा जा रहा है कि ऐसा आप क्यों करने जा रहे हैं। अब कहने के लिये कोई बात तो रही नहीं, फिर क्या कहें। जो बड़े भारी आलोचक हैं और नौकरशाही को चलाने में जिनका हाथ रहा है, उन्होंने सब को एक भ्रम में डाल रखा है। आज स्थिति यह है कि बड़े लोगों के जो बच्चे हैं वे ही इंगलिश पढ़ते जाते हैं और उसमें आगे बढ़ जाते हैं जब कि गरीबों व मजदूरों के बच्चे इंगलिश नहीं पढ़ते और वे काफी पीछे रह जाते हैं। क्या रूस, चीन आदि गैर इंगलिश देशों में इंगलिश में ही शिक्षा दी जाती है? यह तो हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश के अन्दर एक ऐसे वातावरण का निर्माण हो गया है कि इंगलिश के बिना हमारा काम चल ही नहीं सकता। इस तरह से गरीबों के बच्चे हमेशा ही पीछे बने रहेंगे। ऐसा हमारे प्रान्त के अन्दर दिखलाई देता है। श्रीमन्, यह ठीक ही है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जो लोग एम० ए० तक अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, उनके लिये दरवाजा खुला हुआ है इंटर में इंगलिश ले लें। इसके अतिरिक्त मेडिकल कालेज और इंजीनियरिंग कालेज वगैरा में चूंकि अभी हिन्दी की व्यवस्था नहीं है, उसके लिये यह होगा कि जब हमारे बच्चे अधिकाधिक संख्या में हिन्दी पढ़कर निकलेंगे, तो उनको अधिकांश लोग हिन्दी वाले मिलेंगे, तो हमारे मंत्री जी और यूनिवर्सिटियां सोचेंगी कि हम सारी चीजें हिन्दी में उपलब्ध करायें। आज की स्थिति यह है कि जब सरकार द्वारा घोषणा की गई कि इंटरमीडिएट के अन्दर कोई हिन्दी ले चाहे अंग्रेजी, तो स्थिति यह हो गयी कि लोगों ने हिन्दी कम ली थी और अंग्रेजी ज्यादा ली थी। क्योंकि स्कूल-कालेजों में नौकरशाही घुसी पड़ी है और प्रोफेसर लोग छात्रों की अंग्रेजी की कमजोरी का नाजायज फायदा उठा कर १००—१०० रुपया ट्यूशन का लेते हैं। टीचर्स लोग छात्रों को इस गलत तरीके से समझाते हैं कि साइंस में बिना अंग्रेजी के तुम्हारा आगे काम नहीं चल सकेगा, इसलिये अंग्रेजी अवश्य लो। आज जो यह कम हमारे शिक्षा मंत्री जी ने किया है, जो कदम उठाया है वह सारे प्रान्त की भावनाओं का प्रतीक है। जब हमारे बच्चे हिन्दी पढ़ेंगे तो हिन्दी की जो एक प्रगति होगी वह निश्चित रूप से होगी।

एक शब्द मैं और कहना चाहता हूं कि यह बात जो कही जाती है कि दक्षिण भारत में इसका रिएक्शन होगा। मैं इस पर केवल यही कहना चाहता हूं कि वे लोग जो उत्तर प्रदेश के लोगों को यह ताना देते हैं कि, उत्तर प्रदेश की जिसकी भाषा हिन्दी है, वहां के स्कूलों में ही अंग्रेजी अनिवार्यता चल रही है तो हम हिन्दी की दिशा में आगे क्या बढ़ें। तो हमारी तो राष्ट्र भाषा, क्षेत्रीय भाषा हिन्दी है, इसलिये अभी तक दक्षिण के लोगों से कहने का हमें कोई अधिकार नहीं है। सारे प्रदेश में ऊंचे-ऊंचे अफसरों का एक कुचक्र चल रहा है कि हिन्दी पिछड़ती रहे और अंग्रेजी का स्थान कभी न प्राप्त कर सके। मंत्री लोग भले ही हिन्दी में अपनी टिप्पणी देते रहों, लेकिन अधिकारियों को इससे बड़ी तकलीफ होती है हिन्दी में लिखने में। इसलिये उच्च अधिकारी यह प्रोपेगण्डा कर रहे हैं कि हमारे लड़कों का अब क्या होगा? क्यों? क्योंकि इस व्यवस्था से तो गरीबों और किसानों के लड़के भी आगे बढ़ने लगेंगे और उनका एक छत्र आधिपत्य नहीं रह सकेगा। तो आज जो पग उठाया गया है, उसका मैं स्वागत करता हूं।

श्री रामस्वरूप (जिला मैनपुरी)—

अध्यक्ष महोदय, आज की घोषणा उप मंत्री जी की सुनकर मुझे बड़ी तकलीफ हुई। १५ जुलाई को जो पाठ्यक्रम उन्होंने प्रसारित किया था, उसको देखकर यह महसूस कर रहा था कि जो २० वर्ष में हम पाठ्यक्रम अच्छी तरह से नहीं कर पाए, उसको इन्होंने सफलतापूर्वक किया है। लेकिन एक साधारण पत्र जिसको त्यागी जी ने दिया, उससे उपमुख्य मंत्री जी को नींद नहीं आई और उसकी जो प्रतिक्रिया हुई उसको सुनकर मुझे बड़ी तकलीफ हुई। इतनी जल्दी ९ दिन में इन्होंने अपनी नीति को क्यों बदला? मैं श्रीमन् आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि राष्ट्रभाषा का प्रश्न, द्वितीय और तृतीय भाषा फार्मूला पाठ्यक्रम में क्यों लाया जाता है? राष्ट्र भाषा हिन्दी है, इसमें कोई दो राएं नहीं हैं, लेकिन क्या एम० ए० और बी० ए० तक वह अवश्य पढ़ें तभी उसका महत्व मालूम होगा? हिन्दी का हम आदर करते हैं, हमला आज इस बात पर हो रहा है कि इंटरमीडिएट में हिन्दी अनिवार्य होगी तभी वह रहेगा वरना इसका अपमान होगा और नुकसान होगा। मैं विशेषज्ञों की राय का आदर और कमीशनों की जो रिपोर्टें हैं जो हजारों बार आ चुकी हैं, उनका आदर करता हूं, किन्तु मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि व्यावहारिक दृष्टि से जब किसी नीति पर विचार किया जाएगा तभी वह सफल हो सकती है। मैं इस चीज को भी मानता हूं कि शिक्षा पद्धति के साथ अब और खिलवाड़ नहीं होना चाहिये, उसमें अब एक निश्चितता आनी चाहिये और यह भी तीन दिन पहले तय हो चुकी है कि बी० ए० और एम० ए० में जो शिक्षाएं होंगी वे रीजनल लैंग्वेजेज में होंगी।

अगर कोई जानना चाहता है तो वह हिन्दी को अनिवार्य विषय न होते हुये भी इंटरमीडियेट में हिन्दी को पढ़ सकता है या छोड़ सकता है और अगर विज्ञान में चाहे तो अंग्रेजी को ग्रहण कर सकता है। अंग्रेजी में सीखना चाहे तो अंग्रेजी में या हिन्दी में सीखना चाहे तो हिन्दी में, उसमें क्या कठि-

[श्री रामस्वरूप]

गई है ? दसवें दर्जे के बाद अगर फिर भी कहें कि हमारे विद्यार्थी हिन्दी में योग्यता नहीं प्राप्त कर सके हैं तो फिर लज्जा की बात होगी ।

आज हिन्दी का स्तर बहुत अधिक बढ़ गया है । मैं जब पढ़ता था तब जो दसवें दर्जे की हिन्दी थी उससे कहीं आगे बढ़ गयी है । इंटरमीडियेट की पहले की हिन्दी अब दसवें की हिन्दी हो गयी है । अब १५ या १६ वर्ष के बालक के लिये इतना बोझ डालना उचित नहीं होगा । कई भाषाओं का बोझ डालकर आप कैसे उनका बौद्धिक विकास कर सकते हैं । विशेषज्ञों के चक्कर में पड़कर यह देश उन्नति नहीं कर सका इसलिये व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाय तो विज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि टेक्निकल विषयों के अतिरिक्त कई भाषाओं का बोझ डालना उचित नहीं होगा । मैं ८ वर्ष पहले का स्मरण दिलाना चाहता हूं कि उस वक्त बहुत सी किताबें हो गयी थीं। इस सदन में उसकी बहुत आलोचना हुई । उस समय की गवर्नमेन्ट को उसे कम करना पड़ा था। बहुत से विशेषज्ञों का उनका नाम मुझे स्मरण नहीं है लेकिन किसी विशेषज्ञ ने कहा है कि हाई स्कूल पास करने के बाद अगर कोई विद्यार्थी इच्छुक है तो ऐसा प्राविधान है यूनिवर्सिटीज में कि वह फ्रेन्च और कोई दक्षिणी भाषा पढ़ना चाहे तो पढ़ सकेगा । बुद्धि के विकास का स्तर हाई स्कूल तक हो जाता है और वहां तक ठीक हुआ था मैं तो इतनी जल्दी में १५ जुलाई वाली घोषणा में परिवर्तन सुनकर आश्चर्य में पड़ गया । हमारे अध्यापक भी छटनी की दृष्टि से देखते हैं और वह अपने स्वार्थ के लिये करा रहे हैं और यह ऐडजस्टमेन्ट जिसका दोष आप हम पर लादते थे वही आप भी करने लगेंगे और परिवर्तन इतने शीघ्र करने लगेंगे तब तो कल्याण हो चुका ।

शिक्षा उपमंत्री (श्री अनन्त राम जायसवाल)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सुबह शिक्षा मंत्री जी ने जो घोषणा की, मैं समझता था कि उसके लिये माननीय मंत्री जी को बधाई मिलेगी और आपको भी धन्यवाद कि आपने इसको चर्चा का विषय बनाकर सदन को अपनी राय जाहिर करने का मौका दिया । मान्यवर, आजादी के बाद के सालों में कुछ ऐसी हवा अपने देश में बही कि जो सुविधा और विकास प्राप्त लोग हैं उन्हीं के हित को राष्ट्र का हित मानकर कहा गया और उन्हीं के हित को देश का हित माना गया । बिलकुल यही हाल राष्ट्रभाषा के मामले में हुआ । दो दलीलें खास तौर से दी जाती हैं । एक यह कि अगर हिन्दी से पढ़ाई होगी और हिन्दी अनिवार्य होगी तो टेक्निकल टर्म्स के अभाव में वैज्ञानिक शिक्षा हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं और दूसरे हमारे अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क भी टूट जायेंगे । मैं निहायत अदब से निवेदन करना चाहता हूं कि यह दोनों दलीलें बिलकुल थोथी हैं । आज कहीं भी दुनिया में, पूरे अन्तराष्ट्रीय जगत की भाषा अंग्रेजी नहीं है । यहांतक कि जो अपना संयुक्त राष्ट्र संघ है उस में भी सारे देशों के प्रतिनिधि अंग्रेजी में भाषण नहीं देते और जो स्वतंत्र तथा स्वाभिमानी देश हैं वे अपनी राष्ट्र भाषा में ही अपने विचारों अभिव्यक्ति करते हैं, दूसरी भाषा वे पसंद नहीं करते । मैं आप को याद दिलाना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में भी हमारे एक बुजुर्ग ऐसे हुये हैं कि जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में भी, उसकी महा सभा में भी हिन्दुस्तानी में भाषण दिया था और वह थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद । लेकिन मुझे दुःख है कि उनके अलावा और किसी ने इस रास्ते को अभी तक नहीं अपनाया । इसलिये जो लोग समझते हैं कि अन्तराष्ट्रीय जगत की भाषा अंग्रेजी है और अगर हम उस का इस्तेमाल नहीं करते तो उससे हमारा काम नहीं चलेगा, तो यह भावना निर्मूल है । अन्तराष्ट्रीय जगत में बहुत से देशों का काम अंग्रेजी के बिना भी चल रहा है और हमारा काम भी उस के बिना चल सकता है ।

दूसरा तर्क है कि विज्ञान आदि की शिक्षा अंग्रेजी के बिना नहीं हो सकेगी । तो मैं बड़े जोर के साथ कहना चाहता हूं कि जिस दलील को वह हिन्दी के खिलाफ समझते हैं, उसी के कारण आज हिन्दुस्तान का अधःपतन हो रहा है । उस के कारण ही हिन्दुस्तान की मानसिक तथा भौतिक प्रगति रुकी हुई है । आप इस बात से इत्तफाक करेंगे कि अगर मातृभाषा के द्वारा तालीम दी जाती है तो बच्चे उस विषय की शिक्षा शीघ्र ग्रहण करते हैं और उस विषय में उन का ज्ञान गहरा

होता है । भाषा तो विषय की शिक्षा का माध्यम मात्र होती है । अंग्रेजी भाषा के सीखने में जो समय बच्चे लगाते हैं वह समय उस विषय में गहरा अध्ययन करने के लिये लगाया जा सकता है । मैं बहुत सफाई से कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी माध्यम की जो मांग की गयी है उस की वजह से ही हम बड़े पैमाने पर अच्छे डाक्टर और वैज्ञानिक नहीं पैदा कर पा रहे हैं और मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य इस पहलू से इस पर विचार करें । मैं एक उदाहरण भी आप के सामने रखना चाहता हूं । जब जापान ने दुनिया के सामने अपना दरवाजा खोला तो उस के सामने भी यह प्रश्न था कि किस भाषा को वह अपनाये, किस भाषा में वह अपने बच्चों को शिक्षा दे । उन्होंने पूरे राष्ट्र के स्तर पर इस पर बहस की और यह तय किया कि वह अपने बच्चों को जापानी भाषा के माध्यम से ही शिक्षा देंगे और अंग्रेजी भाषा के पर्यायवाची शब्द जब तक उनकी भाषा में नहीं है उस समय तक वे उन शब्दों को ही जापानी भाषा में ले लेंगे, अपना लेंगे, जब तक कि उन के पर्यायवाची शब्द जापानी भाषा में न बन जायं । और इस का नतीजा यह है कि जो देश अपने बच्चों को अपनी राष्ट्र भाषा के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं वे उन्नति कर रहे हैं, चांद तक उड़ाने कर रहे हैं. . . .

श्री ए० सी० आइस—

माध्यम अगर आप .....

श्री अध्यक्ष—

अगर जायसवाल जी बैठ जाते तो मैं आप को अवसर देता । लेकिन वे बैठ नहीं रहे हैं । आप बाद में अपनी बात कह लीजियेगा ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

तो रूस और अमेरिका अपने बच्चों को अपनी मातृ भाषा में शिक्षा दे रहे हैं । वह चांद तक उड़ाने कर रहे हैं और इस तथ्य को हमें अपनी आंख से ओझल नहीं करना चाहिये । मैं चाहता हूं कि हमारे माननीय सदस्य इस पर गौर करें और वे इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जब तक मातृभाषा के माध्यम से तालीम नहीं होगी, हमारा देश उस समय तक कभी उन्नति नहीं कर सकेगा।

श्री अध्यक्ष—

आप दो, तीन मिनट में समाप्त कर दें ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, दूसरा प्वाइंट मैं जो रखना चाहता हूं वह यह है कि जो राजा होता है उस की इच्छा के अनुसार ही राज्यभाषा चला करती है । कभी इस देश में संस्कृत राज्यभाषा थी, फिर फारसी और फिर अंग्रेजी आयी । आप को याद होगा कि अंग्रेजों के रहते हुये अंग्रेजी यहां पर प्रायः हर स्टेज पर कंपल्सरी कर दी गयी थी इसलिये कि वे समझते थे कि उनको राज काज चलाने के लिये अच्छे कुशल आदमी उसी समय मिल सकते थे कि जब उन को अंग्रेजी का ज्ञान हो और उन की अपनी सुविधा भी इसी बात में थी कि अंग्रेजी कंपल्सरी रहे । लेकिन आजादी के बाद आपने संविधान में राष्ट्र भाषा का स्थान हिन्दी को दिया और यह गांधी जी का असर था । उनकी वजह से ही, उन की भावना के कारण ही यह संभव हो सका । वे जानते थे और इसी कारण इस प्रकार का निर्णय लिया जा सका कि राष्ट्र भाषा का स्थान हिन्दी को मिले और अंग्रेजी को मिला सह भाषा का स्थान, और अंग्रेजी को सह भाषा के स्थान पर इसलिये रखा गया कि अंग्रेजी धीरे धीरे खत्म हो । तो यह फैसला जो लिया गया है वह विधान के अनुकूल है । भारत सरकार ने भी यह फैसला अभी अभी लिया है कि बच्चों की पढ़ाई मातृ भाषा में हो । उसके भी यह अनकूल है । कुछ और जो दूसरे विषय हैं उनके बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि विचार हो रहा है । कोई जल्दीबाजी में कदम उठाना ठीक नहीं होगा । सारी परिस्थितियों को देखते हुये जो अच्छा कदम होगा वही उठाया जायेगा । माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार प्रकट किये हैं उनका भी पूरा पूरा आदर होगा ।

*श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा बिलकुल निश्चित मत है कि अंग्रेजी को हटाने से कोई आसमान सर पर नहीं गिर पड़गा । अंग्रजी को रखने के लिये वही लोग प्रयत्न करते ह जो शोषण में विश्वास रखत ह, शोषण करते ह समाज का । १५ जुलाई को जो हिन्दी आप्शनल म रखने का आदेश हुआ था उसम अवश्य गलती हुई थी, लेकिन उसमें अंग्रेजी को भी हटा दिया गया था । आज की घोषणा में अंग्रजी को हटान का जो निणय लिया गया है वह सही कदम है । उसका मैं स्वागत करता हूं । आज कचहरियों में, दफ्तरों में, डाक्टरों के यहां जहां भी जाइये आप देखेंगे कि अंग्रेजी वही लोग बोलते हैं जो अंग्रेजी न जानने वालों का शोषण चाहते हैं । अंग्रेजी को हटाना देश क लिये कल्याणकर ही है । एक बार आई० सी० सी० की मीटिंग में हिन्दी क विषय में विवाद हो रहा था । वहां सुब्रामनियम साहब न जो उस समय खाद्य मंत्री थ कहा था और चैलन्ज दिया था कि यदि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार अपन यहां पूर्ण रूप से हिन्दी को लागू कर देंगे तो म ५ वष बाद मद्रास में भी हिन्दी को लागू कर दूंगा। मुझ वह बात याद है। क्या हम आज इतने बदल गये हैं कि उस चैलेन्ज को स्वीकार नहीं कर सकते ? हमें इस सम्बन्ध में उदार हृदय रखना होगा । हमारे यहां भिन्न भिन्न भाषाओं के बोलने वाले हैं, उनकी अपनी संस्कृतियां हैं, उनके संरक्षण का भी हमें खयाल रखना होगा । इसलिये मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस संबंध में शिक्षा विशेषज्ञों, राजनीतिज्ञों से भी सलाह लें और उसक बाद कोई कदम उठायें । जो भी कदम हो वह ऐसा न हो कि रोज रोज उसमें परिवर्तन लाना पड़े । उर्दू का प्रश्न भी गम्भीर है । उस पर संकीणता से विचार नहीं करना होगा । यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रश्न समझ कर विचार करना होगा । इसलिय मेरा आपसे निवेदन है कि इस उर्दू के प्रश्न को भी आप इसी क साथ हल करने की कृपा करें । अंग्रेजी को जो आपने हमेशा क लिय समाप्त किया है उसक लिये आप धन्यवाद के पात्र ह ।

*श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में और इस प्रदेश की जनता की बराबर यह मांग रही कि कौन सा दिन हो कि हिन्दी पूर्ण रूप से राष्ट्रभाषा नहीं तो कम से कम राज्य भाषा के पद पर आसीन हो जाय । श्रीमन्, म माननीय मंत्री जी को बता देता हूं कि उन्होंने आज सिर्फ इस घोषणा को करके उस ओर एक बड़ा प्रभावकारी और एक बड़ा शान्ति देनेवाला कदम उठाया । श्रीमन्, मैं यह नहीं समझ पाया कि इधर इस पक्ष के बैठने वाले हों या उस पक्ष क बठन वाले हों जो हिन्दी को अनिबाय नहीं रहन देना चाहत ह व किस प्रकार की बात करते हैं क्योंकि जब हम कहत ह कि अनिवाय होनी चाहिय तब वे कहते ह अनिवार्य नहीं होनी चाहिये । जब उसमें कोई कमी थी तब कहते थ कि हिन्दी को नहीं ला रहे हैं । यह अजीब स्थिति जब हम करें तो कहें नहीं । तो मेरी समझ में नहीं आया कि क्या माननीय सदस्य यह चाहत ह जो इस पक्ष म न हो । श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अंग्रेज तो चले गये । अब कुछ अंग्रज रह गये, अंग्रेजियत रह गई । कुछ नवाब भी चल गय मुगलों क जमान क, परन्तु अब भी कुछ नवाबजादे तशरीफ रखत ह । मेरी कुछ आलोचना करने की मन्शा नहीं है । लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षत्र म आमूल चूल परिवर्तन हो । माननीय मंत्री जी न एक कदम उठाया और आपने कहा कि आमूल चूल परिवर्तन करने के लिये कदम उठाया । आपन उसकी निन्दा करनी शुरू कर दी । आमूल चूल परिवतन तो आप चाहेंगे जिस दिन भी, वह एक ही दिन में होगा, एक मिनट क अन्दर हो सकता है । अगर आप आमूल चूल परिवर्तन करन की बात करत रहे तो १८८५ से लेकर आज तक आमूल चूल परिवर्तन तो नहीं कर पाये । आप चाहते हैं कि हिन्दी हो और भी सुधार हों । पर १८८५ में अपने जन्म के बाद भी आप कौन से आमूल चूल परिवर्तन कर पाये इ स भाषा के क्षे त्र में । श्रीमन्, आपको याद होगा कि इससे पहले, सन् ५० से पहिले हम लोगो ने यही चार विषय इन्टरमीडियेट में पढ़े कम्पलसरी तरीके से और पांच विषय पढ़े हाई

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

स्कूल में । यही तरीका था उस समय । इंगलिश लिटरेचर, मैथेमेटिक्स कम्पलसरी था हाई स्कूल में और उस समय इंगलिश लिटरेचर कम्पलसरी था केवल इन्टरमीडियेट में.। आज हमने उसी को बदलकर उन्हीं स्थानों पर हिन्दी को प्रतिष्ठित कर दिया । तो इसमें कौन सी परेशानी की बात है ।

श्री रामायण राय—

हिन्दी तो कम्पलसरी थी ही, आपने कौन सा नया काम किया ?

श्री हरीश कुमार गंगवार—

मैं समझता हूं कि अगर १५ जुलाई के आर्डर में गलती रह गई थी तो और अच्छा काम किया । हमने उनके भावनाओं के अनुरूप काम किया । श्रीमन्, एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं । अभी माननीय नवलकिशोर जी ने कहा कि इस बात का असर कि आपने इन्टरमीडियेट तक हिन्दी कम्पलसरी कर दिया, इसका असर नान हिन्दी स्पीकिंग स्टेट्स पर बुरा पड़ेगा । तो श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने बराबर इस बात का ध्यान रक्खा तब तो उन्होंने हमारी ओर कोई ध्यान नहीं दिया ।

श्रीमन्, आपने देखा होगा कि पिछले बार दंगे हुये, लोग जेल गये, लड़ाइयां हुई, उस समय क्या था ? श्री जवाहरलाल नेहरू कुछ कह गये थे । उसके पक्ष में कुछ कार्य न होने के बाद कह गये थे, कुछ थोड़ा सा हट रहे थे उस प्वाइंट से । आज श्रीमन्, हम उनकी तरफ ताकते रहे । त्रिभाषीय फार्मूला रखा गया । त्रिभाषीय फार्मूला में हिन्दी संस्कृत और अंग्रेजी चाहे पढ़ ली हो या तो उर्दू, फारसी और अंग्रेजी पढ़ ली है और हालांकि यह तो नहीं है कि किसी ने कन्नड़, तमिल तिलगू पढ़ी ही नहीं, लेकिन उनकी संख्या नगण्य है, उंगलियों पर गिने जानेवाली है । दक्षिण में हमारे पक्ष में कोई प्रबल जनमत बना हो, ऐसी बात नहीं है । मैं तो समझता हूं कि हिन्दी की उन्नति इसी समय सम्भव है जब कि परिस्थिति निरपेक्ष होकर कार्य करें और मजबूती के साथ करें ।

यह कहा गया कि अगर हायर स्टडीज में किसी को भाषा पढ़नी हो तो कैसे हो । मान लीजिये की साइंस की बात है । हिन्दी के साथ हमने तीन विषय साइंस के ले लिये और चाहे तो अंग्रेजी ले लें । हायर स्टडीज में कोई बाधा नहीं है । यह भी कहा गया कि हिन्दी में साइंस की किताबें नहीं हैं । मेरा बच्चा इंटर में पढ़ रहा है और हिन्दी की किताबें इस्तेमाल कर रहा है। यह बात जरूर है, जैसा माननीय मंत्री जी ने भी कहा, कि कुछ टेक्नीकल वर्ड्स हैं जो नहीं हो पाये हैं। लेकिन इसका यह तरीका तो नहीं है कि हम हमेशा के लिये उसे छोड़ दें । यदि हम दृढ़ निश्चय के साथ किसी भी कार्य को करेंगे तो उसका हल जरूर निकल आवेगा ।

श्रीमन्, उर्दू की बात बहुत कही जाती है और तरह-तरह की धमकियां भी दी जाती हैं । साथ ही अंग्रेजी की बात कही जाती है । उर्दू का जहां तक अपने आप पोषण होने का प्रश्न है, हमें कोई एतराज नहीं है । कांग्रेस में, जो नीति कांग्रेस सरकार की थी उर्दू के बारे में, उसमें हमने कुछ परिवर्तन नहीं किया है । जो नीति इस भाषा के लिये कांग्रेस सरकार के जमाने में थी वही चल रही है । प्राइमरी स्कूल्स में सब जगह वह चल रही है । उसके मदरसे अलग खुल रहे हैं और उन्हें ऐड सरकार से मिल रही है । लेकिन मुझे इतना जरूर लगता है कि उर्दू की वजह से और मैं समझता हूं कि बहुत से माननीय सदस्यों का मेरे जैसा विचार होगा और शायद न भी हो लेकिन मेरा दृढ़ विचार है कि उर्दू की वजह से इस देश में फिर पाकिस्तान बनेगा । जिस समय हमारे माननीय सदस्य उर्दू या मांग्रो कहते हैं तो ऐसा लगता है कि फिर से पाकिस्तान, दूसरा पाकिस्तान इस देश में से बनने की तैयारी हो रही है । मुझे उम्मीद है यह माननीय सदस्य नहीं चाहते होंगे ।

श्री अध्यक्ष—

(श्री श्रीनारायण तिवारी का नाम पुकारे जाने पर) मैं चाहूंगा कि अब इसके बाद माननीय सदस्य खड़े न हों। वीरेश्वर त्यागी जी और फिर माननीय मंत्री जी बोलें।

श्री श्रीनारायण तिवारी (जिला बलिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी देश का उत्थान अथवा किसी समाज का उत्थान उसकी नियोजन व्यवस्था पर आधारित होता है। अगर किसी देश की नियोजन व्यवस्था सुदृढ़ हुई तो उस देश का उत्थान भी सुन्दर होगा। इस नियोजन में सबसे बड़ा नियोजन शिक्षा का होता है। अगर हमारी एजूकेशन की प्लानिंग सुन्दर होगी, हमारी शिक्षा व्यवस्था सुन्दर होगी, तो हमारे यहां सुन्दर नवयुवक उत्पन्न होंगे जो देश की समस्याओं को सुलझा सकेंगे और उनके कंधे ज्यादा मजबूत हो सकेंगे। जैसे कि और प्लानिंग की बातें हैं उनमें अगर हम कोई जल्दी बात कर लेते हैं तो समाज का विशेष नुकसान नहीं होता लेकिन अगर शिक्षा में कोई कदम जल्दी से उठा लिया जाता है तो उसका बहुत खराब प्रभाव पड़ता है। जैसे १५-२० साल पहले हाईस्कूल कक्षा में गणित को वैकल्पिक विषय बना दिया गया था उसका नतीजा यह हुआ कि विद्यार्थियों ने उससे बचने के लिये गणित लेना बन्द कर दिया। लेकिन उसका परिणाम यह हुआ कि बाद में जो कंपीटीशन्स हुये उनमें हमारे प्रदेश के विद्यार्थी कम आये। यह एक्सपेरीमेन्ट कतिपय वर्षों तक चलता रहा। लेकिन जब देखा गया कि हमारे प्रदेश के विद्यार्थियों की क्षति हो रही है, हाई स्कूल में गणित को अनिवार्य कर दिया गया।

पिछले वर्षों में जो कोई नया प्रयोग हाई स्कूल या इन्टरमीडियेट के विषयों में परिवर्तन के लिये लाया जाता था तो कई महीनों पहले चारों ओर उसको प्रसारित किया जाता था, तत्पश्चात् बोर्ड के सामने रखा जाता था और सब की सम्मति इस मामले में आ जाने पर ही कोई निर्णय लिया जाता था। इस समय हाईस्कूल और इन्टरमिडियेट में जो विषय चल रहे थे वे काफी बहस मुबाहिसे के बाद रखे गये थे उसमें परिवर्तन की विशेष गुंजाइश नहीं थी। लेकिन अगर विद्यार्थियों के ऊपर का भार कम करना था तो उसमें हिन्दी को हनन करने की आवश्यकता नहीं थी। यह कहा गया है कि हाई स्कूल तक अगर कोई विद्यार्थी हिन्दी पढ़ लेता है तो उसको वैज्ञानिक कानूनी और प्राविधिक विषयों को पढ़ना संभव हो सकता है, यह दलील समुचित प्रतीत नहीं होती। उच्च वैज्ञानिक शिक्षा के लिये भाषा की काफी गहरे ज्ञान की आवश्यकता होती है। हाई स्कूल तक जो हिन्दी का ज्ञान होता है वह इतना अधिक नहीं होता है कि उसके माध्यम से कोई विद्यार्थी प्राविधिक विषयों का अध्ययन कर सके। इसलिये आवश्यक है कि अगले वर्षों में हिन्दी का ज्ञान परिवर्द्धित हो। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो अंग्रेजी को उसका माध्यम बनाना पड़ेगा। रूस, जरमनी और जापान अपने यहां पढ़ाई अंग्रेजी में नहीं करते, वह अपनी भाषा के माध्यम से ही सब विषयों को पढ़ाते हैं और दुनियां के किसी भी देश से पीछे विज्ञान में नहीं हैं। इसलिये हमें अगर ज्ञानार्जन करना है तो अगर हम अपने विद्यार्थियों को अपनी भाषा द्वारा पढ़ायेंगे तो जो विद्यार्थी दूसरी भाषा के माध्यम से २० वर्ष की आयु में समझ सकता है उतना वह १५-१६ वर्ष की आयु में अपनी भाषा के माध्यम से समझ सकेगा और इस तरह से एक विद्यार्थी के जीवन में ४-५ वर्ष का समय बच जाता है और उस समय को वह अन्य प्रकार की उन्नति तथा ज्ञानार्जन की दिशा में लगा सकेगा। इस तरह से हमारी एक राष्ट्रीय बचत विशेष प्रकार की हो सकती है जो मातृभाषा के द्वारा ही सम्भव है। साथ ही साथ हमें यह भी देखना है कि हमारी मातृभाषा कहीं पीछे न रह जाय, बिहार ने, मध्य प्रदेश ने या राजस्थान ने अपने यहां हिन्दी को वैकल्पिक विषय नहीं किया है, यह उचित न होगा कि हमारी सरकार को हिन्दी को वैकल्पिक विषय बनाने पर अनूठी हो जाय और इससे विद्यार्थियों की शिक्षा पर एक कुठाराघात हो। अगर दूसरी भाषा बढ़ाना है तो या तो उसे अनिवार्य कर दें या वैकल्पिक एडीशनल भाषा कर दें जैसे कि बिहार में है। वहां सर्टिफिकेट में लिख दिया जाता है कि अमुक विद्यार्थी ने इस विषय में पास किया है।

(श्री वीरेश्वर त्यागी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक मिनट में मैं भी अपनी बात.....

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करता हूं और करना चाहता हूं लेकिन एक मिनट में विचार व्यक्त नहीं होते ।

*श्री वीरेश्वर त्यागी (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, जो १५ जुलाई को एक विशेष आदेश सरकार की ओर से प्रसारित किया गया और उसको लेकर के जो प्रदेश की जनता में प्रक्रिया हुई उसके बारे में ४ मुख्य बातें थीं। उनमें से एक तो यह थी कि हिन्दी जो हमारे प्रदेश की राष्ट्रभाषा और मातृभाषा दोनों है वह एक तरफ तो हाई स्कूल में अनिवार्य विषय के रूप में रहे और भारत सरकार आने वाले ५ साल में विश्वविद्यालय स्तर पर हिन्दी को पढ़ाई का माध्यम बनाने की बात सोचे, तब हिन्दी को वैकल्पिक विषय की श्रेणी में लाने में थोड़ी सी शंका पैदा हुई लेकिन वह पूर्णत अभी दूर हुई और हमारे शिक्षा मंत्री जी जनमत का सम्मान करें और अपने आदेश को संशोधित कर दें तो वह वास्तव में सराहना और प्रतिष्ठा के पात्र होंगे। इस आदेश के जारी होने से एक शंका तो दूर हुई लेकिन दूसरी शंका पैदा हुई कि आया प्रदेश की सरकार के इस प्रकार के आदेश का कोई वैधानिक औचित्य भी था या नहीं था। मैं बहुत नम्र निवेदन करूंगा कि यू० पी० बोर्ड आफ एजूकेशन एक स्टेचुटरी या आटोनामस बाडी है और जो सरकार द्वारा एक विधिवत् तरीके से गठित है। आपका सम्पर्क उस संस्था से एक कानूनी तरीके से ही हो सकता है। आपने इन्टर के विद्यार्थियों के सम्बन्ध में आदेश को वापस तो ले लिया लेकिन जो आदेश १५ जुलाई को प्रसारित किया गया है या आगे चल कर आप और देना चाहते हैं तो मैं बहुत नम्रता से निवेदन करूंगा कि प्रदेश की सरकार ने जो इन्टर मीडियेट ऐक्ट का सेक्शन ९, सब सेक्शन (४) है उसका हवाला दिया है और उसके द्वारा वह अपना अधिकार मानते हैं कि वह हस्तक्षेप कर सकते हैं। उसके विषय में मेरा बहुत नम्र निवेदन है कि यह उनकी एक कानूनी गलतफहमी है। आप की आज्ञा से मैं उस सेक्शन को पढ़ कर सुनाऊंगा जिस के द्वारा सरकार ने अपने आप को इस योग्य समझा कि वह किसी भी वक्त इस कानून में या रेगुलेशन्स में कोई संशोधन कर सकती है। सेक्शन ९ इस प्रकार है, सब-सेक्शन (४) में यह है कि—

"9 (4) In any emergency which, in the opinion of the State Government, requires that immediate action should be taken, the State Government may take such action consistent with this Act as shall it deems necessary without previous consultation with the Board, and forthwith inform the Board thereof."

श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि इस धारा के अनुसार आपत्तिकाल का होना अनिवार्य है। जो आदेश प्रसारित किये गये हैं, उसमें यह प्रकट करने की कोशिश की गयी है कि आपत्ति कालीन स्थिति है। जो आपने लिखा है उसकी ओर माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा। उन्होंने आपत्तिकालीन स्थिति को मान लिया है लेकिन अगर वे यह कहें कि मेरी राय में आपत्तिकालीन स्थिति है तो मैं बड़ी नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि कानून यह कहता है कि एमरजेन्सी होनी चाहिये। आपकी राय से नहीं। आपने यह भी लिखा है कि बच्चों के ऊपर ज्यादा बोझ हो गया है। चूंकि यह लोक प्रिय देश है अत: आपको शिक्षण संस्थाओं की स्वतंत्रता को स्वीकार करना होगा। आपने जो बोर्ड को आदेश दे दिये, उनसे मुझे यह अन्दाजा लगा कि जिस प्रकार से हमारी कांग्रेसी सरकार ने अपनी पद्धतियां रखी, उसी प्रकार से आप भी रखना चाहते हैं। हमारे जो बोर्ड के सदस्य है, उनको भी पूछा तक नहीं गया और १५ तारीख को जो मीटिंग हो रही थी उसको कैंसिल कर दिया। उनको कन्सल्ट भी नहीं किया जाता है। आपने जो इतना बड़ा काम किया है, उसके लिये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री वीरेश्वर त्यागी]

आपको जो हक दिया हुआ है उसके मुताबिक करना चाहिये था जो विधिवत् प्रोसीजर है, जो कार्य प्रणाली एजेण्ट के मुताबिक है, उसके माध्यम से आप करें और एमरजेन्सी पावर्स, जो कानून न दिये गये है उनके अनुसार ही काम करें। यह नहीं कि १५ तारीख की बोर्ड की मीटिंग कैंसिल करा कर यह काम कर दिया।

अन्त में मैं माननीय उप मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जनता की भावनाओं को सम्मानित करने के लिये अपने आदेश में संशोधन कर दिया। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मंजूर अहमद—

अध्यक्ष महोदय, अभी जो हमारे माननीय उप मंत्री ने संशोधन कर दिया है, उसके लिये मैं उन्हें बधाई और मुबारक वाद देता हूं। आदरणीय डाक्टर लोहिया ने सन् १९५२ से लगातार 'अंग्रेजी हटाओ' आन्दोलन चलाया, उसके बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं। जब अंग्रेज हमारे मुल्क में थे तो उन्होंने अपना राजकाज अंग्रेजी में इसलिये चलाया ताकि चन्द लोगों के हाथ में राजकाज रहे। मैं संविद के माननीय सदस्यों, रिपब्लिकन के नेता, पी० एस० पी० के नेता और और नेताओं से कहना चाहता हूं जिन्होंने अपने अपने चुनाव घोषणा पत्रों में ऐलान किया था, आज से नहीं सन् १९४८ में कहा था कि उर्दू जबान पाकिस्तान की जबान नहीं है, और न यह अरबों की जबान है। हिन्दुस्तान की आजादी के लड़ने वाले शायरों की यह जबान है। उर्दू मुसलमानों की जबान नहीं बल्कि आम हिन्दुस्तानियों की जबान है। उर्दू तो दिल्ली में पैदा हुई और लखनऊ, रामपुर, हैदराबाद में परवान चढ़ी। लेकिन अगर माननीय सदस्य आज यह कहते है कि उर्दू जबान पाकिस्तान की जबान है तो वे भूल करते हैं। उर्दू जबान हिन्दुस्तान की जबान है। पाकिस्तान की जबान पंजाबी है। मैं अपनी एस० एस० पी० और रिपब्लिकन पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर उर्दू जबान पाकिस्तान की जबान है तो खुले शब्दों में इन लोगों को एलान करना चाहिये। एक बात अदब से कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने शब्द कहें उनको वापस लेना चाहिये। मुझे औलाद के मरने का इतना दुख नहीं होता जितना आज हुआ है। अगर उर्दू का मसला उठाने वाले पाकिस्तानी हो सकते हैं तो मैं कह सकता हूं कि जो हिन्दी की बात करते है वह अंग्रेजों के गुलाम है। हिन्दी उर्दू की दुश्मन नहीं है, उर्दू हिन्दी की दुश्मन नहीं है। अंग्रेजी जबान दुश्मन है हिन्दी की भी और उर्दू की भी।

श्री कृष्णानन्द राय—

मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अभी हाल में जो शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ उसमें तीन भाषा या दो भाषा अनिवार्य पढ़ायी जायें इस पर विवाद हुआ था और मुझे जहां तक पता है कोई निर्णय नहीं हो पाया। बल्कि यह तय हुआ कि मुख्य मंत्रियों से इस बारे में पूछ लिया जाय और उनका सम्मेलन कर लिया जाय, और माननीय मुख्य मंत्री ने जो शिक्षा मंत्री सम्मेलन में यह भाषण दिया था वह स्वयं तीन भाषा की अनिवार्यता में विश्वास करते है राष्ट्रीय हित में। तो जो शिक्षा मंत्री ने अपने विचार आज व्यक्त किये, बिना कैबिनेट का फैसला कराये बगैर क्या जल्दी पड़ गयी जो नित्य प्रति ऐक्सपेरीमेंट करते हैं?

खाद्य उप मंत्री (श्री शमीम आलम)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी एक माननीय सदस्य ने उर्दू को पाकिस्तान के कयाम का जिम्मेदार ठहराया। इससे उर्दू वालों को ठेस पहुंची। माननीय सदस्य को अपने अल्फाज वापस लेने चाहिये। उन्होंने अपने अल्फाज वापस नहीं लिये इसलिये मैं इस के प्रोटेस्ट में इस सदन से वाक आउट करता हूं।

(खाद्य उप मंत्री, श्री शमीम आलम तथा संयुक्त विधायक दल के अन्य कुछ सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, आज दिन में आप बैठे थे तो कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने श्रम नीति के विरोध में वाक आउट किया और अभी रिपब्लिकन पार्टी के लोगों ने भाषा विरोधी नीति के कारण वाक आउट किया। तो यह सरकार कहां रह गयी। श्रीमन्, जब कि उसका एक डिप्टी मिनिस्टर वाक आउट किये है। शिक्षा मंत्री को चाहिये कि वह इस्तीफा दें। वह इस प्रदेश के साथ अन्याय कर रहे हैं। वैधानिक रूप से उनको हक नहीं है जिसका डिप्टी मिनिस्टर कैबिनेट के फैसले के विरुद्ध सदन से चला जाता है। यह कोई कैबिनेट नहीं है, यह प्रदेश के साथ विश्वास-घात हैं। इनकी बातें हम नहीं सुनेंगे। आप इनसे कहें कि इस्तीफा दें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय कृष्णानन्द राय ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया उसको व्यवस्था का प्रश्न तो मैं समझता नहीं, लेकिन हां, इतना अवश्य है कि शायद संसदीय इतिहास में कम अवसर आये हों जबकि किसी सरकार के डिप्टी मिनिस्टर ने वाक आउट किया हो। यह एक विशेष बात है, शिक्षा मंत्री जी उस पर विचार करेंगे।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

श्रीमन्, मेरे दोस्तों को कुछ तकलीफ हुई। और अगर आप प्रोसीडिंग्स अभी पढ़वा लें तो मैंने कहीं नहीं कहा कि उर्दू पाकिस्तान की जबान है।

श्री अध्यक्ष—

आप उसको वापस ले रहे हैं ?

श्री हरीश कुमार गंगवार—

मैं स्पष्ट कर देता हूं।

श्री रामायण राय—

श्रीमन्, अगर यह वापस नहीं लेते हैं तो हम लोग भी वाक आउट करते हैं।

(कांग्रेस दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री हरीश कुमार गंगवार—

मैं कहना चाहता हूं कि मैंने यह कहा कि उर्दू के प्रोमोशन में उस की मलाई में, उसको प्रोत्साहन देने में मुझे एतराज नहीं है और यह भी कहा कि इसको सरकार प्राइमरी शिक्षा में मदरसे खोलने के लिये उनको पैसा देकर प्रोत्साहित कर रही है और यह सरकार भी कर रही है। मैंने कहा, मुझे डर यह लगता है कि किसी समय उर्दू भाषा के कारण, उर्दू भाषा की बात से पाकिस्तान बनने की नौबत आयी ? पाकिस्तान बना, उससे मुझे डर लगता है। यह मैंने कहा। यह कभी नहीं कहा कि उर्दू भाषा से पाकिस्तान बन जायगा और अगर मेरी इस भावना से कोई भ्रम पैदा हो गया है तो मैं वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—

बहुत शर्तों के साथ कोई बात वापस नहीं की जाती है। आपने स्पष्टीकरण कर दिया। आपकी बात में गलतफहमी नहीं थी लेकिन कोई उसे अनुचित समझ सकता है और उसके हृदय को ठेस लग सकती है। आप वापस लेना चाहते हैं तो वापस लें, नहीं लेना चाहते हैं तो न लें।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

वह तो मैंने कह दिया। मैं उसे वापस लेता हूं। उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। एक प्वाइंट आफ आर्डर कृष्णा नन्द राय ने उठाया था। मंत्रि परिषद् के सदस्य चले गये। ऐसी बात नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष—

आगे की बातों में आप न पड़ें। वह तो मैंने भी कहा था। सरकार की कलेक्टिव रिसपांसिबिलिटी होती है और कोई भी मंत्री सरकार की नीति के खिलाफ वाक आउट करता है तो यह विशेष बात हो जाती है।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

गलत फहमी में चले जायं तो क्या हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष—

उनकी गलत फहमी दूर कर दीजिये।

श्री राम प्रकाश—

अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं जहां तक भाषा का प्रश्न है सरकार का मंतव्य यह नहीं है कि अंग्रेजी अथवा उर्दू न पढ़ाई जाय या उसकी वृद्धि न हो। जो अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं अथवा उर्दू वे उसे पढ़े और माहिर बने और वे उर्दू तथा अंग्रेजी के साहित्य को समृद्धिशाली बनायें और उनकी हर सहायता सरकार से की जाय। प्रश्न तो यह है कि जो छात्र अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहता, जो अंग्रेजी में अच्छे नम्बर नहीं प्राप्त कर पाता उनके ऊपर जबरदस्ती वह न लादी जाय जिससे वह उसे पढ़ने के लिये मजबूर हो जायं। इस मंतव्य से इस भाषा के प्रश्न को देखा जाय।

जहां तक त्रिभाषा का सम्बन्ध है कुछ गलतफहमी माननीय सदस्य को थी। हमारे प्रदेश में त्रिभाषा केवल ६, ७ तथा ८ वर्ग तक ही है। उसके आगे दो भाषायें अनिवार्य थीं इस समय केवल ९, १०, ११ और १२ कक्षा का ही सवाल है। हाई स्कूल मे यह सुविधा दे दी गयी कि अंग्रेजी ले सकते हैं और कोई अन्य विषय ले सकते हैं। अब इंटरमीडियेट के लिये बहुत से सुझाव आये और कहा गया कि हिन्दी को अनिवार्य किया जाय और दूसरे विषय चार ऐच्छिक कर दिये जायं। अब साइंस वाले हिन्दी के अलावा तीन विषय साइंस के लेंगे। आर्ट वाले तो उर्दू पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी पढ़ सकते हैं उनकी कोई कठिनाई नहीं होगी लेकिन साइंस का विद्यार्थी दूसरी भाषा पढ़ना चाहे तो उसी के लिये यह सुझाव आया है कि चार विषयों में वह एक विषय अंग्रेजी, उर्दू या अन्य भाषा पढ़ना चाहे तो ले ले, अपनी इच्छा से उसे पढ़े और उसके लिये अलग से उसे सर्टिफिकेट दे दिया जायगा। इस तरह की शंका प्रकट करना कि फिर वह अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा निर्मूल है। मैं समझता हूं कि साइंस के विद्यार्थी को जर्मन, रशियन तथा अनेक अन्य भाषाओं को पढ़ना होगा। जो विज्ञान में प्रगति करना चाहते हैं, जो उसका अध्ययन गहराई से करना चाहते हैं, शोध कार्य करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं उनको संसार की अनेक भाषाओं का अध्ययन करना होगा। और उसमें अंग्रेजी भाषा है जो विद्यार्थियों पर थोपने की आवश्यकता नहीं है। अगर कुछ हमारे विद्यार्थी जो बहुत तेज हैं वह जर्मन भाषा सीखेंगे, अंग्रेजी भाषा सीखेंगे, हो सकता है कि रशियन भाषा भी सीखें, इस तरह की जो आप्शनल व्यवस्था है उसमें वह अवश्य सफल होंगे इसमें कोई संदेह नहीं। परन्तु सरकार ने अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है इसलिये मैंने यह सुझाव रखा था। माननीय सदस्यों ने जो सुझाव रखे हैं उनको हमने नोट किया है और मुझे विश्वास है कि मंत्रि परिषद् शीघ्र ही इस बारे में योग्य निर्णय ले सकेगा।

एक बात मैं और साफ कर दूं। ये सारे निर्णय सरकार के निर्णय हैं, कोई शिक्षा मंत्री के व्यक्तिगत निर्णय नहीं हैं। ये मंत्रिपरिषद् के निर्णय हैं जहां पर भिन्न प्रकार के लोग बैठे हैं

और बड़ी कठिनाई से किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। मंत्रि-परिषद् ने ही १५ तारीख का निर्णय लिया, मंत्रि-परिषद् ने ही आज का निर्णय लिया और आगे भी जो निर्णय होगा वह मंत्रि-परिषद् द्वारा ही होगा। इतना मैं विश्वास दिलाता हूं कि किसी भाषा के साथ कोई अन्याय नहीं किया जायगा और हिन्दी को अनिवार्य भाषा बनाने का प्रयत्न किया जायगा।

लोक लेखा, प्राक्कलन तथा कतिपय स्थायी समितियों के निर्वाचन सम्बधी कार्यक्रम में परिवर्तन (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

उठने से पहले मुझे एक सूचना देनी है। समितियों के लिये नाम वापसी की अन्तिम तिथि आज की थी लेकिन दोनों पक्षों से मुझे आग्रहपूर्ण प्रार्थना आयी कि मैं इसका समय बढ़ा दूं। मैं एक दफा कह चुका हूं कि यह कोई अच्छा नहीं लगता कि बार-बार एक कार्यक्रम बने और फिर वह मुल्तवी किया जाय। लेकिन मैंने दोनों पक्षों की इच्छा का आदर करते हुये विदड्राल का समय २७-७-६७ तक बढ़ा दिया है और यदि आवश्यक हुआ तो ३१ जुलाई को निर्वाचन होंगे। इसके बाद सम्भवतः यह समय और आगे नहीं बढ़ाया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ७ बजकर ३ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः
२४ जुलाई, १९६७।

नत्थी 'क'

(देखिये ता० प्र० २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५३८ पर)

उत्तर

तहसील मड़ियाहूं, जिला जौनपुर में नवम्बर, १९६६ से ६ जून, १९६७ तक ४७ सस्ते गल्ले की दूकानें थीं। उपर्युक्त अवधि में इन दूकानों को खाद्यान्न निम्नलिखित मात्रा में वितरण हेतु दिये गये :

शहरी क्षेत्र	सस्ते गल्ले की दूकानों की संख्या	खाद्यान्न जो दिये गये		
		विदेशी गेहूं	कनैडियन आटा	विदेशी गेहूं का आटा
	३	५२० क्विंटल	३०० बोरा	७६५ बोरा

देहाती क्षेत्र	सस्ते गल्ले की दुकानों की संख्या	खाद्यान्न जो दिये गये (मात्रा क्वींटल में)			
		माइलो	ज्वार	बाजरा	मक्का
	४४	८३६०	६९३	३०८५	६८६

गल्ले को चोर बाजार में बेचे जाने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

नत्थी 'ख'

(देखिए पीछे पृष्ठ ५५१ पर)

अनुदान संख्या ३२—सिंचाई अधष्ठिान

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
१	श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा	सम्पूर्ण मद क़े अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—(१) वर्क चार्ज श्रमिक-व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करना, श्रमिक कल्याण कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना जिससे बहुप्रयोजनीय स्कीमों आदि में श्रमिकों क़े साथ मानवीय व्यवहार संभव हो । (२) सिंचाई अधिष्ठान को व्यावहारिक बना कर और अधिक उपयोगी बनाना जिससे किसानों को विभाग से अन्न उत्पादन में सम्पूर्ण सहायता मिल सके।
२	श्री योगेश्वर प्रसाद खंडूड़ी	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य–चर्चा करना व सुझाव देना ।
३	श्री गुप्तार सिंह	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—उचित सुझाव देना, रचनात्मक आलोचना तथा नीतियों का प्रतिपादन ।
४	श्री चन्द्रबली सिंह	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य–नीति की आलोचना करना और सिंचाई विभाग को नयी नीति का सुझाव देना ।
५	श्री सुक्खनलाल तथा श्री राम अजोर मिश्र ।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में एक रुपया की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य—सामान्य चर्चा तथा आलोचना ।
६	श्री दल बहादुर सिंह	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य—आलोचना करना और सुझाव देना ।
७	श्री चन्द्रबली सिंह	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय ।

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
		कमी करने का उद्देश्य--निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करना-
		(१) छितौनी बांध जो १२ मील ६ फर्लांग लम्बा है जिसमें सिर्फ ६ फर्लांग वहा तो १२ मील का जी० आई० वायर, बोल्डर्स, पार्पलिंग कहां पर है। यह एक सवाल है। १९६२ से लेकर आज तक जांच क्यों नहीं हुई, यह चार्ज किन-किन लोगों पर आता है तथा टेक्निकल आडिट सेल की इस संबंध में रपटें क्या है,
		(२) इस विभाग के एक स्थान पर ओवरसियरों का १४-१४ सालों से रहना,
		(३) श्री चन्द्रबली सिंह, एम० एल० ए० द्वारा सिंचाई मंत्री को गोरखपुर के बसुड़ी नामी स्थान पर २९-५-६७ को एक पत्र देना तथा उसमें दर्ज ६ सूत्री शिकायतों की चर्चा करना,
		(४) गोरखपुर छितौनी बांध एवं गंडक कैनाल के संबंध में शिकायत देने वाले श्री मुहम्मद सफी खां को इंजीनियरों ओवरसियरों द्वारा जान से मारने की धमकी,
		(५) गोरखपुर-मलौनी बांध को राप्ती के बायें किनारे-किनारे देवरिया के गायघाट-मदनपुर तक बनवाने का सुझाव एवं चर्चा।
		अनुदान सख्या ४७--बहु प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूजी परिव्यय
१	श्री अयोध्या प्रसाद आर्य	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में एक रुपये की कमी की जाय।
		कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना।
		अनुदान संख्या ४८--सिंचाई निर्माण कार्य पर पूंजी परिव्यय
१	फूल सिंह	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।
		कमी करने का उद्देश्य--सरकार की सिंचाई संबंधी नीति की आलोचना करना और सुझाव देना।
२	श्री लालन शर्मा	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।
		कमी करने का उद्देश्य--सरकार की नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना।
३	श्री लालन शर्मा	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में २०० रुपये की कमी की जाय।

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
		कमी करने का उद्देश्य—सहिजना एवं हथौड़ा ड्रेन विकास क्षेत्र, माधोगंज, मल्लावां, जिला हरदोई के निर्माण का योजना में समावेश होते हुए भी अब तक कोई कार्यवाही न किये जाने के संबंध में ध्यान आकर्षित करना ।
४	श्री रमसमझावन	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी की जाय ।
		कमी करने का उद्देश्य—सम्पूर्ण सिंचाई संबंधी नीति की चर्चा तथा आलोचना ।
५	श्री कल्पनाथ सिंह	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय ।
		कमी करने का उद्देश्य—(१) बांसगांव तहसील, गोरखपुर में सिंचाई के लिये नलकूपों के द्वारा या अन्य साधनों से अर्सिचित क्षेत्र हटाना ।
		(२) गोरखपुर में कोठा रकहठ-सेमराबांध के मरम्मत का न होना।
		(३) गुनगरी नाला की खुदाई का न होना ।
		(४) बांसगांस तहसील, गोरखपुर से वाटर लागिंग को खत्म न करना ।
		(५) राप्ती घाघरा के कटाव रोकने की व्यवस्था न होना ।
		(६) बांसगांव तहसील में कछार के गांवों में नलकूप न लगाना ।
६	श्री अयोध्या प्रसाद आर्य	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय ।
		कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ८० एल० ए०—१९६७—८४६ ।

सत्यमेव जयते